लोक-सभा

वाद-विवाद

शनिवार,
१ अक्टूबर, १९५५

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

(खंड ६, १९५५)

(१९ सितम्बर से १ अक्टूबर, १९५५)

1st Lok Sabha

दशमै सत्र, १९५५

(खंड ६ में अंक ४१ से अंक ५१ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली ।

350 LSD

विषय - सूची

[खंड ६—अंक ४१ से ५१—१९ सितम्बर से १ अक्टूबर, १९५५]

अंक ४१—सोमवार, १९ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १८७० से १८७२, १८७४ से १८७८, १८८३, १८८४, १८८९, १८९६ से १९०३, १९०५ से १९०७, १९०९, १९१२, १९१६ से १९१८, १९२० और १९२१ . १७६१—१८०५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८६८, १८६९, १८७३, १८७९, १८८० से १८८२, १८८५ से १८८८, १८९० से १८९५, १९०४, १९०८, १९१०, १९११, १९१३ से १९१५, १९१९, १९२२ से १९२५ और १९२७ से १९३५ . . . . . १८०५—२६

अतारांकित प्रश्न संख्या ९९२ से १०२७ १८२७—५०

अंक ४२—मंगलवार, २० सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९३६, १९३७, १९४१ से १९४४, १९४६ से १९४८, १९५०, १९५१, १९५५, १९५६, १९५८, १९५९, १९६२, १९६४, १९६७ से १९७०, १९३९ और १९४० . . २८५१—९२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० . २८९२—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९३८, १९४५, १९४९, १९५२ से १९५४, १९५७, १९६०, १९६१, १९६३, १९६५, १९६६, १९७१ और १९७२ . . २८९७—२९०५

अतारांकित प्रश्न संख्या १०२८ से १०४५ . . २९०५—१६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९७५, १९७७, १९७९, १९८०, १९८४, १९८६ से १९८८, १९९१, १९९२, १९९४ से १९९८, २००३ से २००६, २००८, २०१० से २०१४, २०१६, २०१८, २०२०, २०२३ और २०२५ . २९१७—६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९७३, १९७४, १९७६, १९७८, १९८१ से १९८३, १९८५, १९८९, १९९०, १९९३, १९९९ से २००२, २००९, २०१५, २०१७, २०१९, २०२१, २०२२ और २०२६ से २०३२ २९६२—८०

अतारांकित प्रश्न संख्या १०४६ से १०७१ २९८०—९८

अंक ४४—गुरुवार, २२ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०३३ से २०३६, २०३८ से २०४१, २०४४, २०४६, २०४८, २०५१, २०५५, २०५६, २०५८ से २०६२, २०६६ से २०७०, २०७२ से २०७७, २०७९ से २०८१ और २०८४ २९९९—३०४४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०३७, २०४२, २०४३, २०४५, २०४७, २०४९, २०५०, २०५२ से २०५४, २०६३, २०६५, २०७१, २०७८ और २०८५ से २०९० ३०४४—५६

अतारांकित प्रश्न संख्या १०७२ से १११९ ३०५६—९०

अंक ४५—शुक्रवार, २३ सितम्बर, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०९१ से २०९४, २०९८ से २१००, २१०३, २१०५ से २१०९, २१११, २११६, २११९ से २१२१, २१२४ से २१२६, २१३१, २१३२, २१०२, २११७, २१२२, २११८, २१२९ और २१३० ३०९१—३१३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०९५ से २०९७, २१०१, २१०४ २११०, २११२, २११४, २११५, २१२३, २१२७ और २१२८ . . . . ३१३९—४७

अतारांकित प्रश्न संख्या ११२० से ११३४ ३१४७—५८

अंक ४६—सोमवार, २६ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१३३ से २१४६, २१४९, २१५१, २१५२, २१५५ स २१५७, २१५९, २१६१ से २१६६, २१६९ और २१७० . . . . . ३१५९—३२०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१४७, २१४८, २१५०, २१५३, २१५४, २१५८, २१६०, २१६७, २१६८, २१७१ से २१७८, २१८० से २१८६ ३२०३—१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ११३५ से ११५७ . ३२१७—३२

अंक ४७—मंगलवार, २७ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१८७ से २१९४, २१९६ से २२०२, २२०४ से २२०६, २२०९ से २२१२, २२१६ से २२१९, २२२१, २२२२ और २२२५ से २२३० . ३२३३—८१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ ३२८१—८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या २१९५, २२०३, २२०७, २२०८, २२१३ से २२१५, २२२०, २२२३, २२२४ और २२३१ से २२६३ ३२८५—३३१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ११५८ से ११६८ और ११७० से १२१५ ३११२—४८

अंक ४८ – बुधवार, २८ सितम्बर १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२६६, २२६७, २२७०, २२७२, २२७३, २२७५, २२७६, २२७८, २२८० से २२८३, २२८६, २२८७, २२८९ से २२९१, २२९५, से २३००, २३०३, २३०५, २३०६, २३०७, २३०८, २३११, और २३१२। ३३४९—३३९१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ ३३९१—९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२६५, २२६९, २२७१, २२७४, २२७७, २२७९, २२८४, २२८५, २२८८, २२९२ से २२९४, २३०१, २३०२, २३०४, २४०९, २३१०, २३१३ से २३३८ ३३९४—३४२०

अतारांकित प्रश्न संख्या १२१६ से १२२२, १२२४ से १२५२, १२५४ से १२६६ ३४२०—३४४८

अंक ४९ – गुरुवार, २९ सितम्बर १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या २३३९ से २३४४, २३४६, २३४९ से २३५२, २३५४, से २३५८, २३६० से २३६२, २३६४, २३६६, २३६७, से २३६९, २३७२, २३९०, २३७४, २३७५ और २३९२ ३४४९—९२

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १३ से १६ ३४९२—३५०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३४५, २३४७, २३४८, २३५३, २३५९, २३६३, २३७०, २३७१, २३७६ से २३८४, २३८४-क, २३८५ से २३८९, २३९१, २३९१-क और २३९३ से २३९९ ३५०२—२१

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६७ से १३००, १३००-क और १३००-ख ३५२१—४२

अंक ५०—शुक्रवार, ३० सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४०१ से २४०६, २४०८ से २४१०, २४१३, २४४६ २४१४ से २४१६, २४१८ से २४२१, २४२३ से २४२५, २४२७ से २४३१, २४५५, २४३३ और २४६२ ३५४३—९०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७ से २० ३५९०—३६०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित पश्न संख्या २४००, २४०७, २४११, २४१२, २४१७, २४२२, २४३२, २४३४ से २४४५, २४४७ से २४५४, २४५६ से २४६१, २४६३ से २४७३ ३६०३—२८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३०१ से १३६९ ३६२८—७८

अंक ५१—शनिवार, १ अक्तूबर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २१ और २२ ३६७९—९४

अनुक्रमणिका १—१३८

लोक-सभा

शनिवार, १ अक्टूबर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे सम्वेत हुई ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

राज्य-पुनर्गठन आयोग

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २१. श्री रघुरामैया : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य-पुनर्गठन आयोग ने अभी तक सरकार के सामने अपना कोई प्रतिवेदन पेश किया है ;

(ख) यदि नहीं, तो ठीक-ठीक कब तक उसके सरकार के पास पहुंचने की आशा है ; और

(ग) वह प्रतिवेदन कब तक प्रकाशित हो सकेगा ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त) : राज्य-पुनर्गठन आयोग का प्रतिवेदन सरकार को कल शाम को मिल गया था । मैं आशा करता हूं कि अगले दो सप्ताहों में उसे प्रकाशित किया जा सकेगा ।

श्री रघुरामैया : आज सुबह के दैनिक पत्रों में प्रकाशित होने वाले विभिन्न समाचारों को, और एक ऐसी बात पर—जो अंत में एक ग़लत अटकलबाजी सिद्ध हो—जनता के उत्तेजित हो उठने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार कम से कम उसका एक सारांश प्रकाशित करने का विचार कर रही है ?

पंडित जी० बी० पन्त : मेरा ख्याल है कि हम अपनी जनता पर इतना भरोसा कर सकते हैं कि वह इन अटकल पच्चू समाचारों से उत्तेजित नहीं होगी ।

श्री कामत : सरकार कितने समय तक आशा करती है कि वह सीमा प्रदेशों के निर्वाचिन-क्षेत्रों के परिसीमन के लिये, संविधान के अनुच्छेद ४ के अन्तर्गत, विधान-सभाओं और संसद् में आवश्यक विधान स्वीकृत करा सकेगी ?

पंडित जी० बी० पन्त : यदि सभी लोग तन मन से और बिना किन्हीं शर्तों के सहयोग करें, तो इस सारी प्रक्रिया को अगले चुनावों से पहले पूरा किया जा सकता है ।

श्री कामत : क्या पत्रों में प्रकाशित समाचारों की यह बात सही है कि कल प्रधान मंत्री ने अपने प्रेस-सम्मेलन में वक्तव्य दिया था कि इस आयोग की प्रस्थापनाओं को सन् १९५७ के आरम्भ में होने वाले अगले चुनावों से पहले ही कार्यान्वित और जारी किया जायेगा, और क्या गृह-कार्य मंत्री भी इस प्रस्ताव से सहमत हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : वह सही नहीं है ।

श्री कामत : मैं ने कहा है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं जानता कि सन् १९५७ और अन्य बातों का भी जिक्र उसमें है ।

श्री कामत : तब, ठीक-ठीक क्या कहा गया था ?

उपाध्यक्ष महोदय : उनके कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में तो माननीय मंत्री कह ही चुके हैं कि वह रिपोर्ट अगले चुनावों से पहले ही की जायेगी । उसमें उन्होंने अपनी ओर से गढ़ कर उसका यह अर्थ निकाल लिया कि सरकार सन् १९५७ के प्रारम्भ में ही चुनाव करवाने के लिए वचनबद्ध है, आदि ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : जब प्रेस सम्मेलन हुआ था, तब हम उस प्रतिवेदन के बारे में कुछ नहीं जानते थे । मैंने कहा था कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन अपने साधारण सिद्धांतों के अनुसार हमें उसकी चिन्ता जरूर है और हम इसे चुनावों से पहले ही पूरा करना चाहते हैं । मैंने सिर्फ यही कहा था—और चुनाव भी उचित समय पर ही होने चाहियें, हो सकता है कि एक महीना इधर या एक महीना उधर हो । मैंने सिर्फ यही कहा था ।

श्री कामत : क्या प्रधान मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि समाचार पत्रों का यह समाचार कितना सही है कि इस महीने में होने वाली कांग्रेस कार्य-समिति की बैठक में इस प्रतिवेदन और उसकी सिफारिशों पर भी विचार किया जायेगा ; यदि हां, तो क्या आयोग का पूरा प्रतिवेदन नहीं, तो कम-से-कम उसकी सिफारिशें हीं देश की अन्य संस्थाओं और संसद् के सदस्यों को एक ही समय पर सुलभ बना दी जायेंगी, क्योंकि ऐसा न करना एक संस्था के प्रति पक्षपात ही होगा ?

पंडित जी० बी० पन्त : मेरा ख्याल है कि इसको सम्पन्न करने में सहयोग करने के लिये सभी संस्थाओं को समान अवसर प्राप्त होगा ।

श्री कामत : क्या मैं यह सुझाव रख सकता हूं कि यह सहयोग पारस्परिकता के आधार पर होना चाहिये ? यदि सरकार सहयोग करती है, तो हम भी सहयोग करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम एक बहस में पड़ते जा रहे हैं ।

श्री शिव मूर्ति स्वामी (कुष्टगी) : आयोग के पास समय की कमी को देखते हुए, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने सीमा सम्बन्धी प्रश्नों के बारे में अपनाई जाने वाली कार्य विधि की अपनी साधारण नीति से सम्बंधित अपने विचारों से आयोग को पहले ही परिचित करा दिया था; और क्या मैं जान सकता हूं कि न्यायिक व्यक्तियों द्वारा तय किये हुए बेल्लारी के जैसे प्रश्नों पर किसी भी हालत में और किसी भी शर्त पर फिर से विचार नहीं किया जायेगा ?

पंडित जी० बी० पन्त : सरकार ने किसी भी मामले में आयोग, को प्रभावित करने के लिये कुछ भी नहीं किया है ।

डा० सुरेश चन्द्र (औरंगाबाद) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बात में कुछ सचाई है कि प्रतिवेदन की बात पहले से ही बाहर फूट गई थीं ?

पंडित जी० बी० पन्त : जी, मैं नहीं जानता कि फूटन का अर्थ क्या है ?

श्री एस० एन० दास : मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रतिवेदन विभिन्न राज्य सरकारों को भेजा जा चुका है ; और यदि हां, तो क्या उनके लिए सम्मति भेजने की कोई अवधि निश्चित कर दी गई है ?

पंडित जी० बी० पन्त : राज्य सरकारों को प्रतिवेदन भेजा जा रहा है और आशा है कि विषय के महत्व को देखते हुए वे इन प्रस्थापनाओं पर जितनी भी शीघ्रता से हो सके विचार कर लेंगी ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जनाना चाहता हूं कि क्या किसी राज्य विशेष से काटे या उसमें जोड़े जाने वाले क्षेत्र या क्षेत्रों पर उस अन्तर्कालीन अवधि में उसी प्रशासन का शासन रहेगा ?

पंडित जी० बी० पन्त: जी, हम यहां पर अंकगणित की कुछ जोड़-बाकी की साध्य समस्यायें सुलझाने नहीं बैठे हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : माननीय गृह मंत्री भली प्रकार जानते हैं कि देश की परिस्थिति में कितना तनाव है । तमाम लोग उस आयोग के परिणामों की राह देख रहे हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्यों की सीमाओं से सम्बन्धित प्रतिवेदन का सारांश प्रकाशित करने के प्रश्न पर आपका उत्तर क्या है ?

पंडित जी० बी० पन्त : मैं नहीं समझता कि कहीं कोई तनाव है । मुझे हर जगह शान्ति दिखाई पड़ती है, और यह उपद्रवहीन शान्ति कायम रहेगी प्रतिवेदन का सारांश प्रकाशित करने के बार में मेरा ख्याल यह है कि पाठकों को उन प्रस्थापनाओं और सिफारिशों के आधारभूत कारण बताये बिना उन्हें प्रकाशित कर देना न तो पाठकों के और न आयोग के प्रति उचित होगा ।

श्री एस० एस० मोरे : सरकार ने राज्य-सरकारों की रायें मांगी हैं । इस कथन को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं जान सकता हूं कि राज्य सरकारों से जो रायें पूछी गई हैं वे केवल कार्य पालिका सरकार की रायें होंगी, या विधान-मंडल की भी ?

पंडित जी० बी० पन्त : विधान-मंडलों को भी अपनी राय प्रकट करने के लिये काफी अवसर मिलेगा, और राज्य सरकारों के लिये भी यह आवश्यक होगा कि वे अपने-अपने विधान-मंडलों से परामर्श करें ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य श्री राघवाचारी एक प्रश्न करना चाहते हैं ।

श्री राघवाचारी : पंडित भार्गव ने वह प्रश्न पूछ लिया है ।

श्री पुन्नूस : कहा गया है कि अति शीघ्र ही यह प्रतिवेदन विभिन्न राज्य सरकारों को भेजा जायेगा । क्या राज्य सरकारें अपनी रायें केवल केन्द्रीय सरकार को ही भेजने को बाध्य हैं, या वह जन-साधारण के सामने भी उन्हें प्रकट करने को स्वतंत्र हैं ?

पंडित जी० बी० पन्त : मेरा ख्याल है कि भिन्न-भिन्न स्थानों पर जनता के प्रतिनिधि सभी ऐसे क्षेत्रों की निश्चित राय जानने का प्रयास करेंगे जिनकी रायें

इसके अपने विचार में महत्व रखती है।

श्री कासलीवाल : क्या यह सच है कि इस आयोग की कार्य-अवधि इसलिये और बढ़ा दी गई कि उसके प्रतिवेदन को कार्यान्वित करने में भी आयोग की सेवा सुलभ हो सके ?

पंडित जी० बी० पन्त : जी, नहीं। उसको कार्यान्वित करना आयोग के कार्य-क्षेत्र में नहीं है। लेकिन एक-दो सप्ताहों के अन्दर कुछ अस्पष्ट रहने वाली बातों के स्पष्टीकरण के लिये अवश्य ही उसकी सहायता ली जायेगी।

श्री रघुरामैया : मैं जानना चाहता हूं कि क्या संविधान के अनुच्छेद ३ में अपेक्षित विधान-मंडलों के साथ किया जाने वाला परामर्श बाद में किया जायेगा चूंकि इस समय केवल राज्य-सरकारों की रायें ही माँगी गई हैं ?

पंडित जी० बी० पन्त : जी, नहीं। मेरा विचार है कि अपनी कोई अन्तिम राय बनाने से पहले राज्य सरकारें अपने विधान मंडलों से परामर्श कर लेंगी।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या सरकार यह बतायेगी कि संसद् की बैठक शुरू होने के समय हमें आयोग की प्रस्थापनाओं पर सरकार का पूर्व निश्चित निर्णय सुनने को मिलेगा, या संसद् के विचारों का पूरी तौर पर पता लगा लेने तक सरकार इस मामले पर अपना निर्णय रोके रखेगी ?

पंडित जी० बी० पन्त : संसद् द्वारा मामले पर विचार होने से पहले सरकार अपना कोई भी अन्तिम निर्णय नहीं करेगी।

श्री जयपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि भाग 'ग' राज्यों के विचार किस प्रकार मालूम किये जायेंगे ?

पंडित जी० बी० पन्त : भाग 'ग' राज्यों का अभी तो अस्तित्व है।

श्री जयपाल सिंह : उनके विचार किस कार्य-विधि से प्राप्त किये जायेंगे ?

पंडित जी० बी० पन्त : इस विषय पर प्रत्येक को अपने विचार भेजने की स्वतंत्रता है; भाग 'ग' राज्यों में उनका अपना संगठन है और अपने प्रशासकीय पदाधिकारी भी हैं।

श्री गाडगिल : मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकारों से प्रतिवेदन के प्रकाशन के औचित्य के बारे में राय माँगी गई है, या उसकी सिफारिशों के गुणावगुण के बारे में ?

पंडित जी० बी० पन्त : मैं समझता हूं कि प्रतिवेदन को प्रकाशित करने के औचित्य के बारे में सभी एकमत हैं और चाहते हैं कि उसे प्रकाशित किया जाना चाहिये।

श्री कामत : क्या सरकार का ध्यान बम्बई के मुख्य मंत्री के आज प्रातः के समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुए उस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि विधान-मंडलों में शासक संख्या कांग्रेस संस्था के सदस्य इस आयोग के प्रतिवेदन और उसकी सिफारिशों पर विचार करने के लिये स्वतंत्र होंगे, और दल के सचेतक के बिना मतदान कर सकेंगे, और यदि हां, तो क्या वह एक समय से पहले की जाने वाली घोषणा भर है, या इस मामले में पूरी कांग्रेस संस्था की नीति है ?

पंडित जी० बी० पन्त : श्रीमान्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीतिक दलों और उनके अपने कार्य-संचालन के तरीकों से सम्बन्धित मामलों में इस सभा में चर्चा नहीं होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न भी समय से पहिले उठाया गया है।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक माननीय सदस्य को कैसे अनुमति दे सकता हूं।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछूंगा।

क्या मैं जान सकता हूं कि विभिन्न सरकारों द्वारा भिन्न २ मत प्रकट करने पर, सरकार इस प्रतिवेदन को आयोग को पुनः लौटाने की भी सोचती हैं ?

पंडित जी० बी० पन्त : बिलकुल अन्तिम निर्णय करने के समय संसद् के सामने सभी राज्य सरकारों के मत होंगे; और जो भी निर्णय संसद् करेगी वह सरकार पर बाध्य होगा।

श्री कामत : मेरा प्रश्न बम्बई के मुख्य मंत्री के वक्तव्य से सम्बन्धित था।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने वह वक्तव्य मुख्य मंत्री की हैसियत से नहीं दिया था; वह उन्होंने एक कांग्रेसी की हैसियत से कहा था।

भारत इंश्योरेंस कम्पनी

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २२. श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इंश्योरेंस कम्पनी को एक विनियोजन कम्पनी में बदल दिया गया है;

(ख) क्या उस कम्पनी की निधि किसी गबन के मामले में पड़ी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो उसमें बीमा कराये हुए लोगों, कर्मचारियों और आम जनता के हितों की रक्षा के लिए, सरकार कौन से कदम उठाने का विचार कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) जी, हां, बीमेवालों की निधि गबन के मामले में ग्रस्त है।

(ग) सरकार ने बीमा अधिनियम की धारा ५२क के अन्तर्गत बीमा कराने वालों के मामलों का प्रबन्ध करने के लिए एक प्रशासक नियुक्त किया है। प्रशासक पूरी तौर से स्थिति को जानता है और अपनी जांच पूरी हो जाने पर, वह सभी सम्बन्धित लोगों के हितों की रक्षा के लिये, जो भी उपाय सम्भव होंगे, करेगा।

श्री फीरोज गांधी : क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों में यह दूसरी बार इस प्रकार का गबन किया गया है ?

श्री सी० डी० देशमुख : जी, नहीं।

श्री फीरोज गांधी : क्या यह सच है कि लगभग दो वर्ष या उससे कुछ समय पहले जो गबन किया गया था उसमें १ करोड़ ६० लाख रुपय की राशि की गड़बड़ी हुई थी और इसे लौटाना पड़ा था; अर्थात् सरकार ने 'टाइम्स आफ इन्डिया' के प्रकाशकों—मेसर्स बेनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी को भारत इंश्योरेंस कम्पनी को यह राशि लौटाने को बाध्य किया था ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह गबन नहीं था।

श्री फीरोज गांधी : क्या यह सच है कि सरकार बेनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी को भारत इंश्योरेंस कम्पनी को कोई राशि लौटाने के लिए बाध्य किया था, क्योंकि जांच करने पर सरकार को यह पता चला था कि इस राशि का उचित उपयोग नहीं किया गया ?

श्री सी० डी० देशमुख : परीक्षण करने पर यह व्यवहार संदिग्ध प्रतीत हुआ था इसी लिए हमने संबद्ध पक्षों से इसे पलट देने को कहा था ।

श्री फीरोज गांधी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह जो राशि भारत इंश्योरेंस कम्पनी को लौटायी जायगी उसका भार 'टाइम्स आफ़ इंडिया' की आय पर पड़ेगा ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं नहीं समझता कि उसका भार 'टाइम्स आफ इंडिया' की आय पर पड़ेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : 'टाइम्स आफ़ इंडिया' के सम्पत् पर ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं समझता हूं कि उसकी व्यवस्था और मुद्रणालय पर पड़ेगा ।

श्री फीरोज गांधी : क्या यह सही नहीं है कि डालमिया ने यह गबन 'टाइम्स आफ इंडिया' के महाप्रबन्धक जे० सी० जैन के सहयोग से किया था; और यदि ऐसा है, तो बेनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी भारत इंश्योरेंस कम्पनी को जो भुगतान करगी उसी की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है या उसका क्या कार्यवाही करन का विचार है ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैंने कहा है कि वह गबन नहीं था। हमारे पास इस व्यवहार के प्रतिकरण के लिए एक ऐसा करार है जिसके अधीन बेनट कोलमैन एण्ड कम्पनी के सम्पत् पर उसका भार डाला जा सकता है ।

श्री फिरोज गांधी : क्या इस राशि का प्रतिकरण और भुगतान हो चुका है ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं यह नहीं कह सकता कि किस सीमा तक इस व्यवहार का प्रतिकरण हो चुका है ।

श्री एस० एस० मोरे: मंत्री महोदय ने कहा था कि कुछ संदिग्ध व्यवहार हुए हैं; क्या मैं यह जान सकता हूं कि संदिग्ध व्यवहारों और वस्तविक गबन में क्या अन्तर है ?

उपाध्यक्ष महोदय : संदिग्ध व्यवहार वही है जिसमें केवल गबन की कमी रह गयी हो ।

श्री कामत : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि ठीक किस अवस्था में यह संदिग्ध व्यवहार सरकार के सामने लाया गया ?

श्री सी० डी० दशमुख : मुझे ज्ञात नहीं कि किस अवस्था में कह कर माननीय सदस्य वास्तव में क्या जानना चाहते हैं । ऐसा होने के कुछ समय बाद ही यह मामला हमारे सामने लाया गया ।

श्री कामत : मैं यह जानना चाहता था कि वह किस सीमा तक संदिग्ध था और संदिग्ध व्यवहार एवं गवन को अलग करने वाली सीमारेखा कौनसी थी ?

श्री सी० डी० देशमुख : सामान्यतया यह विधि मंत्रणादाता की मंत्रणा पर निर्भर करती है । जांच से हमें जो तथ्य ज्ञात होते हैं वे हम अपने विधि-मंत्रणा-दाता को बता देते हैं । हम उनसे यह पूछते हैं कि किसी संभावित अभियोजन

अथवा किसी अन्य कार्यवाही का वे किस सीमा तक समर्थन करते हैं। उसके उपरान्त उनकी मंत्रणा ही हमारा मार्ग-प्रदर्शन करती है।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या मैं यह जान सकता हूं इस गबन में और कौन कौन सी पार्टियां सम्मिलित थीं और डालमिया के साथ और कितने लोग बन्दी किये गये ?

श्री सी० डी० देशमुख : मुझे ज्ञात नहीं कि माननीय सदस्य किस गबन का उल्लेख कर रहे हैं, अब जिसका आरोप लगाया गया है या .....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय वित्त मंत्री यह कह चुके हैं कि जहां तक भारत इंश्योरेंस कम्पनी का सम्बन्ध है, वह मामला इतना बड़ा नहीं था कि उसे प्राविधिक रूप में गबन कहा जा सके। स्पष्ट है कि माननीय सदस्य किसी अन्य गबन का उल्लेख कर रहे हैं।

श्री फीरोज गांधी : वित्त मंत्री के उत्तर के अनुसार क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह सही है कि 'टाइम्स आफ इंडिया' के वर्त्तमान महाप्रबन्धक जे० सी० जैन कुछ वर्ष पूर्व भारत इंश्योरेंस कम्पनी के महाप्रबन्धक थे ?

श्री सी० डी० देशमुख : मुझे इस प्रश्न की पूर्वसूचना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का तात्पर्य है कि जिस समय यह व्यवहार हुआ था।

श्री फीरोज गांधी : वित्त मंत्री ने कहा है कि उन्हें पूर्वसूचना चाहिए, और मुझे प्रतीक्षा करनी होगी। यह एक ऐसा तथ्य है जो अत्यन्त सर्व विदित है।

क्या यह सच है कि कुछ व्यक्तियों ने बीमा कराने वालों के हित में यह प्रस्ताव किया है कि हाल के गबन में जितनी राशि की गड़बड़ी हुई है उसे वे अपने पास से अदा कर देंगे, और क्या मैं यह जान सकता हूं कि डालमिया से उनका क्या सम्बन्ध है ?

श्री सी० डी० देशमुख : वह उनका जामाता है।

श्री फीरोज गांधी : अब क्योंकि जामाता अच्छे अभिप्राय से अपने श्वसुर की सहायता के लिये आ गया है इसलिए क्या सरकार सभा को यह आश्वासन देने के लिये कदम उठायेगी कि श्वसुर इस विषय में विधि-संबन्धी कार्यवाही से बच नहीं सकेंगे ?

श्री सी० डी० देशमुख : अभी तक तो बचाव की कोई क्रिया हुई नहीं है, दूसरे शब्दों में, हमने ऐसा कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है।

श्री जोकीम आल्वा : इस विषय में वित्त मंत्रालय ने जिस शीघ्रता से कार्य-वाही की है, उस पर अत्यधिक संतोष होते हुए भी क्या मैं यह जान सकता हूं कि इसी प्रकार के उन व्यवहारों के विषय में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है, जिनमें बड़े व्यापारी और अन्य व्यक्ति सम्मिलित होते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : किसी प्रश्न पर नीति संबंधी वक्तव्य नहीं किया जा सकता।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि यह कार्यवाही होने के ठीक पहले इस कम्पनी ने अपने कर्मचारियों को उन्मुक्ति की सूचना दी थी और, अगर ऐसा हुआ था

तो क्या इसे बीमा कम्पनी के रूप में चलाने के लिये सरकार इन कर्मचारियों को रोक लेगी ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य किसी भ्रम में हैं। उनको सम्भवतः भारत इंश्योरेंस कम्पनी लि० और दि भारत फायर एन्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी में संभ्रम हो गया है। मैं समझता हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा है वह उस बाद वाली कम्पनी के सम्बन्ध में सही हो सकती है।

श्री फीरोज गांधी : क्या मैं प्रधान मंत्री से यह जान सकता हूं कि डालमिया को समाचार पत्रों के अत्यंत छोटे छोटे शीर्षकों के पीछे शरण लेने से रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का इरादा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इससे यह प्रश्न नहीं उठता।

प्रधान मंत्री तथा वैदशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जहां तक मुझे ज्ञात है, माननीय सदस्य समाचार पत्रों से संबंधित हैं। वे बड़े शीर्षक देने के लिये स्वतंत्र हैं।

अनुक्रमणिका

लोक-सभा वाद-विवाद-भाग १

दशम सत्र, १९५५

खंड ६—अंक ४१ से ५१

१९ सितम्बर, १९५५ से १ अक्टूबर १९५५

अ

अंदमान तथा निकोबार द्वीप—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अंदमान और निकोबार द्वीपसमूहों के लिये मंत्रणा समिति ३४१४–१५

अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह ३२१०

अन्दमान द्वीप समूह २५०७

अन्दमान द्वीप समूह में सड़कें २८०२–०३

अन्दमान द्वीप समूह में खाद्य स्थिति ३०३३–३४

अन्दमान द्वीपों में विस्थापित व्यक्तियों का बसना ३४०२–३

अन्दमान व निकोबार द्वीप ३३५२–५४

अंधा (धे)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— के लिये छात्रवृत्तियां ३४१६–१७

अंशदायी चिकित्सा योजना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अंशदायी चिकित्सा योजना ३६१९

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना ३०७४—७६

महिला-चिकित्सा-सेवा ३५८५—८७

अकरपुरी, सरदार—

के द्वारा प्रश्न—

अमेरिकन सहायता २९१३–१४

भाखड़ा बांध २९१८—२०

विस्थापित सरकारी कर्मचारी २९०२

अखिल भारतीय गोदाम निगम—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अखिल भारतीय गोदाम निगम ३५८८

अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मास्को में भारतीय दस्ताकारियों की प्रदर्शनी ३२१४

अखिल भारतीय महिला खाद्य परिषद

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अखिल भारतीय महिला खाद्य परिषद ३३३७

अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

संस्कृत विश्वविद्यालय ३१३५–३६

अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भारतीय वाद्ययन्त्र ३१७८–७९

अगरताला (त्रिपुरा)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अल्प आय वर्ग की आवास योजना २९६४–६५

अग्रवाल, श्री एम० एल०—

के द्वारा प्रश्न—

आण्विक बिजली घर ३१९१—९३

कानपुर में केन्द्रीय नियन्त्रण प्रयोगशाला २७८२

परख नली में जीव ३४३४

बीना में दुर्घटना ३३०५

राज्य पुनर्संगठन आयोग ३११३—१५

रेल दुर्घटना ३०५४, ३६२५

रेलवे की एक बड़ी नौका का डूबना ३०२७–२८

विमान समवायों को प्रतिकर ३२६३—६५

अचल सह, सेठ—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

अन्तर्राज्य बिक्री कर ३१३०

विश्व जनसंख्या सम्मेलन ३०९३

शिक्षितों में बेकारी ३१२४

अच्युतन, श्री—

के द्वारा प्रश्न—

केन्द्रीय सचिवालय ३४३६—३८

अजन्ता—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

एलोरा और — २८१९–२०

एलोरा और — की गुफायें २८१०–११

अजित सिंह, श्री—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

भूतपूर्व सैनिकों को पैन्शनें ३०९९

विदेशों में भारतीय विद्यार्थी ३१०५

अजटाइना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

जूट उत्पादन ३०२४—२६

अणु शक्ति—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अणु शक्ति २९८६–८७

अणु शक्ति आयोग, अमरीका—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

नाभिकीय शक्ति पर पुस्तकें ३५३०

अधिनियम (मों), केन्द्रीय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— का जम्मू तथा काश्मीर राज्य में लागू होना २९०३

अध्यापक (कों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अंडमान व निकोबार द्वीप ३३५२—५४

असैनिक स्कूल मास्टर २८६९–७०

हिन्दी — ३४३९

अध्यापक प्रशिक्षण स्कूल, इम्फाल—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अध्यापक प्रशिक्षण स्कूल, इम्फाल ३४२८

अनन्तपुर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— के निकट ऊपरी पुल ३६०९
एक नए स्टेशन का खोला जाना ३६६९–७०
हीरे ३४४५

अनावृष्टि—
के सम्बन्ध म प्रश्न—
बिहार में सूखा की स्थिति ३२७५–७७

अनिरुद्ध सिंह, श्री—
के द्वारा प्रश्न—
माल डिब्बों की कमी ३०६६–६७

अनुज्ञप्तियां—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अमरीकी साथों की बनी बस्तुयें ३५१३–१४
आयात—३४८५–८६, ३४८६—८८
त्रिपुरा की खानें २८९७–९८
बिना लाइसेंस के रेडियो सेट ३००७—०९

अनुदान (नों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां ३३९०–९१
अल्प-आय वर्ग आवास योजना ३१६१–६२
कुटीर उद्योग ३२२१–२२
डेरागोपीपुर पुल ३६३६–३७

अनुदान (नों)—(जारी)
के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)
नदी घाटी परियोजना २९६६
नाभिकीय विज्ञान २९९५
पटसन का उत्पादन ३२८५–८६
राजकुमारी क्रीड़ा-शिक्षा योजना ३६५४–५५
विस्थापित विद्यार्थी ३२००—३२०२
विस्थापित व्यक्तियों के लिये मकान ३१५९–६०
शिक्षितों में बेकारी ३१२२—२४
संस्थाओं को — ३१५३–५४

अनुसूचित आदिम जाति (यों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अनुसूचित जातियां और— ३३९०–९१
अनुसूचित जातीयां तथा — ३१४८–४९ ३४०५–०६
उच्च श्रेणी के क्लर्क (अपर डिविजन क्लर्क) ३४२३–२४
छात्रवृत्तियां देने के लिये बोर्ड २९०९–१०
त्रिपुरा में सामाजिक शिक्षा कर्मचारी ३१५२
पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को छात्र-वृत्तियां २९००–०१
भर्त्ती ३६६७
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी २८७१—७३
रेलवे वर्कशाप खडगपुर ३०४९–५०

अनुसूचित जाति (यां)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— और अनुसूचित आदिम जातियां ३३९०–९१
— तथा अनुसूचित आदिम जातियां ३५४८–४९, ३४०५–०६

अनुसूचित जाति (यों)—(जारी)
के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)
उच्च श्रेणी के क्लर्क (अपर डिविजन क्लर्क) ३४२३–२४
छात्रवृत्तियां देने के लिये बोर्ड २९०९–१०
डाक तथा तार कर्मचारी २८३५–३६
पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को छात्र-वृत्तियां २९००–०१
भर्त्ती ३६६७
राष्ट्रीय रक्षा अकादिमी २८७१—७३
व्यावहारिक, औद्योगिक प्रशिक्षण ३४३३
सशस्त्र बलों में भर्त्ती ३११३

अन्तर्राज्य बिक्री कर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अन्तर्राज्य बिक्री कर ३१२९–३०

अन्तर्राष्ट्रीय अणु सम्मेलन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अन्तर्राष्ट्रीय अणु सम्मेलन २९६२–६३

अन्तर्राष्ट्रीय आफीशियल यात्रा संगठन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
शासकीय (आफीशियल) यात्रा संगठन का सम्मेलन ३०४२–४४

अन्तर्राष्ट्रीय आयोग—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
सायगोन की घटना ३१७५–७६

अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं सम्मेलन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं सम्मेलन ३६३६

अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार २९६१
चाय का उत्पादन २९७९–८०

अन्तर्राष्ट्रीय प्रविधिक सम्मेलन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
समुद्र के जीवित संसाधनों का संरक्षण ३३०६–०७

अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र ३६५६–५७

अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
नगर-स्वास्थ्य दल ३६२५–२६

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— की वस्त्र समिति २८४०

अपर डिविजन क्लर्क—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
उच्च श्रेणी के क्लर्क ३४२३–२४

अफगानिस्तान—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
धूमन संयंत्र २८२३

अफ्रीका, पूर्वी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
चाय का उत्पादन २९७९–८०

अफ्रीकी, मछली—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— का पालन ३३१०–११

अभाव क्षेत्र (त्रों)-.
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—का सुधार २९४८-४९

अभिज्ञात प्रापक एजेंसियां—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अमरीका में उपहार पार्सल २७८३-८५

अभियान—
क सम्बन्ध में प्रश्न—
कामेट और एबीगेमिन चोटियां ३४११-१२

अभियोग (गों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
धोखाधड़ी ३६२८—३०

अभ्रक निर्यात संवर्धन परिषद्—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अभ्रक निर्यात संवधन परिषद् ३५०९
अभ्रक मंत्रणा समिति—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अभ्रक निर्यात संवर्धन परिषद् ३५०९

अमजद अली, श्री—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
रेलगाड़ियों में धक्के ३०२३

के द्वारा प्रश्न—
आसाम के लिये बाढ़ सहायता ३३८९-९०
खादी हुण्डियां ३५१२-१३
खान अधिनियम ३३११
गा ो पहाड़ी रेल सम्पर्क का सर्वेक्षण ३०२६-२७

अमजद अली, श्री—(जारी)
क द्वारा प्रश्न—(जारी)
जोगीघोपा-पंचरत्न जल धारा ३३०२-०३
रेल की पटरी ३२६९-७१
रेलवे लाइन का टूट जाना ३६५८-५

अमरगढ़ स्टेशन—
क सम्बन्ध में प्रश्न—
रेलगाड़ी दुर्घटना ३३११-१२

अमरीक चैम्बर्स आफ कामर्स—
क सम्बन्ध में प्रश्न—
श्री क्लीमेन्ट डा० जान्सटन २९३४-३५

अमरींका संयुक्तराज्य—
क सम्बन्ध में प्रश्न—
अमरीका द्वारा लगायी गयी पूंजी ३४४३-४४
अमरीकन सहायता २९१३-१४
—से उपहार पासल २७८३—८५
चाय निर्यात ३४४९-५०
पूर्वी तथा पश्चिम एशिया के साथ व्यापार २९३०—३२
भारत-अमरीकी विमान करार ३२३३—३५
भारतीय चलचित्र (निर्यात) २९७१-७२
युवक कृषक क्लब ३५७१-७२
संयुक्त राज्य गवेषणा परियोजनाएं ३४११
"सी० ए० आई० ई०" ३५०७-०८

अमरीकी नागरिक (कों)—
क सम्बन्ध में प्रश्न—
अमरीकी नागरिक २८८९—९१

अमरीकी सार्थ (थों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— को बनी वस्तुयें ३५१३–१४

अमीनगांव—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

माल का यातायात ३०५३–५४
रेल की पटरी ३२६९—७१
रेल गाड़ियों में स्थान ३५७५–७६
रेलवे लाइन का टूट जाना ३६५८

अम्बरनाथ—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— का मूलरूप मशीनी औज़ार निर्माण कारखाना ३१०७—०९

अम्बिकापुर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सड़कों का राजपथ के रूप में परिवर्तन ३२५४–५५

अयस्क (कों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— २९८२–८३
— (कच्ची धातुओं) का निर्यात ३१९५–९६
— का परिवहन २९८२, २९८३–८४, २९८४–८५, २९९६, ३५७४
— गमनागमन के लिये डिब्बे ३३४२–४३

अरुमुगनेरी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

माल डिब्बों का संभरण ३२९१–९२

अलीपुर द्वार—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

चाय बागान में हड़तालें २८४८

अल्प आय वर्ग आवास योजना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अल्प आय वर्ग आवास योजना ३१६१–६२, ३४५२—५४
अल्प आय वर्ग की आवास योजना २९६४--६५

अल्मोनियम कारखाना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अल्मोनियम कारखाना (मद्रास) ३५१४–१५

अवमूल्यन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भारत-पाकिस्तान व्यापार ३२०६

असैनिक उड्डयन निदेशालय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

वायु दुर्घटनायें ३३१७–१८

असैनिक उड्डयन विभाग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

विमान यात्रा के रक्षात्मक उपाय ३२६१—६३

अस्थियां (फूल)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

नेता जी की — ३४९३—९८

अस्पृश्यता निवारण कार्यक्रम—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अस्पृश्यता सम्बन्धी चलचित्र ३५२०

अहमदाबाद—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अहमदाबाद-क्लोल लाइन ३२३५

आ

आंधी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

-- की सूचना देने वाला रेडार (तेजोन्वेष) २८२५

आग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कांडला के पास तेलवाहक पोत में — ३५८९–९०

आग बुझाने की केन्द्रीय संस्था—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आग बुझाने की केन्द्रीय संस्था ३१४६

आगरा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

दिल्ली — सड़क ३०८१

हैलीकोप्टर ३००४–०५

आज्ञा पत्र—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

शिशु कल्याण २७९७–९८

आजाद, श्री भागवत झा—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

अन्दमान द्वीप समूह में खाद्य स्थिति ३०३४

अमरीकी नागरिक २८९०

अम्बरनाथ का मूलरूप मशीनी औज़ार निर्माण कारखाना ३१०८

जूट उत्पादन ३०२५

बिना टिकट यात्रा ३५४९

भिलाई का इस्पात का कारखाना ३४६५

आजाद, श्री भागवत झा—(जारी)

के द्वारा अनुपरक प्रश्न—(जारी)

राइफल चलाना ३३५२

रेलवे की एक बड़ी नौका का डूबना ३०२८

विश्वविद्यालयों में सैन्य शिक्षा ३११०

के द्वारा प्रश्न—

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह ३२१०

अन्दमान द्वीप समूह में सड़कें २८०२–०३

असैनिक स्कूल मास्टर २८६९–७०

खतरे की जंजीर का सामान हटाया जाना ३२४१—४३

खनिज संसाधनों का विकास ३१२७—२९

गोले बारूद आदि का मूल्य ३३६९–७०

नाभिकीय शक्ति पर पुस्तकें ३५३०

नेपाल में विमान पत्तन ३२१४–१५

पुलों के लिये बिहार को ऋण ३३०६

पोर्ट बिलेयर की विमान सेवा ३३४८

प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण २९३५—३७

बाध्य होकर उतरना २७६८–६९

भारत-ईराक विमान सेवा ३५५७

भारत चीन विमान करार ३६१५

भूमि सुधार समिति ३५१०

रक्षित तथा सहायक टुकड़ियां २८८३–८४

राइफल संस्थाएं ३४०८

राज सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना २९८९

राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल ३११०—१२

शिक्षितों में बेकारी ३१२२—२४

सायगोन की घटना ३१७५–७६

आदिम जाति (यों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—— पय ३१५४
आदिवासियों का व्यवस्थापन ३३९६
उत्तर-पूर्वी सीमा अभिकरण ३४५०–५१
त्रिपुरा में — शिक्षा ३१५१
भारत-बर्मा सीमा पर आदिमजातीय हलचल ३४९०—९२
भारतीय वाद्य यन्त्र ३१७८–७९
मनीपुर के क्षत्रों को छात्रवृत्तियां ३४२९–३०
मनीपुर में — ३४२६–२७
रेलवे बोर्ड ३६५९

आदिम जाति क्षेत्र (त्रों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
करों का भुगतान २७७८—८०
सहकारी संस्था ३६२२–२३

आदिम जाति (यां), पहाड़ी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—के लिये पदों का रक्षण ३३९८-९९

आदिवासी (सियों)—
देखिये "आदिम जाति (यों)"

आदिवासी क्षेत्र (त्रों)—
क सम्बन्ध में प्रश्न—
—में कुटीर उद्योग २९४९–५०

आन्ध्र—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अनसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां ३३९०–९१
आदिवासी क्षेत्रों कुटीर उद्योग २९४९–५०

आन्ध्र—(जारी)
के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)
—में चीनी सुविधायें ३६०८–०९
—में पहाड़ी स्थानों का विकास ३४६९
—में बाढ़ ३६७७
काजीपेट-मचेरला-नेल्लोर रेल सम्पर्क ३६२१–२२
गायों का आयात ३२७२–७३
बाढ़ ३४०४–०५
रायदुर्ग नगर के लिय टेलीफोन एक्सचेंज ३६७२–७३
राष्ट्रीय अनुशासन योजना ३५४२
रेलों पर दूध का संभरण ३६३५
वंशधारा परियोजना ३४६२—६४
शुष्क बटरियां ३१९५
सालिहुन्दर में बौद्ध अवशष ३४१०

'आपका अपना टेलीफोन' योजना—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
'आपका अपना टेलीफोन' योजना २७९२–९३

आम—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
माल डिब्बों की कमी ३०६६–६७

आय—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
कोयले का मूल्य ३४८३—८५
रेलवे की — ३२८७–८८
सम्पदा शुल्क २८५६–५९
सुपारी पर आयात शुल्क २८५३–५६
सूर्य ग्रहण के अवसर पर डाक व्यवस्था २७८२–८३
हैदराबाद से प्राप्त राजस्व ३३५१

आधकर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अखिल भारतीय सहकारी बीमा समितियों का सम्मेलन ३४१७
आय कर ३४२६
— अपीलें २८८१–८३
दोहरे कराधान से अनुतोष ३४२२–२३
मध्य भारत में केन्द्रीय कर २९१४—१६

आय-कर विभाग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— के सालिसिटर ३१४५

आयरलैंड—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

गायों का आयात ३२७२–७३

आयात—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— अनुज्ञप्तियां ३४८५–८६, ३४८६—८८
गायों का — ३२७२–७३
गेहूं ३०६३
गोले बारूद आदि का मूल्य ३३६९–७०
चिकोरी ३५०५–०६
जूट की आवश्यकता ३४६९–७०
टेलीप्रिंटर (दूर-मुद्रण) ३०५२–५३
नमक ३५१९–२०
पदाली से बाहर गजेटिड अधिकारियों को खपाना ३३४३–४४
प्लाईवुड का — ३५२१
बिजली से चलने वाले इंजन ३६६७–६८
भारत-ईरानी व्यापार २९४३–४४
भारत का वैदेशिक व्यापार ३४७६–७७
भेषज ३१६५—६७

आयात (जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

रेल के डिब्बे ३६४७
रेलवे उपकरण और भंडार ३६४३–४४
रेशम के कीड़ों के अण्डे ३५२१–२२
शंख उद्योग ३४६६—६८
शंखों का — २९७२
शुष्क बैटरियां ३१९५
सेफ्टी रेज़र के ब्लेड ३४५४–५५
हीरा २९४१—४३
हीरे की खानें २८७८–७९

आयात नीति—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आयात नीति २९७३–७४

आयात शुल्क—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सुपारी पर — २८५३—५६
हीरा २९४१—४३
हीरों पर — ३१२५–२६

आयुधकारखाना (नों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

गोले बारूद आदि का मूल्य ३३६९–७०
रिवाल्वर २९०३–०४

आयुध पदाधिकारीं (असैनिक)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आयुध पदाधिकारी (असैनिक) ३३६८–६९

आयुध सेवा निदेशालय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

उच्च श्रेणी के क्लर्क (अपर डिवीजन क्लर्क) ३४२३–२४

आर्थिक सहायता—

देखिये "सहायता"

आलू—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— परिरक्षण ३०५९

आल्वा, श्री जोकीम—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

टायर-निर्माता समवाय ३४८९–९०
नाहर कटिया में तेल की खोज ३३५५
बाध्य होकर उतरना २७६९
ब्रह्मा को ऋण ३५९७–९८
भारत इंश्योरेंस कम्पनी ३६९२
रामा पुनर्वर्णन (रामा रीटोल्ड) ३३९४
वायु दुर्घटनायें ३१००
विदेशी समाचारों का प्रकाशन ३६०१
विमान दुर्घटना २७८७
विमान यात्रा के रक्षात्मक उपाय ३२६२
सशस्त्र बलों में भर्ती ३११३

आवास मन्त्री सम्मेलन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

गन्दी बतिस्यों का उठाया जाना २९७८

आसर्व—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— स्टेशन यार्ड ३०००–०१

आसाम—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—के लिये बाढ़ सहायता ३३८९–९०
— के लिये रेलवे खण्ड ३२९०
उत्तरी ट्रंक सड़क, — ३०८५
कृषि कालेज ३०४४–४५

आसाम— (जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

गारो पहाड़ी रेल सम्पर्क का सर्वेक्षण ३०२६–२७
नाहर कटिया में तेल की खोज ३३५४–५५
पुलिस की चौकियां ३१४१–४२
भारतीय भू-परिमाप विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ३४४१–४२
भोराली नदी पर पुल ३०५६
रेलवे के सम्बन्ध में शिकायतें ३०४६–४७

आसाम आयल कम्पनी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

नाहर कटिया में तेल की खोज ३३५४–५५

आस्ट्रेलिया—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कास्ट अकाउन्टन्ट्स (परिव्यय लेखा-पाल) डिप्लोमा ३४३४–३५
कोलम्बो योजना २७७३–७४
वस्तु भाड़ा दरें ३६०६

इ

इंगलैंड—

देखिये "ब्रिटेन"

इंडियन एयर वेज—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

विमान समवायों को प्रतिकर ३२६३—६५

इंजीनियर (रों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

नदी घाटी परियोजनाओं के लिये — ३१९९–३२००

सेना के — ३४२५–२६

इंजीनियरिंग उद्योग (गों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

उद्योग के भीतर प्रशिक्षण ३५६५–६६

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ३६१३–१४, ३६४९–५०

नेपाल में विमान दुर्घटना ३०५४

बाध्य होकर उतरना २७६८–६९

वायु दुर्घटनायें ३२९५

विमान दुर्घटना २७८७–८८

इंडोनेशिया—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार २९६१

इकबालसिंह, सरदार—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

भारत-बर्मा सीमा पर आदिम-जातीय हलचल ३४९२

भूतपूर्व सैनिकों को पैन्शनें ३०९८

के द्वारा प्रश्न

आकाशवाणी (आल इंडिया रेडियो) २९९१–९२

आवश्यक तेल २९६५–६६

करों का भुगतान २७७८—८०

चीन में भारतीय २९९१

निकल के सिक्के २९०४–०५

पाकिस्तान की जेलों में भारतीय बन्दी ३४८२–८३

इकबाल सिंह सरदार (जारी)

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न (जारी)

प्रादेशिक पारपत्र कार्यालय, दिल्ली ३५३७

भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी ३३८९

भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के लिये भर्ती ३४१३–१४

राजनैतिक शरण ३२२६

रिवाल्वर २६०३–०४

साफ न की हुई ऊन ३५३७–३८

सोना ३१५०

इन्दौर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कपास में वायदा बाजार २९७५

कलासी फैक्टरी २९१७–१८

मालवा मील पल्टन ३४३३–३४

इब्राहीम, श्री—

के द्वारा प्रश्न—

अनुज्ञप्ति प्राप्त बन्दूक आदि २९०७

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां ३४०५–०६

आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न २८०६

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों का काम ३४२६

उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में शिक्षा २९६४

औषधियों का उपहार ३३२५

कपड़ा ३२१९–२०

कांच की चूड़ियां २९८८

काफी ३५२२

काम दिलाऊ दफ्तर ३२३९–४१

गाड़ियां ३३२३

इब्राहीम, श्री--(जारी)
के द्वारा प्रश्न--(जारी)
गिलट के सिक्के ३४२०-२१
टंगस्टन अयस्क २९०७-०८
डाक तथा तार कर्मचारी २८३५-३६
डाक्टरों का प्रशिक्षण ३६३०-३१
दूध का उत्पादन ३०६४
धोखाधड़ी ३६२८--३०
नलीदार लोहे की चादरें ३२२०
नाविक ३६२९-३०
प्रेस फोटो का वितरण २९७२-७३
प्लाईवुड का आयात ३५२१
बीजों के विकास के खेत ३३२३-२४
बोतलें २९८८-८९
भारतीय उच्चायोग, लन्दन ३२१९
भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा ३१५१
भारतीय राजनयिक ३५२२-२३
भेषज ३१६५--६७
रेशम के कीडों के अण्डे ३५२१-२२
वनस्पति २८३५
शिल्पिक सहायता योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षण ३१३९
सोना ३१५०
स्त्रियों को नौकर रखना ३०६३
हैदराबाद से प्राप्त राजस्व ३३५१

इम्पीरियल टुबेको फैक्टरी, सहारनपुर--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
औद्योगिक विवाद ३३३९

इम्फाल--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
अध्यापक प्रशिक्षण स्कूल -- ३४२८

इम्फाल नगर कोष--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
-- निर्वाचन ३६५०-५१

इलाहाबाद--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
हवाई मार्गों में परिवर्तन ३२४७-४८

इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन, कलकत्ता
के सम्बन्ध में प्रश्न--
ए० सी० विद्युत प्रणाली ३४७४--७६

इस्पात--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
भिलाई का -- का कारखाना ३५१०
लोहा तथा मैंगनीज अयस्क २९२३-२५

इस्पात संयंत्र--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
करकेला -- ३५०६-०७
भिलाई का इस्पात का कारखाना ३४६४--६६

इस्लामुद्दीन, श्री एम०--
के द्वारा प्रश्न--
अन्तर्राष्ट्रीय बैंक २९१३
अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह ३४०३-०४
आंधी की सूचना देने वाला रेडार (तेजोन्वेष) २८२५
काम दिलाऊ दफ्तरों में नाम दर्ज कराना २८१३-१४
कामिट विमान ३०४९
केन्द्रीय सहायता-प्राप्त सड़कें ३६६६
चाय बागानों में हड़ताल २८४८
तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर २८२०

इस्लामुद्दीन श्री एम०—(जारी)
के द्वारा प्रश्न—(जारी)
दिल्ली में विदेशी छात्र ३४२९
बिहार में बाढ़ २९६७
भूदान आन्दोलन सम्बन्धी फिल्म ३५१८–१९
महानन्द पुल ३६०७

ई

ईंधन गवेषणा संस्था—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
जल को मृदु बनाने के लिये संयंत्र ३३६४–६५

ईराक—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
भारत—विमान सेवा ३५५७

ईरान—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
दूर-संचार सवाय ३२३७–३८
भारत-ईरानी व्यापार २९४३–४४

ईश्वरदास वल्लभदास—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
सहकारी समितियां और ठेकेदार ३५६१—६४

उ

उच्च आयोग लन्दन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
भारतीय— २८८७–८९

उच्च न्यायालय (यों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
उच्च न्यायालय ३१४७
— के न्यायाधीश ३४३१

उच्च न्यायालय (यों)—(जारी)
के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)
उच्चतम न्यायालय और—का काम ३४२६

उच्चतम न्यायालय—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अन्तर्राज्य बिक्री कर ३१२९–३०
—और उच्च न्यायालयों का काम ३४२६

उज्जैन —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
ज्योतिष शास्त्र ३०३६–३७

उड़ीसा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—में केन्द्रीय गोदाम ३६५२
—में शालिहोत्रि कालेज ३६१४
कोणार्क मन्दिर ३४२८–२९
क्रोम अयस्क ३१७१—७३
खाद्यान्नों पर नियंत्रण ३२५२–५३
खानों का निदेशालय २८९८–९९
नई रेलवे लाइन ३६५५–५६
पर्यटन सूचनालय केन्द्र ३५६४
मालगाड़ी के डिब्बों का संभरण ३०१०—१३
मैंगनीज की खानें (—) ३६११
रेलवे साइडिंग ३३२६
रेलवे स्कूल ३६६७
रैरांगपुर से डाक का यातायात ३३२८
वंशधारा परियोजना ३४६३–६४
स्थानीय निकाय ३२३८–३९

उड़ीसा वाणिज्य मंडल—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
लोहा तथा मैंगनीज अयस्क २९२३—२५

उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण २९५२—५४, ३४५०—५२
उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण —(एजेंसी) २९९३
—में शिक्षा २९६४
उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेंसी (अभिकरण) २९९७–९८

उत्तर प्रदेश—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—की सीमा पर वन लगाया जाना २७८८–९०
औद्योगिक विवाद ३३३९
खाद्यान्नों का क्रय ३००५–०७
नल-कूप ३३२२–२३
बाढ़ नियंत्रण योजनायें (—) ३१९३–९५
भूतपूर्व सनिकों का पुनर्वास ३४३२
रूपकुंड में मानवीय ठठरियां ३४१९–२०
हथकरघा उद्योग २९९०–९१

उत्तर पूर्वी रेलवे—
देखिये "रेलवे, उत्तर पूर्वी"

त्पादन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
आवश्यक तेल २९६५–६६
आवश्यकता स अधिक खाद्यान्न, २८०६
कागज ३१६२–६३
कांच की चूड़ियां २९८८
काफी ३५२२
कोयले का—३४६२–६३
क्लाक फैक्टरी २९१७–१८

उत्पादन—(जारी)
के सम्बन्ध में प्रश्न–(जारी)
गुड़ ३२२६–२७
चाय का — २९७९–८०
चीनी साफ करने के कारखाने २९९९–३०००
टंगस्टन अयस्क २९०७–०८
टायर-निर्माता समवाय ३४८८—९०
दूध का—३०६४
पटसन का—३२८५–८६
पन्ना में हीर की खानें ३३८५–८६
बोतलें २९८८–८९
भारतीय टलीफोन उद्योग २८३८–३९
रेल के डिब्बे २८०५
वनस्पति २८३५
साफ न की हुई ऊन ३५३७–९८
सेफटी रेजर के ब्लेड ३४५४–५५
हथकरघा उद्योग २९९०–९१

उत्पादन शुल्क—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— सम्बन्धी अपीलें ३१४२–४३
तम्बाकू — २९०६
नैपाल के साथ व्यापार ३१६३—६५
मध्य भारत में केन्द्रीय कर २९१४—१६

उद्योग (गों)
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—के भीतर प्रशिक्षण ३५६५–६६
भारतीय टेलीफोन उद्योग २८३८–३९
भारतीय वस्त्र— २९२५–२६
मैसूर में— २९६९

उद्योग, हीरा काटने का—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
हीरा २९४१—४३

उपनगरीय मंत्रणा समिति—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

उपनगरीय मंत्रणा समिति २८२७

उपहार—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अमेरिका से —पासल २७८३—८५

औषधियों का — ३३२५

पुस्तकों का — ३१४०

उपाधि (यां)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पारितोषिक और पदक ३३७९—८१

राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली— ३३८१—८३

ऊ

ऊन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

साफ न की हुई ऊन ३५३७–३८

ऋ

ऋण—

के सम्बन्ध म प्रश्न—

अभाव क्षेत्रों का सुधार २९४८–४९

अल्प आय वर्ग की आवास योजना २९६४–६५, ३४५२—५४, ३४६१–६२

ऊपरी पुल ३३१६

ऋण सुविधायें ३०७०—७३

टैक्निकल संस्थाओं को— २९१२

नदी घाटी परियोजना २९६६

पुनर्वास वित्त प्रशासन ३१५६—५८

ऋण—(जारी)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

पुलों के लिये विहार को—३३०६

बर्मा — ३४०६

बिहार में सूखा की स्थिति ३२७५–५७

ब्रह्मा को— ३५९७—९९

रक्षित बैंक ३१०१—०३

राज सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह निर्माण योजना २९८९

विस्थापित विद्यार्थी ३२००–३२०२

शंख उद्योग ३४६६—६८

सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना २९६३–६४

ए

ए० सी० विद्युत् प्रणाली—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

ए० सी० विद्युत् प्रणाली ३४७४—७६

एच० टी० २ विमान—

देखिये "वायुयान (नों)"

एवीगेमिन चोटी (टियां)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कामट और एवी गेमिन चोटियां ३४११–१२

एयर इंडिया इन्टरनेशनल—

क सम्बन्ध में प्रश्न—

कामिट विमान ३०४९

एरणाकुलम्—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलवे लाईनों का सर्वेक्षण १७६१-६२

एलोरा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— और अजन्ता २८१९–२०

— और अजन्ता की गुफायें २८१०–११

एशिया, पश्चिमी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पूर्व तथा पश्चिम एशिया के साथ व्यापार २९३०—३२

एशिया, पूर्वी तथा पश्चिमी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पूर्व तथा पश्चिम एशिया के साथ व्यापार २९३०—३२

एशियाई अफ्रीका सम्मेलन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पूर्व तथा पश्चिम एशिया के साथ व्यापार २९३०—३२

ऐ

ऐक्सप्रैस पत्र—

के सम्बन्ध में श्न—

केन्द्रीय तार कार्यालय, नई दिल्ली ३६६२

ऐतिहासिक वस्तु (एं)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

फर्रूखाबाद जिले में प्राप्त — ३४०१

ऐतिहासिक स्मारक—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

ऐतिहासिक स्मारक २८९८

ओ

ओयरलिकन्स—मेसर्स—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अम्बरनाथ का मूलरूप मशीनी औज़ार निर्माण कारखाना ३१०७—०९

ओरियन्टल पब्लिक (खुदा बख्श) लाइब्रेरी—

देखिये "पुस्तकालय (यों)"

औ

औद्योगिक आवास योजना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सहायता प्राप्त — २९६३–६४

औद्योगिक गृह निर्माण योजना, राज्य सहायता प्राप्त—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

राज सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह निर्माण योजना २९८९

औद्योगिक न्यायाधिकरण—

देखिये "न्यायाधिकरण (णों)"

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जोरहाट—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जोरहाट ३६३५–३६

औद्योगिक योजना (एं)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रामपुर के लिये औद्योगिक योजना ३५१७

औद्योगिक विधि (यां)--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह ३२१०

औद्योगिक विवाद--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
औद्योगिक विवाद ३२५३-५४, ३३३६
शास्त्री पंवाट ३६६३

औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७-
के सम्बन्ध में प्रश्न--
"श्रमिक" की परिभाषा ३२८६-८७

औद्योगिक संस्था (ओं)--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
शिशिक्ष अधिनियम १८५०, ३५३४

औद्योगिक सम्पदा (ओं)--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
औद्योगिक सम्पदायें ३२०६-१०

औषधि (यां)--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
अंशदायी चिकित्सा योजना ३६१६
-- का उपहार ३३२५
फसलों का कीड़ों से बचाव २७६८-२८००
भारतीय -- ३४३६
भेषज ३१६५--६७

क

कटक--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र ३६५६-५७

कटिहार--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
रेल की पटरी ३२६६-७०

कटिहार-सोनपुर रेलवे लाइन--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
कटिहार-सोनपुर रेलवे लाइन ३०५५-५६

कनाट प्लेस, नई दिल्ली--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
अधिग्रहण की गई इमारतें ३१६६-६७

कनाडा--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
आण्विक बिजली घर ३१६१--६३

कन्नोज--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
--में तम्बाकू गवेषणा केन्द्र ३५७५

कपड़ा--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
कपड़ा ३२१६-२०
भारतीय -- का निर्यात ३५०३
भारतीय वस्त्र उद्योग २६२५-२६
सूती -- २६५५-५६
सूती -- निर्यात संवर्द्धन परिषद् ३२११
हथकरघा उद्योग २६६०-६१

कपड़ा उद्योग जांच समिति--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

कपड़ा उद्योग जांच समिति ३२०६-०७

कपड़ा जांच समिति--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

वस्त्र जांच समिति का प्रतिवेदन २९८०-८१

कपड़ा समिति--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ की वस्त्र समिति २८४०

कपास--

के सम्बन्ध में प्रश्न-

-- में वायदा बाजार २९०५

कमीशन प्राप्त पदाधिकारी--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रोजगार दफ्तर ३३३५

कम्पौंडर (रों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

भेषजिक ३६१७

विलिंगडन अस्पताल ३३१५-१६

कम्बल--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

कुटीर उद्योग ३२२०-२१

कर (रों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

--का भुगतान २७७८--८०

सड़क परिवहन विकास ३५८०--८२

करघा (घों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

हाथ करघा उद्योग २९९०-९१

करनपुर (बिहार)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

कोयले के निक्षेप २८६०--६२

करनाल--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रेलवे लाइनें ३०८६-८७

कराधान--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

--छूट ३४४४-४५

कराधान जांच आयोग--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

कराधान जांच आयोग ३२९५-९६

कर्णी सिंहजी, श्री--

के द्वारा प्रश्न--

मृग-वन ३६३२--३५

कर्मचारी (रियों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक २९१३

अलग से कार्य कराने का पारिश्रमिक ३६३८

असैनिक--में अनुशासन हीनता ३४०७-०८

आकाशवाणी (आल इंडिया रेडियो) २९९४-९५

आकाशवाणी कार्यक्रम -- ३४६८-६९

आकाशवाणी के -- के वेतन दावे ३५३२-३३

कर्मचारी (रियों)--(जारी)
के सम्बन्ध में प्रश्न--(जारी)
उच्च श्रेणी के क्लर्क (अपर डिवीजन क्लर्क) ३४२३-२४
कर्त्तव्य पालन में लापरवाही ३६४३
--- के क्वार्टरों में बरसातियों का निर्माण ३५३३
--- के क्वार्टरों में सुविधायें ३६३७-३८
केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन (काम करने के घंटे) ३३४२
केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन (चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें) ३२७४-७५
केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था --संघ ३३१७
केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था के --- द्वारा हड़ताल का नोटिस ३६२७-२८
केन्द्रीय सचिवालय ३४३६--३८
कैन्टीन स्टोर विभाग ३३७२-७३
खादी की वर्दियां २९५४-५५
खाद्यान्नों का क्रय ३००५-०७
चीनी उद्योग ३३३६-३७
चौथी श्रेणी के --- के क्वार्टर ३६३८-३९
छंटनी में लाये गये सरकारी --- ३१५४-५५
छपरा रेलवे स्टेशन पर पूछताछ कार्यालय २८४५
जल प्रभार ३३१९-२०
जाली टिकट ३२४६-४७
जिप्सम की खानें (बीकानेर) ३३००-०१
टायर निर्माता समवाय ३४८८---९०
डाक--- ३६४०-४१
डाक--- का हैदराबाद को स्थानान्तरण ३०८७
डाक--- की वर्दी ३३३४-३५
डाक तथा तार --- २८३५-३६
कर्मचारी (रियों)---(जारी)
के सम्बन्ध में प्रश्न---(जारी)
डाक तथा तार विभाग के--- ३३३१-३२
डाक तथा तार विभाग के ---के लिये क्वार्टर ३२६६---६८
डाकीय जीवन बीमा निदेशालय, कलकत्ता २६२६-२७
तार--- के लिये क्वार्टर २८२०
तारों का पहुंचाया जाना ३०४५-४६
त्रिपुरा में सामाजिक शिक्षा--- ३१५२
द्वितीय पंच वर्षीय योजना ३५०८-०९
धोखाधड़ी ३६२८---३०
धोखे के मामले ३३०८
नौवहन---का प्रशिक्षण ३३०५-०६
पंजीकृत वैद्य ३३९९-३४००
पटसन मिलों में वैज्ञानिकन ३५२३
पुर्तगाली भाषा में प्रसारण २९४४---४६
पूर्व वृत्तान्त की रिपोर्टें ३६६४
बिना टिकट यात्रा २८३१
ब्रांच पोस्ट मास्टर २८४१
भारतीय भू परिमाप विभाग के --- ३४४१
भारतीय भू-परिमाप विभाग के चतुर्थ श्रेणी के --- ३४४०,३४४१-४२, ३४४३
भारतीय भू-परिमाप विभाग का चतुर्थ श्रेणी--- संघ ३४४२
भिलाई का इस्पात का कारखाना ३४६४---६६
भोजन व्यवस्था ३०७६-७७
मानचित्र प्रकाशन निदेशालय --- ३४४२
मैटापन लाइन कैम्प, नई दिल्ली ३६७५-७६
रिजर्व बैंक आफ इंडिया ३३५६-५७

कर्मचारी (रियों)—(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

रेलवे— २८०६–१०, २८४६–५०, ३०८८, ३०६८–७०, ३०६०, ३३३२–३३

रेलवे—का निलम्बन ३६१५

रेलवे— का स्थानान्तरण ३३४७

रेलवे—के लिये विश्राम गृह ३२६७

रेलवे—को वर्दियां ३३३७

रेलवे के— २८२६

रेलवे चिकित्सा सेवा २७६३—६५

रेलवे निरीक्षकालय ३६४१

रेलवे न्यायाधिकरण २७७४—७६, ३३२७–२८

वायरलैस चालक ३३२१

विदेशी डाक ३२४५–४६

विदेशी भाषा स्कूल २८७६—८१

विमान यात्रा के रक्षात्मक उपाय ३२६२–६३

विस्थापित व्यक्तियों के क्वार्टर ३५३१–३२

विस्थापित सरकारी— २६०२

वेतन के साथ महंगाई भत्ते का मिलाया जाना ३६७६–७७

शिल्पिक सहायता योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षण ३१३६

सरकारी आवास-स्थान २६३६–४०

सरकारी— के लिये आवास स्थान ३२१८

सरकारी—के लिये रहने के मकान ३२३०–३१

सरकारी—को चिकित्सा सुविधायें ३३०८–०६

सरकारी भूमि पर अनधिकृत मकान बनाना ३३१४–१५

सेना में सेवा ३३६५—६७

कर्मचारी (रियों)—(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

हवाई बेड़ों में —की भर्ती ३४००–०१

हिन्दी में तार २८४०

हिन्दी सीखने के लिये सुविधायें ३०८४

देखिये "सैनिक कर्मचारी (रियां)" भी

कर्मचारी, नौवहन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

नौवहन कर्मचारी ३५७४–७५

कर्मचारी राज्य बीमा योजना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कर्मचारी राज्य बीमा योजना २८४१

कर्मचारी लाभ निधि—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कर्मचारी लाभ निधि ३२५५—५७

कर्वे समिति—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

ग्रामोद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग ३१७०–७१

कलकत्ता—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

उपनगरीय मंत्रणा समिति २८२७

ऋण सुविधायें ३०७०—७३

—में टेलीफोनों का स्वयंचालीकरण २८२२–२३

टेलीप्रिंटर (दूर-मुद्रण) ३०५२–५३

डाकीय जीवन बीमा निदेशालय, — ३६२६–२७

कलकत्ता—(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

डाकीय जीवन बीमा पालिसी ३६६८–६९

नगर-स्वास्थ्य दल ३६२५–२६

पश्चिमी भारत की दियासलाई कम्पनी २५११–१२

फुटबाल स्टेडियम ३४१९

बोरी साफ करने की मशीन ३०४०–४१

माल गाड़ी के डिब्बों का संभरण ३०१०—१३

सामाजिक विज्ञान गवेषणा केन्द्र ३४०१–०२

स्वास्थ्य अवस्था का सर्वेक्षण ३०३४-३५

हिन्दी सीखने के लिये सुविधायें ३०८४–८५

कलकत्ता गोदी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

लोहा तथा मैंगनीज अयस्क २९२३–२५

कलकत्ता पत्तन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अयस्क गमनागमन के लिये डिब्बे ३३४२–४३

अयस्कों का परिवहन २५७४

कलकत्ता सीमाशुल्क गृह—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

हवाई जहाज के पेट्रोल सम्बन्धी वापसी के दावे ३१४४

"कला संग्रह"—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कलासंग्रह ३११९—२२

कलोल—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अहमदाबाद—लाइन ३२३५

कल्याण विस्तार परियोजना (यें)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कल्याण विस्तार परियोजना ३३६७–६८

कहवा बागान उद्योग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कहवा बागान ३१४७–४८

कांधी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अधिग्रहीत जमीनें २९११

कांडला—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—के पास तेलवाहक पोत में आग ३५८९–९०

कागज—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कागज ३१६२–६३

—का कारखाना ३२२४–२५

काजरोल्कर, श्री—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

अमेरिका से उपहार पार्सल २७८५

इंडियन एयर लाइंस कारपोरेशन्स ३६४९–५०

दीव-दासगांव रेल सम्पर्क ३०२८–२९

बैल गाड़ी ३०७४

विमान यात्रा भाड़े ३२५९–६०

काजीपेट—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—मचेरला-नेल्लौर रेल सम्पर्क ३६२१–२२

कानपुर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—में केन्द्रीय नियंत्रण योगशाला २७८२

भारतीय वस्त्र उद्योग २९२५–२६

रेलगाड़ी का पटरी पर से उतर जाना २८१५

काफी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

काफी ३५२२

चिकौरी ३५०५–०६

काम दिलाऊ दफ्तर—

देखिये "सेवा योजनालय (यों)"

कामत, श्री—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

अमरीकी नागरिक २८९०–९१

आण्विक बिजली घर ३१९३

कागज ३१६२–६३

ज्योतिषीय भविष्यवाणी ३११२

पूर्व तथा पश्चिम एशिया के साथ व्यापार २९३२

भारत इंश्योरस कम्पनी ३६९०

भारत-ईरानी व्यापार २९४४

भारतीय वाद्ययंत्र ३१७८–७९

मोनाज़ाइट रेत २९५९

राज्य पुनर्गठन आयोग ३६८०, ३६८१, ३६८२, ३६८६, ३६८७

रेलवे वर्कशाप पुनर्विलोकन समिति २८०४

कामत, श्री—(जारी)

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—(जारी)

विमान दुर्घटना २७८८

शत्रु सम्पत्ति का कस्टोडियन २९३४

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता ३२८३, ३२८५

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड, दिल्ली २८९५, २८९७

के द्वारा प्रश्न—

आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन ३२१२

उच्च श्रेणी के क्लर्क (अपर डिवीजन क्लर्क) ३४२३–२४

उच्च न्यायालय ३१४७

ऊपरी पुल ३३१६

केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था कर्मचारी संघ ३३१७

केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का नोटिस ३६२७–२८

कोरिया के युद्धबन्दी ३५००—०२

गोआ ३५४०–४१

गोआ के सत्याग्रही ३१८५—८८

टेलीफोनों की सुविधा ३६३९

तावा जल विद्युत् परियोजना ३२१७

दिल्ली में बाल अपचार ३४२२

नमक ३५१९–२०

नर्मदा पर पुल २८३३

नल-कूप ३३१६–१७

नेकोबाल सीमा दुर्घटना ३२३१–३२

नेताजी की अस्थियां ३४९३–९८

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ३४९२–९८

नेपाल में विमान दुर्घटना ३०५४

पारितोषिक और पदक ३३७९–८१

पुर्तगाली भाषा में प्रसारण २९४४–४६

पूर्व एशिया की समस्याओं पर चर्चा करने का सम्मेलन ३४९९–३५००

कामत श्री —(जारी)

के द्वारा प्रश्न --(जारी)

प्रशिक्षण ोत-भद्रा ३३१८—१९

प्लेटफार्मों का ऊंचा किया जाना ३६२१

बम्बई पत्तन न्यास रेलवे ३०२३

भाषणों के रेकार्ड ३४७७--७९

मालगाड़ी के डिब्बों की कमी २७९५-९७

राष्ट्रीय राजपथ-मध्य प्रदेश ३६३७

रेलवे स्टेशनों का सुधार ३०६१—६२

वनस्पति ३६०६—०७

वायु दुर्घटना ३३१७—१८

विदेशी पुरस्कार ३२१६

शिक्षा का सैनिक स्कूल, चमढ़ी ३४३५—३६

सीमा शुल्क समाहर्त्ता कार्यालय, बम्बई ३४२४

सेम रहरचन्द में डाकघर ३०६२

स्थान का रिजर्व करना ३३१९

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटिड ३२२८—२९, ३५१३

कामिट विमान—

देखिये "वायुयान (नों)"

कामेट चोटी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—कामेट और एवी गेमिन चोटियां ३४११- १२

कारखाने (नों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कागज का— ३२२४—२५

क्लाक फैक्टरी २९१७—१८

चीनी की मिलें २८१८, ३३२२

कारखाना (न) (जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

चीनी साफ करने के —२९९९—३०००

तम्बाकू — २८४२

पटसन मिलों में वैज्ञानिकन २५२३

भिलाई का इस्पात का— ३५१०

मोटर टायर की कम्पनियां ३५३९—४०

रूरकेला इस्पात संयंत्र ३५०६—०७

रेल डिब्बों का — ३६४४—४५

रेलवे कोच (यात्री-डिब्बे) फैक्टरी ३०२७

व्यावहारिक औद्योगिक प्रशिक्षण ३४३३

सिगरेट के — ३५१६

सीमेंट के— ३१८८—९०

सेफ्टी रेजर के ब्लेड ३४५४—५५

काले, श्रीमती ए०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

होटल उद्योग को सहायता ३५४८

काशी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

ज्योतिष शास्त्र ३०३६—३७

काशी विद्यापीठ—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली उपाधियां ३३७९—८१

कासलीवाल, श्री—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

राज्य पुनर्गठन आयोग ३६८५

विदेशी समाचारों का प्रकाशन ३६०१

कास्ट अकाउन्टैन्ट्स डिप्लोमा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कास्ट अकाउन्टेंट्स (परिव्यय लेखा-पाल) डिप्लोमा ३४३४-२५
रेलवे स्टेशनों का सुधार ३०६१-६२

किंग्जवे कैम्प, (दिल्ली)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

किंग्जवे कैम्प २९९८, ३१९०-९१

किदरपुर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

लौह अयस्क (लोहे का कच्ची धातु) का निर्यात ३०५१

किराया—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

डाक व तार घर के भवन ३०५५
रेलवे क्वार्टर ३३३८

किरोलिकर, श्री—

के द्वारा प्रश्न—

पशुओं पर होने वाले अत्याचार के निवारण सम्बन्धी जांच समिति २७७७-७८
विलिंगडन अस्पताल ३३१५-१६

कीड़ा (ड़ों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

फसलों का— से बचाव २७९८-२८००

कुआ (ओं)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

जल-संभरण योजनायें ३०८२

कुंजरू समिति—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—का प्रतिवेदन ३४०२

कुटीर उद्योग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आदिवासी क्षेत्रों में— २९४९-५०
औद्योगिक सम्प्रदायें ३२०९-१०
कुटीर उद्योग ३२२०—२२
कुटीर तथा ग्रामोद्योग ३५०७
पश्चिमी भारत की दियासलाई कम्पनी ३५११-१२
ग्रामोद्योग और छोट पेमाने के उद्योग ३०७०-११
छोटे पेमाने के उद्योग २९८७-८८, ३२०७-०८, ३२०९, ३५२७

कुदरु का पौधा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कुदरु का पौधा ३०५८

कुम्भकारी प्रशिक्षण केन्द्र, रनीर बाजार—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कुम्भकारी प्रशिक्षण केन्द्र, रनीर बाजार ३१५०

कुरनूल—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बाढ़ ३४०४-०५

कुरील, श्री पी० एल०—
के द्वारा प्रश्न—
सशस्त्र बलों के अफसर और जवान ३१०६–०७
सेना में सेवा ३३६५–६७

कुरूक्षेत्र—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—में खुदाई ३३७५–७६
रेलवे लाइन ३०८६–८७

कुलडींह रेलवे स्टेशन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
लौह अयस्क ३०७३–७४

कुष्ट—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
कुष्ट ३२९९

कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र (द्रों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
पश विकास ३५६६—६८

कृपलानी, श्रीमती सुचेता—
के द्वारा प्रश्न—
अंशदायी चिकित्सा योजना ३६१९
डाकीय जीवन बीमा निदेशालय, कलकत्ता ३६२६–२७
डाकीय जीवन बीमा पालिसी ३६६८, ३६६८–६९' ३६६९
नमक ३५१९–२०
रेलवे बुकिंग ३६०७–०८

कृषक (कों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
युवक–क्लब ३५७१–७२
लमन ग्रास तेल २९६७–६८
सिन्दरी फर्टिलाइजर और केमिकल्स लिमिटेड ३४७९–८०

कृषि—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—गवेषणा कार्यक्रम ३३०१
दामोदर घाटी परियोजना ३४५५–५८
पटशूली पौध का तल ३०१६—१८
सहकारी खेती ३२९४

कृषि ऋण—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रक्षित बैंक ३१०१–०३

कृषि ऋण सम्बन्धी मंत्रणा समिति—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
भारत का रक्षित बैंक २८६२—६४

कृषि कालेज—
के सम्बन्ध में प्रश्न–
कृषि कालेज ३०४४–४५

कृषि गवेषणा संस्था(ओं)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
आलू परिरक्षण ३०५९

कृषि पदार्थों—
—का नियात ३४८०–८२

कृष्ण, श्री एम० आर०—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
अल्प आय वर्ग आवास योजना ३४५४
कोयला खानिकों का कल्याण २८१९
नौवहन सम्मलन २८०६
प्रारम्भिक पाठशालायें २९०८
बस्तु संगणना ३४५८–५९
विमान यात्रा ३०४६
"सी० ए० आई० ई०" ३५०७–०८

कृष्ण जिला (आंध्र)---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

शुष्क बैटरियां ३१९५

कृष्यकरण---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

नदी घाटी परियोजनाओं में ट्रैक्टरों का प्रयोग २७६९–७०

केंद्रीय औषधि गवेषणा संस्था, लखनऊ---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

रक्त चाप का इलाज ३१३९–४०

केंद्रीय ट्रैक्टर संगठन---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन २८३७, ३००९–१०, ३०३७–३८

—(काम करने के घंटे) ३३४२

—(चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें) ३२७४–७५

—प्रशिक्षण योजना ३३०३–०४

केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था कर्मचारी संघ ३३१७

केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का नोटिस ३६२७-२८

नदी घाटी परियोजनाओं में ट्रैक्टरों का प्रयोग २७६९–७०

केंद्रीय तम्बाकू समिति---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

तम्बाकू ३३७३–७४

केंद्रीय नियंत्रण प्रयोगशाला---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

कानपुर में — २७८२

केंद्रीय पैट्रोल उपकर निधि---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

केन्द्रीय पैट्रोल उपकर निधि २८१२

केंद्रीय राजस्व बोर्ड---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

उत्पादन शुल्क सम्बन्धी अपीलें ३१४२–४३

केंद्रीय वर्कशाप, अमृतसर---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

ट्रैक्टर २९७६–७७

केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड---

देखिये "समाज कल्याण बोर्ड, केन्द्रीय"

केंद्रीय सहकारी संगठन---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

केन्द्रीय सहकारी संगठन २८४२–४३

केराला---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

संगीत नाटक अकादमी ३१३१—३३

केल्लप्पन, श्री---

के द्वारा प्रश्न---

खाद्य पदार्थों का वितरण २८०८–०९

रेलवे की रियायतों का दुरुपयोग ३६०४–०५

केशवैयंगार, श्री---

के द्वारा प्रश्न---

कोलार की सोने की खानें ३३९४–९५

जम्मू और काश्मीर में सैनिक कर्मचारी ३३९५–९६

रक्त चाप का इलाज ३१३९–४०

केशोराम काटन मिल्स लि०, मैसर्स--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
ऋण सुविधायें ३०७०—७३
कैन्टीन भांडार विभाग—
के सम्बन्ध में प्रश्न--
कैन्टीन स्टोर विभाग ३३७२–७३
कोटा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेलवे कर्मचारी ३०८८
कोणार बांध--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
दामोदर घाटी परियोजना ३४५५—५८
कोणार्क मन्दिर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
कोणार्क मान्दिर ३४२८–२९
कोयला—
के सम्बन्ध में प्रश्न--
—का उत्पादन ३४६२–६३
—के निक्षेप २८६०—६२
कोयला आयुक्त—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
कोयला आयुक्त संगठन ३२०८
कोयला खनिक—
देखिये "श्रमिक (कों)"
कोयला खान (नों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न--
कोयले का उत्पादन ३४६२–६३
कोयले का मूल्य ३४८३—८५
कोयला खान (नों)-(जारी)
के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)
गढ़वाल में कोयले के डिपोजिट ३११८–१९
गिरिडीह की कोयले की खानों में छटनी ३१७६–७७
न्यूटन चिकली--दुर्घटना ३२९०
कोयला खान बोनस योजना--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
कोयला खान बोनस योजना २८२४–२५
कोयला खान श्रम कल्याण निधि--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
कोयला खान श्रम कल्याण निधि २८३९–४०
कोरापट (उड़ीसा)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
टेलीफोन एक्सचेंज २८११
कोरिया--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
—के बुद्धबन्दी ३५००—०२
कोलम्बो योजना—
के सम्बन्ध में प्रश्न--
आण्विक बिजली घर ३१९१—९३
कोलम्बो योजना २७७३–७४
नेपाल को सहायता ३४७२—७४
कोलरीज स्टेशन—
के सम्बन्ध में प्रश्न--
रेलवे साइडिंग २८१६–१७
कोलाघाट के रेल के पुल—
के सम्बन्ध में प्रश्न--
दामोदर घाटी परियोजना ३१६७-६८

कोलार स्वर्ण क्षेत्र—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
कोलार की सोने की खानें ३३९४–९५
कोलार की सोने की खानों में हड़ताल ३३४५–४६
कोलार स्वर्ण क्षेत्र ३४१६, ३४३४
कोसी परियोजना—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
उखाड़ी गई रेलवे लाइनों का पुनः बसाया जाना ३०१३–१४
कोसी परियोजना ३१७३–७५
नदी घाटी परियोजनाओं के पुनरीक्षित प्राक्कलन ३४५९–६१
कौलसाहारी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेलगाड़ियों का चलना २८४१–४२
क्लब—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
युवक कृषिक— ३५७१–७२
क्लिफोर्ड, श्री—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
उद्योग के भीतर प्रशिक्षण ३५६५–६६
क्विलोन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेलवे लाइनों का सर्वेक्षण २७६१–६२

क्ष

क्षति—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
टिड्डी विरोधी योजना ३२७१–७२
क्षतिपूर्ति—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
नेकोवाल सीमा दुर्घटना ३२३१–३२
भिलाई का इस्पात का कारखाना ३५१०
सायगोन की घटना ३१७५–७६
क्षय रोग—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेलवे चिकित्सा सेवा २७९३–९५
क्षेत्राधिपति (यों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—के वित्तीय अधिकार २८१७
क्रोम अयस्क—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
क्रोम अयस्क् ३१७१–७३
क्रोमाइट अयस्क संचय ३३५७–५८

ख

खजुराहों—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—के मन्दिर ३३९८
—में संग्रहालय ३३७७–७८
खडगवासला—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी २८५२–५३
खड़गपुर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
पूछताछ का दफ्तर, — ३०७०
रेलवे वर्कशाप,— ३०४९–५०
खतरें की जंजीर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—का सामान हटाया जाना ३२४१–४३
खद्दर नाम सुरक्षण एक्ट, १९५०—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
खादी उद्योग ३५३१
खनन उद्योग—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—में अनुपस्थिति २८४५–४६

खनिज जल—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—के स्त्रोत ३२३६–३७

खनिज संसाधन (नों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—का विकास ३१२७—२९

खली—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मूंगफली का तेल और— २९२६—२८

खाद, कम्पोस्ट—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कम्पोस्ट खाद २८१५–१६

खादी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—की बर्दियां २९५४–५५

खादी उद्योग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

खादी उद्योग ३५३१

खादी बेचने वाली संस्था (ओं)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

खादी बेचने वाली संस्थायें २९८५–८६

खादी हुण्डि (यों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

खादी हुंडियां ३५१२–१३

खाद्य—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—उपभोग सर्वेक्षण ३३०७–०८

—तथा कृषि प्रचार यनिट २५२६-२७

खाद्य और कृषि संगठन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

खाद्य और कृषि संगठन २७६२—६४

खाद्य उपभोग सर्वेक्षण ३३०७–०८

खाद्य टैक्नोलोजिकल प्रयोगशाला, मैसूर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

वनस्पति ३६०६–०७

खाद्य पदार्थ (थों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—का वितरण २८०८–०९

"सी० ए० आई० ई०" ३५०७–०८

खाद्यान्न (न्नों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अन्दमान द्वीप समूह में खाद्य स्थिति ३०३३–३४

आंध्र में बाढ़ ३६७७

आवश्यकता से अधिक— २८०६

केन्द्रीय सरकारी संगठन २८४२–४३

खाद्यान्नों का क्रय ३००५—०७

—पर नियंत्रण ३२५२–५३

पदालो से बाहर गजेटिड अधिकारियों को खपाना ३३४३–४४

बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में—का मूल्य २७९०—९२

रेलवे की अनाज की दुकान ३०८७

खान (नों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कोलार की सोने की — ३३९४–९५

त्रिपुरा की— २८९७–९८

पन्ना में हीरे की — ३३८५–८६

खान (नों)—(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

मैंगनीज की — (उड़ीसा) ३६११

हीरे की— २८७८–७९

हैदराबाद स्थित सोने की —३५५८—६०

खान अधिनियम—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

खान अधिनियम ३३११

दिल्ली राज्य में पत्थर की खानें ३३४४

खान मालिक (कों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कोम अयस्क ३१७१–७३

खानों का निदेशालय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

खानों का निदेशालय २८९८–९९

खिदिरपुर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

लोह अयस्क ३०७३–७४

खुदाई—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कुरुक्षेत्र में— ३३७५–७६

खुरई—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन ३००९–१०

"खुला जेल" शिविर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

"खुला जेल" शिविर ३१४३

खेत (तों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—की चकबन्दी ३५१२

खेरवाड़ा, विच्छीवाड़ा विभाग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

राष्ट्रीय राजपथ संख्या ८

खेल संगठन (नों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

खेल २८४६–४७

ग

गंगा नदी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलवे की एक बड़ी नौका का डूबना ३०२७–२८

स्टीमर (वाष्पयान) सेवा ३०३१–३२

गढ़वाल—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—में कोयले के डिपोजिट ३११८–१९

गणपतिराम, श्री—

के द्वारा प्रश्न—

रेलवे में भर्ती ३०४७

गन्डक नदी पर बांध—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

गन्डक नदी पर बांध ३५३०–३१

गन्ना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—उत्पादक क्षेत्रों में भूमि का परिमाप ३६०४

गबन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

धोखाधड़ी ३६२८--३०

भारत इंश्योरेंस कम्पनी ३६८७--९४

गया--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

नीरा का विक्रय ३०५०-५१

गवेषणा--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

औषधीय जड़ी बूटियां ३०८६

कृषि -- कार्यक्रम ३३०१

नाभिकीय विज्ञान २९९५

परख नली में जीव ३४३४

फौना तथा फ्लोरा (प्राणि तथा परदय-जात) पर जर्मन टीम द्वारा -- ३४३२

बचे खुचे पटसन और छड़ियों सम्बन्धी -- ३३०१-०२

मोनाज़ाइट रेत २९५९-६०

राष्ट्रीय आय ३४०९-१०

गवेषणा केन्द्र (न्द्रों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

कनोज में तम्बाकू -- ३५७५

गवेषणा छात्रवृत्तियां--

"देखिये "छात्रवृत्ति (यां)"

गवेषणा दल--

के सम्बन्ध में प्रश्न

कोलार स्वर्ण क्षेत्र ३४१६

गवेषणा परियोजना (एं)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

संयुक्त राज्य -- ३४११

गवेषणा संस्था (ओं)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

बीजों के विकास के खेत ३३२३-२४

गव्यशाला संधान, अन्तर्राष्ट्रीय--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

-- फेडरेशन ३६१६-१७

गांधी जी--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

आकाशवाणी (आल इंडिया रेडियो) ३५२४

गांधी दर्शन शास्त्र--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

गांधी दर्शन शास्त्र ३४३९

गांधी, श्री फिरोज--

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--

डालमिया नगर में मंत्रियों के दौ ३५९४-९५

भारत इंश्योरेंस कम्पनी ३६८ ;, ३६८९, ३६९०, ३६९१, ३६९२, ३६९३-९४

गांधी, श्री वी० बी०--

के द्वारा प्रश्न--

कुदरू का पौधा ३०५८-

द्वे प्रयोजनीय ढोर ३०५७-५८

परिवार आयोजन २८२८

वस्त्र जांच समिति का प्रतिवेदन २९८०-८१

गाजियाबाद--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

सहकारी समितियां और ठेकेदा। ३५६१--६४

गाडगील, श्री—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

राज्य पुनर्गठन आयोग ३६८६

गाड़ियां—

देखिये "रेलगाड़ी (ड़ियों)"

गाडिलिंगन गौड़, श्री—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

युवक कृषिक क्लब ३५७२

के द्वारा प्रश्न—

बाढ़ ३४०४–०५

राष्ट्रीय अनुशासन योजना ३५४२

गाय (यों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— का आयात ३२७२–७३

गारो पहाड़ी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— रेल सम्पर्क का सर्वेक्षण ३०२६–२७

गिडवानी, श्री—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

काम दिलाऊ दफ्तर ३५४६

कैन्टीन स्टोर विभाग ३३७३

परिवार आयोजन ३५७०–७१

के द्वारा प्रश्न—

अप्रयुक्त पारेषक २९२०—२२

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ३६१३–१४

उपनगरीय मंत्रणा समिति २८२७

औद्योगिक सम्पदायें ३२०९–१०

छोटे पैमाने के उद्योग ३५२७

गिडवानी, श्री— (जारी)

के द्वारा प्रश्न–(जारी)

डी० ए० वी० कालिज शरणार्थी कैम्प, लाहौर ३२१५

नाहर कटिया में तेल की खोज ३३५४–५५

बर्मा ऋण ३४०६

बिना लाइसेन्स के रेडियो सेट ३००७—०९

मोरक्कों में भारतीय २९५६–५७

यातायात नियम २७७२–७३

विदेशी डाक ३२४५–४६

सम्पदा शुल्क २८५६—५९

स्थानीय स्वशासन सम्बन्धी केन्द्रीय परिषद ३५५१—५४

स्वास्थ्य अवस्था का सर्वेक्षण ३०३४–३५

हरिजनों के लिये आवास योजना ३१६८–६९

हिन्दी में तार ३०६४–६५

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड, दिल्ली २८९२—९७

गिरिड़ीह कोयला खान—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कोयले का उत्पादन ३७६२–६३

गिरिडीह की कोयलों की खानों में छंटनी ३१७६–७७

गिलट—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— के सिक्के ३४२०–२१

गुंटाकल—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— बंगलौर रेल सम्पर्क ३६२७

गुंटांल बंगलौर रेलवे लाइन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
एक नये स्टेशन का खोला जाना ३६७०–७१

गुजरात विद्यापीठ—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली उपाधियां ३३८१—८३

गुड़—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
गुड़ ३२२६–२७

गुनुपुर-रायगुडा रेलवे लाइन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
नई रेलवे लाइन ३६५५–५६

गुरुपादस्वामी, श्री एम० एस०—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
गोआ के सत्याग्रही ३१८७–८८
भारत-अमरीकी विमान करार ३२३४
के द्वारा प्रश्न—
उत्पादन शुल्क सम्बन्धी अपीलें ३१४२–४३
संयुक्त तथ्य निर्धारण आयोग २९६९–७०

गेहूं—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अन्तर्राष्ट्रीय — सम्मेलन ३६३६
गेहूं ३०६३
पश्चिमी बंगाल को — और चावल का संभरण २७८६

गेहूं का चोकर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
गेहूं का चोकर २७६४—६६

गोंडा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
यात्रियों को सुविधायें ३३३०
यात्री सुविधायें ३६४८

गोआ—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
गोआ ३५४०–४१
— के सत्याग्रही ३१८५—८८
पुर्तगाली भाषा में प्रसारण २९४४–४६
हीरों का चोरी छिपे ले जाना २९१४

गोपालन, श्री ए० के०—
के द्वारा प्रश्न—
निर्माण समिति ३४०३
लैकेडाइव और मिनिकोए द्वीप ३१३६–३७
संगीत नाटक अकादमी ३१३१—३३

गोरखपुर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
ब्रांच पोस्ट मास्टर २८४१
यात्रियों को सुविधायें ३३३०
यात्री सुविधायें ३६४८

गोलाबारूद—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— आदि का मूल्य ३३६९–७०

गोविन्द दास, सेठ—
के द्वारा प्रश्न—
छात्रवृत्तियां २८९१–९२
सोना ३१५०

गौहाटी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

ट्रेन सेवा ३३०४–०५

वायु दुर्घटनायें ३२९५

ज्ञापन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भाग 'ग' राज्य ३३७१–७२

ग्रांड ट्रंक एक्सप्रैस—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

ग्रांड ट्रंक एक्सप्रैस ३६१८, ३६२४–२५

ग्राम (गों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

दिल्ली में देहातों का विद्युतीकरण २९६२

भारतीय गांवों का परिवार सर्वेक्षण ३५०९–१०

सस्ते रेडियो सेट ३२०२–०३

ग्राम विकास योजना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

ग्राम विनिमय योजना ३५०४–०५

ग्रामीण उधार संघ —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रिज़र्व बैंक आफ़ इंडिया ३३५६–५७

ग्रामोद्योग—

देखिये "कुटीर उद्योग (गों)

ग्रामोफोन रेकार्ड—

के सम्बन्ध में प्रश्न

प्लास्टिक के — ३१८०—८२

ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भारत का रक्षित बैंक २८६२—६४

ग्वालियर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलवे कोच (यात्री-डिब्बे) फैक्टरी ३०२७

घ

घड़ी (ड़ियों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कलॉक फैक्टरी २९१७–१८

घाघरा नदी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बाढ़ नियंत्रण योजनायें (उत्तर प्रदेश) ३१९३—९५

घाटल—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— में सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय २८२७

च

चकबन्दी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

खेतों की — ३५१२

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु—

के द्वारा प्रश्न—

चाय बागानों में हड़तालें २८४८

भारतीय भू-परिमाप विभाग का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ ३४४२

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु—(जारी)

के द्वारा प्रश्न—(जारी)

भारतीय भू-परिमाप विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ३४४३

भारतीय रेडक्रास सोसाइटी ३६१०–११

विदेशी भाषा स्कूल २८८०, २८८१

चटर्जी, श्री तुषार—

के द्वारा प्रश्न—

पटसन मिलों में वैज्ञानिकन ३५२३

मजूरी भुगतान अधिनियम, १९३६ ३२९२

सरकारी बस्तियों का नाम रखना २९७०

चतुर्भुजी शिशु—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलगाड़ियों का चलना २८४१–४२

चन्द्रपुर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

महानदी का पुल ३३००

चमड़ा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कुटीर तथा ग्रामोद्योग ३५०७

चम्बल जल विद्युत परियोजना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

चम्बल परियोजना ३२२८

चलचित्र (त्रों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अस्पृश्यता सम्बन्धी — ३५२०

खाद्य तथा कृषि प्रचार यूनिट ३५२६–२७

प्रलेखीय — ३२१९

चलचित्र (त्रों)—(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

भारतीय — (निर्यात) २९७१–७२

भूदान आन्दोलन सम्बन्धी — ३५१८–१९

चलचित्र अधिनियम, १९५२—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

वृत्त चित्र तथा समाचार चित्र ३५२८–२९

चांडक, श्री—

के द्वारा प्रश्न—

टायर-निर्माता समवाय ३४८८—९०

मोटर गाड़ियों के टायर ३५२०–२१

मोटर टायर की कम्पनिय / ३५१६, ३५३९–४०

चांदपीपर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

उखाड़ी गई रेलवे लाइनों का पुनः बसाया जाना ३०१३–१४

चाणक्य पुरी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलवे क्वार्टर ३३३८

चाय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अन्तर्राष्ट्रीय — करार २९६१

— (निर्यात) ३४४९–५०

— का उत्पादन २९७९–८०

ब्रह्मा को ऋण ३५९७—९९

चाय बागान—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— में हड़तालें २८४८

त्रिदलीय करार २८०७

चालिहा, श्री बिमला प्रसाद---

के द्वारा प्रश्न---

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जोरहाट ३६३५-३६

चावल---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र ३६५६-५७
अन्दमान द्वीप समूह में खाद्य स्थिति ३०३३-३४
--- की पौष्टिकता ३६२४
--- कुटाई समिति (राइस मिलिंग कमेटी) ३०१५-१६
--- के लिये मूल्य निर्धारण योजना ३६२३-२४
पश्चिमी बंगाल को गेहूं और---का संभरण २७८६

चावल कुटाई समिति---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

चावल कुटाई समिति (राइस मिलिंग कमेटी) ३०१५-१६

चावल बैंक---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

चावल बैंक २७७६-७७

चिकित्सक---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

डाक्टरों का प्रशिक्षण ३६३०-३१
विलिंगडन अस्पताल ३१५-१६

चिकित्सकीय कर्मचारी---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

चिकित्सकीय कर्मचारी ३००१--०२

चिकित्सा---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

रक्त चाप का इलाज ३१३९-४०

चिकित्सा सुविधा (ओं)---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

औद्योगिक न्यायाधिकरण, धनबाद का पंचाट ३५७८---८०
केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन (चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें) ३२७४-७५
नाविकों के लिये --- २८३४
सरकारी कर्मचारियों को --- ३३०८--०९

चिकित्सालय---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

स्वविवेक के अनुदान ३०४१--४२

चिकोरी---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

चिकोरी ३५०५--०६

चिलयांकला---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

सार्वजनिक सड़कों का बन्द किया जाना ३४३०-३१

चीन---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

--- के लिये भारतीय विद्यार्थी २९०१-०२
--- को भारतीय विद्यार्थियों का प्रतिनिधि मंडल २८७७-७८
--- में भारतीय २९९१
भारत --- विमान करार ३६१५
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में भारत की सदस्यता ३२८१---८५
सिक्किम-तिब्बत सड़क ३०१४-१५

चीन-भारत समझौता—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

तीर्थयात्री यातायात २९९५–९६

चीनी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आन्ध्र में सुविधायें ३६०८–०९

—उद्योग ३३३६–३७

—की मिलें २८१८, ३३२२

—के सम्बन्ध में नीति ३६१२

चीनी साफ करने के कारखाने २९९९–३०००

चीनी उद्योग विकास परिषद्—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

चीनी साफ़ करने के कारखाने २९९९–३०००

चूड़ियां, कांच की—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कांच की चूड़ियां २९८८

चूने के पत्थर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— के निक्षेप २९०३

चेट्टियार, श्री टी० एस० ए०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

विदेशी धर्म प्रचारक ३११७

चोरी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

तांबे के तार की — ३३२०–२१

पन्ना में हीरे की खानें ३३८५–८६

रेलवे में अपराध २७७०—७२

सोने की छड़ों की — ३०५६–५७

चौथी श्रेणी के कर्मचारी—

देखिये "कर्मचारी (रियों)"

चौधरी, श्री आर० के०—

के द्वारा प्रश्न—

पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्ति ३५२७–२८

चौधरी, श्री एन० बी०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

अभाव क्षेत्रों का सुधार २९४९

अल्प-आय वर्ग आवास योजना ३१६१

खाद्यान्नों का क्रय ३००७

तूफान सम्बन्धी गोष्ठी ३०२१

दामोदर घाटी परियोजना, ३१६८, ३४५८

बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्नों का मूल्य २७९२

विस्थापित विद्यार्थी ३२०१–०२

सेफ्टी रेजर के ब्लेड ३४५५

स्थानीय स्वायत्त शासन मंत्रियों का सम्मेलन ३०३०

के द्वारा प्रश्न—

अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं सम्मेलन ३६३६

आलू परिरक्षण ३०५९

कच्ची पटसन का मूल्य ३१९७—९९

कुटीर उद्योग ३२२१–२२

कुष्ट ३२९९

खनन उद्योग में अनुपस्थिति २८४५–४६

खनिज तेल २८७५—७७

चावल कुटाई समिति (राइस मिलिंग कमेटी) ३०१५–१६

द्वितीय पंचवर्षीय योजना २९६०–६१

नौकरी ३५१८

पश्चिमी बंगाल को गेहूं और चावल का संभरण २७८६

पश्चिमी बंगाल में मलेरिया नियंत्रण एकक ३२५७–५८

चौधरी, श्री एन० बी०—(जारी)

के द्वारा प्रश्न—(जारी)

पाटल में सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय २८२७

पूछताछ का दफ्तर ३०७०

पूर्व तथा पश्चिम एशिया के साथ व्यापार २९३०—३२

भूतपूर्व महिला-चिकित्सा-सेवा ३५८४

भूमि सुधार समिति ३५१०

मछली पकड़ने की नावों को चलाने का प्रशिक्षण २८२८

महिला-चिकित्सा-सेवा ३५८५—८७

रोज़गार दफ्तर ३३३५

लेडी हार्डिंग मैडीकल कालिज ३३४५

लोहा और इस्पात का मूल्य २९७९

शंख उद्योग ३४६६—६८

शीरे का निर्यात ३२२७

चौधरी, श्री जी० एल०—

के द्वारा प्रश्न—

चाय बागानों में हड़तालें २८४८

डाक कर्मचारियों की वर्दी ३३३४—३५

रेलगाड़ी का पटरी पर से उतर जाना २८१५

चौधरी, श्री सी० आर०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

अमरीकी नागरिक २८९०

धर्मस्व और न्यास ३५०२—०३

मूंगफली का तेल और खली २९२६—२८

रेल के डिब्बे ३६४७

रेल गाड़ियां ३०४८

चौर्यानयन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

गोआ ३५४०—४१

पहाड़ी (सैंधा) नमक ३५३८

चौर्यानयन—(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

सोने का पकड़ा जाना ३३७८—७९

हीरों का चोरी छिपे ले जाना २९१४

छ

छंटनी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आयुध पदाधिकारी (असैनिक) ३३६८—६९

गिरिडीह की कोयले की खानों में— ३१७६—७७

— में लाये गये सरकारी कर्मचारी ३१५४—५५

डाक २७८०—८१

छत्तरपुर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलवे आउट एजेंसियां ३०८५—८६

छपरा रेलवे स्टेशन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

छपरा रेलवे स्टेशन २८४३—४४, ३०७८—७९, ३२९१

— पर पूछताछ कार्यालय २८४५

यात्रियों को सुविधायें ३०७९—८०

छपरा स्टेशन (माल यार्ड)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

छपरा रेलवे स्टेशन ३३४५

छात्र सैनिक (कों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मिलिटरी कालिज, देहरादून २८७३

के सम्बन्ध में प्रश्न—

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी २८७१—७३

छात्रवृति (यां)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अन्धों के लिये— ३४१६–१७
उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण में शिक्षा २९६४
गवेषणा — ३१४०–४१
छात्रवृतियां २८९१–९२
—देने के लिये बोर्ड २९०९–१०
दिल्ली में विदेशी छात्र ३४२९
पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को — २९००–०१
मनीपुर के छात्रों को— ३४२९–३०
विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों के लिये—३१४६
व्यवहारिक औद्योगिक प्रशिक्षण ३४३३

छात्रावास (सों)—
के सम्बन्ध म प्रश्न—
युवकों के लिये होस्टल— ३६४७–४८

छावनीं (नियां)—
कें सम्बन्ध में प्रश्न—
—क्षेत्रों की भूमि ३३६३–६४

छावनी यातायात विनियम—
के सम्बन्ध में पश्न—
छावनी यातायात विनियम २९०९

छोटे पैमाने के उद्योग—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
औद्योगिक सम्प्रदायें ३२०९–१०
ग्रामोद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग —३०७०–७१
छोटे पैमाने के उद्योग २९८७–८८ ३२०७–०८, ३२०९, ३५२७

ज

जड़ी बूटी (टियां)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
औषधीय जड़ी बूटियां ३०८६

जनगांव—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेलवे उपकरण को क्षति ३६५९
रेलवे दुर्घटना ३३१२–१३

जन पथ-प्रदर्शक—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—(सोशल गाईड) २८४४–४५

जनसंख्या—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
विश्व–सम्मेलन ३०९१–९४

जमशेदपुर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
काम दिलाउ दफतर ३२३९—४१

जम्मू तथा काश्मीर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
केन्द्रीय अधिनियमों का—राज्य में लागू होना २६०३
जम्मू और कश्मीर में सैनिक कर्मचारी ३३९५–९६
—में प्रवेश के लिये आज्ञापत्र २८५१–५२
पर्यटक यातायात ३२९६

जयपाल सिंह, श्री—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
एच० टी०—२ विमान ३१३८
कागज ३१६३
काम दिलाऊ दफतर ३२४०-४१ ३५४५, ३५४६

जयपाल सिंह, श्री--(जारी)
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--(जारी)
डालमिया नगर में मंत्रियों के दौरे ३५९६
नेपाल के साथ व्यापार ३१६५
पशु विकास ३५६८
बरबलि की रेलवे साइडिंग ३५५६
बिहार में सूखा की स्थिति ३२७७
ब्रह्मा को ऋण ३५९८
भिलाई का इस्पात का कारखाना ३४६५
राज्य पुनर्गठन आयोग ३६८६
विमान समवायों को प्रतिकार ३२६५
सड़कों का राजपथ के रूप में परिवर्तन ३२५५
उद्योग को सहायता ३५४७

जय श्री, श्रीमती--
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--
बड़ौदा कला भवन प्रौद्योगिक केन्द्र ३३६१
के द्वारा प्रश्न--
"खुला जेल" शिविर ३१४३
जल-संभरण योजनायें ३०८२
युवक कृषिक क्लब ३५७१-७२

जर्मनी--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
फौक तथा फ्लोरा (प्राणि तथा परदय-जात) पर जर्मन टीम द्वारा गवेषणा ३४३२-३३

जर्मनी पश्चिमी--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
विदेशों में भारतीय विद्यार्थी ३४०५

जल-
के सम्बन्ध में प्रश्न--
--को मृदु बनाने के लिये संयंत्र ३३६४-६५
दामोदर घाटी परियोजना ३४५५--५८

जल प्रभार--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
जल प्रभार ३३१९-२०

जल विद्युत् संसाधन (नों)
के सम्बन्ध में प्रश्न--
-- का सर्वेक्षण २९२८

जल संभरण--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
रूरकेला परियोजना २९२९-३०

जल-संभरण योजना--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
जल-संभरण योजनायें ३०८२

जलपोत (तों)--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
नौवहन दुर्घटना ३००३-०४
प्रशिक्षण पोत भद्रा ३३१८-१९

जलपोत --
के सम्बन्ध में प्रश्न--
कांडला के पास तेलवाहक पोत में आग ३५८९-९०

जलहाली, बंगलौर--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
मैसूर में उद्योग २९९९

जहांगीर हीरा--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

कला संग्रह ३१२०--२२

जांगड़े, श्री--

के द्वारा प्रश्न--

केन्द्रीय पैट्रोल उपकर निधि २८१२

खादी उद्योग ३५३१

भिलाई का इस्पात का कारखाना ३४६४--६६, ३५१०

महानदी का पुल ३३००

रायपुर के लिये औद्योगिक योजना ३५१७

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड २९८९--९०

रेलवे स्कूल ३०४८--४९

सड़कों का राजस्व के रूप में परिवर्तन ३२५४--५५

सिंचाई की छोटी योजनायें ३५४१--४२

जांच समिति--

देखिये "रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति"

जान्सटन, डी क्लीमेन्ट, श्री--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

श्री क्लीमेन्ट डी० जान्सटन २९३४--३५

जापान--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

दूर-संचार सेवायें ३२३७--३८

नेता जी की अस्थियां ३४९२--९८

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता ३१८१--८५

जाली टिकट--

देखिये "रेलवे टिकट (टों)

जिप्सम की खानें--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

जिप्सम की खानें (बीकानेर) ३३००--०१

जूट--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

उत्पादन ३०२४--२६

गोदाम २८२४

--- की आवश्यकता ३४६९--७

जूट विशेषज्ञ समिति--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

जूट उत्पादन ३०२४--२६

जे० जे० स्कूल आफ आर्ट्स, बम्बई--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

बड़ौदा कला भवन औद्योगिक केन्द्र ३३५९--६१

जेनेवा--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अन्तर्राष्ट्रीय अणु सम्मेलन २९६२--६३

पूर्व एशिया की समस्याओं पर चर्चा करने का सम्मेलन ३४९९--३५००

जेल--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

खुला --- शिविर ३१४३

जैदी, कर्नल—

के द्वारा प्रश्न—

अम्बरनाथ का मूलरूप मशीनी औशीर निर्माण कारखाना ,३१०७—०९
ऐतिहासिक स्मारक २८९८

जैसलमेर राज्य

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भूमि के अन्दर सुरंग २९०८— ०९

जोगीघोपा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

जोगीघोपा चरत्न जल धारा ३३०२—०३

जोदा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बाडाबील — रेलवे लाइन २८०७

जोधपुर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

ट्रेन सर्विस ३३३५—३६

जोरहाट—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, — ३६३५—३६

जोशी, श्री एन० एल०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

टिड्डी—विरोधी योजना ३२७२

जोशी, श्री एम० डी०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

छतों पर यात्रा करना ३२४४

जोशी, श्री एम० डी०—(जारी)

के द्वारा प्रश्न—

अधिग्रहण की गई इमारतें ३१९६—९७
नौवहन कर्मचारियों का प्रशिक्षण ३३०५—०६
नौवहन सांख्यकी ३२७९—८१
बिजली से चलने वाले इंजन ३६६७—६८
स्कूलों में नाट्य कला ३४०४

जोशी, श्री कृष्णाचार्य—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

मोरक्को में भारतीय २९५७

के द्वारा प्रश्न—

अणु शक्ति ९८२६—८७
अन्दमान द्वीप समूह २९०७
उत्तर-पूर्वी सीमा अभिकरण ३४५०—५२
डाक व तार घर के भवन
डाक सम्बन्धी प्रतिबन्ध (पुर्तगाली भारत) २८३४
दिल्ली-आगरा सड़क ३०८१
दूर-संचार सेवायें ३२३७—३८
धूमन संयंत्र २८२३
धोखे के मामले ३३०८
नाविकों के लिये चिकित्सा सुविधायें २८३४
प्रथमपंचवर्षीय योजना ३०८३
भारतीय उच्च-आयोग, लन्दन २८८७—८९
मतदान सम्बन्धी सुविधायें ३४०९
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी २८५२—५३
रेडियो गवेषणा समिति ३४९—५०
३३८६—८७
रेलवें लाइनों का सर्वेक्षण २७६१—६२
वायु दुर्घटनायें ३२९५

जोशी श्री कृष्णाचार्य—(जारी)
के द्वारा प्रश्न—(जारी)
विदेशी धर्म प्रचारक ३११५—१८
विदेशी भाषा स्कूल २८७९—८१
विश्व जनसंख्या सम्मेलन ३०९१—९४
शिशु कल्याण २७९७–९८
श्रीलंका में भारतीय २९७५–७६
संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय शिशु आपात निधि (यूनिसेफ) ३००२–०३
सार्वजनिक टेलीफोन ३०६५–६६
स्थानीय स्वायत्त शासन मंत्रियों का सम्मेलन ३०२९–३०
हैदराबाद में डाकघर ३३२५
हदराबाद में तार-घर ३६४१–४२

जोशी श्री जेठालाल—
के द्वारा प्रश्न—
डाक सम्बन्धी प्रतिबन्ध (पुर्तगाली भारत) २८३४
सम्पदा शुल्क ३४२५

ज्योतिषीय भविष्यवाणी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
ज्योतिषीय भविष्यवाणी ३११२

ज्योतिष शास्त्र—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
ज्योतिष शास्त्र ३०३६–३७

ज्ञ

झंडा (डे)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
झंडे ३४३२

झाझरिया ट्रेडिंग कम्पनी लि०, मैसर्स
के सम्बन्ध में प्रश्न—
ऋण सुविधायें ३०७०–७३

झारग्राम कुष्ट केन्द्र—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
कुष्ट ३२९९

ट

टंगस्टन अयस्क—
क सम्बन्ध में प्रश्न—
टंगस्टन अयस्क २९०७–०८

टाइम्स आफ इंडिया—
क सम्बन्ध में प्रश्न—
भारत इंश्योरेंस कम्पनी २६८७—९४

टाटा आयल कम्पनी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
पटशूली पौध का तेल ३०१६—१८

टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कम्पनी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
टेल्को २८२१, ३०७८, ३२८९

टाटानगर—
क सम्बन्ध में प्रश्न—
टाटानगर–दिल्ली सीधी सेवा ३२७८—७९

टायर (रों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

टायर निर्माता समवाय ३४८८—९०

मोटर गाड़ियों के — ३५२०–२१

टायर–निर्माता समवाय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

टायर-निर्माता समवाय ३४८८—९०

टिड्डी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

टिड्डी विरोधी योजना ३२७१ — ७२

टिड्डी विरोधी योजना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

टिड्डी-विरोधी योजना ३२७१—७२

टीका (के)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बी० सी० जी० के — ३६५९ ६०

टुटीकोरिन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

नई रेलवे लाइन २६६५

टेलीप्रिंटर (दूर मुद्रण)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

टली प्रिन्टर (दूर मुद्रण) ३०५२–५३

टेलिफोन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

'आपका अपना —' योजना २७९२–९३

कलकत्ता में — का स्वयंचालीकरण २८२२

घाटल में सार्वजनिक — कार्यालय २८२७

— की सुविधा ३६३९

भारतीय — उद्योग २८३८–३९

सार्वजनिक — ३०६५–६६

टेलीफोन एक्सचेंज—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

टेलीफोन एक्सचेंज २८११

तार की लाइन में बाधा ३३२८–२९

नेतिमा में — ३३४१–४२

रावदुर्ग नगर के लिये — ३६७२–७३

सार्वजनिक टेलीफोन. ३०६५–६६

टेलीफोन के तार (रों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

तांबे के तार की चोरी ३३२०–२१

टोकियो—

के सम्बन्ध में प्रश्न–

तूफान सम्बन्धी गोष्ठी ३०२०—२२

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ३४९२—९८

टूयूनसांग डिवीजन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

उत्तर-पूर्वी सीमांत एजेंसी (अभिकरण) २९९७–९८

ट्रांसमीटर (रों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अप्रयुक्त पारेषक २९२०—२२

ट्राली बस—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

ट्राली बसें ३०१८

ट्रैक्टर(रों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

केन्द्रीय — संगठन २८३७, ३००९—१० ३०३७—३८

नदी घाटी परियोजनाओं में — का प्रयोग २७६९—७०

ट्रैक्टर २९७६—७७

ठ

ठेकेदार (रों)—

देखिये "रेलवे ठेकेदार (रों)"

ड

डाक—

के सम्बन्ध म प्रश्न—

डाक २७८०-८१

डाक कर्मचारी (रियों)—

देखिये "कर्मचारी (रियों)"

डाक तथा तार —

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कर्मचारियों के क्वार्टरों में सुविधायें ३६३७—३८

धोखा धड़ी ३६२८—३०

जल प्रभार ३३१९—२०

डाक कर्मचारी ३६४०-४१

डाक तथा तार—(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

डाक के डिब्बे ३६६४

— विभाग के कर्मचारी ३३३१—३२

— विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर ३२६६—६८

डाक व तार शिक्षण केन्द्र ३६५०

तांबे के तार की चोरी ३३२०—२१

दिल्ली सर्किल में नियुक्तियां ३६२

पूर्व वृतान्त की रिपोर्ट ३६६४

मैटापन लाइन कैम्प, नई दिल्ली ३६७५—७६

सर्किल के मुख्याधिकारियों का मेल ३२६०—६१

हिन्दी ३६०३

हिन्दी सीखने के लिये सुविधायें ३०८४

डाक प्रतिबन्ध—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

डाक सम्बन्धी प्रतिबन्ध (पुर्तगाली भारत) २८३४

डाक व्यवस्था—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सूर्य ग्रहण के अवसर पर — २७८२ ८३

डाक सेवा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन्स ३६४९—५०

रेरांगपुर से डाक का यातायात ३३२८

विदेशी डाक ३२४५—४६

डाकघर (रों)---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

खादी हुण्डियाँ ३५१२-१३

डाक व तार घर के भवन ३०५५

सेमरीहरचन्द--- ३०६२

स्थानीय पोस्टकार्ड ३५८२-८३

हैदराबाद में --- ३३२५

डाकघर बचत बैंक---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

डाकघर बचत बैंक लेखा ३६७२

डाकीय जीवन बीमा निदेशालय---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

---, कलकत्ता ३६२६-२७

डाकीय जीवन बीमा पालिसी---

सम्बन्ध में प्रश्न---

डाकीय जीवन बीमा पालिसी ३६६८, ३६६८-६९, ३६६९,

डागा, जी० डी० एण्ड कम्पनी, मसर्स---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

ऋण सुविधायें ३०७०-७१

डाभी, श्री---

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न---

चावल कुटाई समिति (राइस मिलिंग कमेटी) ३०१६

विदेशी धर्म प्रचारक ३११७

के द्वारा प्रश्न---

अल्प-आय वर्ग आवास योजना ३१६१-६२

अहमदाबाद-कलोल लाइन ३२३५

आसर्व स्टेशन यार्ड ३०००---०१

क्लाक फैक्टरी १९१७-१८

खादी की वर्दियां २९५४-५५

गाड़ी का पटरी से उतरना २८१८

डाभी, श्री---(जारी)

के द्वारा पश्न---(जारी)

टिकटों का पुनः बेचा जाना ३६१२-१३

भाड़े में रियायत २८०५-०६

यात्रियों के लिये सुविधायें ३३२१-२२

साबरमती रेलवे यार्ड ३४३

डामर, श्री अमर सिंह ---

के द्वारा प्रश्न---

आदिवासी क्षेत्रों में कुटीर उद्योग २९४९-५०

कपास में वायदा बाज़ार २९७५

चम्बल परियोजना ३२२८

डाकू मानसिंह को घेरना ३४३१

भ्रष्टाचार के मामले ३०८८

मजिस्ट्रेट की नियुक्ति ३०८८-८९

मध्य भारत में केन्द्रीय कर २९१४---१६

मालवा भील पल्टन ३४३३-३४

रेलवे कर्मचारी ३०८८, ३०९०

रेलवे कोच (यात्री-डिब्बे) फैक्टरी ३०२७

रेलवे बोर्ड ३६५९

डालटनगंज---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

सड़कों का राजपथ के रूप में परिवर्तन ३२५४-५५

डालमिया नगर ---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

--- में मंत्रियों के दौरे ३५९०-९६

डालमिया, श्री रामकृष्ण—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

डालमियां नगर में मंत्रियों के दौरे ३५९०—९६

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड (डीं)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

स्थानीय निकाय ३२३८–३९

डी० ए० वी० कालिज शरणार्थी कैम्प, लाहौर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

डी० ए० वी० कालिज शरणार्थी कैम्प, लाहौर ३२२५

डी० डी० टी०—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पश्चिमी बंगाल में मलेरिया नियंत्रण एकक ३२५७–५८

डेरागोपीपुर पुल—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

डेरागोपीपुर पुल ३६३६–३७

त

तम्बाकू—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कनौज में—गवेषणा केन्द्र ३५७५

तम्बाकू ३३७३–७४

—उत्पादन शुल्क २९०६

—कारखाना २८४२

तार (रों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— का पहुंचाया जाना ३०४५–४६

हिन्दी में — २८४०, ३०६४–६५, ३५७७–७८

तार (ताँबा)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

टांबे के तार की चोरी ३३२०–२१

तार कार्यालय, केन्द्रीय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—, नई दिल्ली ३६६२

तार की लाइन—

के सम्बन्ध मे प्रश्न—

— में बाधा ३३२८–२९

तार-घर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

हैदराबाद में — ३६४१–४२

तालडीह खनन क्षेत्र—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—का सर्वेक्षण ३५१७–१८

तालिब, श्री ए०—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

गोदी मजूरों की भर्ती ३२८८

तावा जल विद्युत परियोजना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

तावा जल विद्युत परियोजना ३२१७

तिब्बत--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

सीमान्त सुरक्षा पुलिस २८७४–७५

तिम्मय्या, श्री--

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--

हरिजनों के लिये आवास योजना ३१६६

तिरुनलवली--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

मानापद पुल ३६६५–६६

तिवारी, पंडित डी० एन०--

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--

अन्तर्राज्य बिक्री कर ३१३०
उखाड़ी गई रेलवे लाइनों का पुनः बसाया जाना ३०१४
केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन ३०३८
खतरे की जंजीर का सामान हटाया जाना ३२४२, ३२४३
जाली टिकट ३२४७
जूट उत्पादन ३०२५
डालमियानगर में मंत्रियों के दौरे ३५९२
पशु विकास ३५६७
रेल की पटरी ३२७०
रेलवे चिकित्सा सेवा २७९५
विदेशी धर्म प्रचारक ३११६
सहकारी समितियां और ठेकेदार ३५६४

के द्वारा प्रश्न--

कर्तव्य-पालन में लापरवाही ३६४३
खाद्यान्नों का क्रय ३००५--०७
छतों पर यात्रा करना ३२४३--४५

तिवारी पंडित डी० एन०--(जारी)

के द्वारा प्रश्न--(जारी)

बिना टिकट यात्रा ३५४८–४९
यात्री सुविधायें २८००--०२
रेलवे में अपराध २७७०--७२
रेलों में अपराध २८३८
स्टीमर (वाष्पयान) सेवा ३०३१–३२

तिवारी, श्री आर० एस०--

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--

खजुराहों में संग्रहालय ३३७७
छात्रवृत्तियां देने के लिय बोर्ड २९०९–१०
प्रादेशिक सेना २९१०–११
हवाई मार्गों में परिवर्तन ३२४७–४८

तुलसीदास, श्री--

के द्वारा प्रश्न--

सम्पदा शुल्क ३४२५

तूफान--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

सम्बन्धी गोष्ठी ३०२०--२२

तेजपुर--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

ट्रेन सेवा ३३०४-०५
माल का मातायात ३०५३-५४
रेल गाड़ियों में स्थान ३५७५–७६

तेजपुर-रंगिया रेलगाडी--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रेल गाड़ियों में स्थान ३५७५–७६
बुकिंग का रोका जाना ३५६०–६१

तेजोन्वेष--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

आंधी की सूचना देने वाला रेडार २८२५

तेल--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

आवश्यक-- २९६५-६६
खनिज-- २८७५--७७
नाहर कटिया में--की खोज ३३५४-५५
पटशली पौधा का --३०१६--१८
मूंगफली का--और खली २९२६--२८
लेमन ग्रास--२९६७-६८
संश्लिष्ट--संयंत्र २९७४-७५

तेल, डीजल--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन ३००९-१०

तेलकीकर, श्री--

के द्वारा प्रश्न--

पन्ना में हीरे की खानें ३३८५-८६
शास्त्री पंचाट ३६६३
स्थानीय पोस्टकार्ड ३५८२-८३

त्र

त्रावनकोर-कोचीन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

टायर-निर्माता समवाय ३४८८--९०
पश्चिम तटीय पत्तन २८११
लिगनाइट ३१०३-०४
लेमन ग्रास तेल २९६७-६८

त्रिचनापल्ली--

क सम्बन्ध में प्रश्न--

रेल का पुल २८१२-१३

त्रिदलीय करार--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

त्रिदलीय करार २८०७

त्रिपाठी, श्री के० पी०--

के द्वारा प्रश्न--

आसाम के लिये रेलवे खण्ड ३२९०
उत्तर-पूर्वी सीमान्त एजेंसी (अभिकरण) २९९७-९८
उत्तरी-ट्रंक सड़क, आसाम ३०८५
ट्रेन सेवा ३३०४-०५
बुकिंग का रोका जाना ३६६०-६१
भारत इंशोरेंस कम्पनी ३६८७--९४
भोराली नदी पर पुल ३०५६
माल का यातायात ३०५३-५४
रेल गाड़ियों में स्थान ३५७५-७६
रेलवे के सम्बन्ध में शिकायतें ३०४६-४७

त्रिपुरा--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

आदिवासियों का व्यवस्थापन ३३९६
किराये के बकायों का परिहार ३६०३-०४
-- की खानें २९८७-९८

त्रिपुरा—(जारी)
के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)
— में आदिम जाति शिक्षा ३१५२
— में सामाजिक शिक्षा कर्मचारी ३१५२
—में स्कूलों का दर्जा बढ़ाना ३१५२
भूतपूर्व सैनिक ३४२७

त्रिवेदी, श्री यू० एम०—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
राज्य पुनर्गठन आयोग ३६८७
के द्वारा प्रश्न—
रेल के सिगनल (पथ-संकेत) ३०५२

थ

थामस, श्री ए० एम०—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
विमान यात्रा भाड़े ३२५६

थोरियम—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
आणविक बिजली घर ३१६१—६३

द

दरभंगा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेलवे पुल ३०३८—४०

दशरथ देव, श्री—
के द्वारा प्रश्न—
कुम्भकारी प्रशिक्षण केन्द्र, रनीर बाजार ३१५०
त्रिपुरा में सामाजिक शिक्षा कर्मचारी ३१५२
त्रिपुरा में स्कूलों का दर्जा बढ़ाना ३१५२

दस्तकारी (रियों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
मास्को में भारतीय — की प्रदर्शनी ३२१४

दामोदर घाटी निगम—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—की लिफ्ट सिंचाई योजना २६२८—२६

दामोदर घाटी परियोजना—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
दामोदर घाटी परियोजना ३१६७—६८, ३४५५—५८

दावा (वे)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
उत्तर-पूर्वी रेलवे ३२४८—४६
दावे ३२८७
विस्थापित व्यक्तियों के — २६७०—७१

दावा कार्यालय—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
प्रादेशिक — ३३२६—२७

दास, श्री एस० एन०—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
अल्प आय वर्ग आवास योजना ३४५६
कल्याण विस्तार परियोजना ३३६८
कागज ३१६३
कुरुक्षेत्र में खुदाई ३३७६
चावल बैंक २७७७
दूर-संचार सेवायें ३२३८

दास, श्री एस० एन०--(जारी)

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--(जारी)

पारितोषिक और पदक ३३८१
प्रथम पंचवर्षीय योजना २९३९
भारतीय प्रशासन सेवा के प्रशिक्षणार्थियों के लिये समाज कल्याण पाठ्यक्रम ३३८४
युवक कृषिक कल्ब ३५७१
राज्य-पुनर्गठन आयोग ३६८३
राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली उपाधियां ३३८२
रेलवे पुल ३०४०
सिन्दरी फर्टिलाइजर और केमिकल्स लिमिटेड ३४८०
सेफ्टी रेजर के ब्लेड ३४५४
सोने का पकड़ा जाना ३३७९
स्थानीय स्वशासन सम्बन्धी केन्द्रीय परिषद् ३५५४
हीरे तराशने के कारखाने ३२६९

के द्वारा प्रश्न--

अन्तर्राज्य बिक्री कर ३१२९–३०
ग्रामोद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग ३१७०–७१
डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर ३२६६--६८
तूफान सम्बन्धी गोष्ठी ३०२०--२२
नौवहन कर्मचारी ३५७४–७५
फौना तथा फ्लोरा (प्राणि तथा परदयजात) पर जर्मन टीम द्वारा गवेषणा ३४३२–३३
बचेखुचे पटसन और छड़ियों सम्बन्धी गवेषणा ३३०१–०२
बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्नों का मूल्य २७९०--९२

दास, श्री एस० एन०--(जारी)

के द्वारा प्रश्न--(जारी)

भारत-इरानी व्यापार २९४३–४४
भारत का रक्षित बैंक (रिजर्व बैंक आफ इंडिया) २८६२--६४
भारत का वैदेशिक व्यापार ३४७६–७७
भारतीय नौवहन २८२३
माध्यमिक शिक्षा आयोग २८८४--८७
रक्षित बैंक ३१०१--०३
राष्ट्रीय आय ३४०९–१०
रिजर्व बैंक आफ इंडिया ३३५६–५७
लेखे तैयार करने और राज्यकोष में सुधार ३४१७--१९
विदेशी प्रैस ३०२५–२६
विदेशी समाचारों का प्रकाशन ३६०–०१
शिशिक्षु अधिनियम, १८५०, ३५३४
श्रीलंका में भारतीय २९७५–७६
सूती कपड़ा निर्यात संवर्द्धन परिषद ३२११
हीरों पर आयात शुल्क ३१२५–२६

दास श्री के० के०—

के द्वारा प्रश्न--

खेल २८४६–४७
ग्राम विनिमय योजना ३५०४--०५
नगर-स्वास्थ्य दल ३६२५–२६
परिवार आयोजन ३५६८--७१
भेषजिक ३६१७
रक्षा सेनाओं द्वारा बचाव कार्यवाहियां ३४१२–१३
राजकुमारी क्रीड़ा-शिक्षा योजना ३६५४–५५

दास, श्री के० के०--(जारी)

के द्वारा प्रश्न--(जारी)

शंखों का आयात २६७२

सामाजिक विज्ञान गवेषणा केन्द्र ३४०१-०२

दास, श्री बी० के०--

के द्वारा अनपूरक प्रश्न--

निर्ज्ञात-पत्र कार्यालय ३५५१

के द्वारा प्रश्न--

दामोदर घाटी परियोजना ३१६७-६८, ३४५५--५८

पटसन का उत्पादन ३२८५--८६

राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली उपाधियां ३३८१--८३

सरकारी आवास-स्थान २६३६-४०

सुपारी पर आयात शुल्क २८५३-५६

दास, श्री बी० सी०--

के द्वारा प्रश्न--

चाय बागानों में हड़तालें २८४८

मैंगनीज़ की खानें (उड़ीसा) ३६११

"सी० ए० आई० ई०" ३५०७-०८

दास, श्री रामानन्द-

के द्वारा प्रश्न--

कुटीर तथा ग्रामोद्योग ३५०७

गोदी मजूरों की भर्ती ३२८८

विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियां ३५३६

दास, श्री सारंगधर--

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--

क्रोम अयस्क ३१७३

खनिज तेल २८७६--७७

गेहूं का चोकर २७६५

मूंफली का तेल और खली २६२८

लोहा तथा मैंगनीज़ अयस्क २६२४-२५

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड, दिल्ली २८६६, २८६७

दासगांव--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

दीव----- रेल सम्पर्क ३०२८-२६

दियासलाई कम्पनी--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

पश्चिमी भारत को --- ३५११-१२

दिल्ली--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना ३०७४----७६

अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह ३४०३--०४

उत्पादन शुल्क सम्बन्धी अपीलें ३१४२-४३

कनाट प्लेस में विस्फोट ३४०८-०६

कर्मचारियों के क्वार्टरों में बरसातियों का निर्माण ३५३३

किंग्जवे कैम्प ३१६०--६१

गाडी का पटरी से उतरना २८१८

टाटानगर-दिल्ली सीधी सेवा ३२७८-७६

दिल्ली—(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

ट्रेन सर्विस ३३३५–३६

—— आगरा सड़क ३०८१

—— में देहातों का विद्युतीकरण २९६२

—— में बाल अपचार ३४२२

—— में विदेशी छात्र ३४२९

—— में विद्युत संभरण ३१८२—८४

—— में विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियां २९५१–५२

—— में सड़क दुर्घटनायें २९०५, ३३२०

—— राज्य में पत्थर की खानें ३३४४

—— सर्किल में नियुक्तियां ३६२८

निष्क्रांत सम्पत्तियां ३५०२

पशु विकास ३५६६—६८

पूर्व वृत्तांत की रिपोर्ट ३६६४

पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्ति ३५२७–२८

प्रादेशिक पारपत्र कार्यालय, — ३५३७

लाजपत राय मार्केट ३५१५–१६

शासकीय (आफीशियल) यात्रा संगठन का सम्मेलन ३०४२–४४

सरकारी कर्मचारियों के लिये आवास स्थान ३२१८

सरकारी कर्मचारियों के लिये रहने के मकान ३२३०–३१

सेफ्टी रेज़र के ब्लेड ३४५४–५५

स्वविवेक के अनुदान ३०४१–४२

हैलीकोप्टर ३००४–०५

होटल उद्योग को सहायता ३५४६—४८

दिल्ली परिवहन सेवा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार ३२९९–३३००

दिल्ली मद्रास जनता ऐक्सप्रैस—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

दिल्ली-मद्रास जनता एक्सप्रैस ३६१६

दिल्ली रेलवे स्टेशन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलवे बुकिंग ३६०७–०८

दीव—

के सम्बन्ध में प्रश्न–

—— दासगांव रेल सम्पर्क ३०२८–२९

दीवान, श्री आर० एस०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

बड़ौदा कला भवन प्रौद्योगिक केन्द्र ३३६०–६१

के द्वारा प्रश्न—

द्वितीय पंचवर्षीय योजना ३२१२

समवाय ३४३८

सीमेंट के कारखाने ३१८८–९०

दुकान (नों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

किंग्जवे कैम्प २९९८

दुर्गापुर नहर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

दामोदर घाटी परियोजना ३४५५—५८

दुर्घटना (ओं)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

ए० सी० विद्युत् प्रणाली ३४७४—७६

दिल्ली में सड़क—२९०५, ३३२०

नौवहन — ३००३—०४

न्यूटन-चिकली कोयला खान—३२९०

बीना में — ३३०५

रेलवे की एक बड़ी नौका का डूबना ३०२७—२८

सड़क — ३०६१—६२

देखिये "वायु दुर्घटना" (यें) तथा "रेलवे दुर्घटना (यें)" भी

दूध—

के सम्बंध में प्रश्न—

— का उत्पादन ३०६४

द्वि प्रयोजनीय ढोर ३०५७—५८

रेलों पर — का संभरण ३६३५

दूर-संचार सेवा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

दूर-संचार सेवायें ३२३७—३८

देव नगर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सरकारी भूमि पर अनधिकृत मकान बनाना ३३१४—१५

देव, श्री आर० एन० एस०—

के द्वारा प्रश्न—

क्रोम अयस्क ३१७१—७३

क्रोमाइट अयस्क संचय ३३५७—५९

बरबील की रेलवे साईडिंग ३५५४—५७

देव, श्री आर० एन० एस०—(जारी)

क द्वारा प्रश्न—(जारी)

बाडाबील-जोदा रेलवे लाइन २८०७

माल गाड़ी के डिब्बों का संभरण ३०१०—१३

रेलवे साइडिंग ३३२६

लोहा तथा मगनीज अयस्क २९२३—२५

देव, श्री एस० सी० —

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

नाहर कटिया में तेल की खोज ३३५५

देवगम, श्री—

के द्वारा प्रश्न—

अयस्क २९८२—८३

अयस्क गमनागमन के लिये डिब्बे ३३४२—४३

अयस्कों (कच्ची धातुओं) का निर्यात ३१९५—९६

अयस्कों का परिवहन २९८२, २९८३—८४, २९८४—८५, २९९६, ३५७४

ऋण सुविधायें ३०७०—७३

चावल की पौष्टिकता ३६२४

टाटानगर-दिल्ली सीधी सेवा ३२७८—७९

नये रेलवे स्टेशन २८३१—३२

बिना टिकट यात्रा २८२९—३०, २८३१

भ्रष्टाचार के मामले ३६३९—४०

रुरकेला इस्पात संयंत्र ३५०६—०७

रेल का वस्तु-भाड़ा ३६४६—४७

रेल के किराये २८३२—३३

रेलवे कर्मचारियों का निलम्बन ३६१५

देवगम, श्री--(जारी)
के द्वारा प्रश्न--(जारी)
रेलवे साईडिंग ३६५७-५८
लौह अयस्क ३ ७३-७४
लौह अयस्क (लोहे की कच्ची धातु) का निर्यात ३०५१
लौह अयस्क पर फाड़ा २८३०
हुवन क्लोवर २८२६
देहरादून--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
अधिगृहीत जमीनें २६११
पटशूली पौधका तेल ३०१६-१८
मिलिटरी कालिज, --२८७३
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी २८५२-५३
दोहद--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
रेलगाड़ी दुर्घटना ३३११-१२
द्विवेदी, श्री एम० एल० --
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--
अप्रयुक्त पारेषक २६२१
अमरीकी नागरिक २८६०
उत्तर पूर्वी सीमांत अभिकरण २६५३-५४
क्लाक फैक्टरी २६१७-१८
खाद्य और कृषि संगठन २७६३
भारत अमरीकी विमान करार ३२३४-३५
यूरेनियम के डिपोजिट २६४७
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी २८५२-५३ २८७२
सड़क परिवहन विकास ३५८२
सहकारी समितियां और ठेकेदार ३५६३
द्विवेदी, श्री एम० एल०--(जारी)
के द्वार अनुपूरक प्रश्न--(जारी)
सोने का पकड़ा जाना ३३७६
हिन्दी में तार ३५७७
हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड दिल्ली २८६६
हीरा २६४२-४३
हीरे तराशने के कारखाने ३२६६
हैलीकोप्टर ३००५
के द्वारा प्रश्न--
कांडला के पास तेलवाहक पोत में आग ३५८६-६०
नेपाल में विमान परिवहन सेवायें ३६११-१२
नेपाली विमान चालक ३६७४-७५
"राम पुनर्वर्णन" (रामा रिटोल्ड) ३३६२--६४
रेल डिब्बों का कारखाना ३६४४-४५
रेलगाड़ी दुर्घटना ३३११-१२
रेलवे अष्टाचार जांच समिति ३२४६-५०
विदेशी पार्सल ३६७३-७४
शिक्षा पर बालबोध की रिपोर्ट २८६४--६८
सार्वजनिक सड़कों का बन्द किया जाना ३४३०-३१

ध

धनवाद--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
औद्योगिक न्यायाधिकरण, --- का पंचाट ३५७८-८०
औद्योगिक न्यायाधिकरण पंचाट, -- ३६६१

धनबाद--(जारी)

के सम्बंध में प्रश्न--(जारी)

कोयला खान श्रम कल्याण निधि २८३९-४०

राष्ट्रीय खनन गवेषणा संस्था ३४४६-४७

धर्म प्रचार--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अमरीकी नागरिक २८८९--९१

विदेशी धर्म प्रचारक ३११५--१८

धर्मकोट (कांगड़ा जिला)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

चूने के पत्थर के निक्षेप २९०३

धर्मनगर (त्रिपुरा)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

त्रिदलीय करार २८०७

धर्मशाला--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

यूरेनियम निक्षेप ३५२३-२४

धर्मस्व और न्यास--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

धर्मस्व और न्यास ३५०२-०३

धुलेकर, श्री--

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--

आयकर अपीलें २८८२

कुंजरू समिति का प्रतिवेदन ३४०२

धूमन संयंत्र--

के सम्बंध में प्रश्न--(जारी)

धूमन संयंत्र २८२३

धूसिया, श्री--

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--

सशस्त्र बलों के अफसर और जवान ३१०७

के द्वारा प्रश्न--

ब्रांच पोस्ट मास्टर २८४१

मैसूर में उद्योग २९६९

यात्रियों को सुविधायें ३३३०

यात्री सुविधायें ३६४८

विस्थापितों की यात्रा पर रुकावट ३२०४-०५

न

नई दिल्ली--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अधिग्रहण की गई इमारतें ३१९६-९७

आंधी की सूचना देने वाला रेडार (तेजोन्वेष) २८२५

केन्द्रीय तार कार्यालय, --- ३६६२

--- में भगवान बुद्ध का स्मारक ३४१५-१६

रेलवे क्वार्टर ३३३८

रेलवे बोर्ड के लिये नया भवन ३२८९-९०

सरकारी कर्मचारियों के लिये रहने के मकान ३२३०-३१

नगरपालिका (ओं)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

स्थानीय स्वायत्त शासन मंत्रियों का सम्मेलन ३०२९-३०

नगर स्वास्थ्य दल --

के सम्बन्ध में प्रश्न--

नगरस्वास्थ्य दल ३६२५-२६

नटेशन, श्री--

के द्वारा प्रश्न--

सैनिक पदाधिकारी ३४००

नदी (दियों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

--द्वारा परिवहन ३६२२

नदी घाटी परियोजना (ऐं)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

नदी घाटी परियोजना २९६६

-- के पुनरीक्षित प्राक्कलन ३४५९--६१

-- के लिये इंजीनियर ३१९९--३२००

--में ट्रैक्टरों का प्रयोग २७६९-७०

नमक--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

नमक ३५१९-२०

पहाड़ी (सेंधा) -- ३५३८

नमूना मेला--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

मिलान का -- ३५३४-३५

नम्बियार, श्री--

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--

कनिष्ठ आयुक्त पदाधिकारियों और सामान्य सैनिकों का वेतन ३३७५

सेना में सेवा ३३६६

नरसिंहन, श्री सी० आर०--

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--

पुनर्वास वित्त प्रशासन ३६०२,३६०३

के द्वारा प्रश्न--

राष्ट्रीय खान गवेषणा संस्था ३४४६-४७

नरसिंहम्, श्री एस० वी० एल०--

के द्वारा प्रश्न--

आकाशवाणी केन्द्र, विजयवाड़ा ३२१३

भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, १९३३ ३२७७-७८

शुष्क बैटरियां ३१९५

नर्मदा नदी--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

--पर पुल २८३३

नल--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

छपरा रेलवे स्टेशन ३०७८-७९

नल कूप--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

नल-कूप ३३१६-१७, ३३२२-२३

नागपुर--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

वायु दुर्घटनायें ३२९५

नाट्य कला--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

स्कूलों में -- ३४०४

नानादास, श्री—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

खाद्यान्नों पर नियंत्रण ३२५३

नाभिकीय विज्ञान—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

नाभिकीय विज्ञान २९९५

नाभिकीय शक्ति पर पुस्तकें ३५३०

नायर, श्री वी० पी०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

अम्बरनाथ का मूलरूप मशीनी औजार निर्माण कारखाना ३१०९

कर्मचारी लाभ निधि ३२५६–५७

खनिज संसाधनों का विकास ३१२८

टायर-निर्माता समवाय ३४८९

परिवार आयोजन ३५७०

ब्रह्मा को ऋण ३५९९

लेकोडाइब और मिनिकोए द्वीप ३१३७

संगीत नाटक अकादमी ३१३३

के द्वारा प्रश्न—

आयात नीति २९७३–७४

पश्चिम तटीय पत्तन २८११

भारत के पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी ३४०७

लिगनाइट ३१०३-०४

लैमन ग्रास तेल २९६७–६८

विनय नगर के क्वार्टरों में पशु बांधने के स्थान ३५३६

संगीत नाटक अकादमी ३३९७

नाविक (कों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

नाविक ३७२९–३०

— के लिये चिकित्सा सुविधायें २८३४

नाहर कटिया—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— में तेल की खोज ३३५४–५५

निकल—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— के सिक्के २९०४–०५

निक्षेप—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कोयले के — २८६०—६२

निजामाबाद—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मध्य रेलवे पर प्लेटफार्म ३०६९

नियुक्ति (यां)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

केंद्रीय सचिवालय ३४३६—३८

दिल्ली सर्किल में — ३६२८

पहाड़ी आदिम जातियों के लिये पदों का रक्षण ३३९८–९९

रेलवे में भर्ती ३०४७

संघ लोक सेवा आयोग ३३८७—८९

निर्यात-पत्र कार्यालय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

निर्यात-पत्र कार्यालय ३५४९—५१

निर्मली—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलवे पुल ३०३८—४०

निर्माण--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

बाईसिकिल के पुर्जे ३२२२-२३
भारतीय वाद्ययन्त्र ३१७८-७९
रेल के इंजिन ३६५३
रेल के डिब्बे ३६५३-५४

निर्यात--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अभ्रक--संवर्धन परिषद् ३५०९
अयस्क २९८२-८३
अयस्कों (कच्ची धातुओं) का-- ३१९५-९६
कला संग्रह ३११९-२२
कृषि-पदार्थों का -- ३४८० -- ८२
काफी ३५२२
क्रोम अयस्क ३१७१--७३
गेहूं का चोकर २७६४--६६
चाय ३४४९-५०
टंगस्टन अयस्क २९०७-०८
पटशूली पौध का तेल ३०१६--१८
पशुओं का--२९८०
फलों के रस का ३५१६-१७
भारत-ईरानी व्यापार २९४३-४४
भारतीय कपड़े का--३५०३
भारतीय चलचित्र (--) २९७१-७२
मूंगफली का तेल और खली २९२६-२८
लौह अयस्क (लोहे की कच्ची धातु) का -- ३०५१
लोहा तथा मैंगनीज अयस्क २९२३--२५

निर्यात--

के सम्बन्ध में प्रश्न--(जारी)

शीरे का--३२२७
सूती कपड़ा २९५५-५६
सूती कपड़ा -- संवर्द्धन परिषद् ३२११

निर्यात उप-मुख्य नियन्त्रक--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अयस्क २९८२-८३

निर्यात की वस्तु (ओं)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

निर्यात की वस्तुओं के मूल्य ३२१०

निर्यात शुल्क--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

भारत का वैदेशिक व्यापार ३४७६--७७
मूंगफली का तेल और खली २९२६--२८

निर्वाचन (नों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

इम्फाल नगर कोष -- ३६५०-५१

निवृत्ति आयु--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

चिकित्सकीय कर्मचारी ३००१-०२

निवृत्ति वेतन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

भूतपूर्व सैनिकों को पेन्शनें ३०९७--९९
वृद्ध व्यक्तियों को--३५७२--७४

निष्क्रान्त सम्पत्ति--

के सम्बन्ध में प्रश्न --

निष्क्रांत सम्पत्तियां ३५०२

नीरा--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

नीरा का विक्रय ३०५०-५१

नेकोवाल सीमा दुर्घटना--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

नेकोवाल सीमा दुर्घटना ३२३१-३२

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ३४९२-९३

भाषणों के रेकार्ड ३४७७--७९

नेपाल--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

--के साथ व्यापार ३१६३--६५

--को सहायता ३४७२-७४

--में विमान दुर्घटना ३०५४

--में विमान पत्तन ३२१४--१५

--में विमान परिवहन सेवायें ३६११-१२

विमान दुर्घटना २७८७-८८

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में भारत की सदस्यता ३२८१--८५

नेपाली साम्यवादी संस्था--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

नेपाली साम्यवादी संस्थायें ३५२५

नेल्लोर--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

काजीपेट मचेरला--रेल सम्पर्क ३६२१-२२

नौकरी--(रियों)

क सम्बन्ध में प्रश्न--

नौकरी ३५१८

रूरकेला इस्पात संयंत्र ३५०६-०७

नौवहन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

नौवहन कर्मचारियों का प्रशिक्षण ३३०५-०६

--दुर्घटना ३००३-०४

--सांख्यकी ३२७९--८१

भारतीय -- २८२३

नौवहन सम्मेलन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

नौवहन सम्मेलन २८०६

नौसेना--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

प्रशिक्षण पोत--भद्रा ३३१८-१९

रक्षित तथा सहायक टुकड़ियां २८८३-८४

न्यायाधिकरण--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

औद्योगिक --, धनबाद का पंचाट ३५७८-८०

औद्योगिक -- पंचाट -- धनबाद ३६६१

औद्योगिक विवाद ३२५३-५४

न्यायाधीश (शों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

उच्च न्यायालय के -- ३४३१

न्यूटन-चिकली कोयला खान--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

-- दुर्घटना ३२९०

न्यूयार्क टाइम्स--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

विदेशी समाचारों का प्रकाशन ३६००-०१

प

पंच वर्षीय योजना--

के सम्बन्ध प्रश्न--

"अभाव क्षेत्रों" का सुधार २९४८-४९
आदिवासी क्षेत्रों में कुटीर उद्योग २९४९-५०
उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण २९५२--५४
जल-संभरण योजनायें ३०८२
डाक २७८०-८१
नई रेलवे लाइनें ३३४१
--प्रथम ९३७--३९, ३०८३
प्लेटफार्मों का ऊंचा किया जाना ३६२१
माध्यमिक शिक्षा आयोग २८८४--८७
स्थानीय स्वायत्त शासन मंत्रियों का सम्मेलन ३०२९-३०

पंच वर्षीय योजना, द्वितीय--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

आन्ध्र में पहाड़ी स्थानों का विकास ३४६९
उखाड़ी गई रेलवे लाइनों का पुनः बनाया जाना ३०१३-१४
कृषि कालेज ३०४४-४५

पंचवर्षीय योजना द्वितीय--(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न--(जारी)

कोयले का उत्पादन ३४६२-६३
चाय का उत्पादन २९७९-८०
छोटे पैमाने के उद्योग ३२०७-०८
तावा जल विद्युत परियोजना ३२१७
तूफान सम्बन्धी गोष्ठी ३०२०--२२
दीव-दासगांव रेल सम्पर्क ३०२८-२९
द्वितीय पंचवर्षीय योजना २५०८-०९, २९६०-६१, ३२१२
नई रेलवे लाइन ३६५५-५६
नदी घाटी परियोजनाओं में ट्रैक्टरों का प्रयोग २७६९-७०
परिवार आयोजन २८२८
प्लेटफार्मों का ऊंचा किया जाना ३६२१
भारतीय गांवों का परिवार सर्वेक्षण ३५०९-१०
राज्य व्यापार २९७३
रेलवे लाइनें ३०८६-८७
रेलवे स्टेशनों का सुधार ३०६१-६२
लिगनाइट ३१०३-०४
वंशधारा परियोजना ३४६३-६४
वृद्ध व्यक्तियों को निवृत्ति वेतन ३५७२--७४
शिक्षा पर बालोध की रिपोर्ट २८६४--६८
सड़कों का राजपथ के रूप में परिवर्तन ३२५४-५५
सर्किल के मुख्याधिकारियों का सम्मेलन ३२६०-६१
सहकारी आन्दोलन २८११-१२
सहकारी बीमा समितियां ३१२५
स्थानीय स्वायत्त शासन मंत्रियों का सम्मेलन ३०२९-३०
हरिजनों के लिये आवास योजना ३१६८-६९
हीरा २९४१--४३

पंचमढ़ी--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

शिक्षा का सैनिक स्कूल, — ३४३५–३६

पंचरत्न--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

जोगीघोपा--जल धारा ३३०२–०३

पंचाट--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

औद्योगिक न्यायाधिकरण, धनबाद का — ३५७८--८०

पंजाब--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां ३१४८–४९
औषधीय जड़ी बूटियां ३०८६
कुरुक्षेत्र में खुदाई ३३७५–७६
कृषि कालेज ३०४४–४५
केन्द्रीय सरकार के कार्यालय २९०६
खादी संस्थायें २९८५–८६
खाद्यान्नों का क्रय ३००५—०७
चीनी की मिलें २८१८
डेरागोपीपुर पुल ३६३६–३७
तम्बाकू उत्पादन शुल्क २९०६
नल-कूप ३३२२–२३
बिलासपुर विलय ३२१३–१४
सहकारी खेती ३२९४

पटना--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

ओरियन्टल पब्लिक (खुदा बख्श) लाइब्रेरी, — २८९९
नीरा का विक्रय ३०५०–५१

पटना--(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न--(जारी)

प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण २९३५—३७
भारतीय रेड क्रास सोसाइटी ३६१०–११
स्टीमर (वाष्पयान) सेवा ३०३१–३२

पटशूली पौध--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

— का तेल ३०१६—१८

पटसन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

— का उत्पादन ३२८५–८६
— की कीमत ३२२७–२८
— मिलों में वैज्ञानिकन ३५२३
बचे खुचे — और छड़ियों सम्बन्धी गवेषणा ३३०१–०२
भारत-पाकिस्तान व्यापार ३२०६

पटसन, कच्ची--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

— का मूल्य ३२९७—९९

पटसन के कारखाने--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

— की मशीनरी ३२०३

पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ--

के सम्बन्ध म प्रश्न--

भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के लिये भर्ती ३४१३–१४

पत्तन (नों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

नाविकों के लिये चिकित्सा सुविधायें २८३४

पत्तन (नों)--(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न--(जारी)

नौवहन सांख्यकी ३२७९--८१

पश्चिम तटीय -- २८११

पत्तन तथा नौवहन सांख्यकी समिति-

के सम्बन्ध में प्रश्न--

नौवहन सांख्यकी ३२७९--८१

पत्थर की खान (नें)---

के सम्बन्ध में प्रश्न--

दिल्ली राज्य में--३३४४

पदक(कों)-

के सम्बन्ध में प्रश्न--

पारितोषिक और ३३७९-८१

पदाधिकारी(रियों)---

के सम्बन्ध में प्रश्न--

आयुध--- (असैनिक) ३३६८-६९

उत्तर-पूर्वी सीमा अभिकरण ३४५०--५२

पदाली से बाहर गज़ेटिड अधिकारियों को खपाना ३३४३-४४

भारतीय पुलिस सेवा के -- ३३८९

भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा ३१५१

महिला-चिकित्सा-सेवा ३५८५--८७

राजकुमारी क्रीड़ा-शिक्षा योजना ३६५४-५५

रूस से प्रविधिक (टेक्निकल) सहायता ३५११

रेलवे लेखा विभाग ३०८२-८३

रोज़गार दफ्तर ३३३५

विशेष कार्य -- ३४३८-३९

शत्रु सम्पत्ति का कस्टोडियन २९३२--३४

पदाधिकारी (रियों)--(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न--(जारी)

श्रम कल्याण -- का सामाजिक कार्य प्रशिक्षण ३३०९

सोना ३१५०

देखिये "सैनिक पदाधिकारी (रयों)" भी

पन्ना---

के सम्बन्ध में प्रश्न--

--- में हीरे की खानें ३३८५-८६

हीरा २९४१--४३

परिवहन---

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अयस्कों का---२९८२, २९८३--८५, २९९६, ३५७४

एलोरा और अजन्ता की गुफायें २८१०-११

नदियों द्वारा -- ३६२२

--- सुविधाओं का अभाव २८०८

माल का --- ३०५३-५४

माल के---में विलम्ब ३०६७-६८

परिवार आयोजन---

के सम्बन्ध में प्रश्न--

परिवार आयोजन २८२८, ३५६८--७१

परिवार सर्वेक्षण---

के सम्बन्ध में प्रश्न--

भारतीय गांवों का --- ३५०९-१०

परीक्षा---

के सम्बन्ध में प्रश्न--

विदेशी भाषा स्कूल २८७९--८१

पर्यटक (कों)---

के सम्बन्ध में प्रश्न--

एलोरा और अजन्ता की गुफायें २८१०–११

पर्यटक यातायात---

के सम्बन्ध में प्रश्न--

पर्यटक यातायात ३२९६

पर्यटन उद्योग---

के सम्बन्ध में प्रश्न--

होटल उद्योग को सहायता ३५४६--४८

पर्यटन सूचनालय केन्द्र---

के सम्बन्ध में प्रश्न--

पर्यटन सूचनालय केन्द्र ३५६४

पलेजाघाट---

के सम्बन्ध में प्रश्न--

यात्री डिब्बे ३३१३–१४

पवन शक्ति संसाधन (नों)---

के सम्बन्ध में प्रश्न--

--- का विकास २८५९–६०

पशु (ओं)---

के सम्बन्ध में प्रश्न--

गायों का आयात ३२७२–७३

द्वि प्रयोजनीय ढोर ३०५७–५८

--- का निर्यात २९८०

--पर होने वाले अत्याचार के निवारण सम्बन्धी जांच समिति २७७७–७८

--- विकास ३५६६---६८

भारत के पेड़ पौधे तथा --- पक्षी ३४०७

विनय नगर के क्वार्टरों में --- बांधने के स्थान ३५३६

पशु चिकित्सा---

के सम्बन्ध में प्रश्न--

--- कालिज ३३१०

पशुओं पर होने वाले अत्याचार के निवारण सम्बन्धी जांच समिति---

के सम्बन्ध में प्रश्न--

पशुओं पर होने वाले अत्याचार के निवारण सम्बन्धी जांच समिति २७७७–७८

पश्चिमी बंगाल---

के सम्बन्ध में प्रश्न--

कुष्ट ३२९९

खाद्यान्नों का क्रय ३००५---०७

ग्राम विनिमय योजना ३५०४–०५

द्वितीय पंचवर्षीय योजना २९६०–६१

निर्ज्ञात-पत्र कार्यालय ३५४९---५१

--- को गेहूं और चावल का संभरण २७८६

--- में मलेरिया नियंत्रण एकक ३२५७–५८

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास ३५०३–०४

विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियां ३५३९

शंख उद्योग ३४६६---६८

सामाजिक विज्ञान गवेषणा केन्द्र ३४०१–०२

स्वास्थ्य अवस्था का सर्वेक्षण ३०३४–३५

पहाड़ी नमक---

के सम्बन्ध में प्रश्न--

पहाड़ी (सेंधा) नमक ३५३८

पहाड़ी स्थान (नों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आन्ध्र में — का विकास ३४६९

पांडिचेरी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पांडिचेरी २९९२–९३

पांड़े, श्री सी० ड़ी०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

दूर-संचार सेवायें ३२३८

नेपाल के साथ व्यापार ३१६५

बिना लाइसेंस के रेडियो सेट ३००९

विमान यात्रा भाड़े ३२५९

के द्वारा प्रश्न—

सार्वजनिक सड़कों का बन्द किया जाना ३४३०–३१

पाकिस्तान—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार २९६१

जूट उत्पादन ३०२४—२६

नमक ३५१९–२०

नकोवाल सीमा दुर्घटना ३२३१–३२

— की जेलों में भारतीय बन्दी ३४८२–८३

पुनर्वास वित्त प्रशासन ३१५६—५८

पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्ति ३५२७–२८

प्रविधिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना ३५३६–३७

प्रव्रजन ३२२३–२४

भारत—बाढ़ आयोग ३१७९–८०

भारत—व्यापार ३२०६

भूतपूर्व महिला-चिकित्सा-सेवा ३५८४

रेलवे कर्मचारी ३०६८–६९

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास ३५०३–०४

पाठशाला (एं)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

प्रारम्भिक — (हैदराबाद) २९०८

पानीपत—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कुटीर उद्योग ३२२०–२१

पारिख, डा० जे० एन०—

के द्वारा प्रश्न—

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में भारत की सदस्यता ३२८१—८५

पारितोषक (कों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— और पदक ३३७९—८१

पार्सल—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलवे स्टेशन ३६६३

पार्सल, विदेशी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

विदेशी पार्सल ३६७३–७४

पालचौधरी, श्रीमती इला—

के द्वारा प्रश्न—

अंदमान द्वीपों में विस्थापित व्यक्तियों का बसना ३४०२–०३

एच० टी०—२ विमान ३१३७–३८

कर्मचारी राज्य बीमा योजना २८४१

चीनी की मिलें ३३२२

नीरा का विक्रय ३०५०–५१

पटसन के कारखाने की मशीनरी ३२०३

पालचौधरी, श्रीमती इला—(जारी)

के द्वारा प्रश्न—(जारी)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल ३१३०–३१
रेलवे की आय ३२८७–८८
विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास ३५०३–०४
हिन्दुस्तान एअर क्राफ्ट लिमिटेड ३१३३–३४

पिछड़े वर्ग (गों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

छात्रवृत्तियां देने के लिये बोर्ड २९०९–१०
— के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां २९००–०१

पिल्ले, श्री थानू—

के द्वारा प्रश्न—

दिल्ली सर्किल में नियुक्तियां ३६२८
नई रेलवे लाइन ३६६५
मानापद पुल ३६६५–६६
मालडिब्बों का संभरण ३२९१–९२

पुनर्निर्माण तथा विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक २९१३

पुनर्वास—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अंदमान द्वीपों में विस्थापित व्यक्तियों का बसना ३४०२–०३
पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्ति ३५२७–२८
भूतपूर्व सैनिक ३४२७
भूतपूर्व सैनिकों का — ३४३२

पुनर्वास—(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

भूमि-विहीन श्रमिकों का बसाया जाना २७६६–६७
विस्थापित व्यक्तियों का — ३५०३–०४
विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियां ३५३९

पुनर्वास वित्त प्रशासन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पुनर्वास वित्त मंत्रालय ३१५६—५८, ३६०१—०३

पुन्नूस, श्री—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

राज्य पुनर्गठन आयोग ३६८४

के द्वारा प्रश्न—

पश्चिम तटीय पत्तन २८११
लैमन ग्रांस तल २९६७–६८

पुरातत्व विभाग—

क सम्बन्ध में प्रश्न—

कुरुक्षेत्र में खुदाई ३३७५–७६

पुर्तगाली भाषा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— में प्रसारण २९४४—४६

पुल (लों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अनन्तपुर के निकट ऊपरी — ३६०९
ऊपरी — ३३१६
डेरागोपीपुर — ३६३६–३७
नर्मदा पर —२८३३
— के लिये बिहार को ऋण ३३०६
भोराली नदी पर — ३०५६
महानदी का — ३३००
महानन्द — ३६०७
माद्री नदी पर — ३३४०–४१

पुल, मानापद—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मानापद पुल ३६६५–६६

पुलिस—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी ३३८९

भ्रष्टाचार के मामले ३०८८

सीमान्त सुरक्षा — २८७४–७५

पुलिस अधिकारी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बिना टिकट यात्रा ३६७१

पुलिस चौकियां—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पुलिस की चौकियां ३१४१–४२

पुलिस पदक—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पुलिस पदक ३१५३

पुस्तक (कों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

नाभिकीय शक्ति पर — ३५३०

— का उपहार ३१४०

भारतीय औषधीय पौधों की शब्दावली ३४३६

पुस्तकालय (यों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

ओरियन्टल पब्लिक (खुदा बख्श) लाइब्रेरी, पटना २८९९

संगीत नाटक अकादमी ३३९७

पूंजी—

देखिये "विदेशी पूंजी"

पूना गवेषणा केन्द्र—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कोसी परियोजना ३१७३—७५

पूर्व एशिया—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— का समस्याओं पर चर्चा करने का सम्मेलन ३४९९–३५००

पेट्रोल—

क सम्बन्ध में प्रश्न—

केन्द्रीय — उपकर निधि २८१२

बीकानेर रेलवे स्टेशन ३०१९–२०

हवाई जहाज के — सम्बन्धी वापसी के दावे ३१४४

पैट्रोलियम—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

खनिज तेल २८७५—७७

पेड़ पौधा (धों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भारत के — पौधे तथा पशु पक्षी ३४०७

पोर्ट बिलेयर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— की विभाग सेवा ३३४८

पोस्टकार्ड—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

स्थानीय ३५८२–८३

पौधा (धे)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भारतीय औषधीय—की शब्दावली ३४३६

प्रकाशन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

-- का पुनः मुद्रण ३२२४

सरकारी -- ३२०५

प्रतिकर--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

विमान समवायों को -- ३२६३--६५

प्रशिक्षण पोत--"भद्रा"--

देखिये "जलपोत"

प्रतिनिधि मंडल--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

चीन को भारतीय विद्यार्थियों का -- २८७७--७८

प्रदर्शन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

वृत्त चित्र तथा समाचार चित्र ३५२८--२९

प्रदर्शनी--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

मास्को में भारतीय दस्तकारियों की -- ३२१४

प्रधान मंत्री राष्ट्रीय सहायता निधि--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय सहायता निधि ३५३३--३४

प्रभाकर, श्री नवल--

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी २८७२

स्वविवेक के अनुदान ३०४२

प्रभाकर, श्री नवल--(जारी)

के द्वारा प्रश्न--

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां ३४०५--०६

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन ३००९--१०, ३०३७--३८

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन (काम करने के घंटे) ३३४२

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन (चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें) ३२७४--७५

केन्द्रीय ट्रक्टर संगठन प्रशिक्षण योजना ३३०३--०४

केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का नोटिस ३६२७--२८

प्रमाण पत्र(त्रों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

बड़ौदा कला भवन प्रौद्योगिक केन्द्र ३३५९--६१

राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली उपाधियां ३३८१--८३

प्रयोगशाला(यें), सरकारी--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

भेषज ३१६५--६७

प्रलेखीय चलचित्र--

देखिये "चलचित्र(त्रों)"

प्रविधिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

प्रविधिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना ३५३६--३७

प्रविधिक संस्था(ओं)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

टैक्निकल संस्थाओं को ऋण २९११

प्रव्रजन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

प्रव्रजन ३२२३–२४

प्रशिक्षण—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

उद्योग के भीतर — ३५६५–६६
केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन — योजना ३३०३–०४
छोटे पैमाने के उद्योग ३५२७
डाक्टरों का — ३६३०–३१
द्वितीय पंच वर्षीय योजना ३५०८–०९
नदी घाटी परियोजनाओं के लिये इंजीनियर ३१९९–३२००
नेपाली विमान चालक ३६७४–७५
नौवहन कर्मचारियों का — ३३०५–०६
भारतीय प्रशासन सेवा के प्रशिक्षणार्थियों के लिये समाज कल्याण पाठ्यक्रम ३३८३—८५
भारतीय वाद्ययन्त्र ३१७८–७९
मछली पकड़ने की नावों को चलाने का— २८२८
रक्षित बैंक ३१०१—०३
राइफल चलाना ३३५१–५२, ३३९६–९७
राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल ३११०—१२
व्यावहारिक औद्योगिक — ३४३३
व्यापारिक विमानों के चालकों का — ३६०५–०६
शिल्पिक सहायता योजनाओं के अन्तर्गत — ३१३९
शिशिक्षु अधिनियम, १८५०, ३५३४
श्रम कल्याण पदाधिकारियों का सामाजिक कार्य — ३३०९
श्रम पदाधिकारियों का — ३२९८

प्रशिक्षण केन्द्र—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कुम्भकारी —, रनीर बाजार ३१५०
डाक व तार — ३६५०
भिलाई का इस्पात का कारखाना ३४६४—६६
राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल ३१३०–३१
सामुदायिक परियोजनाओं के लिये — ३५२४

प्रशुल्क आयोग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मोटर गाड़ियों के टायर ३५२०–२१

प्रसारण—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पुर्तगाली भाषा में — २९४४—४६

प्राक्कलन समिति—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन ३०३७–३८
सिन्दरी फर्टिलाइज़र और कैमिकल्स लिमिटेड ३४७९–८०
हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री लिमिटेड ३५१३

प्राथमिकता आन्दोलन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

प्राथमिकता आन्दोलन ३३३३–३४

प्रादेशिक दावा कार्यालय, मुजफ्फरपुर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

प्रादेशिक दावा कार्यालय ३३२६–२७

प्रादेशिक पारपत्र कार्यालय, दिल्ली—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

प्रादेशिक पारपत्र कार्यालय, दिल्ली ३५३७

प्रादेशिक समाचार(रों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— का प्रसारण २९३५–३६

प्रादेशिक सेना—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
प्रादेशिक सेना २९१०–११

प्रविधिक सहायता—
देखिये "सहायता"

प्रेस, गवर्नमेन्ट आफ इंडिया—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
सरकारी आवास-स्थान २९३९–४०

प्रैस सूचना विभाग—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
प्रैस फोटो का वितरण २९७२–७३

प्लाईवुड—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— का यातायात ३५२१

प्लास्टिक—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— के ग्रामोफोन रेकार्ड ३१८०—८२

फ

फर्रुखाबाद—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— जिले में प्राप्त ऐतिहासिक वस्तुएं ३४०१

फलों का रस—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
फलों के रस का निर्यात ३५१६–१७

फसल(लों)
के सम्बन्ध में प्रश्न—
कम्पोस्ट खाद २८१५–१६
— का कीड़ों से बचाव २७९८, २८००
बिहार में सूखा की स्थिति ३२७५—७७
भोपाल में — को क्षति ३६०९–१०

फायरस्टोन कम्पनी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
टायर-निर्माता समवाय ३४८८—९०

फारवर्ड मार्केट कमीशन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
कपास में वायदा बाजार २९७५

फलोर मिल्स लिमिटेड हावड़ा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
ऋण सुविधायें ३०७०—७३

फुटबाल—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— स्टेडियम ३४१९

फोटो प्रैस—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— का वितरण २९७२–७३

फोर्ड फाऊंडेशन समिति—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रायपुर के लिये औद्योगिक योजना ३५१७

"फौना तथा फ्लौरा"—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— (प्राणि तथा परदय-जात) पर जर्मन टीम द्वारा गवेषणा ३४३२–३३

फ्राँस–

के सम्बन्ध में प्रश्न—

इंजिन, डिब्बे आदि ३०५५

सायगोन की घटना ३१७५–७६

फ्रोरूसगंज—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

उखाड़ी गई रेलवे लाइनों का पुनः बसाया जाना ३०१३–१४

ब

बंगलौर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

गुंटाकल — रेल सम्पर्क ३६२७

बिजली से चलने वाली बस सेवा ३४७०–७१

सैनिक पदाधिकारी ३४००

हिन्दुस्तान एअर क्राफ्ट लिमिटेड ३१३३–३४

बंगाल—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

तूफान सम्बन्धी गोष्ठी ३०२०—२२

बंगाली भाषा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

निर्वाचन-पत्र कार्यालय ३५४९—५१

बच्चों—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

दिल्ली में बाल अपचार ३४२२

विस्थापित व्यक्तियों को सहायता २९८५

बड़ौदा कला भवन प्रौद्योगिक केन्द्र—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बड़ौदा कला भवन प्रौद्योगिक केन्द्र ३३५९—६१

बद्रीनाथ—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

हैलीकोप्टर ३००४–०५

बनारस—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

माल के परिवहन में विलम्ब ३०६७–६८

बन्दी (न्दियों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पाकिस्तान की जेलों में भारतीय— ३४८२–८३

बन्दूक (कों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अनुज्ञप्ति प्राप्त — आदि २९०७

बम्बई—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अयस्कों का परिवहन २९८३–८४

अल्प-आय वर्ग आवास योजना ३१६१–६२

उपनगरीय मंत्रणा समिति २८२७

गाड़ी का पटरी से उतरना २८१५

गोआ ३५४०–४१

बम्बई--(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न--(जारी)

टेलीप्रिंटर (दूर-मुद्रण) ३०५२-५३

ट्राली बसें ३०१८

डाक कर्मचारियों की वर्दी ३३३४-३५

दीव-दासगांव रेल सम्पर्क ३०२८-२९

नौवहन सांख्यकी ३२७९--८१

रेल दुर्घटना ३०५४

विदेशी डाक ३२४५-४६

सिंचाई तथा विद्युत् परियोजनायें २९५७--५९

सीमा शुल्क समाहर्ता, कार्यालय -- ३४२४

सोने का पकड़ा जाना ३३७८-७९

हीरे तराशने के कारखाने ३२६८-६९

बम्बई पत्तन न्यास रेलवे--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

बम्बई पत्तन न्यास रेलवे ३०२३

बम्बई स्टीम नेविगेशन कम्पनी--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

नौवहन दुर्घटना ३००३-०४

बरबील (उड़ीसा)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

बरबील की रेलवे साइडिंग ३५५४--५७

बर्ड एण्ड कम्पनी, मैसर्स--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

बरबील की रेलवे साइडिंग ३५५४--५७

बर्मन, श्री--

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--

आयकर अपीलें २८८२

सस्त रेडियो सेट ३२०३

के द्वारा प्रश्न-

अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार २९६१

चाय का उत्पादन २९७९-८०

प्रथम पंचवर्षीय योजना २९३७--३९

बर्मा--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

दूर-संचार सेवायें ३२३७-३८

दोहरे कराधान से अनुतोष ३४२२-२३

-- ऋण ३४०६

भारत- -- सीमा पर आदिम-जातीय हलचल ३४९०--९२

भारत- -- सीमा रेखा ३४९०

बर्मा आयल कम्पनी--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

खनिज तेल २८७५--७७

बीकानेर रेलवे स्टेशन ३०१९-२०

बरूआ सुमेरपुर रेलवे स्टेशन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रेलगाड़ी का पटरी पर से उतर जाना २८१५

बसाखा सिंह वालैनबर्ग, मैसर्स--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड, दिल्ली २८९२--९७

बसु, श्री के० के०--

के द्वारा प्रश्न--

कोयला आयुक्त संगठन ३२०८

कोलार की सोने की खानों में हड़ताल ३३४५-४६

चाय बागानों में हड़तालें २८४८

न्यूटन-चिकली कोयला खान दुर्घटना ३२९०

बस्ती (स्तियां)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

गन्दी — का उठाया जाना २९७८

दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों की — २९५१–५२

सरकारी बस्तियों का नाम रखना २९७०

बहादुर सिंह, श्री—

के द्वारा प्रश्न—

रेलवे चिकित्सा सेवा २७९३—९५

बहुप्रयोजनीय स्कूल—

देखिये "विद्यालय"

बांकोरा कुष्ट केन्द्र—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कुष्ट ३२९९

बाड़ाजमदा बराबील क्षेत्र—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलवे साइडिंग ३६५७–५८

बाडुंग सम्मेलन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पूर्व तथा पश्चिम एशिया के साथ व्यापार २९३०—३२

बांदा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलगाड़ी का पटरी पर से उतर जाना २८१५

बांध—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

दामोदर घाटी परियोजना ३१६७–६८

माही नदी पर — ३२०७

बाईसिकिल के पुर्जे—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बाईसिकिल के पुर्जे ३२२२–२३

बाजार—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

शाहदरे में विस्थापित व्यक्ति मार्केट ३२१६–१७

बाड़ाबील (उड़ीसा)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—जोदा रेलवे लाइन २८०७

बाढ़—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आन्ध्र में — ३६७७

आसाम के लिये — सहायता ३३८९–९०

बाढ़ ३४०४–०५

बिहार में — २९६७

रक्षा सेनाओं द्वारा बचाव कार्यवाइयां ३४१२–१३

रेलवे पुल ३०३८—४०

बाढ़ आयोग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भारत-पाकिस्तान — ३१७९–८०

बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र (त्रों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

खाद्यान्नों पर नियंत्रण ३२५२–५३

— में खाद्यान्नों का मूल्य २७९०—९२

बाढ़ नियन्त्रण योजना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— (उत्तर प्रदेश) ३१९३—९५

बादामपहाड़—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

लौह अयस्क ३०७३–७४

बारबील की लौह-अयस्क खान---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

मैंगनीज़ की खानें (उड़ीसा) ३६११

बारीपाद---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

रैरांगपुर से डाक का यातायात ३३२८

बारूपाल, श्री पी० एल०---

के द्वारा प्रश्न---

जिप्सम की खानें (बीकानेर) ३३००-०१

ट्रेन सर्विस ३३३५-३६

ठेकेदारों के दावे ३२६५-६६

बीकानेर रेलवे स्टेशन ३०१९-२०

भारत सेवक समाज ३१८४-८५

सशस्त्र बलों में भर्ती ३११३

बालोघ की रिपोर्ट---

के सम्बन्ध में प्रश्न-

शिक्षा पर — २८६४—६८

बासप्पा, श्री—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न---

रेलवे लाइनों का सर्वेक्षण २७६२

सुपारी पर आयात शुल्क २८५६

बिजली बस सेवा—

के सम्बन्ध में प्रश्न---

बिजली से चलने वाली बस सेवा ३४७०-७१

बिजलीघर, आण्विक—

के सम्बन्ध में प्रश्न---

आण्विक बिजली घर ३१९१—९३

बिलासपुर—

के सम्बन्ध में प्रश्न---

अधिग्रहीत जमीनें २९११

— विलय ३२१३-१४

बिहार---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

अल्प आय वर्ग आवास योजना ३४५२—५४

उखाड़ी गई रेलवे लाइनों का पुनः बसाया जाना ३०१३-१४

काम दिलाऊ दफ्तरों में नाम दर्ज कराना २८१३-१४

केन्द्रीय सहकारी संगठन २८४२-४३

केन्द्रीय सहायता-प्राप्त सड़कें ३६६६

कोयले का निक्षेप २८६०—६२

कृषि कालेज ३०४४-४५

खेतों की चकबन्दी ३५१२

गंडक नदी पर बांध ३५३०-३१

छोटे पैमाने के उद्योग ३२०९

डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर ३२६६—६८

डालमियां नगर में मंत्रियों के दौरे ३५९०—९६

नल-कूप ३३२२-२३

नेपाली साम्यवादी संस्थायें ३५२५

पशु विकास ३५६६—६८

पुलों के लिये — को ऋण ३३०६

प्रादेशिक दावा कार्यालय ३३२६-२७

— में बाढ़ २९६७

— में सूखा की स्थिति ३२७५—७७

बुनियादी स्कूल ३०९४-९५

भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा ३१५१

महानन्द पुल ३६०७

शिकायतें ३६६४-६५

बिहार--(जारी)
के सम्बन्ध में प्रश्न--(जारी)
सम्पदा शुल्क ३१५५
सहकारी संस्था ३६२२-२३
सैनिक शिविर ३३६१--६३
स्टीमर (वाष्पयान) सेवा ३०३१-३२
हथकरघा उद्योग २९९०-९१

बिहार विद्यापीठ--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली उपाधियां ३३८१--८३

बी० सी० जी०--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
--के टीके ३६५९-६०

बीकानेर--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
जिप्सम की खानें, --३३००-०१
ट्रेन सर्विस ३३३५-३६
--रलवे स्टेशन ३०१९-२०

बीज(जों)--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
--के विकास के खेत ३३२३-२४

बीड़ी--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
मालगाड़ी के डिब्बों की कमी २७९५--९७

बीड़ी तम्बाकू विक्रेता संस्था, सागर (मध्य प्रदेश)--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
मालगाड़ी के डिब्बों की कमी २७९५--९७

बीना--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
--में दुर्घटना ३३०५

बीमा--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
डाकीय जीवन -- पालिसी ३६६८-६९

बीमा समवाय--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
अखिल भारतीय सहकारी बीमा समितियों का सम्मेलन ३४१७
सहकारी -- ३१२४-२५

बीरेनदत्त, श्री--
के द्वारा प्रश्न--
अल्प आय वर्ग की आवास योजना २९६४-६५
आदिवासियों का व्यवस्थापन २३९६
किराये के बकायों का परिहार ३६०३-०४
त्रिदलीय करार २८०७
त्रिपुरा की खानें २८९७-९८
त्रिपुरा में आदिम जाति-शिक्षा ३१९
भूतपूर्व सैनिक ३४२७

बुद्ध भगवान--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
नई दिल्ली में -- का स्मारक ३४१५-१६

बुनियादी स्कूल--
देखिये "विद्यालय(यों)"

बेतिया--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
--में टेलीफोन एक्सचेंज ३३४१-४२

बेरोजगारी--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
नौवहन कर्मचारियों का प्रशिक्षण ३३०५–०६
शिक्षितों में वेकारी ३१२२–२४

बैंक(कों)—
के सम्बन्ध म प्रश्न—
भोपाल शीष — ३४४०
राज्य सहकारी — ३४४८
शास्त्री पंचाट ३६६३

बैजोल--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
प्राप्ति संयंत्र ३२०८–०९

बैटरी(रियां)—
के सम्बन्ध में प्रश्न--
शुष्क बैटरियां ३१९५
सस्ते रेडियो सेट ३२०२–०३

बैनेट कोल मैन कम्पनी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
भारत इंश्योरेंस कम्पनी ३६८७—९४

बैल गाड़ी—
कें सम्बन्ध में प्रश्न—
बैल गाड़ी ३०७४

बोंगेगांव—
के सम्बन्ध में प्रश्न--
रेलवे लाइन का टूट जाना ३६५८–५९

बोगावत, श्री—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
आयकर अपीलें २८८२
सूती कपड़ा २९५६

बोगावत, श्री—(जारी)
के द्वारा अनुपूरब प्रश्न--(जारी)
हरिजनों के लिये आवास योजना ३१६९
के द्वारा प्रश्न—
भारत-सोवियत प्रविधिक सहायता २९२२
रायफल चलाना ३३९६–९७
सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाय २९५७–५९

बोतल(लों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न--
बोतलें २९८८–८९

बोनस—
के सन्बन्ध में प्रश्न—
डाकीय जीवन बीमा-पालिसी ३६६९

बोरकर, श्रीमती अनुसूयाबाई—
के द्वारा प्रश्न—
रेलवे कर्मचारियों को वर्दियां ३३३७

बोरी साफ करने की मशीन--
देखिये "मशीन"

बोस, श्री पी० सी०
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--
गिरुडीह की कोयले की खानों में छंटनी ३२७७
जल को मृदु बनाने के संयंत्र ३३६५
प्लास्टिक के ग्रामोफोन रिकार्ड ३१८२
रेलवे न्यायाधिकरण २७७६
लोहा तथा मैगनी ज. अयस्क २९२५
व्यापार विवाद ३४७२

बोस, श्री पी० सी०—

के द्वारा प्रश्न—

कराधान जांच आयोग ३२९५–९६

रेल पथों का टूट जाना ३२९३–९४

बौद्ध अवशेष—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सालिहुन्दर में — ३४१०

ब्रह्मा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— को ऋण ३५९७–९९

ब्रांच पोस्ट मास्टर—

देखिये "कर्मचारी"

ब्रिटेन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

पूर्व तथा पश्चिम एशिया के साथ व्यापार २९३०—३२

भारतीय उच्च आयोग, लन्दन २८८७—८९

व्यापार विवाद ३४७१–७२

श्रम पदाधिकारियों का प्रशिक्षण ३२९८

ब्रेली जंकशन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

राष्ट्रीय ध्वज ३३३३

ब्लाटिंग पेपर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कागज ३१६२–६३

भ

भंगी (गियों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

शिक्षा का सैनिक स्कूल, घंचमढ़ी ३४३५–३६

भंडार—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

उड़ीसा में केन्द्रीय गोदाम ३६५२

गोदाम २८२४

चीनी के सम्बन्ध में नीति ३६१२

भक्त दर्शन, श्री—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

कैन्टीन स्टोर विभाग ३३७३

चीन को भारतीय विद्यार्थियों का प्रतिनिधिमंडल २८७७–७८

छावनी क्षेत्रों की भूमि ३३६४

डाकू २७८१

विदेशी भाषा स्कूल २८८१

विश्वविद्यालयों में सैन्य शिक्षा ३११०

सिक्किम-तिब्बत सड़क ३०१४–१५

सीमान्त सुरक्षा पुलिस २८७५

के द्वारा प्रश्न—

आउट एजेन्सियां ३०६४

उत्तर प्रदेश की सीमा पर बन लगाया जाना २७८८—९०

कामेट और एबी गेमिन चोंटियां ३४११–१२

गढ़वाल में कोयले के डिपोजिट ३११८–१९

पवन शक्ति संसोधनों का विकास २८५९–६०

प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय सहायता निधि ३४३३–३४

भूतपूर्व सैनिकों को पैन्शनें ३०९७—९९

राइफल चलाना ३३५१—५२

भक्त दर्शन, श्री–(जारी)
के द्वारा प्रश्न–(जारी)
रूपकुंड में मानवीय ठठरियां ३४१९–१०
रेल दुर्घटना ३२९३
शासकीय (आफीशियल) यात्रा संगठन का सम्मेलन ३०४२—४४
सेना के इंजीनियर्स ३४२५–२६
होटल उद्योग को सहायता ३५४६—४८
हैलीकोप्टर ३००४–०५

भत्ता(त्ते)—
के सम्बन्ध में प्रश्न--
जम्मू और काश्मीर में सैनिक कर्मचारी ३३९५–९६
भारतीय भू परिमाप विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ३४४१–४२
सशस्त्र बलों के अफसर और जवान ३१०६–०७

"भद्रा"—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
प्रशिक्षण पोत — ३३१८–१९

भद्राचलम रोड रेलवे स्टेशन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेलवे साइडिंग २८१६–१७

भर्ती—
के सम्बन्ध में प्रश्न--
काम दिलाऊ दफ्तर ३२३९—४१
गोदी मजूरों की — ३२८८
भिलाई का इस्पात का कारखाना ३४६४—६६
लेडी हार्डिंग मैडीकल कालिज ३३४५
सशस्त्र बलों में — ३११३
हवाई बेड़ों में कर्मचारियों की — ३४००–०१

भवन(नों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न--
खजुराहों में संग्रहालय ३३७७–७८

भाखड़ा नंगल परियोजना—
के सम्बन्ध में प्रश्न--
बिलासपुर विलय ३२१३–१४

भाखड़ा बांध—
के सम्बन्ध में प्रश्न--
भाखड़ा बांध २९१८—२०

भाग 'ग' राज्य—
देखिये "राज्य, भाग 'ग'"

भाड़ा—
के सम्बन्ध में प्रश्न--
वस्तु— दरें ३६०६
विमान यात्रा ३०४६
विमान यात्रा — ३२५९–६०
हैलीकोप्टर ३००४–०५

भारत-अमरीका शिल्पिक सहायता कार्यक्रम—
के सम्बन्ध में प्रश्न--
नल-कूप ३३२२–२३

भारत इंश्योरेंस कम्पनी—
के सम्बन्ध में प्रश्न--
भारत इंश्योरेंस कम्पनी ३६८७—९४

भारत का बैंक—
के सम्बन्ध में प्रश्न--
रिज़र्व बैंक आफ इंडिया ३३५६–५७

भारत चीन विमान करार —
देखिये "समझौता (ते)"

भारत-पाकिस्तान समझौता—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

जूट की आवश्यकता ३४६९–७०
संयुक्त तथ्य निर्धारण आयोग २९६९–७०

भारत-फ्रांसीसी करार—

के सम्बन्ध में प्रश्न —

आयात अनुज्ञप्तियां ३४८५–८६
देखिये "समझौता" (भी)

भारत सेवक समाज—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भारत सेवक समाज ३१८४–८५

भारत-सोवियत प्रविधिक सहायता समझौता—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भारत-सोवियत प्रविधिक सहायता २९२२

भारतीय (यों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

चीन में — २९९१
मोरक्को में — २९५६–५७
विदेशी प्रेस ३२२५–२६
विदेशों में — विद्यार्थी ३१०४—०६, ३४०५
श्रीलंका में — २९७५–७६
समुद्रपार — के लिये हिन्दी शिक्षा ३४०६–०७

भारतीय उच्चायोग, लन्दन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भारतीय उच्चायोग, लन्दन ३२१९

भारतीय औषधीय पौधों की शब्दावली—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भारतीय औषधीय पौधों की शब्दावली ३४३६

भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बचे खुचे पटसन और छड़ियों सम्बन्धी गवेषणा ३३०१–०२

भारतीय कृषि गवेषणा संस्था—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कुदरू का पौधा ३०५८

भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—, १९३३ ३२७७–७८

भारतीय जापानी आयोग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

नेता जी की अस्थियां ३४९३—९८
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ३४९२–९३

भारतीय नौवहन समवाय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

नौवहन सम्मेलन २८०६

भारतीय पुलिस सेवा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आई० ए० एस०, आई० पी० एस० २८९९–२९००
— के पदाधिकारी ३३८९
भारतीय प्रशासन सेवा और — ३१५१

भारतीय पुलिस सेवा–(जारी)
के सम्बन्ध में प्रश्न–(जारी)
भारतीय प्रशासन सेवा और — के लिये भर्ती ३४१३–१४
भारतीय प्रशासन सेवा के प्रशिक्षणार्थियों के लिये समाज कल्याण पाठ्यक्रम ३३८३—८५

भारतीय प्रशासन सेवा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
आई० ए० एस०, आई० पी० एस० २८९९—२९००
— और भारतीय पुलिस सेवा ३१५१
— और भारतीय पुलिस सेवा के लिये भर्ती ३४१३–१४
— के प्रशिक्षणार्थियों के लिये समाज कल्याण पाठ्यक्रम ३३८३—८५

भारतीय भूतत्वीय परिमाप विभाग—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
गढ़वाल में कोयले के डिपोजिट ३११८–१९
निर्माण समिति ३४०३
— का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ ३४४२
— के कर्मचारी ३४४१
— के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ३४४०, ३४४१–४२, ३४४३

भारतीय राजदूत—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ३४९२—९८

भारतीय राजनयिक (कों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
भारतीय राजनयिक ३५२२–२३

भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
चीनी उद्योग ३३३६–३७

भारतीय विदेश सेवा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
भारतीय प्रशासन सेवा के प्रशिक्षणार्थियों के लिये समाज कल्याण पाठ्यक्रम ३३८३—८५

भार्गव, पंडित ठाकुर दास—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
आयकर अपीलें २८८३
माध्यमिक शिक्षा आयोग २८८६
युवक कृषिक क्लब ३५७२
राज्य पुनर्गठन आयोग ३६८३

भाषण (णों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— के रेकार्ड ३४७७—७९

भाषा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण २९५२—५४
पुर्तगाली — में प्रसारण २९४४—४६
प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण २९३५—३७
— सम्बन्धी सर्वेक्षण २८६८–६९

भाषा, पुर्तगाली—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— में प्रसारण २९४४—४६

भाषा, प्रादेशिक—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
हिन्दी में तार ३५७७–७८

भिलाई इस्पात कारखाना--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

भिलाई का इस्पात का कारखाना ३५१०

भीखा भाई, श्री--

के द्वारा प्रश्न--

नई रेलवे लाइनें ३३४१
माही नदी पर पुल ३३४०-४१
माही नदी पर बांध ३२०७
राष्ट्रीय राजपथ संख्या ८ ३२९१

भूदान आन्दोलन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

— सम्बन्धी फिल्म ३५१८-१९

भूमि--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अधिग्रहीत जमीनें २९११
किराये के बकायों का परिहार ३६०३-०४
गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में — का परिमाप ३६०४
छावनी क्षेत्रों की — ३३६३-६४
नेपाल को सहायता ३४७२—७४
सिंचाई की छोटी योजनायें ३५४१-४२
सैनिक शिविर ३३६१—६३

भूमि-परीक्षण-प्रयोग--

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कृषि गवेषणा कार्यक्रम ३३०१

भूमि-विहीन-श्रमिक--

देखिये "श्रमिक (कों)"

भूमि सुधार केन्द्रीय समिति--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

भूमि सुधार समिति ३५१०

भेषजिक--

देखिये "कम्पौंडर (रों)"

भोजडीह--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रेल पथों का टूट जाना ३२९३-९४

भोपाल--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

— में फसलों को क्षति ३६०९-१०

भोपाल शीर्ष बैंक--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

भोपाल शीर्ष बैंक ३४४०

भोराली नदी--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

पर पुल ३०

भ्रष्टाचार--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

आयात नीति २९७३-७४
— के मामले ३०८८, ३६३९-४०
रेलवे — जांच समिति ३२४९-५०
हवाई जहाज के पैट्रोल सम्बन्धी वापसी के दावे ३१४४

म

मंगलौर--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रेलवे लाइनों का सर्वेक्षण २७६१-६२

मंत्रणा समिति--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूहों के लिये — ३४१४-१५
रेलवे कर्मचारी ३०६९-७०

मंत्रालय (यों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

विशेष कार्य पदाधिकारी ३४३८–३९

मंत्रालय, वित्त—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

ग्राम विनिमिय योजना ३५०४–०५

मंत्रालय, सूचना और प्रसारण—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सूचना और प्रसारण मंत्रालय २९९३–९४

मंत्री (त्रियों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कराधान छूट ३४४४–४५

मंत्री, वाणिज्य तथा उद्योग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

डालमिया नगर में मंत्रियों के दौरे ३५९०—९६

मकान (नों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना ३०७४—७६

अधिग्रहण की गई इमारतें ३१९६–९७

अल्प-आय वर्ग आवास योजना ३१६१–६२

कर्मचारियों के क्वार्टरों में बरसातियों का निर्माण ३५३३

कर्मचारियों के क्वार्टरों में सुविधायें ३६३७–३८

मकान (नों)—(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

किंग्जवे कैम्प २९९८, ३१९०–९१

चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टर ३६३८–३९

डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर ३२६६—६८

तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर २८२०

यातायात नियम २७७२–७३

रेलवे कर्मचारी २८४९ ५०

रेलवे के कर्मचारी २८२६

रेलवे बोर्ड के लिये नया भवन ३२८९–९०

विनय नगर के क्वार्टरों में पशु बांधने के स्थान ३५३६

विस्थापित व्यक्तियों के क्वार्टर ३५३१–३२

विस्थापित व्यक्तियो के लिये — ३१५९–६०

सरकारी आवास-स्थान २९३९–४०

सरकारी कर्मचारियों के लिये आवास स्थान ३२१८

सरकारी कर्मचारियों के लिये रहने के — ३२३०–३१

सरकारी भूमि पर अनधिकृत — बनाना ३३१४–१५

हरिजनों के लिये आवास योजना ३१६८–६९

मक्का—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

हज यात्रा ३५२९–३०

मचेरला—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

काज़ीपेट० — नेल्लोर रेल सम्पर्क ३६२१–२२

मजूरी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अलग से कार्य कराने का पारिश्रमिक ३६३८

उचित — खण्ड ३३३४

मजूरी भुगतान अधिनियम—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मजूरी भुगतान अधिनियम, १९३६ ३२९२

मडुआडीह स्टेशन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

माल का ट्रांसशिपमेंट ३६०५

मतदान—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— सम्बन्धी सुविधायें ३४०९

मत्सय पालन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अफ्रीकी मछली का पालन ३३१०–११

मछली पकड़ने की नावों को चलाने का प्रशिक्षण २८२८

समुद्र के जीवित संसाधनों का संरक्षण ३३०६–०७

मद्रास—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अयस्कों का परिवहन २९८३—८५

अल्मोनियम कारखाना (–) ३५१४–१५

मद्रास (जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

उपनगरीय मंत्रणा समिति २८२७

खाद्य पदार्थों का वितरण २८०८–०९

ट्राली बसें ३०१८

दिल्ली सर्किल में नियुक्तियां ३६२८

पटशूली पौध का तेल ३०१६—१८

पश्चिम तटीय पत्तन २८११

भारतीय वाद्ययन्त्र ३१७८–७९

शंख उद्योग ३४६६—६८

हथकरघा उद्योग २९९०–९१

मध्य प्रदेश—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

ऊपरी पुल ३३१६

कृषि कालेज ३०४४–४५

तावा जल विद्युत परियोजना ३२१७

नल-कूप ३३१६–१७

महानदी का पुल ३३००

रायपुर के लिये औद्योगिक योजना ३५१७

राष्ट्रीय राजपथ, — ३६३७

रेलवे स्कूल ३०४८–४९

सड़कों का राजपथ के रूप में परिवर्तन ३२५४–५५

सिंचाई की छोटी योजनायें ३५४१–४२

मध्य भारत—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आदिवासी क्षेत्रों में कुटीर उद्योग २९४९–५०

खाद्यान्नों का क्रय ३००५—०७

चम्बल परियोजना ३२२८

मध्य भारत--(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

प्रविधिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना ३५३६–३७

भ्रष्टाचार के मामले ३०८८

— में केन्द्रीय कर २९१४—१६

मध्य रेलवे--

देखिये "रेलवे, मध्य"

मनिहारीघाट--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रेल गाड़ियों में स्थान ३५७५–७६

मनीपुर--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

पहाड़ी आदिम जातियों के लिये पदों का रक्षण ३३९८–९९

— के छात्रों को छात्रवृत्तियां ३४२९–३०

— में आदिम जातियां ३४२६–२७

मन्दिर (रों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

खजुराहों के — ३३९८

मयूरभंज--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

— लाइट रेलवे (छोटी लाइन) २८१४–१५

मलेरिया नियंत्रण एकक--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

पश्चिमी बंगाल में — ३२५७–५८

मशीनरी--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

पटसन के कारखाने की — ३२०३

बोरी साफ करने की मशीन ३०४०–४१

मशीनी औजार निर्माण कारखाना, अम्बरनाथ--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अम्बरनाथ का मूलरूप मशीनी औजार निर्माण कारखाना ३१०७--०९

महंगाई भत्ता--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

वेतन के साथ — का मिलाया जाना ३६७६–७७

देखिये "भत्ता (त्ते)" भी

महता, श्री बलवन्त सिंह--

के द्वारा प्रश्न--

कम्पोस्ट खाद २८१५–१६

यात्रियों की सुविधायें २८२६

रेलवे की ज़मीन २८२१–२२

महानन्द नदी--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

महानन्द पुल ३६०७

महाराजपुर--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

माल डिब्बों की पूर्ति ३३३९

रेलवे आउट एजेंसियां ३०८५–८६

महाराष्ट्र--

के सम्बन्ध में प्रश्न–

सिंचाई तथा विद्युत् परियोजनायें २९५७--५९

महाविद्यालय (यों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

उड़ीसा में शालिहोत्री कालेज ३६१४

कृषि कालिज ३०४४–४५

पशु चिकित्सा कालिज ३३१०

महिला (ओं)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
विस्थापित व्यक्तियों को सहायता २९८५
स्त्रियों को नौकर रखना ३०६३

महिला चिकित्सा-सेवा निधि, भूतपूर्व—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
भूतपूर्व महिला चिकित्सा-सेवा ३५८४

महिला चिकित्सा-सेवा, भूतपूर्व—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
महिला चिकित्सा-सेवा ३५८५—८७

महिला चिकित्सक (कों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
महिला चिकित्सा-सेवा ३५८५—८७

महोबा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
माल डिब्बों की पूर्ति ३३३९

मालवीय, श्री—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
रक्षित बैंक ३१०२
रिजर्व बैंक आफ इंडिया ३३५७
के द्वारा प्रश्न—
ज्योतिषीय भविष्यवाणी ३११२

मानसिंह, डाकू—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
उत्तर प्रदेश की सीमा पर वन लगाया जाना २७८८—९०
— को घेरना ३४३१

मानचित्र प्रकाशन निदेशालय—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— कर्मचारी ३४४२

मानामदुरा-टुटीकोरिन रेलवे लाइन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
नई रेलवे लाइन ३६६५

मालवा भील पल्टन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
मालवा भील पल्टन ३४३३—३४

मालवीय, पंडित सी० एन०—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
भूमि-विहीन श्रमिकों का बसाया जाना २७६७
हिन्दी में तार ३५७८
के द्वारा प्रश्न—
केन्द्रीय सचिवालय ३४३६—३८
भोपाल में फसलों को क्षति ३६०९—१०
भोपाल शीर्ष बैंक ३४४०

मालवीय, श्री मोती लाल—
के द्वारा प्रश्न—
किंग्जवे कैम्प २९९८, ३१९०—९१
खजुराहों में संग्रहालय ३३७७—७८
माल डिब्बों की पूर्ति ३३३९
यूरेनियम के डिपोज़िट २९४७—४८
रेलवे आउट एजेंसियां ३०८५—८६

मालाबार—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
लैकेडाइव और मिनिकोए द्वीप ३१३६—३७

महानदी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— का पुल ३३००
— पर पुल ३३४०—४१
— पर बांध ३२०७

मिट्टी संरक्षण योजना(यें)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मिट्टी संरक्षण योजनायें ३६१७–१८

मिनिकोए द्वीप—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

लैकेडाइव और — ३१३६–३७

मिलान—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— का नमूना मेला ३५३४–३५

मिलिटरी कालिज, देहरादून—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मिलिटरी कालिज, देहरादून २८७३

मिश्र, श्री एल० एन०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

अल्प आय वर्ग आवास योजना ३४५३

कच्ची पटसन का मूल्य ३१९८

जूट उत्पादन ३०२५

भारतीय प्रशासन सेवा के प्रशिक्षणार्थियों के लिये समाज कल्याण पाठ्यक्रम ३३८५

के द्वारा प्रश्न—

उखाड़ी गई रेलवे लाइनों का पुनः बसाया जाना ३०१३–१४

कटिहार-सोनपुर रेलवे लाइन ३०५५–५६

कोसी परियोजना ३१७३—७५

जूट की आवश्यकता ३४६९–७०

नदी घाटी परियोजना २९६६

परिवहन सुविधाओं का अभाव २८०८

प्रादेशिक दावा कार्यालय ३३२६–२७

माल के परिवहन में विलम्ब ३०६७–६८

मिश्र श्री एल० एन०—(जारी)

के द्वारा प्रश्न—(जारी)

मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन ३२५०–५२

राज्य व्यापार २९७३

रेलवे पुल ३०३८—४०

हिन्दुस्तान जहाज निर्माण कारखाना २९७७–७८]

मिश्र, श्री बी० एन०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन ३०१०

के द्वारा प्रश्न—

अमेरिका से उपहार पार्सल २७८३–८५

ट्राली बसें ३०१८

डाकू मानसिंह को घेरना ३४३१

प्लास्टिक के ग्रामोफोन रेकार्ड ३१८०—८२

राष्ट्रीय ध्वज ३३३३

सड़क परिवहन विकास ३५८०–८२

मिश्र, श्रीं विभूति—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

बुनियादी स्कूल ३०९५

यात्री सुविधायें २८०२

के द्वारा प्रश्न—

अखिल भारतीय महिला खाद्य परिषद् ३३२७

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूहों के लिये मंत्रणा समिति ३४१४–१५

कराधान जांच आयोग ३२९५–९६

खेतों में चकबन्दी ३५१२

गुड़ ३२२६–२७

गेहूं का चोकर २७६४—६६

गोदाम २८२४

चीनी की मिलें ३३२२

छोटे पैमाने के उद्योग २९८७–८८, ३२०९

जूट उत्पादन ३०२४—२६

नेपाल के साथ व्यापार ३१६३—६५

नेपाल को सहायता ३४७२—७४

मिश्र, श्री विभूति--(जारी)
के द्वारा प्रश्न--(जारी)
नेपाल में विमान पत्तन ३२१४-१५
नेपाली साम्यवादी संस्थायें ३५२५
पटसन की कीमत ३२२७-२८
फलों के रस का निर्यात ३५१६-१७
फसलों का कीड़ों से बचाव २७९८—२८००
बेतिया में टेलीफोन एक्सचेंज ३३४१-४२
रेलवे कर्मचारी २८४९-५०
वृद्ध व्यक्तियों को निवृत्ति वेतन ३५७२—७४
सड़क दुर्घटनायें ३०६२-६३
समुद्र के जीवित संसाधनों का संरक्षण ३३०६-०७
स्थानीय भिकाय ३२३८-३९
मिश्र, श्री वी०—
के द्वारा प्रश्न—
रेलवे कर्मचारी २८०९-१०
मीन क्षेत्र गवेषणा समिति—
के सम्बन्ध में प्रश्न--
अफ्रीकी मछली का पालन ३३१०-११
मुकर्जी, श्री एच० एन०--
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--
खजुराहों में संग्राहलय ३३७७
डालमियां नगर में मंत्रियों के दौरे ३५९२-९३
नेता जी की अस्थियां ३४९७, ३४९८
पारितोषिक और पदक ३३८१
राज्य पुनर्गठन आयोग ३६८५
राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली उपाधियां ३३८३
मुकर्जी, श्री एच० एन०--(जारी)
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--(जारी)
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता ३२८३-८४
सायगोन की घटना ३१७६
के० द्वारा प्रश्न--
ए० सी० विद्युत प्रणाली ३४७४—७६
कनिष्ट आयुक्त पदाधिकारियों और सामान्य सैनिकों का वेतन ३३७४-७५
कलकत्ता में टेलीफोनों का स्वयंचाली-करण २८२२-२३
चाय बागानों में हड़तालें २८४९
टेलीप्रिंटर (दूर मुद्रण) ३०५२-५३
पश्चिमी भारत की दियासलाई कम्पनी ३५११-१२
फुटबाल स्टेडियम ३४१९
भारतीय चल चित्र (निर्यात) २९७१-७२
राष्ट्रीय रसायनिक प्रयोगशाला ३१४७
रेलवे के कर्मचारी २८२६
लक्ष्मीपुर हाल्ट रेलवे स्टेशन २८१७
व्यापारिक विमानों के चालकों का प्रशिक्षण ३६०५—०६
संयुक्त राज्य गवेषणा परियोजनाएं ३४११
हवाई जहाज के पेट्रोल सम्बन्धी वापसी के दावे ३१४४
मुजफ्फरपुर--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
खतरे की जंजीर का सामान हटाया जाना ३२४१—४३
प्रादेशिक दावा कार्यालय ३३२६-२७
—रेलवे स्टेशन ३२५०—५२
रेलवे कर्मचारी २८४९—५०

मुद्रण—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

प्रकाशनों का पुनः — ३२२४

मुनिस्वामी, श्री—

के द्वारा प्रश्न—

हवाई बेड़ों में कर्मचारियों की भर्ती ३४००–०१

मुनिस्वामी, श्री एन० आर०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

आयात अनुज्ञप्तियां ३४८७–८८

ग्रामोद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग ३१७०–७१

मुरारका, श्री—

के द्वारा प्रश्न—

आय-कर विभाग के सालिसिटर ३१४५

मुसलमान (नों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

प्रव्रजन ३२२३–२४

मुहम्मद शफी, चौधरी—

के द्वारा प्रश्न—

अलग से कार्य कराने का पारिश्रमिक ३६३८

कर्मचारियों के क्वार्टरों में सुविधायें ३६३७–३८

चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टर ३६३८–३९

छावनी यातायात विनियम २९०९

जल प्रभार ३३१९–२०

जाली टिकट ३२४६–४७

तारों का पहुंचाया जाना ३०४५–४६

निष्क्रान्त सम्पत्तियां ३५०२

पुस्तकों का उपहार ३१४०

मुहम्मद शफी, चौधरी—(जारी)

के द्वारा प्रश्न—(जारी)

भारतीय टेलीफोन उद्योग २८३८–३९

मैटापन लाइन कैम्प, नई दिल्ली ३६७५–७६

रेलवे कर्मचारी ३०६९–७०, ३३३२–३३

विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों के लिये छात्रवृत्तियां ३१४६

श्रम न्यायाधिकारियों के समक्ष मामले ३६४२

मुहीउद्दीन, श्री—

के द्वारा प्रश्न—

भर्ती ३६६७

मूंगफली—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— का तेल और खली २९२६—२८

मूर्ति (यां)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मूर्तियां ३०९५—९७

मूर्त्ति, श्री बी० एस०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

आदिवासी क्षेत्रों में कुटीर उद्योग २९५०

करों का भुगतान २७८०

काम दिलाऊ दफ्तर ३५४४

खाद्यान्नों का क्रय ३००७

दिल्ली में विद्युत् संभरण ३१८४

पश्चिमी बंगाल में मलेरिया नियंत्रण एकक ३२५८

बुनियादी स्कूल ३०९५

मोरक्को में भारतीय २९५७

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी २८७२

मूर्ति, श्री बी० एस०—(जारी)

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—(जारी)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल ३१११
रेलवे में अपराध २७७२
वंशधारा परियोजना ३४६४
वृद्ध व्यक्तियों को निवृत्ति वेतन ३५७४
सहकारी समितियां और ठेकेदार ३५६२
स्वास्थ्य अवस्था का सर्वेक्षण ३०३५

के द्वारा प्रश्न—

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां ३३९०–९१
अस्पृश्यता सम्बन्धी चलचित्र ३५२०
आन्ध्र में चीनी सुविधायें ३६०८–०९
आन्ध्र में पहाड़ी स्थानों का विकास ३४६९
आन्ध्र में बाढ़ ३६७७
उत्तर रेलवे खोमचे वालों का संघ ३३३०–३१
काजीपेट-मचेरला-नेल्लोर रेल सम्पर्क ३६२१–२२
डाकू मानसिंह को घेरना ३४३१
दोहरे कराधान से अनुतोष ३४२२–२३
मोनाज़ाइट रेत २९५९–६०
श्री क्लीमेन्ट डी० जान्सटन २९३४–३५
सामुदायिक परियोजनाओं के लिये प्रशिक्षण केन्द्र ३५२४
सिगरेट के कारखाने ३५१६

मूल्य—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आयात अनुज्ञप्तियां ३४८६—८८
औषधियों का उपहार ३३२५
कच्ची पटसन का — ३२९७–९९

मूल्य—(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

गोले बारूद आदि का — ३३६९–७०
चावल के लिये — निर्धारण योजना ३६२३–२४
टायर-निर्माता समवाय ३४८८—९०
ट्रैक्टर २९७६–७७
निर्यात की वस्तुओं के — ३२१०
बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्नों का— २७९०—९२
बिहार में सूखा की स्थिति ३२७५—७७
मूंगफली का तेल और खली २९२६—२८
लोहा और इस्पात का — २९७१
शंखों का आयात २९७२
शत्रु सम्पत्ति का कस्टोडियन २९३२—३४

मूल्य संरक्षण योजना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

खाद्यान्नों का क्रय ३००५—०७

मृग-वन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मृग-वन ३६३२—३५

मृत्यु—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सड़क दुर्घटनायें ३०६२–६३

मेनन, श्री ओवरे—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

"रामपुनर्वणम" (रामा रिटोल्ड) ३३९२—९४

मेहता, श्री जे० आर०—

के द्वारा प्रश्न—

केन्द्रीय सेवायें २६११-१२

प्रव्रजन ३२२३-२४

मैंगनीज—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

माल गाड़ी के डिब्बों का संभरण ३०१०-१३

लोहा तथा—अयस्क २९२३-२५

मैंगनीज खान—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

औद्योगिक न्यायाधिकरण, धनवाद का पंचाट ३५७८-८०

मैंगनीज की खानें (उड़ीसा) ३६११

मैटापन लाइन कैम्प, नई दिल्ली—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मैटापन लाइन कैम्प, नई दिल्ली ३६७५-७६

मैसूर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

उच्च न्यायलय के न्यायाधीश ३४३१

कृषि कालेज ३०४४-४५

कोलार की सोने की खानें ३३६४-६५

कोलार स्वर्ण क्षेत्र ३४३४

पटशूली पौध का तेल ३०१६-१८

बिजली से चलने वाली बस सेवा ३४७०-७१

—में उद्योग २६६६

रेल के डिब्बे ३६५३-५४

मोकामह घाट—

के सम्बन्ध म प्रश्न—

रेलवे की एक बड़ी नौका का डूबना ३०२७-२८

मोटर टायर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मोटर गाड़ियों के टायर ३५२०-२१

—की कम्पनियां ३५१६, ३५३६-४०

मोनाज़ाइट रेत—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मोनाज़ाइट रेत २६५६-६०

मोरक्को—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—में भारतीय २६५६-५७

मोरे, श्री एस० एस०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

भारत इंश्योरेंस कम्पनी ३६६०

राज्य-पुनर्गठन आयोग ३६८४

मोहुदा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेल पथों का टूट जाना ३२६३-६४

य

यातायात—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

तीर्थयात्री—२६६५-६६

नदियों द्वारा परिवहन ३६२२

सड़क परिवहन विकास ३५८०-८२

यातायात नियम—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

यातायात नियम २७७२-७३

यात्री (त्रियों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

छपरा रेलवे स्टेशन २८४३–४४

तीर्थयात्री यातायात २९९५–९६

यात्री सुविधा समिति—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

यात्री सुविधा समिति ३३४४

यद्धबन्दी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कोरिया के — ३५००—०२

युवक समारोह—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अन्तर्विश्वविद्यालय — ३४०३–०४

अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह,—

के सम्बन्ध में प्रश्न —

अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह ३४०३–०४

यूरेनियम—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आण्विक बिजली घर ३१९१—९३

—के डिपोजिट २९४७–४८

युरेनियम निक्षेप—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

यूरेनियम निक्षेप ३५२३–२४

योजना आयोग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कल्याण विस्तार परियोजना ३३६७–६८

द्वितीय पंचवर्षीय योजना २९६०–६१, ३५०८–०९

स्थानीय स्वायत्त शासन मंत्रियों का सम्मेलन ३०२९–३०

र

रंगाई—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कुटीर तथा ग्रामोद्योग ३५०७–०८

रक्त चाप

देखिये "रोग"

रघुनाथ सिंह, श्री—

के द्वारा प्रश्न—

अमरीका द्वारा लगायी गयी पूंजी ३४४३–४४

अमरीकी नागरिक २८८९—९१

इंजिन, डिब्बे आदि ३०५५

औद्योगिक सम्पदायें ३२०९–१०

जंजीर का खींचा जाना ३०५७

ज्योतिष शास्त्र ३०३६–३७

टेल्को २८२१, ३०७८, ३२८९

तांबे के तार की चोरी ३३२०–२१

पशुओं का निर्यात २९८०

बिना टिकट यात्रा २८३९

भूमि के अन्दर सुरंग २९०८–०९

रेल के इंजिन ३६५३

रेल दुर्घटना ३६३१–३२

रेलवे की अनाज की दुकान ३०८०

रेलवे स्लीपर (शहतीरें) ३६२०

वस्तु-भाड़ा दरें ३६०६

वायु दुर्घटनायें ३०९९—३१०१

विमान दुर्घटना २७८२—८८

सड़क दुर्घटनायें ३०६२–६३

हज यात्रा ३५२९–३०

रघुरामैया, श्री—

के द्वारा प्रश्न—

राज्य-पुनर्गठन आयोग ३६७९—८७

रघुवीर सिंह, श्री––

के द्वारा प्रश्न––

नौवहन दुर्घटना ३०३–०४

रणदमन सिंह, श्री––

के द्वारा प्रश्न––

कागज का कारखाना ३२२४–२५

रतलाम––

के सम्बन्ध में प्रश्न––

मजिस्ट्रेट की नियुक्ति ३०८८–८९

रेलगाड़ी दुर्घटना ३३११–१२

रेलवे कर्मचारी ३८०८

रनीर बाजार–

के सम्बन्ध में प्रश्न––

कुम्भकारी प्रशिक्षण केन्द्र––३१५०

रांगिया (आसाम) ––

के सम्बन्ध में प्रश्न––

बुकिंग का रोका जाना ३६६०–६१

रांची (बिहार)––

के सम्बन्ध में प्रश्न––

तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर २८२०

राइफल (लों)––

के सम्बन्ध में प्रश्न––

–– चलाना ३३५१–५२, ३३९६–९७

राइफल संस्था (एं)––

के सम्बन्ध में प्रश्न––

राइफल संस्थायें ३४०८

राघवाचारी, श्री––

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न––

संघ लोक सेवा आयोग ३३८८

राघवैया, श्री––

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न––

हैदराबाद स्थित सोने की खानें ३५५९, ३५६०

के द्वारा प्रश्न––

रेलों पर दूध का संभरण ३६३५

राजकुमारी क्रीड़ा-शिक्षा योजना––

के सम्बन्ध में प्रश्न––

राजकुमारी क्रीड़ा-शिक्षा योजना ३६५४–५५

राजकोट-सूरत-खारनगर रेलवे लाइन––

के सम्बन्ध में प्रश्न––

रेल दुर्घटना ३६३१–३२

राजनैतिक शरण––

के सम्बन्ध में प्रश्न––

राजनैतिक शरण ३२२६

राजपुरा बिस्कुट फैक्टरी, पेपर ––

के सम्बन्ध में प्रश्न––

संयुक्त संघ समवाय (ज्वायंट स्टाक कम्पनियां) ३४२१–२२

राजभोज, श्री पी० एन०––

के द्वारा प्रश्न––

वृत्त चित्र तथा समाचार चित्र ३५२८–२९

राजस्थान--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

उत्तर प्रदेश की सीमा पर वन लगाया जाना २७८८-९०

नई रेलवे लाइनें ३३४१

माही नदी पर पुल ३३४०-४१

माही नदी पर बांध ३२०७

मृग-बन ३६३२-३५

स्थानीय निकाय ३२३८-३९

राजस्व--

देखिये "आय"

राज्य (ज्यों)-

के सम्बन्ध में प्रश्न--

आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न २८०६

पटसन का उत्पादन ३२८५-८६

परिवहन सुविधाओं का अभाव २८०८

पशु चिकित्सा कालिज ३३१०

बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्नों का मूल्य २७९०-९२

मृग वन ३६३२-३५

शिशु कल्याण २७९७-९८

राज्य पुनर्गठन आयोग--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

द्वितीय पंचवर्षीय योजना ३२१२

राज्य-पुनर्गठन आयोग ३६७९-८७

राज्य पुनर्संगठन आयोग ३११३-१५

राज्य भाग 'ग'--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

भाग 'ग' राज्य ३३७१-७२

राज्य सरकारी बैंक--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

राज्य सहकारी बैंक ३४४८

राज्यकोष--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

लेखे तैयार करने और--में सुधार ३४१७--१९

राधा रमण, श्री--

के द्वारा प्रश्न--

अन्धों के लिये छात्रवृत्तियां ३४१६-१७

आग बुझाने की केन्द्रीय संस्था ३१४६

कनाट प्लेस में विस्फोट ३४०८-०९

गांधी दर्शन शास्त्र ३४३९

चावल के लिये मूल्य निर्धारण योजना ३६२३-२४

चीनी साफ करने के कारखाने २९९९-३०००

दिल्ली में देहातों का विद्युतीकरण २९६२

दिल्ली में विद्युत संभरण ३१८२-८४

दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियां २९५१-५२

दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें ३३२०

दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार ३२९९-३३००

पशु चिकित्सा कालिज ३३१०

पशु विकास ३५६६-६८

पहाड़ी (सेंधा) नमक ३५३८

प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय सहायता निधि ३५३३-३४

प्रविधिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना ३५३६-३७

भाग 'ग' राज्य ३३७१-७२

राधा रमण, श्री--(जारी)

के द्वारा प्रश्न--(जारी)

भारतीय रेड क्रास सोसाइटी ३६६१-६२
भूतपूर्व सैनिक ३६७८
भूदान आन्दोलन सम्बन्धी फिल्म ३५१८-१९
मास्को में भारतीय दस्तकारियों की प्रदर्शनी ३२१४
रूस से प्राविधिक (टेक्निकल) सहायता ३५११
रेलवे बोर्ड के लिये नया भवन ३२८९-९०
व्यापार विवाद ३४७१-७२
शाहदरे में विस्थापित व्यक्ति मार्केट ३२१६-१७
श्री लंका में भारतीय २९७५-७६
हिन्दी अध्यापक ३४३९

राधोपुर---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

उखाड़ी गई रेलवे लाइनों का बसाया जाना ३०१३-१४

रानीखेत---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

सार्वजनिक सड़कों का बन्द किया जाना ३४३०-३१

राप्ती नदी---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

बाढ़ नियन्त्रण योजनायें उत्तर प्रदेश ३१९३-९५

रामदास, श्री---

के द्वारा प्रश्न---

केन्टीन स्टोर विभाग ३३७२-७३
सरकारी कर्मचारियों के लिये रहने के मकान ३२३०-३१

"राम पुनर्वर्णत"---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

(रामा रिटोल्ड) ३३९२-९४

राम शंकर लाल, श्री-

के द्वारा प्रश्न---

कुरुक्षेत्र में खुदाई ३३७५-७६
चीन को भारतीय विद्यार्थियों का प्रतिनिधि मंडल २८७७-७८
बाढ़ नियंत्रण योजनायें (उत्तर प्रदेश) ३१९३-९५

राम सुभग सिंह, डा०-

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न---

असैनिक स्कूल मास्टर २८७०
कृषि पदार्थों का निर्यात ३४८२
गोआ के सत्याग्रही ३१८८
डालमियां नगर में मन्त्रियों के दौरे ३५९३
दामोदर घाटी परियोजना ३४५७
पशु विकास ३५६८
प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण २९३६
बाढ़ नियंत्रण योजनायें (उत्तर प्रदेश) ३१९४
भारत सेवक समाज ३१८५
राज्य-पुनर्गठन आयोग ३६८३
रेडियो गवेषणा समिति ३३५०
सैनिक शिविर ३३६२

के द्वारा प्रश्न---

आग बुझाने की केन्द्रीय संस्था ३१४६
खादी हुण्डियां ३५१२-१३
गवेषणा छात्रवृत्तियां ३१४०-४१
गोआ ३५४०-४१
चावल बैंक २७७६-७७

राम सुभग सिंह डा०—(जारी)

के द्वारा प्रश्न —(जारी)

नई दिल्ली में भगवान बुद्ध का स्मारक ३४१५–१६

नेता जी की अस्थियां ३४९३—९८

प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय सहायता निधि ३५३३–३४

बिहार में सूखा की स्थिति ३२७५–७७

भारत-पाकिस्तान बाढ़ आयोग ३१७९–८०

भारतीय प्रशासन सेवा के प्रशिक्षणार्थियों के लिये समाज कल्याण पाठ्यक्रम ३३८३—८५

मिट्टी संरक्षण योजनायें ३६१७–१८

श्रीलंका में भारतीय २९७५–७६

सिक्किम-तिब्बत सड़क ३०१४–१५

सिन्दरी फर्टिलाइज़र और कैमिकल्स लिमिटेड ३४७९–८०

राम गढ (बिहार)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कोयले के निक्षेप २८६०—६२

रामपुर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आग बुझाने की केन्द्रीय संस्था ३१४६

रामस्वामी, श्री एम० डी०—

के द्वारा प्रश्न—

पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को छात्र-वृत्तियां २९००–०१

रामस्वामी, श्री एस० वी०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड, दिल्ली २८९५–९६

रामस्वामी श्री एस० वी० — (जारी)

के द्वारा प्रश्न—

अल्मोनियम कारखाना (मद्रास) ३५१४–१५

कपड़ा उद्योग जांच समिति ३२०६–०७

चिकोरी ३५०५–०६

पुनर्वास वित्त प्रशासन ३६०१—०३

रामस्वामी, श्री पी०—

के द्वारा प्रश्न—

कास्ट अकाउन्टैन्ट्स (परिव्यय लेखापाल) डिप्लोमा ३४३४–३५

'रामा रिटोल्ड'—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

"राम पुनर्वर्णन" (—) ३३९२–९४

राय, श्री विश्व नाथ—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

बाढ़ नियंत्रण योजनायें (उत्तर प्रदेश) ३१९४

के द्वारा प्रश्न—

उत्तर-पूर्वी रेलवे ३२४८–४९

कोयले का निक्षेप २८६०—६२

कोलम्बो योजना २७७३–७४

गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में भमि का परिमाप ३६०४

फ़र्रुखाबाद ज़िले में प्राप्त ऐतिहासिक वस्तुएं ३४०१

भारतीय कपड़े का निर्यात ३५०३

भारतीय वस्त्र उद्योग २९२५–२६

रायगढ़—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलवे स्कूल ३०६७

रायदुर्ग नगर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— के लिये टेलीफोन एक्सचेंज ३६७२–७३

रायपुर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

केन्द्रीय पैट्रोल उपकर निधि २८१२

— के लिये औद्योगिक योजना ३५१७

राव, डा० रामा—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

अमेरिका से उपहार पार्सल २७८५

खाद्य और कृषि संगठन २७६३

चीन को भारतीय विद्यार्थियों का प्रतिनिधि मंडल २८७८

नदी घाटी परियोजनाओं के लिये इंजीनियर ३२००

परिवार आयोजन ३५६९–७०

पशु विकास ३५६७

भेषज ३१६६

महिला-चिकित्सा-सेवा ३५८६–८७

सायगोन की घटना ३१७६

के द्वारा प्रश्न—

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना ३०७४—७६

अमरीकी सार्थों की बनी बस्तुएं ३५१३–१४

आकाशवाणी (आल इंडिया रेडियो) २९९४–९५

आकाशवाणी कार्यक्रम कर्मचारी ३४६८–६९

राव, डा० रामा — (जारी)

के द्वारा प्रश्न — (जारी)

औद्योगिक न्यायाधिकरण, धनबाद का पंचाट ३५७८—८०

औद्योगिक न्यायाधिकरण पंचाट— धनबाद ३६६१

ब्रह्मा को ऋण ३५९७—९९

भारतीय भू परिमाप विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ३४४१–४२

मानचित्र प्रकाशन निदेशालय कर्मचारी ३४४२

मिलिटरी कालिज देहरादून २८७३

रेलवें कर्मचारी ३३३२–३३

लेकेडाइव और मिनिकोए द्वीप ३१३६–३७

संगीत नाटक अकादमी ३१३१—३३

राव, श्री टी० बी० विट्ठल —

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

काम दिलाऊ दफ्तर ३५४५

कोयले के निक्षेप २८६१

खनिज तेल २८७७

विदेशी डाक ३२४६

हीरे की खानें २८७९

के द्वारा प्रश्न—

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ की वस्त्र समिति २८४०

कर्मचारी लाभ निधि ३२५५–५७

कोयला खान बोनस योजना २८२४–२५

कोयला खान श्रम कल्याण निधि २८३९–४०

कोयले का मूल्य ३४८३—८५

राव, श्री टी० बी० बिट्टल — (जारी)
के द्वारा प्रश्न — (जारी)
कोलार की सोने की खानों में हड़ताल ३३४५–४६
कोलार स्वर्ण क्षेत्र ३४१६, ३४३४
ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस ३६२४–२५
डाक तथा तार विभाग के कर्मचारी ३३३१–३२
तम्बाकू ३३७३–७४
दिल्ली-मद्रास जनता एक्सप्रेस ३६१६
दिल्ली राज्य में पत्थर की खानें ३३४४
बेज़ोल प्राप्ति संयंत्र ३२०८–०९
भारतीय भू परिमाप विभाग के कर्मचारी ३४४१
भारतीय भू-परिमाप विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ३४४०, ३४४१–४२
रेलवे कर्मचारियों के लिये विश्राम गृह ३२९७
रेलवे न्यायाधिकरण २७७४—७६
रेलवे वर्कशाप पुनर्विलोकन समिति २८०३—०५
लाजपत राय मार्केट ३५१५–१६
वेतन के साथ मंहगाई भत्ते का मिलाया जाना ३६७६–७७
संश्लिष्ट तेल संयंत्र २९७४–७५
सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधायें ३३०८–०९
हैदराबाद स्थित सोने की खानें ३५५८—६०
राव, श्री पी० सुब्बा—
के द्वारा प्रश्न—
रेलवे क्वार्टर ३३३८
राष्ट्र मण्डलीय सेना प्रमुखों का सम्मेलन—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
राष्ट्र मंडलीय सेना प्रमुखों का सम्मेलन ३४१२
राष्ट्रपति—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
पारितोषिक और पदक ३३७९—८१
राष्ट्रीय अनुशासन योजना—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
राष्ट्रीय अनुशासन योजना ३५४२
राष्ट्रीय आय—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
राष्ट्रीय आय ३४०९–१०
राष्ट्रीय खनन गवेषणा केन्द्र —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
राष्ट्रीय खनन गवेषणा संस्था ३४४६—४७
राष्ट्रीय ध्वज—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
राष्ट्रीय ध्वज ३३३३
राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
जल को मृदु बनाने के लिये संयंत्र ३३६४–६५
रेडियो गवेषणा समिति ३३८६–८७

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी २८५२–५३, २८७१—७३

राष्ट्रीय रसायनिक प्रयोगशाला—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

राष्ट्रीय रसायनिक प्रयोगशाला ३१४७

राष्ट्रीय राइफल असोसियेशन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

राइफल चलाना ३३९६–९७

राष्ट्रीय राजपथ—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—, मध्य प्रदेश ३६३७

— संख्या ८ ३१९१

सड़कों का — के रूप में परिवर्तन ३२५४–५५

राष्ट्रीय विस्तार सेवा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सामुदायिक परियोजनाओं के लिये प्रशिक्षण केन्द्र ३५२४

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड २९८९–९०

राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल ३११०—१२, ३१३०–३१

राष्ट्रीयकरण—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कोलार स्वर्ण क्षेत्र ३४३४

टायर-निर्माता समवाय ३४८९–९०

रिएक्टर, एटामिक—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आण्विक बिजली घर ३१९१—९३

रिजर्व बैंक आफ इंडिया—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भारत का रक्षित बैंक २८६२—६४

भोपाल शीर्ष बैंक ३४४०

रक्षित बैंक ३१०१–०३

राज्य सहकारी बैंक ३४४८

रिज़र्व बैंक आफ इंडिया ३३५६–५७

रिफ्रेजीरेटर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

छपरा-रेलवे स्टेशन ३०७८–७९

रिवाल्वर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रिवाल्वर २६०३–०४

रिशांग किशिंग, श्री—

के द्वारा प्रश्न—

अध्यापक प्रशिक्षण स्कूल, इम्फाल ३४२८

इम्फाल नगर कोष निर्वाचन ३६५०–५१

पहाड़ी आदिम जातियों के लिये पदों का रक्षण ३३९८–९९

रिशंग किशिंग, श्री–(जारी)

के द्वारा प्रश्न––(जारी)

पुलिस की चौकियां ३१४१–४२

मनीपुर के छात्रों को छात्रवृत्तियां ३४२९, ३४२९–३०.

मनीपुर में आदिम जातियां ३४२६–२७

विस्थापित व्यक्तियों के क्वार्टर ३५३१–३२

रीगा रेलवे स्टेशन––

के सम्बन्ध में प्रश्न––

रेलवे में अपराध २७७०–७२

रूई वस्त्र निर्माण निधि समिति––

के सम्बन्ध में प्रश्न––

रूई वस्त्र निर्माण निधि समिति २९७४

रूपकुंड––

के सम्बन्ध में प्रश्न––

–– में मानवीय ठठरियां ३४१९–२०

रूपनारायण नदी––

के सम्बन्ध में प्रश्न––

दामोदर घाटी परियोजना ३१६७–६८

रुरकेला इस्पात परियोजना––

के सम्बन्ध में प्रश्न––

तालडीह खनन क्षे का सर्वेक्षण ३५१७–१;

रुरकेला इस्पात संयंत्र ३५०६-०७

रुरकेला परियोजना २९२९-३०

रूस––

के सम्बन्ध में प्रश्न––

भारत-सोवियेत प्रविधिक सहायता २९२२

मास्को में भारतीय दस्तकारियों की प्रदर्शनी ३२१४

–– के साथ व्यापार ३५३६

––से प्राविधिक (टेक्निकल) सहायता ३५११

रूसी विशेषज्ञ (ज्ञों)––

के सम्बन्ध में प्रश्न––

खनिज जल के स्रोत ३२३६–३७

रेंकोजी मन्दिर––

के सम्बन्ध में प्रश्न––

नेता जी की अस्थियां ३४९२––९३

रेकार्ड़––

के सम्बन्ध में प्रश्न––

भाषणों के –– ३४७७–७९

रेज़र ब्लेड––

के सम्बन्ध में प्रश्न––

रेज़र ब्लेड ३५२५

रेड क्रास सोसाइटी––

के सम्बन्ध में प्रश्न––

भारतीय –– ३६१०–११, ३६६१–६२

रेडियो, अखिल भारतीय––

के सम्बन्ध में प्रश्न––

आकाशवाणी (आल इंडिया रेडियो) २९९१–९२, २९९४–९५, ३५२४

रेडियो, अखिल भारतीय–(जारी)
के सम्बन्ध में प्रश्न— (जारी)
आकाशवाणी कार्यक्रम कर्मचा ी ३४३८–८९
आकाशवाणी के कर्मचारियों के वेतन दावे ३५३२–३३
आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन ३२१२
आकाशवाणी केन्द्र, विजयवाड़ा ३२१३
प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण २९३५–३६

रेडियो कर्मचारी—
देखिये "कर्मचारी (रियों)"—

रेडियो की शुष्क बैटरियां—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
शुष्क बैटरियां ३१९५

रेडियो गवेषणा समिति—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेडियो गवेषणा समिति ३३४९–५०, ३३८६–८७

रेडियो टेलीफोन सेवा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
दूर-संचार सेवायें ३२३७–३८

रेडियो पारेषक—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अप्रयुक्त पारेषक २९२०–२२

रेडियो-फोटो सेवा—
के सम्बन्ध में प्रश्न —
दूर-संचार सेवायें ३२३७–३८

रेडियो विंड केन्द्र—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
तूफान सम्बन्धी गोष्ठी ३०२०–२२

रेडियो सैट—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
बिना लाइसेंस के — ३००७–०९
सस्ते — ३२०२–०३
सामुदायिक — ३५३५

रेडडी, श्री जनार्दन—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
पशु विकास ३५६८
युवक कृषिक क्लब ३५७२
के द्वारा प्रश्न—
अन्तर्राष्ट्रीय गव्यशाला संधान (फ़ेडरेशन) ३६१६–१७
कनौज में तम्बाकू गवेषणा केन्द्र ३५७५
कुटीर उद्योग ३२२१–२२
चीन के लिये भारतीय विद्यार्थी २९०१–०२
बी० सी० जी० के टीके ३६५९–६०
राष्ट्र मंडलीय सेना प्रमुखों का सम्मेलन ३४१२–१३
राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड २९८९–९०
रेल दुर्घटना ३६२५
सामुदायिक रेडियो सेट ३५३५
सोने का पकड़ा जाना ३३७८–७९

रेड्डी, श्री बी० वाई--

के द्वारा प्रश्न--

रेलवे साइडिंग २८१६–१७

रेड्डी, श्री रामचन्द्र--

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--

कोयले का मूल्य ३४८५

ज्योतिषीय भविष्वाणी ३११२

ब्रह्मा को ऋण ३५९९

राइफल चलाना ३३५२

के द्वारा प्रश्न--

असैनिक कर्मचारियों में अनुशासन-हीनता ३४०७–०८

आयात अनुज्ञप्तियां ३४८५–८८

आयुध पदाधिकारी (असैनिक) ३३६८–६९

कराधान छूट ३४४४–४५

हीरो २९४१–४३

हीरे की खानें २८७८–७९

हीरे तराशने के कारखाने ३२६८–६९

हीरों का चोरी छिपे ले जाना २९१४

रेड्डी, श्री विश्वनाथ--

के द्वारा प्रश्न--

अखिल भारतीय गोदाम निगम ३५८८

कृषि पदार्थों का निर्यात ३४८०–८२

गायों का आयात ३२७२–७३

ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस ३६१८

रेड्डी, श्री विश्वनाथ--(जारी)

के द्वारा प्रश्न--(जारी)

चावल के लिये मूल्य निर्धारण योजना ३६२३

छोटे पैमाने के उद्योग ३२०७–०८

रूस के साथ व्यापार ३५३६

संघ लोक सेवा आयोग ३३८७–८९

रेलगाड़ी (डियां)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

गाड़ियां ३३२३

ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस ३६१८, ३६२४–२५

छतों पर यात्रा करना ३२४३–४५

छपरा रेलवे स्टेशन २८४३–४४

टाटानगर-दिल्ली सीधी सेवा ३२७८–७९

ट्रेन सर्विस ३३३५–३६

ट्रेन सेवा ३३०४–०५

दिल्ली-मद्रास जनता एक्सप्रेस ३६१६

यात्री डिब्बे ३३१३–१४

यात्री सुविधायें ३६४८

रेलगाड़ियां ३०४८

— का चलना २८४१–४२

रेलगाड़ियों में धक्के ३०२२–२३

—में स्थान ३५७५–७६

— पर दूध का संभरण ३६३५

स्थान का रिज़र्व करना ३३१९

रेलगाड़ी रोकने की जंजीर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

खतरे की जंजीर का सामान हटाया जाना ३२४१–४३

रेलवे—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—के सम्बन्ध में शिकायतें ३०४६–४७

रेलवे आउट एजेंसी (सियां)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आउट एजेंसियां ३०६४

आउट एजेंसी सेवायें ३६७१–७२

रेलवे आउट एजेंसियां ३०८५–८६

रेलवे आय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलवे की आय ३२८७–८८

रेलव स्टेशन ३६६३

रेलवे इंजिन (नों)

के सम्बन्ध में प्रश्न—

इंजिन, डिब्बे, आदि ३९५५, ३०८१–८२

बिजली से चलने वाले इंजिन ३६६७–६८

रेल के इंजिन ३६५३

रेलवे कर्मचारी ३०६८–६९

रेलवे के इंजन व डिब्बे आदि ३३२७

रेलवे, उत्तर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—खोमचे वालों का संघ ३३३०–३१

भ्रष्टाचार के मामले ३६३९–४०

वायरलैस चालक ३३२१

रेलवे, उत्तर-पूर्वी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

उत्तर-पूर्वी रलवे ३२४८–४९

कर्त्तव्य-पालन में लापरवाही ३६४३

खतरे की जंजीर का सामान हटाया जाना ३२४१–४३

छतों पर यात्रा करना ३२४४

छपरा रेलवे स्टेशन ३२९१, ३३४५

जन-पथ-प्रदर्शक (सोशल गाईड) २८४४–४५

माल का ट्रांसशिपमेंट ३६०५

माल के परिवहन में विलम्ब ३०६७–६८

मुज़फ्फरपुर रेलवे स्टेशन ३२५०–५२

यात्री डिब्बे ३३१३–१४

यात्री सुविधायें २८००–०२

रेल की पटरी ३२६९–७१

रेलवे चिकित्सा सवा २७९३–९५

रेलवे में अपराध २७७०—७२

रेलवे सुरक्षा पुलिस ३२९७–९८

रलवे स्टेशन ३६६३

रेलवे उपकरण—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— और भंडार ३६४३–४४

— को क्षति ३६५९

रेलवे कर्मचारी—

दखिये "कर्मचारी (रियों)"

रेलवे कर्मचारी राष्ट्रीय संघ, भारतीय-
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेलवे न्यायाधिकरण २७७४—७६, ३३२७–२८

रेलवे कार्यालय (यों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
उत्तर-पूर्वी रेलवे ३२४८–४९
रेलवे लेखा विभाग ३०८२–८३

रेलवे किराया—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेल के किराये २८३२–३३

रेलवे की दुकान (नें)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेलवे की अनाज की दुकान ३०८०

रेलवे के रक्षा तथा प्रतिपालन कर्मचारी (रियों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेलवे सुरक्षा पुलिस ३२९७—९८

रेलवे, केन्द्रीय—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेलवे कर्मचारी ३०८७

रेलवे कोच फैक्टरी—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेलवे कोच (यात्री-डिब्बे) फैक्टरी ३०२७

रेलवे क्वार्टर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेलवे क्वार्टर ३३३८

रेलवे खण्ड—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
आसाम के लिये — ३२९०

रेलवे खोमचे वालों का संघ, उत्तर-
के सम्बन्ध में प्रश्न—
उत्तर रेलवे खोमचे वालों का संघ ३३३०–३१

रेलवे गार्ड—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेलवे कर्मचारी २८४९–५०
रेलों म अपराध २८३८
देखिये कर्मचारी (रियों)" भी

रेलवे चिकित्सा सेवा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेलवे चिकित्सा सेवा २७९३—९५

रेलवे जिला ट्रैफिक सुपरिन्टेंडेन्ट—
देखिये "कर्मचारी (रियों)"

रेलवे टिकट (टों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
जाली टिकट ३२४६–४७
टिकटों का पुनः बेचा जाना ३६१२–१३
बिना टिकट यात्रा २८२९–३०, २८३१, २८३९, ३५४८–४९, ३६७१

रेलवे ठेका (के)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेलों पर वस्तुयें बेचने के ठेके ३५६०–६१

रेलवे ठेकेदार (रों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

ठेकेदारों के दावे ३२६५–६६

सहकारी समितियां और ठेकेदार ३५६१—६४

रेलवे डिब्बे—

के सम्बन्ध में प्रश्न--

इंजिन, डिब्बे आदि ३०५५, ३०८१–८२

कोलम्बो योजना २७७३–७४

यात्री डिब्बे ३३१२—१४

रेल के डिब्बे २८०५, ३६४७, ३६५३–५४

रेल डिब्बों का कारखाना ३६४४–४५

रेलवे के इंजिन व डिब्बे आदि ३३२७

शीतोष्ण नियंत्रित यात्री डिब्बे ३०७७–७८

स्थान का रिज़र्व करना ३३१६

रेलवे, दक्षिण-पूर्व—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेल पथों का टूट जाना ३२६३–६४

रेलवे दुर्घटना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

गाड़ी का पटरी से उतरना २८१८

रेल दुर्घटना ३०५४, ३२६३, ३६२५, ३६३१–३२

रेलगाड़ी का पटरी पर से उतर जाना २८१५

रेलगाड़ी दुर्घटना ३३११–१२

रेलवे उपकरण को क्षति ३६५६

रेलवे दुर्घटना ३३१२–१३

रेलवे निरीक्षकालय (यों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रेलवे निरीक्षकालय ३६४१

रेलवे नौका—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलवे की एक बड़ी नौका का डबना ३०२७–२८

रेलवे न्यायाधिकरण—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलवे न्यायाधिकरण २७७४—७६, ३३२७–२८

रेलवे परिवहन—

के सम्बन्ध में प्रश्न--

प्राथमिकता आन्दोलन ३३३३–३४

रेलवे, पश्चिमी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अहमदाबाद-कलोल लाइन ३२३५

गाड़ी का पटरी से उतरना २८१८

यात्रियों के लिये सुविधायें ३३२१–२२

रेलवे पारसल—

के सम्बन्ध में प्रश्न--

बीना में दुर्घटना ३३०५

रेलवे पुल—

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रेल का पुल २८१२–१३

रेलवे पुल ३०३८–४०

रेलवे पूछताछ कार्यालय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

छपरा रेलवे स्टेशन पर पूछताछ कार्यालय २८४५

पूछताछ का दफ्तर ३०७०

रेलवे, पूर्वी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलवे के कर्मचारी २८२६

रेलवे प्रतीक्षालय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

यात्री सुविधायें २८३४–३५

रेलवे प्लेटफार्म—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

प्लेटफार्म का ऊंचा किया जाना ३६२१

मध्य रेलवे पर प्लेटफार्म ३०६९

रेलवे बुकिंग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बुकिंग का रोका जाना ३६६०–६१

रेलवे बुकिंग ३६०७–०८

रेलवे बोर्ड—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलवे बोर्ड ३६५९

— के लिये नया भवन ३२८९–९०

रेलवे वर्कशाप पुनर्विलोकन समिति २८०३—०५

वेतन के साथ मंहगाई भत्ते का मिलाया जाना ३६७६–७७

रलवे भंडार (रों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलवे उपकरण और भंडार ३६४३–४४

रेलवे भाड़ा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भाड़े में रियायत २८०५–०६

रेल का वस्तु-भाड़ा ३६४६–४७

लोह अयस्क पर भाड़ा २८३०

रेलवे भूमि—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलवे की ज़मीन २८२१–२२

रेलवे भोजन व्यवस्था—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भोजन व्यवस्था ३०७६–७७

रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति ३२४९–५०

रेलवे मजिस्ट्रेट—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मजिस्ट्रेट की नियुक्ति ३०८८–८९

रेलवे, मध्य—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

प्लेटफार्मों का ऊंचा किया जाना ३६२१

रेल दुर्घटना ३२९३

रेलवे कर्मचारियों को वर्दियां ३३३७

रेलवे स्टेशनों का सुधार ३०६१–६२

रेलवे मालगाड़ी (ड़ियों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

छपरा रेलवे स्टेशन ३३४५
ट्रेन सेवा ३३०४–०५
मालगाड़ी के डिब्बों की कमी २७९५—९७
मुज़फ्फरपुर रेलवे स्टेशन ३२५०—५२
रेलगाड़ी दुर्घटना ३३११–१२

रेलवे माल डिब्बे—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अयस्क गमनागमन के लिये डिब्बे ३३४२–४३
इंजिन, डिब्बे आदि ३०८१–८२
कोलम्बो योजना २७७३–७४
छपरा स्टेशन पर रेलवे शैड ३०८०
मालगाड़ी के डिब्बों का संभरण ३०१०—१३
माल डिब्बों का संभरण ३२९१–९२
माल डिब्बों की कमी ३०६६–६७
माल डिब्बों की पूर्ति ३३३९
मालगाड़ी के डिब्बों की कमी २७९५—९७

रेलवे में अपराध—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलवे में अपराध २७७०—७२
रेलों में अपराध २८३८

रेलवे में भर्ती—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भर्ती ३६६७
रेलवे में भर्ती ३०४७

रेलवे यात्रा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

बिना टिकट यात्रा २८२९–३०, २८३१, २८३९, ३५४८–४९, ३६७१

रेलवे यात्री सुविधा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

यात्रियों की सुविधायें २८२६, ३०५९—६१
यात्रियों के लिये सुविधायें ३३२१–२२
यात्रियों को सुविधायें ३०७९–८०, ३३३०, ३३३९–४०
यात्री सुविधायें २८००—०२, २८३४–३५, ३६४८
शिकायतें ३६६४–६५

रेलवे यात्री सुविधा समिति—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

यात्री सुविधा समिति ३३४४

रेलवे यार्ड—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

साबरमती — ३५४३

रेलवे राजस्व—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कर्मचारी लाभ निधि ३२५५—५७

रेलवे रियायत (तें)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलवे की रियायतों का दुरुपयोग ३६०४–०५

रेलवे लाइन (नों)--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
अहमदाबाद-कलोल लाइन ३२३५
उखाड़ी गई -- का पुनः बसाया जाना ३०१३-१४
कटिहार-सोनपुर -- ३०५५-५६
काजीपेट-मचरला-नेल्लोर रेल सम्पर्क ३६२१-२२
गारो पहाड़ी रेल सम्पर्क का सर्वेक्षण ३०२६-२७
गुंटाकल-बंगलौर रेल सम्पर्क ३६२७
दीव-दासगांव रेल सम्पर्क ३०२८-२९
नई -- ३३४१, ३६५५-५६, ३६६५
बाड़ावील-जोदा -- २८०७
मयूरभंज लाईट रलव (छोटी लाइन) २८१४-१५
मीटर गेज लाइन का बदला जाना ३६२०
रल की पटरी ३२६९--७१
रल पथों का टूट जाना ३२९३-९४
रलगाड़ियों का चलना २८४१-४२
रेलवे पूल ३०३८--४०
रेलवे लाइनें ३०८६--८७
-- का टूट जाना ३६५८-५९
-- का सर्वेक्षण २७६१-६२
रेलवे साइडिंग २८१६-१७

रेलवे लेखा विभाग--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
रेलवे लेखा विभाग ३०८२-८३

रेलवे वर्कशाप, खड़गपुर--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
रेलवे वर्कशाप, खड़गपुर ३०४९-५०

रेलवे वर्कशाप पुनर्विलोकन समिति--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
रेलवे वर्कशाप पुनर्विलोकन समिति २८०३-०५

रेलवे वायरलैस चालक (कों)--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
वायरलैस चालक ३३२१

रेलवे शैड--
क सम्बन्ध में प्रश्न--
छपरा स्टेशन पर --३०८०

रेलवे सहलेखा पदाधिकारी--
देखिये "पदाधिकारी"

रेलवे साइडिंग--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
रेलवे साइडिंग २८१६-१७, ३३२६, ३६५७-५८

रेलवे सामान समिति--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
रेलवे सामान समिति ३६१४-१५

रेलवे सिगनल--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
रल के सिगनल (पथ-संकेत) ३०५२

रेलवे सुरक्षा पुलिस—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेलवे सुरक्षा पुलिस २८२०–२१, ३२९७–९८

रेलवे स्कूल—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेलवे स्कूल ३०४८–४९, ३०६७

रेलवे स्टेशन (नों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
एक नये स्टेशन का खोला जाना ३६६९–७०, ३६७०–७१
छपरा — ३०७८–७९, ३२९१
टेलीफोनों की सुविधा ३६३९
नये — २८३१–३२
नीरा का विक्रय ३०५०–५१
बीकानेर — ३०१९–२०
माल डिब्बों की पूर्ति ३३३९
मुजफ्फरपुर — ३२५०—५२
यात्रियों की सुविधायें २०५९—६१
यात्रियों को सुविधायें ३०७९–८०, ३३३०
रल के सिगनल (पथ-संकेत) ३०५२
रेलवे स्टेशन ३६६३
— का सुधार ३०६१–६२

रेलवे स्टेशन यार्ड—
क सम्बन्ध में प्रश्न—
आसर्व स्टेशन यार्ड ३०००–०१

रेलवे स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट पुलिस—
के सम्बन्ध म प्रश्न—
अष्टाचार के मामल ३०८८

रेलवे स्लीपर (रों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— (शहतीरें) ३६२०

रेशम का कीड़ा (ड़े)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
— के अण्डे ३५२१–२२

रैरांगपुर—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
तार की लाइन धें बाधा ३३२८–२९
— से डाक का यातायात ३३२८

रोग—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रक्त चाप का इलाज ३१३९–४०

रोगी (गियों)
के सम्बन्ध में प्रश्न—
विलिंगडन अस्पताल ३३१५–१६

रोजगार दफ्तर—
देखिये "सेवा योजनालय" (यों)

रोम—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
विश्व जनसंख्या सम्मेलन ३०९१—९४
समुद्र के जीवित संसाधनों का संरक्षण ३३०६–०७

ल

लंका--

देखिये "श्रीलंका"

लक्ष्मय्या, श्री—

के द्वारा प्रश्न—

अनन्तपुर के निकट ऊपरी पुल ३६०९

एक नये स्टेशन का खोला जाना ३६६९--७१

गंटाकल-बंगलौर रेल सम्पर्क ३६२७

मीटर गेज लाइन का बदला जाना ३६२०

रायदुर्ग नगर के लिए टेलीफोन एक्सचेंज ३६७२ –७३

हीरे ३४४५

लक्ष्मीपुर हाल्ट रेलवे स्टेशन--

के सम्बन्ध में प्रश्न–

लक्ष्मीपुर हाल्ट रेलवे स्टेशन २८१७

लन्दन टाइम्स--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

विदेशी समाचारों का प्रकाशन ३६००-०१

लाजपत राय मार्केट, दिल्ली--

के सम्बन्ध में प्रश्न—

लाजपत राय मार्केट ३५१५–१६

लाभांश--

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कोयला खान बोनस योजना २८२४–२५

लिंगम, श्री एन० एम०—

के द्वारा अनुपरक प्रश्न—

अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार २९६१

अमरीकी नागरिक २८८९

लिंगम, श्री एन० एम०—(जारी)

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—(जारी)

भारतीय उच्च आयोग लन्दन २८८८

राज्य पुनर्संगठन आयोग ३११५

सहकारी बीमा समितियां ३१२५

के द्वारा प्रश्न--

द्वितीय पंचवर्षीय योजना ३५०८-०९

नदी घाटी परियोजनाओं के पुनरीक्षित प्राक्कलन ३४५९—६१

पुनर्वास वित्त प्रशासन ३६०१—०३

विमान यात्रा के रक्षात्मक उपाय ३२६१—६३

लिगनाइट--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

लिगनाइट ३१०३-०४

लुधियाना--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

उत्तर रेलवे खोमचे वालों का संघ ३३३०-३१

लेखा (खे)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—तैयार करने और राज्यकोष में सुधार ३४१७—१९

लेखा परीक्षा--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

सूचना और प्रसारण मंत्रालय २९९३-९४

लेडी हार्डिंग मैडीकल कालेज, नई दिल्ली—

क सम्बन्ध में प्रश्न--

महिला-चिकित्सा-सेवा ३५८५—८७

लेडी हार्डिंग मैडीकल कलेज ३३४५

लैकेडाइव द्वीप--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

लैकेडाइव और मिनिकोए द्वीप ३१३६-३७

लमन ग्रास गवेषणा केन्द्र--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

लैमन ग्रास तेल २९६७-६८

लोक निर्माण विभाग--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

उचित मजूरी खण्ड ३३३४

लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

पुनर्वास वित्त प्रशासन ३६०१—०३

लोक स्वास्थ्य--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

स्वास्थ्य विज्ञान तथा—संस्था २८३६-३७

लोह अयस्क--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

—पर भाड़ा २८३०

लोहना रोड स्टेशन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

रेलों में अपराध २८३८

लोहा--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

भिलाई का इस्पात का कारखाना ३४६४-६६

मालगाड़ी के डिब्बों का संभरण ३०१०-१३

—तथा मैंगनीज अयस्क २९२३--२५

लोहा और इस्पात--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

लोहा और इस्पात ३२१६

— का मूल्य २९७९

लोहे की चादरें, नलीदार--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

नलीदार लोहे की चादरें ३२२०

लौह अयस्क--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

लौह अयस्क ३०७३-७४

—(लोहे की कच्ची धातु) का निर्यात ३०५१

लौह अयस्क खान--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

मैंगनीज की खानें (उड़ीसा) ३६११

ल्हासा--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

सिक्किम-तिब्बत सड़क ३०१४-१५

व

वंशधरा परियोजना (एं)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

वंशधरा परियोजना ३४६३-६४

वन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

उत्तर प्रदेश की सीमा पर—लगाया जाना २७८८-९०

वनस्पति--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

वनस्पति २८३५, ३६०६-०७

वर्दी (दियां)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

खादी की— २९५४-५५

डाक कर्मचारियों की — ३३३४-३५

रेलवे कर्मचारियों को—३३३७

वर्मा, श्री रामजी—

के द्वारा प्रश्न—

रेलवे लेखा विभाग ३०८२–८३

वल्लाथरास, श्री—

के द्वारा प्रश्न—

पुलिस पदक ३१५३

रेलवे का पुल २८१२–१३

सीमान्त सुरक्षा पुलिस २८७४–७५

वस्तु सुंगणना—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

वस्तु संगणना ३४५८-५९

बाघमारे, श्री—

के द्वारा प्रश्न—

रेलवे कर्मचारी ३०६८-६९

वाद्ययन्त्र (त्रों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भारतीय—३१७८-७९

वायदा बाजार—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कपास में—२९७५

वायरलैस चालक—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

वायरलैस चालक ३३२१

वायु दुर्घटना (यें)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

नेपाल में विमान दुर्घटना ३०५४

वायु दुर्घटनाएं ३०९९—३१०१, ३२९५, ३३१७–१८

विमान दुर्घटना २७८७–८८

वायु-मार्ग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

हवाई मार्गों में परिवर्तन ३२४७–४८

वायु सेना—

के सम्बन्ध म प्रश्न—

रक्षित तथा सहायक टुकड़ियां २८८३–८४

हवाई बेड़ों में कर्मचारियों की भर्ती ३४००–०१

वायु सेवा—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

नेपाल में विमान परिवहन सेवायें ३६११–१२

पोर्ट बिलेयर की विभाग सेवा ३३४८

भारत-अमरीकी विमान करार ३२३३–३५

भारत-ईराक विमान सेवा ३५५७

विमान यात्रा ३०४६

विमान यात्रा के रक्षात्मक उपाय ३२६१—६३

विमान यात्रा भाड़े ३२५९–६०

वायुयान (नों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन्स ३६४९–५०

एच० टी० २ विमान ३१३७–३८

कामिट विमान ३०४९

वायुयान (नों)--(जारी)
के सम्बन्ध में प्रश्न--(जारी)
बाध्य होकर उतरना २७६८-६९
भारत-चीन विमान करार ३६१५
वायु दुर्घटनायें ३३१७-१८
हवाई जहाज के पैट्रोल सम्बन्धी वापसी के दावे ३१४४
हिन्दुस्तान एअरक्राफ्ट लिमिटिड ३१३३-३४
हैलीकोप्टर ३००४--०५

वायुयान चालक (कों)--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
नेपाली विमान चालक ३६७४-७५
विमान यात्रा के रक्षात्मक उपाय ३२६१--६३
व्यापारिक विमानों के चालकों का प्रशिक्षण ३६०५-०६

वायुयान समवाय (यों)--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
विमान समवायों को प्रतिकर ३२६३-६५

वारकालाई प्रदेश--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
लिगनाइट ३१०३-०४

विक्रय--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
स्थानीय पोस्टकार्ड ३५८२-८३

विक्रय कर--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
अन्तर्राज्य बिक्री कर ३१२९-३०

विजयवाडा--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
आकाशवाणी केन्द्र,--३२१३

विज्ञापन--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
विज्ञापन ३२२९-३०

वित्त मंत्रालय--
देखिये "मंत्रालय वित्त"

विदेश (शों)--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
औषधियों का उपहार ३३२५
गेहूं का चोकर २७६४-६६
छोटे पैमाने के उद्योग ३५२७
टिड्डी विरोधी योजना ३२७१-७२
डाक्टरों का प्रशिक्षण ३६३०-३१
दूर-संचार सेवायें ३२३७-३८
प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय सहायता निधि ३५३३-३४
प्रेस फोटो का वितरण २९७२-७३
भारतीय राजनयिक ३५२२-२३
रेलवे के इंजिन व डिब्बे आदि ३३२७
--में धर्म प्रचारक ३११५-१८
--में पढ़ने वाले छात्रों के लिये छात्र वृत्तियां ३१४६
--में भारतीय विद्यार्थी ३१०४-०६ ३४०५
शत्रु सम्पत्ति का कस्टोडियन २९३२-३४
सूती कपड़ा २९५५-५६

विदेशी (शियों)--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
अमरीकी नागरिक २८८९-९१
अयस्कों का परिवहन २९८२
दिल्ली में--छात्र ३४२९

विदेशी (शियों)—(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

भारतीय उच्चायोग, लन्दन ३२१९
राजनैतिक शरण ३२२६

विदेशी डाक—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

विदेशी डाक ३२४५–४६

विदेशी पदक—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

विदेशी पुरस्कार ३२१६

बिदेशी पुरस्कार—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

विदेशी पुरस्कार ३२१६

विदेशी पूंजी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अमरीका द्वारा लगायी गयी पूंजी ३४४३–४४

विदेशी प्रमाण पत्र—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

विदेशी पुरस्कार ३२१६

विदेशी भाषा स्कूल—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

विदेशी भाषा स्कूल २८७९—८१

विदेशी विशेषज्ञ (ज्ञों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

टेलको ३०७८

फौना तथा फ्लोरा (प्राणि तथा परदय जात) पर जर्मन टीम द्वारा गवेषणा ३४३२–३३

विदेशी समाचार (रों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—का प्रकाशन ३६००–०१

विदेशी समाचार पत्र (त्रों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

विज्ञापन ३२२९
विदेशी प्रेस ३२२५–२६

विदेशी सार्थ—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेजर ब्लेड ३५२५
रेलवे के इंजिन व डिब्बे आदि ३३२७

विद्यार्थी (थियों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

चीन के लिये भारतीय—२९०१–०२
चीन को भारतीय—का प्रतिनिधि मंडल २८७७–७८
छात्रवृत्तिय २८९१–९२
दिल्ली में विदेशी छात्र ३४२९
पिछड़े वर्गों के–को छात्रवृत्तियां २९००-०१
भारतीय उच्च आयोग, लन्दन २८८७ ८९
राष्ट्रीय अनुशासन योजना ३५४२
रेलवे स्कूल ३०४८-४९
विदेशी भाषा स्कूल २८७९–८१
विदेशों में भारतीय—३१०४–०६, ३४०५
विस्थाप्ति—३२००–०२

विद्यालंकार श्री ए० एन०—

के द्वारा प्रश्न—

इंजिन डिब्बे आदि ३०८१-८२

विद्यालय (यों)--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
अन्डमान व निकोबार द्वीप ३३५२—५४
किंग्जवे कैम्प ३१९०–९१
त्रिपुरा में स्कूलों का दर्जा बढ़ाना ३१५२
बहु-प्रयोजनीय स्कूल २८९७
बनियादी स्कूल ३०९४–९५
रेलवे की रियायतों का दुरुपयोग ३६०४–०५
विदेशी भाषा स्कूल २८७९—८१
शिक्षा का सैनिक स्कूल पंचमढ़ी ३४३५-३६
स्कूलों में नाट्य कला ३४०४

विद्युत--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
चम्बल परियोजना ३२२८
दिल्ली में--संभरण ३१८२—८४

विद्युतीकर--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
दिल्ली में देहातों का--२९६२

विनय नगर, नई दिल्ली--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
विनयनगर के क्वार्टरों में पशु बांधने के स्थान ३५३६

विनोबा भावे आचार्य--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
भूदान आन्दोलन सम्बन्धी फिल्म ३५१८–१९

विन्ध्य प्रदेश--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
कागज का कारखाना ३२२४–२५
खजराहों के मन्दिर ३३९८

विन्ध्य प्रदेश--(जारी)
क सम्बन्ध में प्रश्न--(जारी)
यूरेनियम के डिपोजिट २९४७–४८
रेलवे आउट एजेंसियां ३०८५–८६
हीरे तराशन के कारखाने ३२६८-६९

वियतनाम--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
सायगोन की घटना ३१७५-७६

विलिंगडन अस्पताल--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
विलिंगडन अस्पताल ३३१५–१६

विशाखापत्तनम--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
रेल डिब्बों का कारखाना ३६४४–४५

विशेषज्ञ (ज्ञों)--
क सम्बन्ध में प्रश्न--
खनिज जल के स्रोत ३२३६–३७
खाद्य और कृषि संगठन २७६२—६४
फौना तथा फ्लोरा (प्राणि तथा परदय जात) पर जर्मन टीम द्वारा गवेषणा ३४३२–३३

विश्व जन संख्या सम्मेलन, रोम--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
विश्व जनसंख्या सम्मेलन ३०९१--९४

विश्वविद्यालय (यों)--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
चीन को भारतीय विद्यार्थियों का प्रतिनिधि मंडल २८७७–७८
नाभिकीय विज्ञान २९९५
राष्ट्रीय आय ३४०९–१०
--में सैन्य शिक्षा ३१०९–१०
संस्कृत--३१३५–३६

विस्थापित व्यक्ति (यों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अंदमान द्वीपों में--का बसना ३४०२-०३

रूककेला इस्पात संयंत्र ३५०६--०७

किंग्ज़वे कैम्प ३१९०-९१

डी० ए० वी० कालिज शरणार्थी कैम्प, लाहौर ३२१५

दिल्ली में--की बस्तियां २९५१--५२

निष्क्रान्त सम्पत्तियां ३५०२

पुनर्वास वित्त प्रशासन ३१५६---५८

पूर्वी बंगाल के --३५२७--२८

प्रविधिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना ३५३६--३७

विस्थापित विद्यार्थी ३२००---०२

--का पुनर्वास ३५०३--०४

--की बस्तियां ३५३९

--के क्वार्टर ३५३१--३२

--के दावे २९७०--७१

--के लिये मकान ३१५९--६०

--को सहायता २९८५

विस्थापित सरकारी कर्मचारी २९०२

विस्थापितों की यात्रा पर रुकावट ३२०४--०५

शाहदरे में विस्थापित व्यक्ति मार्केट ३२१६--१७

विस्थापित सरकारी कर्मचारी (रियों)--

देखिये "कर्मचारी (रियों)"

विस्फोट--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

कनाट प्लेस में--३४०८-०९

वीरस्वामी, श्री--

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--

डाक २७८१

के द्वारा प्रश्न--

भाषा सम्बन्धी सर्वेक्षण २८६८--६९

श्रीलंका में भारतीय २९७५--७६

वृद्ध व्यक्ति (यों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

--को निवृत्ति वेतन ३५७२-७४

वेतन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

अध्यापक प्रशिक्षण स्कूल, इम्फाल ३४२८

आकाशवाणी के कर्मचारियों के--दावे ३५३२--३३

कनिष्ठ आयुक्त पदाधिकारियों और सामान्य सैनिकों का--३३७४-७५

कैन्टीन स्टोर विभाग ३३७२--७३

भारतीय उच्चायोग, लन्दन ३२१९

भूतपूर्व सैनिक ३६७८

रेलवे कर्मचारी २८०९--१०

-- के साथ महंगाई भत्ते का मिलाया जाना ३६७६--७७

सशस्त्र बलों के अफसर और जवान ३१०६--०७

सेना में सेवा ३३६५---६७

वैज्ञानिकन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

पटसन मिलों में--३५२३

वैद्य (द्यों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

पंजीकृत--३३९९--३४००

वैश्य, श्री एम० बी०—

के द्वारा प्रश्न—

पुनर्वास वित्त प्रशासन ३१५६—५८

वैष्णव, श्री एच जी०—

के द्वारा प्रश्न—

आई० ए० एस० । आई पी० एस० २८९९–२९००
एलोरा और अजन्ता २८१९–२०
एलोरा और अजन्ता की गुफायें २८१०–११
औद्योगिक विवाद ३२५३–५४
कुटीर उद्योग ३२२१–२२
छावनी क्षेत्रों की भूमि ३३६३–६४
बाईसिकिल के पुर्जे ३२२२
मध्य रेलवे पर प्लेटफार्म ३०६९
राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड २९८९–९०
रेलवे उपकरण को क्षति ३६५९
रेलवे के इंजिन व डिब्बे आदि ३३२७

वोडयार, श्री—

के द्वारा अनूपूरक प्रश्न—

सुपारी पर आयात शुल्क २८५५

के द्वारा प्रश्न—

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ३४३१
बिजली से चलने वाली बस सवा ३४७०–७१
रेल के डिब्ब ३६५३–५४

वोम्बल समिति—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सेना में सेवा ३३६५—६७

व्यय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियाँ ३३९०–९१
अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र ३६५६–५७

व्यय—(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह ३४०३–०४
"अभाव क्षेत्रों" का सुधार २९४८–४९
अस्पृश्यता सम्बन्धी चलचित्र ३५२०
अहमदाबाद-कलोल लाइन ३२३५
आग बुझाने की केन्द्रीय संस्था ३१४६
आसर्व स्टेशन यार्ड ३०००–०१
उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में शिक्षा २९९४
ए० सी० विद्युत प्रणाली ३४७४—७६
एक नये स्टेशन का खोला जाना ३६६९–७०
कोणार्क मन्दिर ३४२८–२९
कोयला खान बोनस योजना २८२४–२५
कोरिया के युद्धबन्दी ३५००–०२
खजुराहों में संग्राहालय ३३७७–७८
खाद्य और कृषि संगठन २७६२–६४
खाद्य तथा कृषि प्रचार यूनिट ३५२६–२७
गारो पहाड़ी रेल सम्पर्क का सर्वेक्षण ३०२६–२७
छात्रवृतिया २८९१–९२
छोटे पमाने के उद्योग ३५२७
जल को मृदु बनाने के लिए संयंत्र ३३६४–६५
जल संभरण योजनाय ३०८२
टिड्डी विरोधी योजना ३२७१–७२
डाक २७८०–८१
डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर ३२६६—६८
दामोदर घाटी निगम की लिफ्ट सिचाई योजना २९२८–२९
दिल्ली आगरा सड़क ३०८१

व्यय—(जारी)
के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

नगर स्वास्थ्य दल ३६२५–२६
नदी घाटी परियोजनाओं के पुनरीक्षित प्राक्कलन ३४५९—६१
नैपाली विमान चालक ३६७४-७५
परिवार आयोजन ३५६८-७१
पश्चिमी बंगाल में मलेरिया नियंत्रण एकक ३२५७–५८
पुस्तकों का उपहार ३१४०
प्रथम पंचवर्षीय योजना २९३७—३९, ३०८३
प्रविधिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना ३५३६-३७
बिजली से चलने वाली बस सेवा ३४७०-७१
भाषा सम्बन्धी सर्वेक्षण २८६८-६९
माध्यमिक शिक्षा आयोग २८८४—८७
मिलान का नमूना मेला ३५३४-३५
मोटर गाड़ियों के टायर ३५२०–२१
यात्रियों के लिये सुविधायें ३३२१–२२
राजकुमारी क्रीड़ा-शिक्षा योजना ३६५४–५५
राष्ट्रीय अनुशासन योजना ३५४२
रेल के सिगनल (पथ-संकेत) ३०५२
रेलवे लाइनों का सर्वेक्षण २७६१–६२
व्यापारिक विमानों के चालकों का प्रशिक्षण ३६०५–०६
शत्रु सम्पत्ति का कस्टोडियन २९३२–३४
संस्कृत साहित्य ३४३६
साबरमती रेलवे यार्ड ३५४३
सामाजिक विज्ञान गवेषणा केन्द्र ३४०१–०२
सामुदायिक परियोजनाओं के लिये प्रशिक्षण केन्द्र ३५२४
सिंचाई की छोटी योजनायें ३५४१–४२

व्यय—(जारी)
के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

सिक्किम-तिब्बत सड़क ३०१४-१५
सीमान्त सुरक्षा पुलिस २८७४–७५
सूर्य ग्रहण के अवसर पर डाक व्यवस्था २७८२-८३
सैनिक शिविर ३३६१—६३
स्वास्थ्य अवस्था का सर्वेक्षण ३०३४–३५
हज्ज यात्रा ३५२९–३०

व्यापार—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अमरीकी नागरिक २८८९—९१
नेपाल के साथ—३१६३—६५
नौवहन सम्मेलन २८०६
पूर्व तथा पश्चिम एशिया के साथ—२९३०–३२
भारत-ईरानी—२९४३–४४
भारत का वैदेशिक–३४७६-७७
भारत-पाकिस्तान–३२०६
राज्य—२९७३
रूस के साथ—३५३६

व्यापार विवाद—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
व्यापार विवाद ३४७१–७२

व्यापार संस्था(ओं)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
ए० सी० विद्युत् प्रणाली ३४७४–७६

व्यापारी (रियों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
अयस्कों का परिवहन २९८४–८५
कृषि पदार्थों का निर्यात ३४८०–८२

व्यापारी संघ, उत्तर बिहार—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

शिकायतें ३६६४-६५

व्यावहारिक प्रशिक्षण वृत्ति (यां)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

व्यावहारिक प्रशिक्षण वृत्तियां २६०५

व्यास, श्री राधेलाल—

के द्वारा प्रश्न—

कुंजरू समिति का प्रतिवेदन ३४०२

श

शंकर पांडियान, श्री—

के द्वारा प्रश्न—

समवाय ३४३८

शंख (खों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

शंख उद्योग ३४६६–६८

—का आयात २६७२

शक्तिगढ़—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

स्वास्थ्य अवस्था का सर्वेक्षण ३०३४—३५

शर्मा, श्री आर० सी०

के द्वारा प्रश्न—

कृषि कालेज ३०४४–४५

शर्मा, श्री के० आर०—

के द्वारा प्रश्न—

रेलवे कर्मचारियों का स्थानान्तरण ३३४७

शर्मा, श्री डी० सी०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

कोसी परियोजना ३१७५

के द्वारा प्रश्न—

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां ३१४८–४६

अन्तर्राष्ट्रीय अणु सम्मेलन २६६२–६३

आकाशवाणी (आल इंडिया रेडियो) ३५२४

उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण २६५२–५४

कावा बागान ३१४७–४८

केन्द्रीय सरकार कार्यालय २६०६

खादी संस्थायें २६८५–८६

चाय (निर्यात) ३४४६–५०

चीनी की मिलें २८१८

चीनी के सम्बन्ध में नीति ३६१२

जम्मू तथा काश्मीर में प्रवेश के लिये आज्ञापत्र २८५१–५२

डाक कर्मचारी ३६४०–४१

तम्बाकू उत्पादन शुल्क २६०६

दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें २६०५

नदियों द्वारा परिवहन ३६२२

प्रलेखीय चलचित्र ३२१६

भारत-अमरीकी विमान करार ३२३३–३५

रेल के डिब्बे २८०५

वायरलैस चालक ३३२१

विदेशों में भारतीय विद्यार्थी ३४०५

विस्थापित विद्यार्थी ३२००–०२

विस्थापित व्यक्तियों के लिये मकान ३१५६–६०

विस्थापित व्यक्तियों को सहायता २६८५

शर्मा, श्री डी० सी––(जारी)
के द्वारा प्रश्न––(जारी)
सम्पदा शुल्क ३४२५
सहकारी खेती ३२९४
सोना ३१५०
हिन्दी ३३९४, ३६०३

शर्मा, श्री नन्दलाल––
के द्वारा प्रश्न––
पदाली से बाहर गज़ेटिड अधिकारियों को खपाना ३३४३–४४
संस्थाओं को अनुदान ३१५३–५४

शत्रु सम्पति, का कस्टोडियन––
देखिये "पदाधिकारी"

शाम ुर–
के सम्बन्ध में प्रश्न––
"खुला जेल" शिविर ३१४३

शालिहोत्रि महाविद्यालय––
के सम्बन्ध में प्रश्न––
उड़ीसा में शालिहोत्रि कालेज ३६१४

शासकीय यात्रा संगठन का सम्मेलन––
के सम्बन्ध में प्रश्न––
शासकीय (आफीशियल) यात्रा संगठन का सम्मेलन ३०४२–४४

शाहदरा––
के सम्बन्ध में प्रश्न––
––में विस्थापित व्यक्ति मार्केट ३२१६–१७

शास्त्री पंवाट––
के सम्बन्ध में प्रश्न––
शास्त्री पंवाट ३६६३

शास्त्री, श्री बी० डी०––
के द्वारा प्रश्न––
खजुराहों के मन्दिर ३३९८
रेलगाड़ियों का चलना २८४१–४२
रेलवे उपकरण और भंडार ३६४३–४४
संस्कृत विश्वविद्यालय ३१३५–३६
संस्कृत साहित्य ३४३६

शाह, श्रीमती कमलेन्दु मति ––
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न––
पशुओं पर होने वाले अत्याचार के निवारण सम्बन्धी जांच समिति २७७७–७८
मिलिटरी कालेज, देहरादून २८७३
के द्वारा प्रश्न––
भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास ३४३२

शिक्षा––
के सम्बन्ध में प्रश्न––
अंडमान व निकोबार द्वीप ३३५२–५४
अमरीकी नागरिक २८८९––९१
उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में– २९६४
त्रिपुरा में आदिम जाति––३१५१
रेलवे स्कूल ३०४८–४९
––पर बालोध की रिपोर्ट २८६४–६८
समुद्र पार भारतीयों के लिये हिन्दी–– ३४०६–०७

शिक्षा आयोग––
के सम्बन्ध में प्रश्न––
माध्यमिक––२८८४––८७

शिक्षा मंत्रालय––
के सम्बन्ध में प्रश्न––
हिन्दी ३४

शिक्षा संस्था (ओं)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
संस्थाओं को अनुदान ३१५३–५४
शिमला—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
स्थानीय स्वशासन सम्बन्धी केन्द्रीय परिषद् ३५५१–५४
शिल्पकार (रों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
शंख उद्योग ३४६६–६८
शिशिक्षु अधिनियम, १८५०– ३५३४
शिल्पिक सहायता योजना (यें)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—के अन्तर्गत प्रशिक्षण ३१३६
शिवनंजप्पा, श्री—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
अल्प-आय वर्ग आवास योजना ३१६१
शिवाराव समिति—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
काम दिलाऊ दफ्तर ३५४४–४६
शिविर (रों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
सैनिक—३३६१–६३
शिशिक्षु अधिनियम, १८५० —
के सम्बन्ध में प्रश्न—
शिशिक्षु अधिनियम, १८५० ३५३४
शिशु कल्याण—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
शिशु कल्याण २७६७–६८
शिष्टमण्डल—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
समुद्र के जीवित संसाधनों का संरक्षण ३३०६–०७
शीतोष्ण नियंत्रित यात्री डिब्बे—
देखिये "रेलवे डिब्बा"
शीरा—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—का निर्यात ३२२७
श्रम—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
करों का भुगतान २७७८–८०
श्रम कल्याण—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
कोयला खनिकों का कल्याण २८१६
कोयला खान—निधि २८३६–४०
श्रम कल्याण पदाधिकारी (रियों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—का सामाजिक कार्य प्रशिक्षण ३३०६
श्रम न्यायाधिकारी (रियों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—के समक्ष मामले ३६४२
श्रम पदाधिकारी (रियों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
त्रिदलीय करार २८०७
—का प्रशिक्षण ३२९८
श्रमिक (कों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
आकाशवाणी केन्द्र, विजयवाडा ३२१३
औद्योगिक न्यायाधिकरण पंचाट—धनबाद ३६६१

श्रमिक (कों)---(जारी)
के सम्बन्ध में प्रश्न--(जारी)
कोयला खनिकों का कल्याण २८१९
कोयले का उत्पादन ३४६२–६३
कोलार की सोने की खानों में हड़ताल ३३४५–४६
गिरिडीह की कोयले की खानों में छंटनी ३१७६—७७
गोदी मजदूरोंकी भर्ती ३२८८
तम्बाकू कारखाना २८४२
पांडीचेरी २९९२—९३
भिलाई का इस्पात का कारखाना ३४६४–६६
भूमिविहीन श्रमिकों का बसाया जाना २७६६–६७
मजूरी भुगतान अधिनियम, १९३६ ३२९२
मैंगनीज की खानें (उड़ीसा) ३६११
राष्ट्रीय ध्वज ३३३३
"—"की परिभाषा ३२८६–८७
श्रमिक संघ---
के सम्बन्ध में प्रश्न--
श्रमिकों के केन्द्रीय संगठन ३६५२—५३
हैदराबाद स्थित सोने की खानें ३५५८–६०
श्रीनगर---
के सम्बन्ध में प्रश्न--
कुटीर उद्योग ३२२०—२१
पर्यटक यातायात ३२९६
श्रीलंका---
के सम्बन्ध में प्रश्न--
अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार २९६१
शंख उद्योग ३४६६–६७
--में भारतीय २९७५–७६
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में भारत की सदस्यता ३२८१–८५

स

सगण्णा, श्री---
के द्वारा प्रश्न--
अन्तर्राष्ट्रीयप्रशिक्षण केन्द्र ३६५६–५७
अफ्रीकी मछली का पालन ३३१०–११
उड़ीसा में केन्द्रीय गोदाम ३६५२
उड़ीसा में शालिहोत्रि कालेज ३६१०
कल्याण विस्तार परियोजना ३३६७–९८
कृषि गवेषणा कार्यक्रम ३३०१
कोणार्क मन्दिर ३४२८–२९
खाद्यान्नों पर तियंत्रण ३२२–५३
खानों का निदेशालय २८९८–९९
चावल के लिये मूल्य निर्धारण योजना ३६२३–२४
टेलीफोन एक्सचेंज २८११
तालडीह खनन क्षेत्र का सर्वेक्षण ३५१७—१८
नई रेलवे लाईन ३६५५–५६
पर्यटन सूचनालय केन्द्र ३५६४
भारतीय गांवों का परिवार सर्वेक्षण ३५०९–१०
भारतीय वाद्ययंत्र ३१७८–७९
रूरकेला परियोजना २९२९–३०
रेलवे स्कूल ३०६७
वंशधारा परियोजना ३४६३–६४
सालिहुन्दर में बौद्ध अवशेष ३४१०

संगीत नाटक अकादमी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

संगीत नाटक अकादमी ३१३१–३३, ३३९७

संग्रहालय (यों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

खजुराहो में—३३७७–७८
भाषणों के रेकार्ड ३४७७–७९

संघ लोक सेवा आयोग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कास्ट अकाउन्टेन्ट्स (परिव्यय लेखा-पाल) डिप्लोमा ३४३४–३५
केन्द्रीय सेवाएं २९११–१२
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी २८५२–५३
संघ लोक सेवा आयोग ३३८७–८९

संत परमानन्द आई अस्पताल—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

स्वविवेक के अनुदान ३०४१–४२

संभरण तथा उत्सर्जन महानिदेशक—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अप्रयुक्त पारेषक २९२०–२२

संयंत्र (त्रों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

जल को मृदु बनाने के लिये— ३३६४–६५
पटसन के कारखाने की मशीनरी ३२०३
बेंज़ोल प्राप्ति— ३२०८–०९
संश्लिष्ट तेल— २९७४–७५

संयुक्त तथ्य निर्धारण आयोग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

संयुक्त तथ्य निर्धारण आयोग २९६९–७०

संयुक्त राज्य अमरीका—

देखिये "अमरीका, संयुक्त राज्य"

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय शिशु पालन निधि (यूनिसेफ) ३००२–०३

संयुक्त राष्ट्रसंघ—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अणु शक्ति २९८६–८७
खाद्य और कृषि संगठन २७६२–६४
"खुला जेल" शिबिर ३१४३

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— में भारत की सदस्यता ३२८१—८५

संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षावैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सामाजिक विज्ञान गवेषणा केन्द्र ३४०१–०२

संयुक्त स्कन्ध समवाय (यों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

समवाय ३४३९

संवाददाता—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

विदेशी प्रेस ३२२५–२६

संस्कृत विश्वविद्यालय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

संस्कृत विश्वविद्यालय ३१३५–३६

संस्कृत साहित्य---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

संस्कृत साहित्य ३४३६

सकरी गली घाट---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

रेलवे के कर्मचारी २८२६

सक्सेना, श्री एस० एल०---

के द्वारा प्रश्न---

रेलवे कर्मचारी ३०६८–६९

सचिवालय, केन्द्रीय---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

केन्द्रीय सचिवालय ३४३६–३८

सडक (कों)---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

अन्दमान द्वीप समूह में---२८०२–०३

एलोरा और अजन्ता २८१९–२०

केन्द्रीय सहायता-प्राप्त---३६६६

दिल्ली-आगरा--- ३०८१

--- का राजपथ के रूप में परिवर्तन ३२५४–५५

--- परिवहन विकास ३५८०–८२

सार्वजनिक --- का बन्द किया जाना ३४३०---३१

सिक्किम-तिब्बत --- ३०१४–१५

सैना के इंजीनियर्स ३४२५-२६

सड़क, उत्तरी ट्रंक---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

---, आसाम ३०८५

सतना---

के सम्बन्ध में प्रश्न---

रेल दुर्घटना ३२९३

सत्यवादी, डा०---

के द्वारा प्रश्न---

"अभाव क्षेत्रों" का सुधार २९४८–४९

आकाशवाणी के कर्मचारियों के वेतन दावे ३५३२–३३

आय कर अपीलें २८८१---८३

औद्योगिक विवाद ३३३९

केन्द्रीय तार कार्यालय, नई दिल्ली ३६६२

टिड्डी-विरोधी योजना ३२७१–७२

डाक-कर्मचारियों का हैदराबाद को स्थानान्तरण ३०८७

तम्बाकू कारखाना २८४२

नदी घाटी परियोजनाओं के लिये इंजीनियर ३१९९–३२००

पंजीकृत वैद्य ३३९९–३४००

बिलासपुर विलय ३२१३–१४

भारतीय औषधीय पौधों की शब्दावली ३४३६

यात्रियों को सुविधायें ३३३९–४०

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी २८७१---७३

रेलवे लाइनें ३०८६–८७

विज्ञापन ३२२९–३०

व्यावहारिक औद्योगिक प्रशिक्षण ३४३३

व्यावहारिक प्रशिक्षण वृत्तियां २९०५

सरकारी भूमि पर अनधिकृत मकान बनाना ३३१४–१५

सूचना और प्रसारण मंत्रालय २९९३–९४

सूर्य ग्रहण के अवसर पर डाक व्यवस्था २७८२–८३

स्वविवेक के अनुदान ३०४१–४२

हिन्दी में तार ३५७७–७८

सत्याग्रही (हियों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

गोआ के — ३१८५–८८

समझौता (ते)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार २९६१

आयात अनुज्ञप्तियां ३४८६–८८

कोलार की सोने की खानों में हड़ताल ३३४५–४६

खाद्य और कृषि संगठन २७६२–६४

खाद्य पदार्थों का वितरण २८०८–०९

तीर्थयात्री यातायात २९९५–९६

नाहर कटिया में तेल की खोज ३३५४–५५

पूर्व तथा पश्चिम एशिया के साथ व्यापार २९३०–३२

भारत अमरीकी विमान करार ३२३३–३५

भारत चीन विमान करार ३६१५

भारत-सोवियत प्रविधिक सहायता २९२२

व्यापार विवाद ३४७१–७२

समवाय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

टायर-निर्माता— ३४८८–९०

मोटर टायर की कम्पनियां ३५१६, ३५३९–४०

समस्तीपुर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

छपरा रेलवे स्टेशन २८४३–४४

माल के परिवहन में विलम्ब ३०६७–६८

समाचार—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आकाशवाणी के — बुलेटिन ३२१२

समाचार, चलचित्र—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

वृत्त चित्र तथा समाचार चित्र ३५२८–२९

समाचार, प्रादेशिक—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

— का प्रसारण २९३५—३७

समाचारपत्र—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अमरीकी सार्थों की बनी वस्तुयें ३५१३–१४

ज्योतिषीय भविष्यवाणी ३११२

विज्ञापन ३२२९–३०

विदेशी प्रेस ३२२५–२६

समाज कल्याण—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

भारतीय प्रशासन सेवा के प्रशिक्षणार्थियों के लिये — पाठ्यक्रम ३३८३—८५

समाज कल्याण बोर्ड, केन्द्रीय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

कल्याण विस्तार परियोजना ३४६७–६८

समिति (यां)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

धर्मस्व और न्यास ३५०२–०३

समुद्र—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

समुद्र के जीवित संसाधनों का संरक्षण ३३०६–०७

सम्पत्ति—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

शत्रु — का कस्टोडियन २९३२–३४

सम्पदा शुल्क—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सम्पदा शुल्क २८५६—५९, ३१५५, ३४२५

सम्मेलन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अखिल भारतीय सहकारी बीमा समितियों का — ३४१७

अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं— ३६३६

भारतीय भू-परिमाप विभाग का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ ३४४२

राष्ट्र मंडलीय सेना प्रमुखों का— ३४१२

विश्व जनसंख्या — ३०९१—९४

सर्किल के मुख्याधिकारियों का — ३२६०–६१

सरकारी कर्मचारी (रियों)—

देखिये "कर्मचारी (रियों)"

सरकारी कार्यालय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

केन्द्रीय सरकार के कार्यालय २९०६

प्रादेशिक दावा कार्यालय ३३२६–२७

सीमा शुल्क समाहर्ता कार्यालय, बम्बई ३४२४

सरकारी क्वार्टर—

देखिये "मकान (नों)"

सरकारी नौकरी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

केन्द्रीय सेवायें २९११–१२

सरकारी पदाधिकारी (रियों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अप्रयुक्त पारेषक २९२०–२२

सरकारी भूमि—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—पर अनधिकृत मकान बनाना ३३१४–१५

सरायपल्ली—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सड़कों का राजपथ के रूप में परिवर्तन ३२५४–५५

सर्वेक्षण—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

फ्रोम अयस्क ३१७१—७३

खनिज संसाधनों का विकास ३१२७–२९

खाद्य उपभोग — ३३०७–०८

गारो पहाड़ी रेल सम्पर्क का— ३०२६–२७

जल विद्युत् संसाधनों का — २९६८

तालडीह खनन क्षेत्र का — ३५१७–१८

बाराबील-जोदा रेलवे लाइन २८०७

भाषा सम्बन्धी — २८६८–६९

रूरकेला परियोजना २९२९–३०

रेलवे लाइनों का — २७६१–६२

स्वास्थ्य अवस्था का — ३०३४–३५

हीरे ३४४५

सहकारी आन्दोलन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सहकारी आन्दोलन २८११–१२

सहकारी खेती—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सहकारी खेती ३२९४

सहकारी बीमा समिति (यों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अखिल भारतीय — का सम्मेलन ३४१७

सहकारी बीमा समितियां ३१२४–२५

सहकारी संघ, सीतामढी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

डाकघर बचत बैंक लेखा ३६७२

सहकारी संगठन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

केन्द्रीय — २८४२

सहकारी सस्था (एं)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सहकारी संस्था ३६२२–२३

सहकारी समिति (यां)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

रेलों पर वस्तुयें बेचने के ठके ३५६०–६१

— और ठेकेदार ३५६१–६४

सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना २९६३–६४

सहगल, सरदार ए० एस०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, १९३३, ३२७८

के द्वारा प्रश्न—

कर्मचारियों के क्वार्टरों में बरसातियों का निर्माण ३५३३

सहाय, श्री श्याम नन्दन—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

चीन को भारतीय विद्यार्थियों का प्रतिनिधि मंडल २८७८

सहायता—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

अखिल भारतीय महिला खाद्य परिषद् ३३३७

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां ३४०५–०६

अमेरिकन — २९१३–१४

आसाम के लिये बाढ़ — ३३८९–९०

उड़ीसा में शालिहोत्रि कालेज ३६१३–१४

उत्तर प्रदेश की सीमा पर वन लगाया जाना २७८८–९०

एलोरा और अजन्ता २८१९–२०

औद्योगिक सम्पदायें ३२०९–१०

कागज का कारखाना ३२२४–२५

कुटीर उद्योग ३२२०–२१

कृषि कालिज ३०४४–४५

खाद्य और कृषि संगठन २७६२–६४

खानों का निदेशालय २८९८–९९

खेल २८४६–४७

गिरिडीह की कोयले की खानों में छंटनी ३१७६–७७

चीनी की मिलें २८१८

सहायता—(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न—(जारी)

छोटे पैमाने के उद्योग २९८७–८८, ३२०९
नेपाल को—३४७२–७४
पशु विकास ३५६६–६८
पशु चिकित्सा कालिज ३३१०
पांडिचेरी २९९२–९३
प्लास्टिक के ग्रामोफोन रेकार्ड ३१८०–८२
बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्नों का मूल्य २७९०–९२
बाढ़ नियंत्रण योजनायें (उत्तर प्रदेश) ३१९३–९५
बिहार में बाढ़ २९६७
बैल गाड़ी ३०७४
भारत सेवक समाज ३१८४–८५
भारत सोवियत प्रविधिक—२९२२
भारतीय उच्च आयोग, लन्दन २८८७–८९
भारतीय रेड क्रास सोसाइटी ३६६१–६२
मिट्टी संरक्षण योजनायें ३६१७–१८
राइफल चलाना ३३५१–५२
राइफल संस्थायें ३४०८
राज—प्राप्त औद्योगिक गृह निर्माण योजना २९८९
रूस से प्रविधिक (टेक्नीकल) सहायता ३५११
विदेशों में भारतीय विद्यार्थी ३१०४–०६
विस्थापित विद्यार्थी ३२००–०२
विस्थापित व्यक्तियों को—२९८५
संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय शिशु आपात निधि (यूनिसेफ) ३००२–०३
सहकारी संस्था ३६२२–२३
हरिजनों के लिये आवास योजना ३१६८–६९
होटल उद्योग को—३५४६–४८

सहारनपुर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

औद्योगिक विवाद ३३३९
यात्रियों को सुविधायें ३३३९–४०

सांख्यकी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

नौवहन—३२७९–८१

सांख्यकीय विभाग—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

स्वास्थ्य विज्ञान तथा लोक स्वास्थ्य संस्था २८३६–३७

सांस्कृतिक कार्यवाही—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

डाक कर्मचारी ३६४०–४१

सांस्कृतिक विकास योजना (यें)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण २९५२–५४

सागर रेलवे स्टेशन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मालगाड़ी के डिब्बों की कमी २७९५–९७

साबरमती—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—रेलवे यार्ड ३५४३

सामन्त, श्री एस० सी०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

कोयले का उत्पादन ३४६३
कोयले का मूल्य ३४८५
जल को मृदु बनाने के लिये संयंत्र ३३६५

सामन्त श्री एस० सी०—(जारी)

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—(जारी)

दामोदर घाटी परियोजना ३१६८
मालगाड़ी के डिब्बों का संभरण ३०१२
शंख उद्योग ३४६७

के द्वारा प्रश्न—

अण्दमान व निकोबार द्वीप ३३५२–५४
अन्दमान द्वीप समूह में खाद्य स्थिति ३०३३–३४
कला संग्रह ३११९–२२
कुटीर उद्योग ३२२०–२१
क्षेत्राधिपतियों के वित्तीय अधिकार २८१७
खनिज जल के श्रोत ३२३६–३७
खाद्य उपभोग सर्वेक्षण ३३०७–०८
खाद्य तथा कृषि प्रचार यूनिट ३५२६–२७
चिकित्सकीय कर्मचारी ३००१–०२
निर्ज्ञात पत्र कार्यालय ३५४९–५१
पर्यटक यातायात ३२९६
भारत-बर्मा सीमा पर आदिम जातीय हलचल ३४९०–९२
भारत-बर्मा सीमा-रेखा ३४९०
मिलान का नमूना मेला ३५३४–३५
मूर्तियां ३०९५–९७
रेजर ब्लेड ३५२५
रेलवे निरीक्षकालय ३६४१
सम्पदा शुल्क ३४२५
सेफ्टी रेज़र के ब्लेड ३४५४–५५
स्वास्थ्य विज्ञान तथा लोक स्वास्थ्य संस्था २८३६–३७
हिन्दी सीखने के लिये सुविधायें ३०८४–८५

सामाजिक कार्य प्रशिक्षण—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

श्रम कल्याण पदाधिकारियों का— ३३०९

सामाजिक विज्ञान गवेषणा केन्द्र—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सामाजिक विज्ञान गवेषणा केन्द्र ३४०१–०२

सामाजिक शिक्षा कर्मचारी—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

त्रिपुरा में—३१५२

सामुदायिक परियोजना (यें)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण (एजेंसी) २९९३

—के लिये प्रशिक्षण केन्द्र ३५२४

सामुदायिक रेडियो सेट—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सामुदायिक रेडियो सेट ३५३५

साम्यवादी संस्था (एं)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

नेपाली—३५२५

सायगोन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—की घटना ३१७५–७६

सार्थ—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

प्लास्टिक के ग्रामोफोन रेकार्ड ३१८७–८२
रेल का वस्तु भाड़ा ३६४६–४७
शत्रु सम्पत्ति का कस्टोडियन २९३२–३४

सार्वजनिक टेलीफोन—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सार्वजनिक टेलीफोन ३०६५–६६

सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

घाटल में सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय २८२७

सालिसिटर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

आयकर विभाग के—३१४५

सालिहुन्दर—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—में बौद्ध अवशेष ३४१०

साहित्य—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

संस्कृत—३४३६

सिंचाई—

के **सम्बन्ध में प्रश्न—**

दामोदर घाटी निगम की लिफ्ट—योजना २९२८–२९

सिंचाई की छोटी योजना (यें)—

के **सम्बन्ध में प्रश्न—**

सिंचाई की छोटी योजनायें ३५४१–४२

सिंचाई तथा विद्युत परियोजना (यें)—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

नेपाल को सहायता ३४७२—७४

सिंचाई तथा विद्युत् परियोजनायें २९५७–५९

सिंह, ठाकुर युगल किशोर—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

चावल कुटाई समिति (राइस मिलिंग कमेटी) ३०१६

जूट उत्पादन ३०२५

बिना टिकट यात्रा ३५४९

के द्वारा प्रश्न—

अखिल भारतीय सहकारी बीमा समितियों का सम्मेलन ३४१७

आई ए० एस०, आई० पी० एस० २८९९–२९००

आउट एजेंसी सेवायें ३६७१–७२

उचित मजूरी खण्ड ३३३४

काम दिलाऊ दफ्तर ३५४५

केन्द्रीय सहकारी संगठन २८४२–४३

गन्डक नदी पर बांध ३५३०–३१

गन्दी बस्तियों का उठाया जाना २९७८

चीनी उद्योग ३३३६–३७

छंटनी में लाये गये सरकारी कर्मचारी ७१५४–५५

जल-विद्युत् संसाधनों का सर्वेक्षण २९६८

झंडे ३४३२

डाक के डिब्बे ३६६४

डाकघर बचत बैंक लेखा ३६७२

तीर्थयात्री यातायात २९९५–९६

नाभिकीय विज्ञान २९९५

निर्यात की वस्तुओं के मूल्य ३२१०

पूर्व वृत्तान्त की रिपोर्टें ३६६४

प्रकाशनों का पुनःमुद्रण ३२२४

प्राथमिकता आन्दोलन ३३३३–३४

बिना टिकट यात्रा ३६७१

सिंह, ठाकुर युगल किशोर--(जारी)

के द्वारा प्रश्न--(जारी)

भोजन व्यवस्था ३०७६–७७

यात्रियों की सुविधायें ३०५९--६१

यात्री डिब्बे ३३१३–१४

युवकों के लिये होस्टल (छात्रावास) ३४४७–४८

राज्य सहकारी बैंक ३४४८

रूई वस्त्र निर्माण निधि समिति २९७४

रेलगाड़ियों में धक्के ३०२२–२३

रेलवे न्यायाधिकरण ३३२७–२८

रेलों पर वस्तुयें बेचने के ठेके ३५६०–६१

लोहा और इस्पात ३२१६

विश्वविद्यालयों में सैन्य शिक्षा ३१०९-१०

शिकायतें ३६६४-६५

शीतोष्ण नियंत्रित यात्री डिब्बे ३०७७–७८

श्रम कल्याण पदाधिकारियों का सामाजिक कार्य प्रशिक्षण ३३०९

श्रम पदाधिकारियों का प्रशिक्षण ३२९८

"श्रमिक" की परिभाषा ३२८६-८७

श्रमिकों के केन्द्रीय संगठन ३६५२–५३

सम्पदा शुल्क ३१५५

सरकारी प्रकाशन ३२०५

सहकारी आन्दोलन २८११–१२

सहकारी बीमा समितियां ३१२४–२५

सहकारी संस्था ३६२२–२३

सहकारी समितियां और ठेकेदार ३५६१--६४

सनिक शिविर ३३६१--६३

सिंह, श्री अनिरुद्ध--

के द्वारा प्रश्न--

हिन्दी में तार २८४०

सिंह, श्री आर० एन०--

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--

वायु दुर्घटनाएं ३१००

के द्वारा प्रश्न--

बड़ोदा कला भवन प्रौद्योगिक केन्द्र ३३५९--६१

रेलवे कर्मचारी २८०९–१०

विशेष कार्य पदाधिकारी ३४३८–३९

विस्थापित व्यक्तियों के दावे २९७०–७१

सिंह, श्री एम० एन०--

के द्वारा प्रश्न--

छपरा रेलवे स्टेशन २८४३–४४, ३०७८–७९, ४२९१, ३३४५

छपरा रेलवे स्टेशन पर पूछताछ कार्यालय २८४५

छपरा स्टेशन पर रेलवे शेड ३०८०

जन पथ-प्रदर्शक (सोशल गाईड) २८४४–४५

माल का ट्रांसशिपमेंट ३६०५

यात्रियों को सुविधायें ३०७९–८०

रेलवे स्टेशन ३६६३

सिंह, श्री जी० एस०--

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--

रक्षित तथा सहायक टुकड़ियां २८८४

वायु दुर्घटनाएं ३१००

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड ३१३४

सिंह, श्री झूलन—

के द्वारा प्रश्न—

अधिग्रहीत ज़मीनें २९११
कागज ३१६२–६३
काम दिलाऊ दफ्तर ३५४४–४६
कृषि कालेज ३०४४–४५
खाद्य और कृषि संगठन २७६२–६४
नदियों द्वारा परिवहन ३६२२
बहु प्रयोजनीय स्कूल २८९७
बुनियादी स्कूल ३०९४–९५
यात्री सुविधायें २८३४–३५
सस्ते रेडियो सेट ३२०२–०३
सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना २९६३–६४

सिंह, श्री टी० एन०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

भाखड़ा बांध २९१९
हीरा २९४२

सिंहभूम—

के सम्बन्ध में प्रश्न —

नये रेलवे स्टेशन २८३१–३२
बिना टिकट यात्रा २८२९–३०

सिंहासन सिंह, श्री—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

नदी घाटी परियोजनाओं के पुनरीक्षित प्राक्कलन ३४६१

के द्वारा प्रश्न—

दावे ३२८७
रेलवे सुरक्षा पुलिस ३२९७–९८
विशेष कार्य पदाधिकारी ३४३८–३९
हाथकरघा उद्योग २९९०–९१

सिकन्दराबाद—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

मध्य रेलवे पर प्लेटफार्म ३०६९

सिक्का (क्के)–

के सम्बन्ध में प्रश्न—

गिलट के—३४२०–२१
निकल के—२९०४—०५

सिक्किम-तिब्बत सडक—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

सिक्किम-तिब्बत सड़क ३०१४–१५

सिगरेट—

के सम्बन्ध में प्रश्न—

—के कारखाने ३५१६

सिन्दरी उर्वरकों तथा केमिकल फैक्टरी लिमिटेड—

के सम्बन्ध में प्रश्न —

बेंज़ोल प्राप्ति संयंत्र ३२०८–०९
सिन्दरी फर्टिलाइज़र एण्ड केमिकल्स लिमिटेड ३४७९–८०

सिन्हा, श्री के० पी०—

के द्वारा प्रश्न—

अल्प आय वर्ग आवास योजना ३४५२—५४
गेहूं ३०६३
ट्रैक्टर २७७६–७७
नल-कूप ३३२२–२३
भूमि विहीन श्रमिकों का बसाया जाना २७६६–६७
रेलवे दुर्घटना ३३१२–१३
सूती कपड़ा २९५५–५६
सोने की छड़ों की चोरी ३०५६–५७

सिन्हा, श्री जी० पी०—

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

बिहार में सूखा की स्थिति ३२७७
सैनिक शिविर ३३६२
होटल उद्योग को सहायता ३५४७

सिन्हा, श्री जी० पी०--(जारी)

के द्वारा प्रश्न--

डालमिया नगर में मंत्रियों के दौरे ३५९०-९६

नदी घाटी परियोजनाओं के पुनरीक्षित प्राक्कलन ३४६१

सिन्हा, श्री नागेश्वर प्रसाद--

के द्वारा प्रश्न--

अभ्रक निर्यात संवर्द्धन परिषद् ३५०९

ओरियन्टल पब्लिक (खुदा बख्श) लाइब्रेरी, पटना २८९९

केन्द्रीय अधिनियमों का जम्मू तथा काश्मीर राज्य में लागू होना २९०३

कोयले का उत्पादन ३४६२-६३

गिरिडीह की कोयले की खानों में छंटनी ३१७६-७७

दामोदर घाटी निगम की लिफ्ट सिंचाई योजना २९२८-२९

सी० ए० आई० ई०--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

"सी० ए० आई० ई०" ३५०७-०८

सीतामढ़ी--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

डाकघर बचत बैंक लेखा ३६७२

सीमा रेखा--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

भारत-बर्मा--३४९०

सीमा शुल्क प्राधिकारी (रियों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

सोना ३१५०

सीमा शुल्क विभाग--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

कला संग्रह ३११९-२२

सीमा शुल्क समाहर्ता कार्यालय बम्बई--

क सम्बन्ध म प्रश्न--

सीमा शुल्क समाहर्ता कार्यालय, **बम्बई** ३४२४

सीमान्त दुर्घटना--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

नेकोवाल सीमा दुर्घटना ३२३१-३२

भारत-बर्मा सीमा पर आदिम-जातीय हलचल ३४९०-९२

सीमेंट--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

--के कारखाने ३१८८-९०

सीरम तथा टीके--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

भेषज ३१६५--६७

सुपारी--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

--पर आयात शुल्क २८५३-५६

सुपाल--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

उखाड़ी गई रेलवे लाइनों का पुनः बसाया जाना ३०१३-१४

सुब्रह्मण्यम श्री टी०--

के द्वारा प्रश्न--

नदी घाटी परियोजना २९६६

सुरंग—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
भूमि के अन्दर—२९०८–०९
सुरेश चन्द्र, डा०—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
राज्य-पुनर्गठन आयोग ३६८२
हिन्दी में तार ३५७८
के द्वारा प्रश्न—
भारत इंश्योरेंस कम्पनी ३६९१
सुल्तानपुर फार्म—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
भूमि-विहीन श्रमिकों का बसाया जाना २७६६–६७
सूचना और प्रसारण मंत्रालय—
के सम्बन्ध मे प्रश्न—
सूचना और प्रसारण मंत्रालय २९९३-९४
सूती कपड़ा निर्यात संवर्द्धन परिषद्—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
सूती कपड़ा निर्यात संवर्द्धन परिषद् ३२११
सूर्य ग्रहण—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—के अवसर पर डाक व्यवस्था २७८२-८३
सेकरेड हाई स्कूल, मऊ—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
रेलवे की रियायतों का दुरुपयोग ३६०४–०५
सेन, श्रीमती सुषमा—
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—
बिहार में सूखा की स्थिति ३२७७
शिशु कल्याण २७९८
सेन, श्रीमती सुषमा—(जारी)
के द्वारा प्रश्न—
एच० टी०—२ विमान ३१३७–३८
राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल ३१३०–३१
हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड ३१३३–३४
सेना—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
असैनिक स्कूल मास्टर २८६९–७०
भारत-बर्मा सीमा पर आदिम-जातीय हलचल ३४९०–९२
मालवा भील पलटन ३४३३–३४
रक्षा सेनाओं द्वारा बचाव कार्यवाहियां ३४१२–१३
सशस्त्र बलों के अफसर और जवान ३१०६—०७
सशस्त्र बलों में भर्ती ३११३
—के इंजीनियर्स ३४२५–२६
—में सेवा ३३६५—६७
सेना छात्र (त्रों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी २८५२–५३
सेफ्टी रेजर ब्लेड—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
सेफ्टी रेजर के ब्लेड ३४५४–५५
सेमरीहरचन्द—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
—में डाकघर ३०६२
सेवा योजनालय (यों)—
के सम्बन्ध में प्रश्न—
काम दिलाऊ दफ्तर ३२३९—४१, ३५४४—४६
काम दिलाऊ दफ्तरों में नाम दर्ज कराना २८१३–१४
रेलवे वर्कशाप, खड़गपुर ३०४९–५०
रोजगार दफ्तर ३३३५

सैनिक (कों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

कनिष्ठ आयुक्त पदाधिकारियों और सामान्य — का वेतन ३३७४–७५

छावनी यातायात विनियम २९०९

जम्मू और काश्मीर में—३३९५–९६

सैनिक पदाधिकारी (रियों)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

कनिष्ठ आयुक्त पदाधिकारियों और सामान्य सैनिकों का वेतन ३३७४–७५

भूतपूर्व सैनिकों को पैंशनें ३०९७—९९

सशस्त्र बलों के अफसर और जवान ३१०६–०७

सैनिक पदाधिकारी ३४००

सैनिक, भूतपूर्व--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

भूतपूर्व सैनिक ३४२७,३६७८

—का पुनर्वास ३४३२

—को पैन्शनें ३०९७—९९

सैनिक शिविर (रों)—

के सम्बन्ध में प्रश्न--

सैनिक शिविर ३३६१—६३

सैन्य शिक्षा—

के सम्बन्ध में प्रश्न--

विश्वविद्यालयों में —३१०९–१०

सोधिया, श्री के० सी०--

के द्वारा प्रश्न--

उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण एजेंसी २९९३

उद्योग के भीतर प्रशिक्षण ३५६५–६६

जल को मृदु बनाने के लिये संयंत्र ३३६४–६५

सोधिया, श्री के० सी०--(जारी)

के द्वारा प्रश्न—(जारी)

टेक्निकल संस्थाओं को ऋण २९१२

डाक २७८०–८१

डाक व तार प्रशिक्षण केन्द्र ३६५०

पठशूली पौध का तेल ३०१६—१८

पांडिचेरी २९९२–९३

बोरी साफ करने की मशीन ३०४०–४१

यात्री सुविधा समिति ३३४४

रेलवे सामान समिति ३६१४–१५

रेलवे सुरक्षा पुलिस २८२०–२१

विदेशों में भारतीय विद्यार्थी ३१०४—०६

शत्रु सम्पत्ति का कस्टोडियन २९३२—३४

सर्किल के मुख्याधिकारियों का सम्मेलन ३२६०–६१

समुद्रपार भारतीयों के लिये हिन्दी शिक्षा ३४०६–०७

सोना ३१५०

सोनपुर--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

छपरा रेलवे स्टेशन २८४३–४४

माल के परिवहन में विलम्ब ३०६७–६८

यात्रियों को सुविधायें ३०७९–८०

सोनपुर-हाजीपुर रेलवे लाईन--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

कटिहार–सोनपुर रेलवे लाइन ३०५५–५६

सोना--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

कोलार की—की खानें ३३९४–९५

सोना ३१५०

सोना--(जारी)
के सम्बन्ध में प्रश्न--(जारी)
--का पकड़ा जाना ३३७८-७९
--की छड़ों की चोरी ३०५६-५७
हैदराबाद स्थित--की खानें ३५५८--६०

सोहाना--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
खनिज जल के स्रोत ३२३६-३७

सौराष्ट्र--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
सीमेंट के कारखाने ३१८८-९०

स्कूल--
देखिये "विद्यालय (यों)"

स्टार्च कैमिकल वर्क्स, पेप्सू--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
संयुक्त स्कंध समवाय (ज्वायंट स्टाक कम्पनियां) ३४२१-२२

स्टीमर (वाष्पयान) सेवा--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
स्टीमर (वाष्पयान) सेवा ३०३१-३२

स्टेडियम--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
फुटबाल--३४१९

स्टेण्डर्ड वेक्युम आयल कम्पनी--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
खनिज तेल २८७५--७७

स्थानीय निकाय--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
स्थानीय निकाय ३२३८-३९

स्थानीय स्वशासन सम्बन्धी केन्द्रीय परिषद्--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
स्थानीय स्वशासन सम्बन्धी केन्द्रीय परिषद् ३५५१--५४

स्थानीय स्वायत्त शासन मंत्रियों का सम्मेलन--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
स्थानीय स्वायत्त शासन मंत्रियों का सम्मेलन ३०२९-३०

स्मारक (कों)--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
ऐतिहासिक--२८९८
नई दिल्ली में भगवान बुद्ध का--३४१५-१६
भारतीय राजनायिक ३५२२-२३
मूर्तियां ३०९५--९७

स्वविवेक निधि--
के सम्बन्ध में प्रश्न--
स्वविवेक के अनुदान ३०४१-४२

स्वामी, श्री शिवमूर्ति--
के द्वारा अनुपूरक प्रश्न--
राज्य पुनर्गठन आयोग ३६८२
के द्वारा प्रश्न--
आय कर ३४२६
केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन २८३७
नदी घाटी परियोजनाओं में ट्रैक्टरों का प्रयोग २७६९-७०

स्वामीनाथन, श्रीमती अम्मू––

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न––

"राम पुनर्वर्णन" (रामा रिटोल्ड) ३३९३

[स्वास्थ्य रक्षा संस्था–

के सम्बन्ध में प्रश्न––

स्वास्थ्य अवस्था का सर्वेक्षण ३०३४––३५

स्वास्थ्य विज्ञान तथा लोक विज्ञान संस्था––

के सम्बन्ध में प्रश्न––

स्वास्थ्य विज्ञान तथा लोक स्वास्थ्य संस्था २८३६––३७

ह

हज यात्रा––

के सम्बन्ध में प्रश्न ––

हज यात्रा ३५२९–३०

हड़ताल––

के सम्बन्ध में प्रश्न––

केन्द्रीय ट्रेक्टर संस्था के कर्मचारियों द्वारा––का नोटिस ३६२७–२८

कोलार की सोने की खानों में–– ३३४५–४६

चाय बागान में–– २८४८

भारतीय वस्त्र उद्योग २९२५

हाथकरघा उद्योग––

के सम्बन्ध में प्रश्न––

हाथकरघा उद्योग २९९०–९१

हरपालपुर––

के सम्बन्ध में प्रश्न––

रेल दुर्घटना ३२९३

हरिजन (नों)––

के सम्बन्ध में प्रश्न––

भारत सेवक समाज ३१८४–८५

––के लिये आवास योजना ३१६८–६९

हवाई अड्डा––

के सम्बन्ध में प्रश्न––

आंधी की सूचना देने वाला रेडार (तेजोन्वेष) २८२५

नेपाल में विमान पत्तन ३२१४––१५

विमान यात्रा के रक्षात्मक उपाय ३२६१––६३

हसन––

के सम्बन्ध में प्रश्न––

रेलवे लाइनों का सर्वेक्षण २७६१–६२

हानि––

के सम्बन्ध में प्रश्न––

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन २६१३–१४

कांडला के पास तेल वाहक पोत म आग ३५८९–९०

नेपाल में विमान दुर्घटना ३०५४

भारतीय वस्त्र उद्योग २९२५–२६

भोपाल में फसलों को क्षति ३६०९–१०

रेलवे उपकरण को क्षति ३६५९

रेलवे की एक बड़ी नौका का डूबना ३०२७–२८

हिन्दुस्तान जहाज निर्माण कारखाना २९७७–७८

हासदा, श्री सुबोध--

के द्वारा में प्रश्न--

आदिम जाति पेय ३१५४
तार की लाइन में बाधा ३३२८–२९
मयूरभंज लाइट रेलवे (छोटी लाइन) २८१४–१५
रेरांगपुर से डाक का यातायात ३३२८
रेलवे वर्कशाप, खडगपुर ३०४९–५०
श्रीलंका में भारतीय २९७५–७६

हिन्दी---

के सम्बन्ध में प्रश्न —

समुद्रपार भारतीयों के लिये— शिक्षा ३४०६–०७
हिन्दी ३३९४, ३६०३
—अध्यापक ३४३९
—में तार २८४०, ३०६४–६५, ३५७७–७८
—सीखने के लिये सुविधायें ३०८४–८५

हिन्दी शिक्षा परिषद्--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

हिन्दी सीखने के लिये सुविधायें ३०८४

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बंगलोर

के सम्बन्ध में प्रश्न--

एच० टी०—२ विमान ३१३७–३८
रेल के डिब्बे ३६५३–५४
हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड ३१३३–३४

हिन्दुस्तान जहाज निर्माण कारखाना--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

हिन्दुस्तान जहाज निर्माण कारखाना २९७७–७८

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

मैसूर में उद्योग २९६९

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री लिमिटेड ३२२८–२९, ३५१३
—, दिल्ली २८९२—९७

हिमालय---

के सम्बन्ध में प्रश्न--

पवन शक्ति संसाधनों का विकास २८५९–६०

हिमालय क्षेत्र--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

औषधीय जड़ी बूटियां ३०८६

हीरा (रे)--

के सम्बन्ध में प्रश्न--

पन्ना में—की खानें ३३८५–८६
—का चोरी छिपे ले जाना २९१४
—तराशने के कारखाने ३२६८–६९
—पर आयात शुल्क २१२५–२६
हीरा २९४१—४३
हीरे ३४४५
हीरे की खानें २८७८–७९

हुक्म सिंह, सरदार--

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न—

भाखड़ा बांध २९१९
रेल गाड़ियों में धक्के ३०२३
सशस्त्र बलों के अफसर और जवान ३१०७
सशस्त्र बलों में भर्ती ३११३

हुबन क्लोवर––

के सम्बन्ध में प्रश्न––

हुबन क्लोवर २८२९

हेडा, श्री––

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न––

करों का भुगतान २७७९

भाषा सम्बन्धी सर्वेक्षण २८६८–६९

के द्वारा प्रश्न––

"आपका अपना टेलीफोन" योजना २७९२–९३

आयकर विभाग के सालिसिटर ३१४५

भारत-पाकिस्तान व्यापार ३२०६

हेमराज, श्री––

के द्वारा अनुपूरक प्रश्न––

स्थानीय स्वेशासन सम्बन्धी केन्द्रीय परिषद् ३५५३

के द्वारा प्रश्न––

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां ३१४८–४९

औषधीय जड़ी बूटियां ३०८६

चूने के पत्थर के निक्षेप २९०३

डेरागोपीपुर पुल ३६३६–३७

यूरेनियम निक्षेप ३५२३–२४

संयुक्त स्कंध समवाय (ज्वायंट स्टाक कम्पनियां) ३४२१–२२

सरकारी कर्मचारियों के लिये आवास स्थान ३२१८

हैदराबाद––

के सम्बन्ध में प्रश्न––

अल्प आय वर्ग आवास योजना ३४५२—५४

आय कर ३४२६

औद्योगिक विवाद ३२५३–५४

हैदरा ाद––(जारी)

के सम्बन्ध में प्रश्न––(जारी)

करों का भुगतान २७७८—८०

कुटीर उद्योग ३२२१–२२

डाक-कर्मचारियों का हैदराबाद को स्थानान्तरण ३०८७

डाक व तार घर के भवन ३०५५

नदी घाटी परियोजनाओं में ट्रैक्टरों का प्रयोग २७६९–७०

प्रारंभिक पाठशालायें (—) २९०८

बाढ़ ३४०४–०५

भाषा सम्बन्धी सर्वेक्षण २८६८–६९

वायु दुर्घटनायें ३०९९—३१०१

सामुदायिक रेडियो सेट ३५३५

सार्वजनिक टेलीफोन ३०६५–६६

—में डाकघर ३३२५

—में तार-घर ३६४१–४२

—से प्राप्त राजस्व ३३५१

—स्थित सोने की खानें ३५५८–६०

हैमिल्टन एण्ड कम्पनी, कलकत्ता––

के सम्बन्ध में प्रश्न––

कला संग्रह ३११९—२२

हैलीकोप्टर––

देखिये "वायुयान"

होटल (लों)––

के सम्बन्ध में प्रश्न––

— उद्योग को सहायता ३५४६–४८

होशंगाबाद––

के सम्बन्ध में प्रश्न––

नर्मदा पर पुल २८३३

होस्टल (लों)––

देखिये "छात्रावास"

1st

लोक-सभा

वाद-विवाद

शनिवार,
१ अक्टूबर, १९५५

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ८, १९५५

(२२ सितम्बर से १ अक्तूबर, १९५५)

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
11.11.83
Fumigated
On 18.1.80
Parliament Library

दशम सत्र, १९५५

(खंड ८ में अंक ४६ से अंक ५४ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

(खंड ८, अंक ४६ से ५४—२२ सितम्बर से १ अक्टूबर, १९५५)

स्तम्भ

अंक ४६—गुरुवार, २२ सितम्बर, १९५५

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ४५२५–२६

कार्य मंत्रणा समिति—

छब्बीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ४५२६–२७

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक और लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—असमाप्त . . . ४५२७—४६३०

अंक ४७—शुक्रवार, २३ सितम्बर, १९५५

देश में बाढ़ की स्थिति . . . . . ४६३१—३३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

देश में बाढ़ की नवीनतम स्थिति के बारे में विवरण . . . ४६३३

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा जहाज़ों के दिये जाने में विलम्ब के बारे में विवरण ४६३३–३४

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक—प्राप्त याचिका . . ४६३३–३४

आश्वासनों की कार्यान्विति के सम्बन्ध में सदस्यों को सूचना . . ४६३३—३५

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक तथा लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—प्रवर समिति को सौंप देने के प्रस्ताव—असमाप्त . . ४६३५—७५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—अड़तीसवां प्रतिवेदन–स्वीकृत ४६७५–७६

भारतीय नौवहन के विकास के लिये आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—संशोधित रूप में स्वीकृत . . . ४६७६—४७२०

रेलवे के पुनर्वर्गीकरण के बारे में संकल्प—असमाप्त . ४७२१—२६

अंक ४८—शनिवार, २४ सितम्बर, १९५५

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक और लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—संशोधित रूप में स्वीकृत . ४७२७—८३

औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . . ४७८३—४८७२

खंड २ से ६ और १ . . . . . ४८५९—७०

पारित करने का प्रस्ताव—संशोधित रूप में स्वीकृत . ४८७०—७२

स्तम्भ

अंक ४६—सोमवार, २६ सितम्बर, १६५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

केन्द्र से वित्त-पोषित बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं की प्रगति का विवरण . ४८७३

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें . . ४८७३—७४

चलचित्र (विवाचन) नियमों में संशोधन . . .

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . . ४८७३—७४

अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ४८७४

समितियों के लिये निर्वाचन—

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड— . . ४८७५

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् . . ४८७५

विद्युत सम्भरण (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित ४८७६

सभा का कार्य . . . . . ४८७६—७७

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . . ४८७७—४६५३

खंड २ से २० और १ तथा प्रस्तावना . . . . ४६१७—५३

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . ४६५३

अनुपूरक अनुदानों की मांगें—असमाप्त . ४६५३—७६

अंक ५०—मंगलवार, २७ सितम्बर, १६५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

१६५३-५४ के लिये संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन और उस के सम्बन्ध में सरकार का ज्ञापन ४६७७

अनुदानों की मांगें (रेलवे), १६५५-५६ के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तर . . . ४६७७—७८

प्राक्कलन समिति—

पन्द्रहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ४६७८

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

ग्यारहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . ४६७८

भारतीय रेड क्रास सोसाइटी (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित ४६७८

सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन (भारत)—

निधियों का स्थानान्तरण विधेयक—पुरःस्थापित . . ४६७९—८०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें . ४६७६—५०४६

	स्तम्भ
विनियोग (संख्या ३) विधेयक—	
पुरःस्थापित—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	५०४६—५०
खंड १ से ३ और अनुसूची	५०५२
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . .	५०५२
परक्राम्य संलेख (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	५०५२—७४
खंड १ से ३	५०७३
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	५०७३—७४
मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधन पर विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	५०७४—७६
अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद्	५०७६—८८
अंक ५१—बुधवार, २८ सितम्बर, १९५५	
सभा पटल पर रखे गये पत्र—	
औद्योगिक वित्त निगम का सातवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखाओं का विवरण	५०८९—९०
मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक	
राज्य-सभा द्वारा किया गया संशोधन—स्वीकृत . . .	५०९०—५१०३
नया खंड १२—क	५१०२
द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के बारे में प्रस्ताव— असमाप्त	५१०३—५०
रेलवे परिवहन की स्थिति के बारे में चर्चा—समाप्त . . .	५१५०—९६
अंक ५२—गुरुवार, २९ सितम्बर, १९५५	
सभा पटल पर रखे गये पत्र—	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की बैठकों की कार्यवाही के विवरण	५१९७
विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियम, संसद् द्वारा परिवर्तित रूप में	५१९७—९८
कतिपय रक्षा सामग्री के विदेशों में क्रय के बारे में लोक लेखा समिति को सरकार का टिप्पण . .	५१९९—५२०१
प्राक्कलन समिति—	
सोलहवां प्रतिवेदन उपस्थापित . .	५१९८
अनुपस्थिति की अनुमति	५१९८—९९
तारांकित प्रश्नों के उत्तर में शुद्धि . .	५२०२
सभा का कार्य .	

स्तम्भ

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के बारे में
प्रस्ताव—संशोधित रूप में स्वीकृत . . . ५२०३—०५—५८
अन्तर्राज्यिक जल विवाद विधेयक—
संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव–स्वीकृत . . . ५२९९—५३०७
नदी बोर्ड विधेयक—
संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . . ५३०७—३४

अंक ५३—शुक्रवार, ३० सितम्बर, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र—
सोडियम थियोसल्फेट, सोडियम सल्फाइट और सोडियम बाई-सल्फाइट उद्योगों के लिये संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और उस के सम्बन्ध में सरकारी संकल्प आदि . ५३३५
सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही का विवरण . ५३३६–३७
राज्य–सभा से सन्देश . . . . ५३३७—५४५४
समवाय विधेयक, १९५५—
राज्य-सभा द्वारा संशोधित रूप में सभा पटल पर रखा गया . ५३३८
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक—
सम्मत्तियां सभा पटल पर रखी गयीं . . . ५३३८
याचिका समिति—
छठा प्रतिवेदन—उपस्थापित ५३३८
अखिलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना भारतीय सैनिकों द्वारा उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण के विद्रोही आदिम जातीय लोगों का हताहत किया जाना . . . . . ५३३८—४०
सभा का कार्य ५३४०
भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित ५३४०–४१
नदी बोर्ड विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत . ५३४१—६३
आर्थिक नीति के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . ५३६३—५४१४
अन्त्येष्टि क्रिया सुधार विधेयक—
परिचालित करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . ५४१४—२४
भारतीय अन्य धर्मग्राही (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . . ५४२४—५४

स्तम्भ

अंक ५४—शनिवार, १ अक्तूबर, १९५५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
जलहल्ली स्थित हिन्दुस्तान मशीनी औजार निर्माण कारखाने के बारे में
श्री स्केफ का प्रतिवेदन . . . . . ५४५५—५९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र— . . . . .
नारियल जटा बोर्ड का ३१-३-५५ को समाप्त होने वाली कालावधि के लिए
अर्धवार्षिक प्रतिवेदन . . . . . ५४५९—६०
उन संस्थाओं की सूची जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम की धारा ५६-क
के अन्तर्गत विमुक्ति दी गई है . . . ५४६०
राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल विधेयक—पुरःस्थापित . . ५४६०
भारतीय मुद्रांक संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित . . ५४६०—६१
गोआ के बारे में वक्तव्य . . . . ५४६१—६२
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ५५०३
आर्थिक नीति के बारे में प्रस्ताव—संशोधित रूप में स्वीकृत . ५४६३—५५०३,
५५०३—५६४२
राज्य-सभा से सन्देश ५६४२
अनुक्रमणिका . . . पृष्ठ १—३९

लोक-सभा

शनिवार, १ अक्तूबर, १९५५

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

११-२२ म० पू०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

जलहल्ली स्थित हिन्दुस्तान मशीनी औजार निर्माण कारखाने के बारे में श्री स्केफ का प्रतिवेदन

श्री रघुवीर सहाय (ज़िला ऐटा—उत्तर-पूर्व व ज़िला बदायूं—पूर्व): नियम २१६ के अधीन मैं उत्पादन मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें; अर्थात्

> "जलहल्ली स्थित हिन्दुस्तान मशीनी औजार फैक्टरी के संबंध में कोलम्बो योजना विशषेज्ञ, श्री जे० डी० स्केफ का प्रतिवेदन।"

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): सरकार ने बंगलौर स्थित हिन्दुस्तान मशीनी औजार फैक्टरी के सम्बन्ध में श्री स्केफ के विचारों का ध्यानपूर्वक मनन किया है । श्री स्केफ की सेवायें भारत सरकार द्वारा कोलम्बो योजना के अधीन इंजनीयरी क्षमता सर्वेक्षण समिति द्वारा स्थापित मशीनी औजार तालिका के काम में सहायता देने के लिये प्राप्त की गई थीं । यह समिति देश की बेकार इंजीनियरी क्षमता का सर्वेक्षण करने के लिये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा नियुक्त कर ली गई थी । विशेषज्ञ के नाते श्री स्केफ का एक निदेश पद अभिनवीकृत निर्माण कार्यक्रम के सम्बन्ध में सिफारिश करना था जिस से कि देश की वर्तमान निर्माण क्षमता का समन्वय किया जा सके । उन्हें इस काम को पूरा करने के योग्य बनाने के लिये, सरकार बंगलौर फैक्टरी को भी श्री स्केफ के सर्वेक्षण के अन्तर्गत लाने के लिये सहमत हो गई थी । सरकार को उस समय यह विदित नहीं था कि कुछ वर्ष पूर्व श्री स्केफ ने पहले ही मशीनी औजार परियोजना और सामान्यता मशीनी औजार उद्योग में सरकार के भाग लेने के बारे में अपने विचार व्यक्त किये थे । इंजीनियरी क्षमता सर्वेक्षण समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने के शीघ्र पश्चात श्री स्केफ के प्रतिवेदन पर उत्पादन मंत्रालय द्वारा मार्च १९५४ में एक टिप्पण तैयार किया गया था । यह टिप्पण १ सितम्बर, १९५५ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७०० के उत्तर में वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा लोक सभा पटल पर रख दिया गया था ।

श्री स्केफ के कतिपय विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में जिन की ओर माननीय सदस्य ने

[श्री सतीश चन्द्र]

नियम २१६ के अधीन अपने नोटिस में ध्यान आकर्षित कराया है मैं कुछ निवेदन करूंगा ।

श्री स्केफ ने कहा है "कि अम्बरनाथ और जालहल्ली में सरकार द्वारा जो व्यय किया गया है उस के पांचवे अंश को सावधानी से निजी क्षेत्र में लगाया जाता तो पांच गुना अधिक उत्पादन होता ।" वह ठीक आधार जिस से श्री स्केफ इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, उन के प्रतिवेदन से स्पष्ट नहीं होता है। तथापि मैं इतना कहूंगा कि हिन्दुस्तान मशीनी औजार फैक्टरी की उत्पादन अनुसूची देश की मांग और गैर सरकारी क्षेत्र की उत्पादन क्षमता पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् ही तैयार की गई है और पूंजी उपकरणों का क्रय भी इसी प्रकार फैक्टरी की क्षमता और प्रस्तावित निर्माण प्रणाली से बहुत अधिक संबंधित रहा है। मैं यह भी कहूंगा, फैक्टरी में उन के एक घण्टे रहने से न पहले, न बीच में और न ही उस के पश्चात् श्री स्केफ ने फैक्टरी की उत्पादन क्षमता की आवश्यक बातों, अर्थात् उत्पादन अनुसूचियां, कार्य संचालन अनुसूचियां, मशीनें जमाने के चार्टों को जानने का कोई प्रयास किया है अतः यह प्रतीत होता है कि यह आलोचना फैक्टरी के पूंजी उपकरणों या इस की उत्पादन क्षमता का कोई विस्तृत ज्ञान के बिना ही की गई है ।

श्री स्केफ के पतानुसार रेस फैक्टरी के स्विस प्रविधिविज्ञ भारतीयों को शिल्प सिखाने में मनोवैज्ञानिक अयोग्यता के शिकार रहे हैं । इस बात का स्पष्ट अर्थ सरकार की समझ में नहीं आया है । मैं यह कहना चाहूंगा कि अब एक वर्ष से अधिक समय से स्विस प्रविधिविज्ञ इस फैक्टरी में भारतीयों को प्रशिक्षण देते रहे हैं और प्रबन्धक प्राप्त परिणामों से संतुष्ट हैं; उन्हें विश्वास है कि शीघ्र ही इस फैक्टरी को चलाने के लिये समस्त भारतीयों प्रविधिविज्ञों का दल तैयार हो जायेगा ।

श्री स्केफ कहते हैं "कि संगठन का हृदय और मष्तिष्क भारत से बाहर और भारतीय प्रबन्ध के नियंत्रण से परे है ।" वस्तुस्थिति यह है कि यह फैक्टरी पूर्णतया भारतीय नियंत्रण में है । इस प्रकार के अति सूक्ष्म उद्योग में हम विदेशों से प्रविधिक ज्ञान मंगवाये बिना काम नहीं चला सकते थे यद्यपि परियोजना का प्रारंभिक आयोजना कार्य स्विटजरलैंड में प्रविधिक परामर्शकों द्वारा किया गया है इस में कोई संदेह नहीं है कि हमारे लोगों के द्वारा इस प्रकार का अनुभव प्राप्त कर लेने के पश्चात् धीरे धीरे यह आयोजना कार्य भारतीयों को सौंप दिया जायेगा । सरकार को विश्वास है कि हम यथासमय इस मामले में पूर्णतः स्वावलंबी हो जायेंगे । श्री स्केफ का यह मत कि संगठन भारतीय प्रबन्ध नियंत्रण से परे है, तथ्यों से विपरीत है । फ़ैक्टरी का प्रबन्ध एक निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता है और आठ निदेशकों में से केवल दो निदेशक ओयरलिकिन्स के प्रतिनिधि हैं । ओयरलिकिन्स के प्रविधिक परामर्श होने के नाते उस पर उत्पादन प्रारम्भ करने के कतिपय उत्तरदायित्व हैं वे निदेशक बोर्ड के नियंत्रणाधीन हैं और उसी के प्रति उत्तरदायी हैं ।

अन्त में श्री स्केफ़ ने कहा है कि यह परियोजना "एक महान वित्तीय असफलता सिद्ध रहेगी ।" कदाचित वह यह समझते हैं कि फैक्टरी अति सूक्ष्म प्रकार के और अच्छे गुण प्रकार के अपेक्षित औजारों और मशीनों को अच्छे और आर्थिक आधार पर नहीं बना सकेगी ।, सरकार को इन संदेहों में कोई सार दिखाई नहीं देता है । फैक्टरी ने अभी उत्पादन आरम्भ किया है और सरकार आशा करती है कि उसे एक मितव्ययी

इकाई के रूप में चलाया जा सकेगा। मैं यह भी कह दूं कि इस प्रकार के मूल उद्योग की स्थापना करने में, छोटी अवधि के वाणिज्यिक लाभ से अतिरिक्त कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रखना अपेक्षित है।

मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार देश में एक उचित ढंग से आयोजित मशीनी औजार उद्योग को विकसित करने के लिये बहुत उत्सुक है। इसी उद्देश्य से उस ने इस फैक्टरी के उत्पादन कार्यक्रम का ग़ैर सरकारी उद्योग के उत्पादन कार्यक्रम के साथ समन्वय करने का प्रयत्न किया है और वह इस समन्वय को जारी रखेगी। प्राक्कलन समिति ने जिसका चौदहवां प्रतिवेदन लोक सभा के समक्ष रखा जा चुका है, इस पहलू के विषय में कुछ महत्त्व पूर्ण सिफ़ारिशें की हैं और सरकार उन सिफ़ारिशों के अनुसार समस्त मामले पर ध्यानपूर्वक विचार करेगी।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के वक्तव्य सभा के समक्ष पढ़े नहीं जाने चाहियें। उन्हें समझना प्रायः असम्भव होता है। उन्हें सभा पटल पर रख दिया जाना चाहिये और सभा का समय नहीं लिया जाना चाहिये। यह कई बार कहा जा चुका है। मुझे आश्चर्य है कि मेरे सहयोगी ने इतना लंबा वक्तव्य पढ़ा है। मैं इसे समझने में बिल्कुल असमर्थ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार के वक्तव्य का केवल सार ही बताया जाना चाहिये और पूर्ण वक्तव्य सभा पटल पर रखा जा सकता है। हम सब मंत्रालयों को इस आशय के अनुदेश जारी कर देंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

नारियल जटा बोर्ड का अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): मैं नारियल जटा उद्योग अधिनियम, १९५३ की धारा १९ के अधीन, ३१ मार्च, १९५५ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये नारियल जटा बोर्ड के अर्द्ध-वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या २८]**

उन संस्थाओं की सूची जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम की धारा ५६-क के अन्तर्गत विमुक्ति दी गई है

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : मैं वित्त विधेयक १९५३ पर हुई चर्चा के समय १८ अप्रैल, १९५३ को लोक सभा में दिये गये आश्वासन के अनुपालन में, उन संस्थाओं की एक सूची सभा पटल पर रखता हूं, जिन को भारतीय आयकर अधिनियम, १९२२ की धारा ५६–क अधीन १९५४–५५ में विमुक्ति दी गई है।

सूची

कोई नहीं

राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल विधेयक

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : डाक्टर काटजू की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के नागरिकों को सैनिक प्रशिक्षण देने के लिये राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

सरदार मजीठिया : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

भारतीय मुद्रांक (संशोधन) विधेयक

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : श्री ए० सी० गुह की ओर से प्रस्ताव करता हूं भारतीय मुद्रांक

[श्री बी० आर० भगत]

अधिनियम, १८९९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

श्री बी० आर० भगत : मैं विधेयक को* पुर:स्थापित करता हूं ।

गोआ के बारे में वक्तव्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : कुछ दिन हुए प्रश्नों के समय में मुझ से पूछा गया था कि हम ने पुर्तगाल में अपने हितों की देख-भाल करने के लिये क्या व्यवस्था की है । मैं ने उस समय कहा था कि हम इस मामले में किसी मित्र देश से सहायता प्राप्त करने की आशा करते थे । मुझे सभा को यह बताते हुए प्रसन्नता होती है कि हम ने मिश्र की सरकार से पुर्तगाल में हमारे हितों की देख-रेख करने की प्रार्थना की है । अभी तक हमारे पास उस का कोई उत्तर नहीं आया है किन्तु मुझे पूर्ण आशा है कि वह मान जायेगी ।

सभा को विदित है कि भारत और मिस्र के परस्पर सम्बन्ध बहुत मित्रतापूर्ण रहे हैं और बहुत से मामलों में दोनों देशों के बीच सहयोग बना रहा है । बांडुंग सम्मेलन के पश्चात्, यह सहयोग और अधिक घनिष्ट हो गया है, और मुझे अभी हाल में काहिरा जाने का अवसर मिला था । हमारे समान ही, मिस्र ने भी शक्ति गुटों से पृथक रहने और स्वतन्त्रता नीति का पालन करने की नीति अपनाई है । हम ने इस विश्वास का स्वागत किया है और हमें विश्वास है कि इस प्रकार की नीति के अनुपालन से शान्ति के उद्देश्य में सफलता मिलती है ।

श्री कामत (होशंगाबाद) : कल प्राय: सभी दलों के कुछ सदयस्यों ने श्री एन० जी० मोरे को गोआ में दस वर्ष का कारावास दंड दिये जाने के बारे में एक अल्प सूचना प्रश्न पूछा था तो प्रधान मंत्री ने कहा था कि क्योंकि पुर्तगाल के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है और न ही वहां हमारा कोई प्रतिनिधि है, अत: इस विषय में जांच करने से कोई परिणाम नहीं निकलेगा । क्या मिस्र सरकार को गोआ में हमारे हितों की देख रेख करने की प्रार्थना करते हुए इस विषय में भी . . . . .

श्री जवाहरलाल नेहरू : गोआ में नहीं किन्तु पुर्तगाल में ।

श्री कामत : तो क्या गोआ में हमारे हितों की देख रेख करने वाला कोई नहीं, है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : हो सकता है कि बाद में कोई उपाय निकाला जा सके । किन्तु हमारा अन्य सरकार से, पुर्तगाल सरकार से, ही सरोकार है, जिस के साथ हमारा कोई कूटनीतिक संबंध नहीं है । इसलिये हमें हमारी सरकार की ओर से हमारे देश और हमारे हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिये किसी अन्य देश की सहायता लेना है । बाकी बातें बाद में होंगी ।

श्री कामत : पुर्तगाल सरकार गोआ को अपना आन्तरिक भाग समझती है, अत: वहां भी हमारे हितों की देख रेख मिस्र द्वारा की जा सकती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अल्प सूचना प्रश्न की अनुमति नहीं दी गई है । अत: अब सभा आर्थिक नीति संबंधी प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी ।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित किया गया ।

आर्थिक नीति के बारे में प्रस्ताव

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : कल माननीय मंत्री द्वारा प्रस्ताव का संशोधन किये जाने पर हमने अपने प्रस्ताव रखे हैं। क्या मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तत कर सकता हूं?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दे दूंगा।

श्री एस० एन० दास (दरभंगा–मध्य) : कल कुछ प्रस्ताव रखे गये थे, क्या उन्हें आज प्रस्तुत करने की अनुमति दी जायेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई त्रुटि नहीं होगी तो उन सब प्रस्तावों को जो कल प्रस्तुत नहीं किये गये थे, प्रस्तुत किया गया समझ लिया जायेगा। दलों के नेताओं को ३० मिनट मिलेंगे। प्रत्येक दल के लिये समय निर्धारित कर दिया गया है। अब यह उन के नेताओं पर निर्भर है कि वह सारा समय स्वयं ही ले लें या अपने दल के अन्य सदस्यों को भी अवसर दें। किन्तु किसी भी दल का समय बढ़ाया नहीं जायेगा।

श्री एन० आर० मुनिस्वामी (वान्दिवाश) : जो सदस्य किसी दल में नहीं हैं, उन का क्या होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : वे प्रतीक्षा ही करते रहेंगे ।

श्री एम० पी० मिश्र (मुंगेर उत्तर-पश्चिम) : कल मैं अर्ज कर रहा था कि पहली पंचवर्षीय योजना में खेती की पैदावार को पहली और सब से ऊंची जगह दी गई थी, और इस दिशा में हम ने जो लक्ष्य बनाये थे, हमारे देश के किसान उस से भी आगे चले गये। यह एक ऐसी चीज है कि जिस के लिये हमारा देश अभिमान और गर्व भी कर सकता है। लेकिन हमारे लिये इस से भी और बड़े गर्व और अभिमान की बात यह हुई है कि पिछले चार पांच वर्षों के अन्दर इस देश की भूमि व्यवस्था में ऐसे बड़े परिवर्तन हुए हैं ऐसे क्रान्तिकारी परिवर्तन हमारे राज्य की सरकारों ने किये हैं, जिन को करने के लिये दुनिया के और देशों में सदियां लग गई थीं, और जिन को करने में, मेरा मतलब भूमि व्यवस्था के बदलने से है, दुनिया के और देशों में खून की नदियां बहाई गई थीं, ताज और तख्त उल्ट गये थे। वह काम इस देश में अहिंसा के जरिये, शान्ति के जरिये, कानून के जरिये और बिना खून की एक बूंद बहाये पिछले चार, पांच वर्षों के अन्दर हुए हैं। और वह काम हैं जमींदारी प्रथा, जागीरदारी प्रथा और ताल्लुकदारी प्रथा का इस देश से उन्मूलन। यह एक बड़ा शान्दार अध्याय हमारे देश में खोला गया है, जिस के लिये न सिर्फ हम बल्कि आने वाली सन्तान भी गर्व अनुभव करेगी।

इस दिशा में मुझे सिर्फ एक ही अफसोस है कि अब भी कई राज्यों में यह काम पूरा नहीं हुआ है और हम समझते हैं कि इस काम को जितना जल्द पूरा कर दिया जाय देश के लिये उतना ही भला होगा।

इस के साथ ही यह भी मानना होगा कि सिर्फ जमींदारी उठा देने से ही देश की जमीन, देश की भूमि व्यवस्था का मसला हल नहीं हो सकता। इस से भी बड़ा काम, जो कि अभी नहीं हुआ है, वह है जमीन का बंटवारा, वह है देश में नई भूमि व्यवस्था बनाना। और मुझे इस बात को खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने तो नहीं लेकिन योजना आयोग ने बड़ी ढुलमुल नीति से काम लिया है। उस ने अभी तक तय ही नहीं किया है कि देश में जमीन का बंटवारा किस ढंग से होगा। जमीन के बटवारे की खास बात यह है कि एक परिवार ज्यादा से ज्यादा कितनी जमीन अपने पास रख सकता है। और इस सम्बन्ध में योजना आयोग क कोई फैसला नहीं किया है। आज भी उन

[श्री एम० पी० मिश्र]

की कमेटियां बैठ रही हैं, और इसी लिये इस दिशा में कोई खास काम नहीं हुआ है ।

मैं मानता हूं कि यह काम राज्य सरकारों का है और वह इस दिशा में कुछ कार्य कर भी रही हैं । लेकिन यदि उन्हीं पर यह कार्य छोड़ दिया जाय तो फिर योजना आयोग की क्या जरूरत रह जाती है । इस देश में जो राज्य सरकारें हैं वह भी उसी दल की हैं जिस दल की कि केन्द्र में सरकार है । एक बात जो सब से बड़ी है और इस देश के लिये बहुत महत्व की भी है और जिस के बारे में योजना आयोग अभी कोई फैसला नहीं कर पाया है वह यह है कि जो बड़े बड़े फार्म हैं इस देश में उन को तोड़ा जायेगा या नहीं । एक बात तो हुई है । कुछ सरकारों ने उत्तर प्रदेश की सरकार ने और दिल्ली की राज्य सरकार ने, यह कानून जरूर बनाया है कि जिन परिवारों के पास अभी ३० एकड़ या उस से ज्यादा जमीन है वह नई जमीन नहीं खरीद सकेंगे । लेकिन यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है । उन लोगों का क्या होगा जिन के पास हजारों और लाखों एकड़ जमीन है ?

श्री एल० एन० मिश्र (दरभंगा व भागलपुर) : लाख एकड़ जमीन है ?

श्री एम० पी० मिश्र : जी हां, लाखों एकड़ जमीन है । हमारे सूबे में चार जमींदारों ने आचार्य विनोबा भावे को कई लाख एकड़ के जंगल पहाड़ दान में दिये हैं । हैदराबाद में भी अभी कितने ही जागीरदार वगैरह हैं जिन के पास कितनी ही जमीन पड़ी हुई है । खुद निजाम के पास ही करीब करीब ५० लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है ।

अभी कल ही हमारे एक भाई सरदार लाल सिंह साहब ने कहा कि आधुनिक ढ़ंग से इस देश में खेती होनी चाहिये और उस के लिये बड़े बड़े फार्म रहने चाहियें । लेकिन मैं कहता हूं कि हम को यह बात नहीं भूलनी चाहिये कि इस देश की एक समस्या जो बहुत बड़ी समस्या भी है, वह आबादी की है, वह उन लोगों की है जो खेती करते हैं और जिन की आबादी , इस देश की कुल आबादी की ७० प्रतिशत या ७५ प्रतिशत है । इस लिये यदि यंत्रों से, या ट्रेक्टरों से या मशीनों से खेती की गई तो मैं समझता हू कि यह खेती हमारे देश के लिये घातक सिद्ध होगी और यह इस देश के लिये बड़ा अनर्थ होगा । अभी तक हमारे देश में ऐसे साधन उपलब्ध नहीं हैं जिन से हम इस देश के लोगों को इन जमीनों से हटा कर के और जगह लगा सकें । अगर ट्रैक्टरों वगैरह से खेती की गई तो जो लोग खेती पर काम करते हैं वे बेरोजगार हो जायेंगे । वे क्या करेंगे ? मुझे तो यही लगता है कि वे लाल झंडे के नीचे ही जायेंगे । इस लिये मैं समझता हूं आधुनिक ढ़ंग से यदि खेती की गई तो यह ठीक नहीं होगा और इस तरह से खेती करने का नारा एक गलत नारा है । हमारे देश में तो खेती हलों और बैलों इत्यादि के जरिये से ही होनी चाहिये और यही एक ठीक तरीका भी है । हां यह हो सकता है कि जो हल हैं वह नये होने चाहियें अच्छी किस्म के होने चाहियें, और बैलों के नसल भी मजबूत होने चाहियें । और इसी तरह की जो और छोटी मोटी कमियां हैं वह दूर होनी चाहियें ।

सब से बड़ी चीज जो है, वह यह है कि हमारी धरती प्यासी है । इस को पानी चाहिये, इस के लिये सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिये इस के लिये आबपाशी की व्यवस्था होनी चाहिये । अभी मुश्किल से पांच करोड़ एकड़ जमीन ही ऐसी है जिस को कि समय पर पानी मिलता है और बाकी जो जमीन है वह प्रकृति पर ही, नैचर पर ही निर्भर करती है । ऐसी दशा में बहुत समय लगेगा जब कि भारत इस

स्थिति में होगा कि वह बहुत दौलत पैदा कर सके और तभी दौलत को बांटना संभव होगा। लेकिन जब तक वह दौलत नहीं बटती है, जब तक दौलत पैदा नहीं होती है तब तक मैं समझता हूं कि इस देश के लिये एक ही रास्ता है कि वह अपनी गरीबी भी बांट ले। उस गरीबी को बांटने का एक ही रास्ता है कि इस देश में जमीन का बंटवारा हो और जो बड़े बड़े फार्म हैं और जो बड़े बड़े खेत हैं, वह तोड़ दिये जायें और गरीबों के बीच बांट दिये जायें। इस सम्बन्ध में जो फैसला योजना आयोग को करना है वह उस के करने में बहुत देरी कर रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि जापान जब लड़ाई में बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गया था और वहां पर अमरीकी सेनापति का कब्जा था, तब अमरीकी प्रशासन ने सन् १९४६ में हुक्म जारी किया जापान की सरकार को कि चार महीनों के अन्दर अन्दर एक योजना बनाई जावे जिस से कि जमीन का बटवारा हो सके। इस के बाद दो साल के अन्दर जापान में जमीन का बटवारा हो गया और बड़ी शान के साथ हो गया। जापान में जमीन की समस्या उतनी भयानक नहीं थी जितनी भयानक वह इस देश में है। वहां पर जमीन की पैदावार भी अच्छी होती है और वहां पर आधे से ज्यादा लोग उद्योगों में लगे हुए हैं। एक विदेशी सरकारी अधिकारी ने जिस का नाम जनरल मकार्थर था, वहां पर चार महीनों के अन्दर एक योजना बनवा दी और दो साल के अन्दर जमीन का बटवारा कर दिया। हमारी प्लानिंग कमिशन को बैठे हुए पांच साल हो गये हैं लेकिन उस ने अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। इस लिये मेरा निवेदन है कि जमीन के बटवारे का सवाल जल्दी से हल हो जाना चाहिये। इस में एक बात और भी है, मैंने देखा है कि वह लोग भी जिन के पास दो हजार बीघा जमीन है और वह भी जिन के पास दो बीघा जमीन है घबराये हुए हैं, और उन को पता नहीं कि उन की जमीन का क्या बनेगा। उन को यह मालूम नहीं कि वह जमीन उन के पास रहेगी या नहीं। और किसानों की जमीन में दिलचस्पी घटती जा रही है। इसलिये भी जमीन के बटवारे का फैसला तुरन्त हो जाना चाहिये ताकि लोगों को पता लग जाये कि कितनी जमीन किस के पास रहेगी। हम तो समझते हैं कि किसी भी परिवार के पास २५ या ३० एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रहनी चाहिये। इस सम्बन्ध में आचार्य विनोबा भावे ने आज जो आन्दोलन चलाया है उस के लिये मेरे दिल में बड़ी श्रद्धा है और मैं समझता हूं कि यह आन्दोलन सफल हो गया है : उस की सफलता इसी में है कि देश में एक ऐसा लोकमत तैयार हो जाये जो कि जमीन का बंटवारा चाहता हो और न्यायोचित बटवारा चाहता हो। इस में वह सफल हो गये हैं और मैं समझता हूं कि उस के आगे यह आन्दोलन नहीं जा सकता और जब सरकार का काम है कि इस आन्दोलन के बाकी काम को वह करे।

एक और बहुत बड़ा सवाल है और जिसका जिक्र कल हमारे कृषि मंत्री जी ने भी किया वह है गरीब किसानों को कर्जे देने का सवाल। आप जानते हीं होंगे कि इस देश में हर साल किसान ७५० करोड़ रुपया कर्जे में लेते हैं और इस में सिर्फ ६ प्रतिशत, तीन प्रतिशत प्रान्तीय सरकारें और तीन प्रतिशत सहकारी संस्थायें, किसानों को देती हैं। बाकी जो ९४ प्रतिशत कर्जा है उस के लिये उन को महाजनों के पास ही जाना पड़ता है। जो महाजन लोग हैं वह किसानों का आधा सेर गोश्त पीछे मांगने की बजाये पहले ही मांग लेते हैं। हमारे सूबे में यह हाल है कि अगर किसी को ५०० रुपये की जरूरत पड़ जाती है तो वह आदमी जब किसी महाजन के पास जाता है तो वह महाजन उस से २००० रुपये का रुक्का पहले ही लिखवा लेता है। इसलिये जो किसान

[श्री एम० पी० मिश्र]

कर्जा लेते हैं वह पहले की महाजनों और साहूकारों के हाथ में बिक जाते हैं। उन को बचाने के लिये एक उचित योजना रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी ने दी है और हमारे कृषि मंत्री न बताया है कि सरकार उस पर चलेगी। यह जो ७५० करोड़ रुपया किसान कर्जे के रूप में लेते हैं मैं जानना चाहता हूं कि हर साल सरकार अपनी योजना के मुताबिक कितना रूपया उन को देगी और बाकी के लिये क्या प्रबन्ध करेगी। कल कृषि मंत्री जी ने बताया कि सरकार २२५ करोड़ रुपये देना चाहती है यह जो २२५ करोड़ रुपये सरकार देने का विचार कर रही है क्या यह एक साल के अन्दर दिये जायेंगे या दो साल के अन्दर या पांच साल के बाद दिये जायेंगे .....

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन): हर साल दिये जायेंगे।

श्री एम० पी० मिश्र: धन्यवाद :

मेरा ख्याल है कि यह गोरवाला कमेटी ने जो काम किया है उस के लिये मैं सदन की तरफ से उसे धन्यवाद देता हूं उस ने एक बहुत ही शानदार काम किया है इस देश के लिये। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय इस के साथ एक और सवाल है जिस की ओर शायद हमारे कृषि मंत्री ने ध्यान नहीं दिया। मैं समझता हूं वह सवाल इस देश के लिये एक बड़ा सवाल है और वह है सायल इरोजन का। जमीन की उपजाऊ परतें टूटती जा रही हैं, कुछ तो जंगलों के कटने से और कुछ खेतों की भारी जुताई के कारण से। और इस के और भी कई कारण हो सकते हैं। राजस्थान में रेगिस्तान के बढ़ने से भी यह समस्या पैदा हो गई है। पहली पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार ने दो करोड़ रुपये इस के लिये रखे थे। इस के अलावा प्रान्तीय सरकार को अभी अलग से खर्च करना था। और कुछ कानून भी बनने थे और कुछ रिसर्च या अन्वेषण वगैरह होना था। हमारी राय है कि कृषि मंत्री ने और सरकार ने इस ओर उतना ध्यान नहीं दिया है जितना कि देना चाहिये था। कुछ लोगों की राय है कि यदि जमीन की उपजाऊ परतों को बचाने की कोई उचित कार्यवाही न की गई और कोई उचित कदम न उठाये गये तो बहुत जल्दी ही इस देश की जमीन बर्बाद हो जायेगी और खेती खत्म हो जायेगी। तपेदिक का रोग जिस तरह से एक इन्सान के लिये घातक सिद्ध होता है उसी तरह से यह जो सायल इरोजन है वह भी भूमि के लिये घातक सिद्ध होता है। इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार को इस ओर उचित ध्यान देना चाहिये।

इस के साथ ही, जैसे कि मैं कल निवेदन कर रहा था, पहली पंचवर्षीय योजना में हम ने जो खेती को प्राथमिकता दी थी वह जायज थी। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना में वह जगह खेती से छीन ली गई है और वह जगह बड़े उद्योगों को दी जा रही है। मैं इस को भी एक आधुनिक भ्रम समझता हूं कि किसी पिछड़े हुए देश का उद्धार औद्योगीकरण से हो सकता है। इस को मैं मार्डन मिथ मानता हूं। मैं इस बात को फिर दोहराना चाहता हूं कि इस देश की पहली समस्या आबादी है। अंग्रेजों ने इस देश में डेढ़ सौ साल में इतने उद्योग बनाये, पर उन में कितने लोग लगे हुए हैं? मुश्किल से ३० या ३५ लाख। अगर हम इंगलिस्तान की तरह अपने देश में उद्योग बनाना चाहें तो उस के लिये रुपया कहां है। उस रुपये के लिये हम को अपने देश को गिरवी रख देना पड़ेगा। अगर हम दस साल में अपने देश को इंगलेंड की तरह एक औद्योगिक देश बना भी दें तो तीन चार करोड़ आदमी उन उद्योगों में लग सकेंगे जब कि उतने ही समय में हमारे यहां पांच करोड़ नये आदमी पैदा हो जायेंगे। इसलिये हमें बड़े उद्योगों के फेर में नहीं पड़ना चाहिये। अगर हमारे यहां

बड़े उद्योग हों तो हमें उन के लिये बाजार चाहिये और उन के लिये बाजार तभी हो सकता है, जबकि जनता में क्रयशक्ति हो, पर हमारे किसानों में क्रयशक्ति का अभाव है। इसलिये यह जरूरी है कि इस देश में सब से पहले कृषि को ही एक उद्योग बनाया जाये और उस के साथ छोटे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाये उसके बाद बड़े उद्योगों का समय आवेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी खेती को वही जगह और महत्व मिलना चाहिये जो कि उसे पहली पंचवर्षीय योजना में मिला था।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्तुत किये दिखाये गये अतिरिक्त प्रतिस्थापन प्रस्ताव यह हैं :

क्रम संख्या २१,२२, २४, और २५।

श्री एस० एन० दास ने संशोधन संख्या २१ और २२ और श्री एन० राचय्या (मैसूर रक्षित अनुसूचित जातियां) ने संशोधन संख्या २३ प्रस्तुत किये।

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर यह रख दिया जाये;

> "this House having considered the economic policy of the Government of India with special reference to Agriculture, Land and Rural Credit expresses satisfaction at the steps taken so far and endorses the policy envisaged for the future."
>
> ["यह सभा भारत सरकार की आर्थिक नीति विशेषकर कृषि, भूमि तथा ग्राम्य ऋण पर विचार कर के अब तक की गई कार्यवाहियों पर सन्तोष प्रकट करती है और भविष्य के लिये बनाई गई नीति का समर्थन करती है।"]

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव भी चर्चा के लिये सभा के सम्मुख रखा जाता है।

श्री लक्ष्मय्या (अनन्तपुर) : पहले मैं अपना यह प्रतिस्थापित प्रस्ताव रखना चाहूंगा कि सरकार को चाहिये कि वह ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण के प्रतिवेदन में की सिफारिशों को लागू करे और कृषकों के लिये ऋण सुविधायें और भाण्डार गृहों की व्यवस्था करे जिस से कि उन की क्रय शक्ति बढ़े और जीवन स्तर में उन्नति हो सके।

मैं सरकार को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में जो प्रगति हुई है उस के लिये बधाई देता हूं। यह कहना अत्युक्ति न होगा कि हमारा देश विश्व में एक प्रगतिवादी देश समझा जाता है और उस का स्थायी स्थान है।

वास्तव में खाद्यानों, चीनी तथा अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं की स्थिति अब काफी सन्तोषजनक है। अब तक न केवल लक्ष्यों को ही पूर्ति हुई है वरन्, अतिरेक उत्पादन होने लगा है और कुछ खाद्यान्नों का निर्यात भी होता है फिर भी अभी हमें उत्पादन में कुछ और वद्धि करनी चाहिये।

हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और खाद्य के मामले में इस का संसार में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रहा है। माननीय मंत्री के वक्तव्य से ज्ञात होता है कि इस वर्ष हम ने आठ लाख टन खाद्यानों का आयात किया है। मेरा निवेदन यह है कि हमें और भी अधिक लगन और उत्साह से उत्पादन म वृद्धि करनी चाहिये जिस से कि न केवल हम आत्मनिर्भर ही हो जायें वरन् हमारा देश संसार भरका 'अन्नागार' बन जाये। वह 'अन्नपूर्ण के स्थान पर 'अन्नदाता' बन जाये। तभी जाकर कृषि प्रधान देश कहलाने की सार्थकता

[श्री लक्ष्मय्या]

प्रकट होगी । मुझे हर्ष है कि इस सब के लिये प्रयत्न किया जा रहा है । हमें आयात करने के बजाय निर्यात करना चाहिये तथा हमारा तथा खाद्य और कृषि मंत्रालय का उद्देश्य भी यही होना चाहिये । पर्याप्त रक्षित भंडार रखने के लिये भी हमें खाद्यान्नों का आयात किसी भी दशा में नहीं करना चाहिये ।

कृषि हमारे देश का व्यवसाय ही नहीं वरन् परम्परा है । जैसा कि कहा जाता है कृषक सभ्यता के बनाने वाले होते हैं । यही चीज हमारे साथ भी लागू होती है । किन्तु हमारे देश में उन की उपेक्षा हो रही है : अतः उन के लिये ऋण सुविधा को व्यवस्था करना आवश्यक है । आज उन की दशा बड़ी ही शोचनीय है । प्रमुख रूप से इन को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है जिनमें सब से खराब अवस्था है मध्यम वर्ग के गरीब भूस्वामियों की । वे ऋण के भार से बुरी तरह दबे हुए हैं । इस का यही कारण है कि हम कृषि को रुचि में नहीं लेते हैं । मंत्रालय ने उन की दशा सुधारने के लिये बड़ी बड़ी ऋण समितियां और बंधक बैंक तथा विपणन बैंकों की स्थापना की है । इन कार्यों के लिये जो कई करोड़ रुपये की राशि ऋण के रूप में दी जाने वाली है वह धनी साहूकारों को न दी जा कर मध्यम वर्ग के भूस्वामियों को मिलनी चाहिये । आंकड़ों से पता लगता है कि गरीब कृषकों पर ७५० करोड़ रुपये का ऋण है । अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि कम से कम ३०० करोड़ रुपया उस प्रयोजन के लिये नियत किया जाना चाहिये । तभी लगभग आधी जनसंख्या को लाभ प्राप्त हो सकेगा । इस कारण कृषकों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में वृद्धि की जानी चाहिये केवल तभी उन का भला हो सकेगा अन्यथा नहीं । ग्राम्य क्षेत्रों में ऋण सम्बन्धी सुविधाओं से न केवल उत्पादन में वृद्धि होगी वरन् सभी प्रकार से उन की दशा सुधरेगी ।

कृषकों की दरिद्रता का कारण मूल्यों का उतार चढ़ाव है । भारतीय कृषि एक प्रकार का जुआ है । जरा जरा सी घटा बढ़ी का प्रभाव उस पर पड़े बिना नहीं रहता है । इस कारण मूल्य समर्थन नीति का होना अनिवार्य है । कई बार तो जितना परिश्रम किया जाता है उस के अनुपात से उन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है । खाद्यान्नों के मूल्य के गिर जाने और अन्य पदार्थों के मूल्यों के बढ़ जाने से उन्हें जीवन निर्वाह करना तक कठिन हो जाता है, फिर भला विवाह तथा अन्य कार्यों के लिये पैसा जुटाने का प्रश्न ही नहीं उठता है परिणाम यह होता है कि उन्हें अत्याधिक ऊंची ब्याज पर ऋण लेना पड़ता है । इस को रोकने के लिये सहकारी समितियों का होना आवश्यक है ।

मुझे हर्ष है कि सरकार ने गेहूं के सम्बन्ध में मूल्य समर्थन नीति लागू कर दी है किन्तु माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि अधिकांश जनसंख्या का आधारभूत भोजन होने के कारण चावल के सम्बन्ध में वही नीति अपनाई जानी चाहिये ।

ऐसा करने से कृषकों में विश्वास की भावना उत्पन्न होगी । सरकार को कुछ व्यापारिक फसलों के मूल्य कुछ वर्षों के लिये निश्चित कर देने चाहियें । इस से कृषक वे ही फसलें बो देंगे जिन से उन्हें लाभ होगा । खाद्यान्नों का मूल्य अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्य के समान होना चाहिये । यदि ऐसा नहीं होगा तो अन्ततोगत्वा उसे फिर ऋण का ही सहारा लेना पड़ेगा। ये विपणन समितियां और ग्राम्य समितियां कृषकों को ऋण सुविधायें दे सकेंगी । मैं तो चाहता हूं कि 'फसल ऋण' के लिये भी व्यवस्था की जानी चाहिये। भाण्डार गृहों और गोदामों की व्यवस्था किये जाने के साथ साथ मूल्य समर्थन नीति से उन की क्रय शक्ति बढ़ेगी ।

आज भूमि जोतने वाले की भूमि होनी चाहिये, यह नारा लगाया जा रहा है किन्तु भूमि के विभाजन से देश की कृषि व्यवस्था और भी खराब हो जायेगी। कृषि के विकास के लिय कुछ उद्योगों की अपेक्षा अधिक ऋण की आवश्यकता होती है। कृषकों के ऋण-मुक्त हो जाने का सब से बड़ा कारण यह है कि जितना उत्पादन होना चाहिये उतना नहीं हो पाता है। क्रय शक्ति के कम होने के कारण उन की दशा में अग्रेतर सुधार नहीं हो पाता है।

जब तक सरकार छोटे-छोटे खेतों को मिलाने का प्रयत्न नहीं करती तब तक न तो उत्पादन में वृद्धि हो सकती है और न उन को दशा में सुधार ही हो सकता है। देश की तमाम बेकार भूमि को कृषि योग्य बना कर उस पर सहकारिता के आधार पर खेती की जा सकती है।

कृषि मजदूरों की दशा और विशेषकर दक्षिण में तो बहुत ही शोचनीय है। लगभग आधे वर्ष तक उन्हें बेकार रहना पड़ता है। बेकारी से अनेक प्रकार के उपद्रव आदि बढ़ते हैं। अतः उन्हें पूरे वर्ष के लिये काम दिलाने की व्यवस्था की जानी चाहिये। दक्षिण भारत बहुत पिछड़ा हुआ है। इस कारण उस भाग में कुछ उद्योग स्थापित कर के मजदूरों को काम दिया जा सकता है। रायलासीमा में कोई न कोई उद्योग आरम्भ किया जा सकता है। अतः मैं यही कहूंगा कि कृषकों की सम्पन्नता पर ही देश की सम्पन्नता निर्भर है। इस कारण उन की दशा सुधारने के लिये सभी संभव उपाय किये जाने चाहियें।

श्री भागवत झा आजाद (पूर्निया व संथाल परगना) : माननीय खाद्य और कृषि मंत्री ने अपने भाषण में जो देश की खाद्य परिस्थिति पर प्रकाश डाला है, उस से हम सबों को सन्तोष है। इस में कोई सन्देह नहीं है कि देश की खाद्य परिस्थिति में बहुत सुधार हुआ है और प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रथम तीन वर्षों में हम ने अपने खाद्य की पूर्ति में जो सफलता पाई है वह माननीय मंत्री जी के लिये और इस सरकार के लिये सराहनीय है।

आप ने अपने विशद भाषण में विभिन्न आंकड़ों की ओर हमारा ध्यान दिलाया है और उस में आप ने बतलाया है कि न केवल हमारे उत्पादन में वृद्धि हुई है बल्कि सिंचाई की योजना सम्पूर्ण देश में पूरी रफ्तार से चलाई जा चुकी है। आप ने यह बताया है कि बंजर भूमि को भी इस देश में बहुत काफी परिमाण में जोत के अन्दर लाया गया है लेकिन यह मानते हुए कि खाद्य और कृषि मंत्रालय ने इस देश की खाद्य स्थिति में काफी उन्नति की है, मैं उन तमाम आंकड़ों की ओर न जा कर आप का ध्यान सिर्फ उन कमियों की ओर दिलाना चाहता हूं जिन को कि और अभी खास ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। पंचवर्षीय योजना में उल्लिखित भूमि सुधार योजना के मुख्यतः दो आधार माने गये हैं और वह हैं सामाजिक न्याय तथा उत्पादन की वृद्धि। हम को देखना चाहिये कि इस प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्त काल तक हम ने इन दोनों स्थितियों में यानी सामाजिक न्याय प्राप्त करने में और उत्पादन की वृद्धि करने में कहां तक सफलता पाई है।

इस में सन्देह नहीं कि हम इंटरमीडियरीज को, जमींदारों को तथा ऐसे व्यक्तियों को जिन के पास प्रान्तों में जरूरत से ज्यादा जमीन थी दूर करने में हम ने काफी सफलता पाई है, यह ठीक है कि साढ़े बाईस लाख इंटरमीडियरीज को हम ने खत्म कर दिया है और १६०० लाख एकड़ भूमि हमारे हाथ में आई है। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी देखना चाहिये कि हमारे देश में कुल कितने

[श्री भागवत झा आजाद]

इंटरमीडियरीज अब तक हैं और कितनी जमीन और है जो इन महानुभावों के पास पड़ी है, कितने लोग ऐसे हैं जो अब तक अपनी जमीन की चाहारदीवारी तक नहीं घूम पाये हैं। यद्यपि अब तक हम ने १६०० लाख एकड़ भूमि इन साढ़े बाईस लाख इंटरमीडियरीज के पंजे से ली है, लेकिन फिर भी हमारे लिये अभी बहुत बड़ा काम बाकी है। उस के बाकी रहने का कारण यह है कि हम ने उन के मुआविजे की दर इतनी ज्यादा रक्खी है कि वह हमारे राज्य सरकारों के लिये देना सम्भव नहीं है। उन के लिये सम्भव नहीं है कि वह उतना मुआवजा दे कर उन जमीनों को इंटरमीडियरीज से छुड़ा सकें।

अभी यह बताया गया है कि केवल पार्ट ए स्टेट्स में इंटरमीडियरीज को देने के लिये ४१४ करोड़ रु० की जरूरत है, जिस के फलस्वरूप सरकार की आमदनी में सिर्फ १९.५२ करोड़ रु० की वृद्धि हुई है। यानी जो ४१४ करोड़ रु० दिया गया है उस के फलस्वरूप सिर्फ ४.७१ करोड़ रु० आय के रूप में सरकार के पास आया है? जब हम इन आंकड़ों को देखते हैं और पाते हैं कि हमारी राज्य सरकारों को ४१४ करोड़ रु० देना पड़ेगा, तो तुलनात्मक दृष्टि से यह ४.७१ करोड़ रु० बिल्कुल नगण्य है जो कि आज तक सरकार के कोष में आया है। इसलिये हमें अपनी नीति को जिस के अनुसार हम इंटरमीडियरीज को जमीन ले कर मुआवजा दिलाते हैं परिवर्तित करना चाहिये। चूंकि हमारे राज्य सरकारों के लिये यह सम्भव नहीं है कि वह इंटरमीडियरीज को इतना बड़ा मुआवजा दे सकें इसलिये केन्द्रीय सरकार को इस की तरफ ध्यान देना चाहिये। प्रो० केनेथ एच० पार्सन्स, प्रोफैसर आफ ऐग्रीकल्चरल इकानिमिक्स इन दि यूनिवर्सिटी आफ विस्कानसिन, यू० एस० ए० के शब्दों को पढ़ कर बतलाना चाहता हूं। उन्हों ने यह साफ साफ बताया है कि :

"चालू दर पर प्रतिकर देने से कृषकों पर ऋण अधिक हो जायेगा।"

इस लिये आज यह स्वयं सिद्ध है, यद्यपि हमारी कोशिश है, हमारी यह इच्छा भी है, कि हम इंटरमीडियरीज को कम्पेन्सेशन दें, कि जो वर्तमान जरूरत है उस के अनुसार हमारे लिये यह सम्भव नहीं है कि हम ऐसा कर सकें। इसलिये इस नीति में हम को सुधार करना चाहिये।

दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे सामने है वह टेन्योर के सिम्प्लिफिकेशन का है अर्थात् भूमि का नवीनीकरण। हम यह जानते हैं कि इस देश में इतनी काफी प्रथायें प्रचलित हैं जिस का कोई ठिकाना नहीं है और हमें उन को एक सूत्र में बांधना है। यह मैं मानता हूं कि एक सर्वमान्य स्वरूप का प्रतिपादन करने के सम्बन्ध में हमारे मार्ग में बड़ी कठिनाइयां हैं, लेकिन इस कठिनाई को दूर करने के लिये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की एकानमी कमेटी ने मार्ग बतलाया था। मैं जानना चाहता हूं कि आज तक इस सम्बन्ध में क्या हुआ। एकानमी कमेटी ने बतलाया था कि यद्यपि इस देश में एक सर्वमान्य स्वरूप का प्रतिपादन नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें इन कामों को करना होगा।

कृषकों के व्यक्तित्व के विकास के लिये पर्याप्त अवसर की व्यवस्था करना, शोषण की गुंजाइश न रखना, उत्पादन में अधिकाधिक कुशलता, सुधार की योजना ऐसी हो जो व्यवहार में लाई जा सके।

हम जानते हैं कि यद्यपि टैन्योर के नवीकरण में हम ने बहुत सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश में लगभग डेढ़दर्जन टैन्योर, थे उन को आप एक स्थान पर ले आये हैं

लेकिन आज भी सीरदार और भूमिधार का फर्क वहां मौजूद है और अगर हम चाहते हैं कि हम टैन्योर का सिम्प्लिफिकेशन करें, उन में सुधार लायें तो आवश्यक है कि हम इस काम को जल्दी करें। आज तो सुधार के बजाय सरकार के कदमों का फल उल्टा हो गया है। बहुत राज्यों में टेनेन्सी रिफार्म किये जा चुके हैं। लार्ड कर्जन के समय से आज तक काफी जमाना बीत गया है। लार्ड कर्जन के जमाने में टैन्योर का कोई अधिकार नहीं था, उस समय की चोजों को दूर कर, उस खाई को दूर कर, उस दुर्ग को ढ़हा कर आज हमारी सरकार काफी आगे बढ़ चुकी है, उस ने इस में काफ सि म्प्लफिकेशन किया है लेकिन मैं फिर भी आप का ध्यान उन राज्यों की ओर दिलाना चाहता हूं कि जहां पर बेदखली बड़े जोरों से हो रही है। एक तरफ तो आप टैन्योर का नवीकरण करना चाह हैं, कृषकों को आप अधिकार दे रहे हैं, आप इस सिद्धान्त में विश्वास करते हैं कि कुल जमीन जोतने वाले की हो, दूसरी तरफ राज्यों में बेदखलियां चल रही हैं। उन को रोकने के लिये आज हम क्या कर रहे हैं। एक तरफ हम पुराने जमींदारों को काफी मुआवजा दे रहे हैं, एक तरफ हम यह सिद्धान्त रखते हैं कि जमीन जोतने वाले की हो, लेकिन दूसरी ओर हम इन मोटे मोटे आदमियों को बडे बड़े मुआवजे दे रहे हैं। मेरे भाई मिश्र जी ने अभी बताया कि हमारे राज्य में ऐसी बड़ी बड़ी होल्डिग्स हैं जिन के मालिक शायद ही कभी अपनी चाहरदीवारी के चारों तरफ घूमे हों। लेकिन फिर भी आज वह लोग बेदखली करने में लगे हुए हैं पूर्निया जिले में सेन्सस हो रहा था और वह लोग जमीन की बेदखली कर रहे थे। इस लिये आप क्या कर रहे हैं। इस कमेटी ने कहा है कि जो तीन चार प्वाइंट मैं ने बताये हैं उन के द्वारा ही सम्भव है कि टेनेन्सीको परमानेन्ट किया जा सके। मैं सरकार से पूछता हूं कि अगर उस के लिये यह करना सम्भव नहीं है तो आखिर उस के लिये संभव क्या है? किन उपायों से जो बेदखली आज हो रही है उस को आप रोक सकते हैं इस-लिये मेरी राय यह है कि जितनी जल्दी हो सके उस को आप कानून के जरिये से रोकिये।

इस वक्त सब से बड़ा प्रश्न होल्डिग की सीलिंग्स का है। हम ने यह सर्वमान्य सिद्धान्त मान लिया है कि इस देश में हम वर्तमान में बड़ी बड़ी होल्डिंग्स को नहीं रहने देंगे। हम चाहते हैं कि अगर हमारे देश में गरीबी है तो गरीबी का भी वितरण हो, हम चाहते हैं कि जिन के पास उन की जरूरत से ज्यादा जमीन है उन की ज्यादा जमीन को दूसरों को दे दिया जाय। यह सिद्धान्त हम ने अपनी पंचवर्षीय योजना में भी मान लिया है। लेकिन इस का प्रबन्ध आज तक किन किन सरकारों ने किया है? शायद तीन सरकारों ने, काश्मीर, हैदराबाद और मध्य प्रदेश ने सीलिंग्स के लिये कुछ किया है। लेकिन आज आप जिन का नाम लेते हैं जैसे उत्तर प्रदेश वहां क्या हुआ है? वहां की सरकारों ने यह किया है कि जिन के पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन है वह भविष्य में अगर ज्यादा जमीन खरीदना चाहें तो सीमा निर्धारण के बाद नहीं खरीद सकते हैं। यह एक सराहनीय कदम है, मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने तय कर दिया है कि कोई भी आदमी ३० एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकता है, लेकिन यह सिर्फ उन व्यक्तियों के लिये किया जा रहा है जो भविष्य में उस लिमिट के आगे खरीदना चाहते हैं। लेकिन जिन के पास पहले से ही काफी जमीन है उन के लिये आप क्या सीमा निर्धारित कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि यद्यपि हमारी पंचवर्षीय योजना में बहुत स्पष्ट शब्दों में और बहुत जोर के साथ

[श्री भागवत झा आजाद]

ज़ोर के साथ सीमा निर्धारित की गई है लेकिन किन किन राज्यों में सरकारों ने कहा कि सीलिंग्स बनाई जायें । आप कहते हैं कि यह राज्य सरकारों की बात है, लेकिन अगर राज्य सरकारों की बात है, अगर हम यहां पर काफी देर बैठ कर लम्बी लम्बी बहस करें, आप के सामान्य सिद्धान्तों का प्रतिपादन करें, आप को अधिकार दें, उस के बाद आप हक दें कि यह तो राज्य सरकार के अन्दर है, तो किस प्रकार से पंचवर्षीय योजना की जो सिफारिश है, जो उन की बताई हुई आधारभूत सीलिंग है उस को हम किस प्रकार से पूरी कर सकते हैं ।

हमारे माननीय सदस्य सरदार लाल सिंह ने जो कि अपने को कृषि विज्ञान का पंडित समझते हैं बड़े ज़ोरदार शब्दों में कहा कि अगर होल्डिंगस की सीलिंग मुक़र्रर कर दी गई तो व्यक्तिगत इनिशियेटिव बन्द हो जायेगा । व्यक्तिगत ज्ञान का कोष बन्द हो जायेगा । मैं माननीय सदस्ययों को जो कि सीलिंग्स में विश्वास नहीं करते हैं, बतलाना चाहता हूं कि यह शंका निराधार है । मैं समझता हूं कि इस देश के कोटि कोटि टेनेन्ट जो भूखे और नंगे हैं वह इस बात को कहते हैं कि यह विचार उन व्यक्तियों का ह जिनके पास जरूरत है, बची जमीन है और जो बटवारे के खिलाफ कहते हैं । इस प्रकार के लोगों को देश ने जवाब दिया है, हम उन को जवाब क्या दें ?

यह ठीक है कि जो समय होल्डिंग्स के सम्बन्ध में पंच वर्षीय योजना में हम ने रक्खा था कि इस समय तक ज़मीन का सेन्सस ले लिया जाय, उन को सन् १९५३ तक समाप्त हो जाना चाहिये था, लेकिन वह आज तक समाप्त नहीं हुआ । इस के सम्बन्ध में हमें कोई ज्ञान नहीं है कि आखिर होल्डिंग्स का क्या रूप हो या स्वरूप हो । उस के सम्बन्ध में रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी की जो रिपोर्ट है उस में कुछ बतलाया गया है । उस कमेटी ने कहा है कि हिन्दुस्तान के १० प्रतिशत किसानों के पास ३० प्रतिशत ज़मीन है और ३० प्रतिशत किसानों के पास ११ प्रतिशत ज़मीन है । इस कमेटी ने जो आंकड़े दिये हैं उन को मैं ने देखा है । होल्डिंग्स के बारे में जो आंकड़े आये हैं उन के आधार पर कहा जा सकता है कि जैसा कि प्रथम पंच वर्षीय योजना में बताया गया है टेन्योरस का सिम्पिलफिकेशन होना चाहिये, अगर हम चाहते हैं कि इस देश में भूमि व्यवस्था का पूर्ण रूप से सुधार किया जाय तो सब से पहली आवश्यकता यह है कि हम देश में होल्डिंग्स का सेन्सस लें और उन को सीमित कर दें इस वक्त भी होल्डिंग्स के सम्बन्ध में हमें कोई ज्ञान नहीं है । सिर्फ एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिस में यह कुछ आंकड़े मिले हैं । इसके अलावा और कोई आंकड़े नहीं हैं इस लिये यह कठिनाई पैदा हो गई है कि हम इस देश में सीलिंग्स को सीमित करें या न करें । आज हमारे सामने यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि अगर हम ज़मीन पर सीलिंग्स रक्खेंगे तो हमारे उत्पादन में कमी हो जायेगी । उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बतलाऊं कि इस तरह का नारा सरदार लाल सिंह जैसे व्यक्ति लगाते हैं । मैं उन से जानना चाहता हूं कि जो व्यक्ति इस बात का समर्थन करते हैं कि सीलिंग्स लगाने से इस देश की पैदावार कम हो जायेगी, उन के पास ऐसा कहने के लिये क्या आधार है ? आज देश की सब से बड़ी आवाज़ ग़रीबों की आवाज़ है । आज सब से बड़ी आवाज़ देश में यह है कि ग़रीबी का बटवारा हो, तो इस आवाज़ के विरुद्ध क्या फैक्ट्स हैं, क्या आंकड़े हैं ? कौन सी स्थिति है ? जब तक हमारे सामने ऐसे आंकड़े न आ जायें जो कि भूमि के बारे में हों और जो कि उत्पादन के बारे में हों उस समय तक हमें कोई क़दम नहीं

उठाना चाहिये, इस बात को मैं नहीं मानता हूं। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी कदम उठाये जाने चाहियें।

अब जो इकोनोमिक होल्डिंग्स हैं और जो अनइकानोमिक होल्डिंग्स हैं उन के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। यहां पर यह कहा गया है कि जब तक होल्डिंग्स के सम्बन्ध में सेंसस न हो जाये तब तक हम पारस्परिक सहायता प्रणाली के बारे में कोई कदम नहीं उठायेंगे। लेकिन जहां तक अनइकोनोमिक होल्डिंग्स का सवाल है उस प्रश्न पर हमें शीघ्र ही विचार करना चाहिये कि किस प्रकार हम उन ज़मीनों को एक ऐसी स्थिति में ला सकते हैं कि वे इकोनोमिक बन जायें और उत्पादन में भी वृद्धि हो। आज इस देश में यह बात कही जाती है कि जो हमारा कृषक है वह बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक माइंड का है और अपने व्यक्तित्व को छोड़ता नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर हमारे कृषक को सिंचाई की सुविधायें ठीक समय पर मिल जायें, अवश्यक सामान ठीक समय पर उपलब्ध हो जाये, उसको खाद मिल जाये तो वह अपनी भूमि में सुधार ला सकता है और अपनी उपज बढ़ा सकता है। लेकिन यह सुधार सिर्फ उन्हीं ज़मीनों में हो सकते हैं जो कि इकानोमिक होल्डिंग्ज़ हैं। लेकिन जो अनइकोनोमिक होल्डिंग्स हैं उनके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि नवचीन में और यूनान में जो प्रयोग किये गये हैं वे बहुत ही सफल रहे हैं। चीन के बारे में श्री के० एम० पानीकर ने अपने चीन के दौरे के बाद इस प्रणाली पर जो अपने विचार प्रकट किये हैं वे ध्यान देने योग्य हैं। आप ने लिखा है :

> इस प्रणाली ने खूद अच्छी तरह काम किया है ,उत्पादन बढ़ा है, खाद एवं समुचित कृषि औजार सुलभ हुये हैं तथा बिक्री के बेहतर साधन प्रस्तुत हुये हैं। इस पारस्परिक सहायता टोली प्रणाली की सफलता के लिये यह वृक्ष अपने देश का श्रमवीर चुना गया है।

मैं चाहता हूं कि हमारे देश में भी पारस्परिक सहायता टोली प्रणाली के बारे में जल्द फैसला होना चाहिये और इस पर अमल होना चाहिये। अगर ऐसा किया गया तो उत्पादन में भी वृद्धि हो सकती है। और कृषकों का भी भला हो सकता है।

सब से ज्यादा मैं जिस चीज़ पर ज़ोर देना चाहता हूं वह यह है कि हर तरफ से यह आवाज़ आ रही है कि सीलिंग लगाई जाये। आपने यह कभी बताया नहीं है कि जो हर आय है उस पर सीलिंग लगाया जायेगा या केवल उन पर ही जिन के पास ४०, ५० या ६० बीघा ज़मीन है या इससे अधिक है, यह सीलिंग लगाया जाये। मैं कहता हूं कि जो बगल में रहने वाला आदमी है और जो न अपने हाथ गंदे करता है और न अपने पैर गंदे करता है, जिसको हजारों और लाखों की आय है उस पर भी क्यों यह सीलिंग न लगाई जाये। जो लोग इस बात का समर्थन करते हैं कि भूमि रखने वालों पर सीलिंग लगाई जाये मैं उन में से एक हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि जो उस की बगल में रहने वाला आदमी है उस पर भी सीलिंग लगाई जाये। वह आदमी जो अपनी कुर्सी पर बैठा रहता है, खेत में नहीं जाता है, पंखे के नीचे बैठ कर आराम करता है और जो हजारों और लाखों रुपया कमाता है, उस को इन्कम पर सीलिंग न लगे, मैं इसे पसन्द नहीं करता हूं। मैं कृषि मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे वित्त मंत्री जी से और कैबिनेट से यह कहें कि अगर आप यह चाहते हैं कि सीलिंग हो, अगर आप चाहते हैं कि खेती में काम करनें वाले कृषक की आय पर सीलिंग हो तो आप को उस की बगल में

[श्री भागवत झा आज़ाद]

रहने वाले और कुछ काम न करने वाले पर और हजार और लाख रुपये कमाने वाले पर भी सीलिंग लगानी चाहिये। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह विधान के खिलाफ होगा।

इसलिये मैं समझता हूं कि अगर इस देश में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाई जायें, यहां का उत्पादन बढ़े, तो आप को यह भी देखना चाहिये कि लोगों की क्रय शक्ति बढ़े उस के लिये खरीदार हों और अगर खरीदारों की संख्या बढ़ानी है तो किसान की जेब में पैसा होना चाहिये। इसलिये आप को इन सब चीजों की तरफ ध्यान देना होगा।

आप ने बताया कि इस देश में सिर्फ ५ करोड़ एकड़ ही ऐसी जमीन है जिस के लिये समय पर सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। हमारे यहां दो साल से लगातार अकाल पड़ रहा है। परसों ही वहां से लोग आये। मैं आप से पूछता हूं कि आप क्या कर रहे हैं? जिन लोगों को उम्मीद थी कि उन की कोठड़ियां धान से भर जायेंगी वह कोठड़ियां अब सूनी रहेंगी। यदि आप पांच करोड़ एकड़ जमीन के लिये सिंचाई की व्यवस्था करते हैं वह तो ठीक है लेकिन मैं चाहता हूं कि सम्पूर्ण देश के लिये सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिये। जो कुछ आप ने किया है उस की मैं सराहना करता हूं और उस के लिये मैं आप को धन्यवाद भी देता हूं लेकिन साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि सीलिंग के सम्बन्ध में, होल्डिंग्ज के सम्बन्ध में, सिंचाई के सम्बन्ध में और दूसरी चीजों के बारे में आप अपनी नीति में सुधार कीजिये ताकि आप की नीति के फलस्वरूप कृषकों को खती के उचित साधन उपलब्ध हों।

पंडित डी० एन० तिवारी (सारन दक्षिण) : कल जब मैं इस सदन में कुछ सदस्यों का भाषण सुन रहा था तो मुझे ऐसा लगता था कि वे लोग हिन्दुस्तान की बातें न कर के दूसरे देशों की बातें कर रहे थे। वह समझते थे कि जिस तरह से दूसरे देशों में बिना ट्रेक्टरों के, बिना बड़े बड़े चकलों के काम नहीं चल सकता है उसी तरह से हिन्दुस्तान में भी होना चाहिये। मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि शायद वह लोग गांवों में नहीं गये हैं और यह वहां की दशा को नहीं जानते हैं। वह विदेशों की बातें जानते हैं और वहां की ही बातें करते हैं। भारत में जो लोग खेती पर निर्भर करते हैं उन की आबादी करीबन ८० फीसदी है। यदि आप विदेशों की बात देखें तो वहां पर यह बात नहीं है। वहां पर बहुत कम लोग खती पर निर्भर करते हैं। भारतवर्ष में पापुलेशन अधिक है और खेती की जमीन कम है। इस के मुकाबले में अमरीका में पापुलेशन कम है और जमीन अधिक है। इसलिये हमें अपने देश का रूस या अमरीका के साथ मुकाबला नहीं करना है, हम को तो वही काम करना है जो हमारे देश के लिये लाभदायक हो, अन्यथा उन देशों का अनुकरण करने से हमारा काम नहीं चलेगा। यहां पर यह कहा जाता कि बड़े बड़े चकलों के बगैर पैदावार ज्यादा नहीं हो सकती है। इस बात को मैं नहीं मानता हूं। हम लोगों को अनुभव है कि उन देहातियों के पास जिन के पास थोड़ी जमीन है कई जगह पर औस्तन पैदावार अधिक होती है बनिस्बत उन के कि जिन के पास ज्यादा जमीन है और जो ट्रैक्टर्ज का इस्तेमाल करते हैं। इस के अलावा आप देखेंगे कि किसानों के बच्चे और स्त्रियां खेतों में जा कर काम करते हैं जब कि किसान स्वयं किसी दूसरी जगह जाकर नौकरी करता है। उन के पास थोड़ी सी जमीन होती है और सारा परिवार उसी पर लगा रहता है। चूंकि हम उन को दूसरे रोजगार दे नहीं सकते हैं इस वास्ते बहुत अधिक बेकारी है और

साथ ही साथ थोड़े समय के लिये भी बेकारी होती है । इस को हम अनएम्प्लायमेंट और अंडर-एम्प्लायमेंट कहते हैं । यह दोनों ही बहुत ज्यादा हैं। हमारे सामने यह सवाल आता है कि हम उन लोगों का क्या करें जो कि अन-एम्लायड रहते हैं या अंडर–एम्प्लायमेंट रहते हैं अगर हम ट्रैक्टरों का इस्तेमाल करें? इस से उन में बेकारी और भी ज्यादा बढ़ जायेगी । जो बेकारी इस वक्त है हमें उस का मुकाबला करना है । इस दिशा में हमारा प्लानिंग कमीशन ने और हमारी गवर्नमेंट ने कुछ स्कीमें बनाई हैं कि छोटे छोटे रोजगार देहातों में चलाये जायें जिस से कि जो अंडर-एम्प्लायमेंट हैं वह दूर हो सके । इन को हम काटेज इंडस्ट्रीज कहते हैं। लेकिन जब तक हम ऐसी परिस्थितियाँ पैदा नहीं कर लेते हैं जिन से कि जो लोग अन-एम्प्लायड हैं या जो अंडर एम्प्लायड हैं, उन को हम काम दे सकें, तब तक ट्रैक्टरों के जरिये खेती करना या बड़े बड़े चकले बनाना, उचित नहीं समझा जा सकता । मैं यह नहीं कहता कि अगर किसी के पास आधा या एकट्ठा कर के एक एकड़ जमीन कई जगह हो तो उस को भी एक जगह न किया जाय, उस की चकबन्दी न की जाये । मैं चाहता हूं कि यह कानून बने कि अगर किसी की कई जगह थोड़ी थोड़ी जमीन है तो उस को एक जगह इकट्ठा किया जाय । लेकिन साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि जो बड़े बड़े किसान हैं उन की जल्द से जल्द सीलिंग को भी निश्चित किया जाय, नहीं तो देश में असन्तोष बढ़ता जायेगा और हम उस को नहीं संभाल सकेंगे ।

मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जो लोग विदेशों की किताबें पढ़ कर उपाय बतलाते हैं वे हिन्दुस्तान में कारगर नहीं हो सकते । जब तक ये लोग स्वयं यहां के देहातों में नहीं जायेंगे और वहां की दशा को नहीं देखेंगे तब तक वह सही उपाय नहीं बतला सकते । हमारे यहां जो सब से बड़ी कमी है वह आब-पाशी की है । अगर थोड़ी जमीन में भी पूरा खाद और सिंचाई का प्रबन्ध हो तो उस में अधिक से अधक पैदावार की जा सकती है ।

दूसरी बात जो अकसर देखने में आती है वह यह है कि हमारे किसानों में रिटेंशन पावर नहीं है । वे पैदावार को रोक नहीं सकते । उन के पास गल्ला होता है तो सीजन में वह बाजार में जाता है और सस्ते दामों पर बिक जाता है । अगर गवर्नमेंट किसानों को शार्ट टर्म क्रेडिट देने का इन्तिजाम कर सके, जैसा कि प्रोपोजल है और हर इलाके में वेअर हाउसेज खोल सके जिन में किसानों का गल्ला ले कर सरकार रख ले और जब उन को आवश्यकता हो तो दे दे, तो किसानों को बहुत लाभ हो सकता है । मैं ने देखा है कि जब किसानों के पास गल्ला होता है तो उस पर गिद्ध की तरह बहुत से लोग झपट पड़ते हैं और किसान को अपनी जरूरियात के लिये अनाज को जल्दी बेचना पड़ता है । उसे अपनी मालगुजारी देनी होती है और कपड़ा आदि खरीदना होता है । तो गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी कोई क्रेडिट का इन्तिजाम कर देना चाहिये ताकि किसान लोग अपने गल्ले को रोक कर रख सकें ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे मंत्री महोदय ने बतलाया है कि ५ हजार वेअर हाउसेज का इतिन्जाम किया जायेगा । हिन्दुस्तान में करीब सात लाख गांव हैं । पांच हजार वेअर हाउसेज का इन्तिजाम क्या पर्याप्त होगा । इससे तो शायद शहरों का काम भी नहीं चलेगा । या हो सकता है कि ये वेअर हाउसेज ऐसे ऐसे स्थानों पर बनाये जायें जहां बड़े किसानों को फायदा हो सके । हम तो चाहते हैं कि इन वेअर हाउसेज से छोटे किसानों को फायदा हो सके ।

श्री ए० पी० जैन : एक स्टोर हाउस दस और पन्द्रह गावों का काम पूरा करेगा ।

पंडित डी० एन० तिवारी : फिर भी पांच हजार से काम नहीं चलेगा। उनकी संख्या बढ़ानी होगी ।

दूसरी बात यह है कि हमारे देश में लोगों को कोआपरेटिव सोसाइटीज का बहुत बुरा अनुभव है । पिछले वर्षों में जैसा इन सोसाइटीज का काम हुआ है उस से लोग घबरा उठे हैं । मंत्री महोदय ने बतलाया कि अब से उन को सवा ६ या साढ़े ६ परसेंट से ज्यादा सूद नहीं देना पड़ेगा । इस सम्बन्ध में मैं उनसे एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि पहले जो १५ परसेंट, १८ परसेंट और १२ परसेंट सूद लिया जाता था, उस की वजह से किसान तबाह हो गये हैं । उन को कुछ राहत देने का उपाय सोचा जाय । हम यह मानते हैं कि आगे से उन पर सूद का ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा । लेकिन पहले की ऊंची दर के कारण जिन किसानों की जमीनें आज कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के पास गिरवी रखी हुई हैं उन को कुछ छूट देने की कोशिश की जाय । उस समय १२ और १५ परसेंट ब्याज लिया जाता था इसलिये ये जमीनें गिरवी रखनी पड़ीं । इन के लिये कोई उपाय हो सके तो बहुत अच्छा हो ।

दूसरी बात लैंड पालिसी के बारे में कहना चाहता हूं । आप को स्मरण होगा कि आजादी से पहले कांग्रेस के कराची सेशन में कुछ मौलिक प्रस्ताव पास हुए थे और उन में एक प्रस्ताव यह था कि जो इकानामिक होल्डिंग्स होंगे उन पर मालगुजारी नहीं ली जायेगी । यह प्रस्ताव बहुत सुन्दर है और गरीब किसानों के हक में है,लेकिन अभी तक उस तरफ कोई कदम नहीं उठाया गया है । अभी भी उस जमीन पर , जो ऊसर पड़ी हुई है, या जो पानी के अन्दर है या जिस पर खर उपजा हुआ है और जिस से किसान को कोई फायदा नहीं होता, मालगुजारी ली जाती है । तो मैं चाहता हूं कि उस मौलिक प्रस्ताव के अनुसार ऐसी जमीनों पर मालगुजारी न ली जाये । साथ ही अन इकानामिक होल्डिंग उसी को नहीं कहना चाहिये जो कि ऊसर हो बल्कि ऐसे होल्डिंग को भी अन इकानामिक कहना चाहिये कि जो एक परिवार के गुजारे के लायक पैदावार न करता हो, और ऐसे होल्डिंग पर भी मालगुजारी नहीं लेनी चाहिये । मैं चाहता हूं कि जैसे और व्यवसाय में एक निश्चित आमदनी पर इनकम टैक्स लिया जाता है वैसे ही खेती में भी होना चाहिये । उन लोगों पर मालगुजारी नहीं लगानी चाहिये जिन की आमदनी एक हद से कम हो । जो हद आप मुनासिब समझें कायम कर दें । अगर आप बीघा या एकड़ के हिसाब से हद निश्चित करना चाहते हों तो आमदनी के हिसाब से निश्चित कर दें, जैसे आप यह निश्चित कर दें कि जिस किसान को ५०० या १००० से कम आमदनी न हो उस पर मालगुजारी नहीं लगनी चाहिये । मैं चाहता हूं कि इस तरह का उपाय होना चाहिये । हम देखते हैं कि जो लोग व्यवसाय में हैं उन पर ४२०० की आमदनी तक कोई कर नहीं लगता और वह अपनी आमदनी से अपना रोजगार बढ़ाते हैं और अपने परिवार का अच्छी तरह से भरण पोषण करते हैं । लेकिन किसान को तो सूखा पड़ जाने पर भी मालगुजारी देनी पड़ती है । इसलिये ऐसा नियम होना चाहिये कि जब तक किसान के पास उस के खर्च से अधिक पैदावार न हो तब तक उस पर मालगुजारी नहीं लगनी चाहिये ।

एक बात मैं मंत्री महोदय से और अर्ज करना चाहता हूं । वह यह है कि यद्यपि उन के विभाग ने पिछले तीन चार साल में बहुत तरक्की की है और देश की स्थिति को बहुत कुछ सुधारा है । लेकिन हमारी पापुलेशन तेजी से बढ़ रही है इसलिये उन को एक बात और करनी चाहिये । वह यह है कि उन को

सिंचाई के साधन बढ़ाने चाहियें। अगर थोड़ी सी जमीन में भी सिंचाई का ठीक प्रबन्ध हो तो बहुत पैदावार हो सकती है। मैं अधिक समय न ले कर इतना ही कहना चाहूंगा कि इस पर विशेष ध्यान रखा जाय।

अब मैं अपने इलाके के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं और उस के बारे में मैं ने इस से पहले भी कहा है। मेरे इलाके की स्थिति कुछ रेलवे मंत्रालय के कारण, कुछ वित्त मंत्रालय के कारण और कुछ सिंचाई मंत्रालय के कारण बहुत खराब है। मेरे इलाके में गाड़ियां बहुत देर से जाती हैं। इस का परिणाम यह होता है कि अगर य० पी० और पंजाब में अनाज की दर दस और आठ रुपया मन है तो हमारे यहां १६ और १८ रुपय मन होती है। मंत्री महोदय ने कई बार कहा कि वे इस को देख रहे हैं और इस के लिये उपाय करेंगे। इस के लिये उन्होंने कुछ व्यापारियों को दोष दिया, कुछ हम लोगों को दोष दिया, लेकिन इस दोषारोपण से तो समस्या हल नहीं हो सकती। इस का कुछ उपाय होना चाहिये। आप लोगों को एक तरफ आइस सपोर्ट देने पड़ रहे हैं। अगर उन का गल्ला हमारे यहां भेज दिया जाय तो वह अच्छे दामों में बिक जायगा, इस से उन काश्तकारों को भी ायदा पहुंच जायेगा। और हमारी समस्या भी हल हो जायेगी।

श्री ए० पी० जैन : हम न पांच लाख मन गल्ला आप के यहां १२ रुपये मन के हिसाब से भेजा है।

पंडित डी० एन० तिवारी : जिस इलाके की बात मैं कह रहा हूं वहां की आबादी एक करोड़ है। पांच लाख मन गल्ला वहां कितने दिन के लिये पर्याप्त होगा यह आप ही सोच लीजिये।

श्री विभूति मिश्र : मैं खाद्य तथा कृषि मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे हमारे प्रान्त में ज़मीन के सुधार के काम को तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं और यह ज़मीन के सुधार का काम सर्व प्रथम हमारे देश में महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौट कर चम्पारन में शुरू किया और इस के बाद ज़मीन के सुधार का काम सन् १९३७ ई० में जब बिहार प्रान्त में कांग्रेस की मिनिस्ट्री स्थापित हुई तो उस ने इस काम को आगे बढ़ाया और रैयतों को काश्त के ऊपर हक़ दिया और उस ने ज़मीन में ईंटें बनाने के लिये, पोखर बनवाने के लिये और तालाब आदि बनवाने के लिये बहुत सी सुविधायें दीं और किसानों को हक़ दिये और कांग्रेस ने बार बार इस बात की घोषणा की कि ज़मींदारी को हटा देना चाहिये और हम ने देखा कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद जब कांग्रेस के हाथ में शासन की बागडोर आई तो कांग्रेस सरकार ने ज़मींदारी प्रथा को हटाया, हमारे ज़मींदार मित्रों ने उस को न हटने देने के लिये तरह तरह के अड़ंगे लगाये और अड़चनें डालीं लेकिन उन की पर्वाह न करते हुए हमारी केन्द्रीय सरकार ने विधान में आवश्यक सशोधन कर के ज़मींदारी प्रथा को खत्म किया। आज बिहार के १७ ज़िलों में से ८ ज़िलों में से ज़मींदारी खत्म हो गई है और बाक़ी ९ ज़िलों में से भी इस वर्ष ज़मींदारी समाप्त हो जायेगी। यह तो ठीक है कि ज़मींदारों की ज़मींदारियां खत्म होती जा रही हैं लेकिन उन के हटने में जितनी देर लगती है उस बीच में बड़े बड़े ज़मींदारों ने अपने पास काफ़ी काश्त रख छोड़ी है और काफ़ी खेती लायक ज़मीन अपने पास रक्खे हुए हैं। और काश्तकारी कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि हमारे फ़ूड मिनिस्टर इस ओर ध्यान दें और जितनी जल्दी हो सके उन की काश्तकारी के ऊपर कोई सीलिंग लाग की जाय। मैं ऐसे अनेकों बड़े बड़े ज़मीं-

[श्री विभूति मिश्र]

दारों को जानता हूं जिन के कि परिवार छोटे हैं और जो २०० एकड़ ज़मीन अपने पास रक्खे हुए हैं और ट्रैक्टर रख कर काफ़ी पैदावार कर सकते हैं और आरामी की ज़िन्दगी बसर कर रहे हैं जबकि हमारे किसानों की हालत बड़ी ख़राब है और हमारे बहुत से आदमी खाने के बग़ैर मरते हैं, उन के पास खेती करने के लिये ज़मीन नहीं है और रहने के वास्ते मकान नहीं हैं और सरकार को इन की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और जैसे भी संभव हो इन को राहत पहुंचानी चाहिये और हमारी समस्या का एक मात्र हल महात्मा गांधी का बताया हुआ "अपरिग्रह व्रत" है और मेरी राय है कि जब तक इस वृत्ति से काम नहीं होगा तब तक देश से गरीबी और मुसीबत दूर नहीं होगी ।

कल हमारे सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट सदस्यों श्री अशोक मेहता और श्री ए० के० गोपालन ने अपने भाषणों में बतलाया कि ट्रावनकोर-कोचीन में किसानों को उन की ज़मीनों से बेदखल कर दिया गया है जोकि मैं समझता हूं कि बहुत ही अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये और किसानों के दुखों और कठिनाइयों को हल करने का प्रयत्न करना चाहिये । और किसानों को राहत पहुंचाने का कार्य तो हमारे वहां वर्षों पहले गांधी जी ने चम्पारन में शुरू किया था और तब से वहां पर कांग्रेस गवर्नमेंट बराबर किसानों को राहत देने के लिये कदम उठा रही है और हम लोग हमेशा ज़मींदारों के अत्याचारों के खिलाफ़ लड़ते आये हैं और किसानों को हम ने यथा संभव राहत पहुंचाई है और इसी उद्देश्य को सामने रखते हुए हमारी बिहार सरकार ज़मीन की सीलिंग फ़िक्स करने जा रही है, हमारे मुख्य मंत्री ने कहा है कि गांव की ज़मीन गांव वालों की होनी चाहिये । मैं केन्द्रीय सरकार से केवल इतना कहूंगा कि हम को अपने राहत सम्बन्धी कामों में थोड़ी तेज़ी लानी चाहिये और अपने सरकारी अफ़सरों को इस के लिये हिदायत देनी चाहिये कि आज जो हम काम में ढील और सुस्ती देख रहे हैं, वह वांछनीय नहीं है और उन को अपने कामों में तेज़ी और प्रगति लाने की ज़रूरत है क्योंकि हमारा अनुभव हमें बताता है कि यह ज़मींदार लोग बड़े होशियार हैं, इंटरमीडियरीज़ बड़े चालाक लोग होते हैं और वह दूसरा रास्ता अपने लिये निकाल लेते हैं और जब हम उस रास्ते को काटने के लिये जाते हैं तो इस बीच में वे कोई तीसरा रास्ता अपने लिये निकाल लेते हैं, इसलिये सरकार को इस सीलिंग के मामले को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस मामले को तय कर देना चाहिये ।

आज इस समय यहां पर हमारे वित्त मंत्री महोदय भी बैठे हुए हैं, फ़ूड मिनिस्टर तो मौजूद हैं ही और अगर प्राइम मिनिस्टर मौजूद होते तो और भी अच्छा होता, खैर, मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि आज आप किसानों की ज़मीन की सीलिंग तो फिक्स करने जा रहे हैं लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, राष्ट्रपति हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं और बैंक वाले हैं, उन को आमदनी पर आप कोई सीलिंग क्यों नहीं लगाते ? आज हमारे इस देश में क़रीब ८० प्रतिशत किसान हैं यदि वे गांधी जी के सिद्धान्तों पर चलते हैं, तो उन को गांधी जी के "अपरिग्रह" के सिद्धान्त को अपनाना होगा और उस को अमल में लाना होगा और मेरा तो पक्का विश्वास है कि जब तक इस व्रत का पालन नहीं किया जायेगा तब तक इस देश में चैन का वातावरण नहीं

हो सकती। साथ ही मैं आप को यह चेतावनी भी दे देना चाहता हूं कि ८० फ़ीसदी आदमियों की आमदनी पर तो आप सीलिंग रख दें और २० फ़ीसदी आदमियों को वैसे छोड़ दें तो यह चलने वाला नहीं है और ८० फ़ीसदी आदमी उन २० फ़ीसदी आदमियों को रहने नहीं देंगे । और अगर आप उन की आमदनी पर कोई सीलिंग नहीं बैठाते तो याद रखिये आप एलेक्शन में हार जायेंगे और आपको उन ८० फ़ीसदी आदमियों के वोट नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं अपने फूड मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि इस बात को कैबिनेट में लायें, हमारे वकील वही हैं और हम उन से आशा करते हैं कि वे कैबिनेट में इस चीज को ले जायेंगे और हमारे हितों की रक्षा करेंगे । हमें अपने वित्त मंत्री से भी काफी आशा है कि वे हमारे हितों को देखेंगे, उन्हों ने पुराना जमाना देखा है, आई० सी० एस० रह चूके हैं और अब नया जमाना भी देख रहे हैं और अब तो वानप्रस्थ की अवस्था में हैं, और वे देश से इस गरीबी की बीमारी को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठायें। और वे क्यों नहीं यह जो इतनी लम्बी लम्बी तनख्वाहें पा रहे हैं और लाख लाख और पचास पचास हज़ार पया कमा रहे हैं, उन की आमदनी में क्यों नहीं सीलिंग लगाते और उस को गरीबों में बांटते ? हमारे श्री ए० के० गोपालन और श्री अशोक मेहता ने बताया कि ट्रावनकोर कोचीन में किसानों को उन की ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है तो यह तो बहुत अनुचित कार्य है और उन को वहां के चीफ़ मिनिस्टर साहब से इस के लिये कहना चाहिये था । इसी तरह मैं आप को बतलाऊं कि एक मेरिख साहब हमारे मोतीहारी के किसानों को बहुत तंग करते थे तो हमारे चीफ़ मिनिस्टर ने उन से कहा कि आप अपने अत्याचार बन्द कीजिये और उन्हों ने उन की बात मानी और किसानों न चैन की सांस ली.।

एक दूसरी चीज़ जिस की तरफ़ मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा वह है गंडक नहर का हमारे यहां होना । अगर वह नहर हमारे यहां हो जाय तो बिहार का काम चल जायगा और यू० पी० का भी काम चल जायगा और लोग अपनी खेती बाड़ी का काम अच्छी तरह कर सकेंगे और उन को खाने पीने का आराम हो जायगा । आज वहां पर पानी का प्रबन्ध न होने से लोग खेती बाड़ी नहीं कर पाते और जिन के पास २० से २५ एकड़ तक ज़मीन है, वे अपने खाने लायक़ नहीं पैदा कर पाते हैं, इसलिये गंडक नहर की सुविधा हमारे लोगों को दी जानी चाहिये ।

आज जो रूरल सर्वे की रिपोर्ट निकली है उस के पहले की जो कोआपरेटिव सोसाइटी है वह वैसी ही है जैसी कि इंगलिश हिस्ट्री में अंग्रेज़ लोग क्रौमवेल पीरियड को कोई नहीं मानता । पहले जो कोआपरेटिव सोसाइटीज़ बनी थीं, वह धर्म प्रचार के खातिर बनी थीं और मैं आप को बतलाऊं कि पहले जो अंग्रेज़ पादरी थे वे धर्म प्रचार करने के लिये कोआपरेटिव का काम करते थे । एक हज साहब पहले मोतीहारी में थे और फिर पूना में चले गये थे । वे कोआपरेटिव सोसाइटी के ज़रिये धर्म प्रचार का कार्य करते थे और लाखों रुपया उन्होंने इस धर्म प्रचार में कोआपरेटिव का लगा दिया जब हिसाब किताब की जांच होने लगी तो वहां से चले गये । आप ने कोआपरेटिव सोसाइटीज़ में सूद की दर साढ़े छै परसेंट रक्खी है जोकि किसानों के वास्ते बहुत ज्यादा है और यह उन के बूते के बाहर की बात है, इसलिये आप इस सूद की दर को घटा कर चार परसेंट रखिये ।

दूसरी बात यह है कि आप कोआपरेटिव सोसाइटियों में जो कर्मचारी रखे हैं उन को रखते वक्त आप को उन के बारे में

[श्री विभूति मिश्र]

काफ़ी छानबीन कर लेनी चाहिये और उस के बाद ही संतोष हो जाने पर उन को अपनी सोसाइटियों में रखना चाहिये क्योंकि अक्सर कोआपरेटिव सोसाइटियां गलत आदमी रख लेने की वजह से फ़ेल हो सकती हैं और उन के फ़ेल होने में इन आदमियों का जबर्दस्त हाथ होता है । कोआपरेटिव सोसाइटियों में मनीलेंडर्स को न रखिये क्योंकि यह मनी-लेंडर्स का एक ऐसा तबका है जो आप की सोसाइटियों को फ़ेल कर देगा और नष्ट कर देगा । हर ज़िले में जो आप के सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक्स होते हैं उन में कोई व्यापारी मेम्बर आप न रक्खें, बल्कि ठेठ किसान मेम्बर रक्खें, बड़े बड़े धनी आद-मियों को भी उन का मेम्बर नहीं बनाना चाहिये वह कोआपरेटिव सोसाइटियों को खत्म कर देंगे । इन के ज़रिये आप दो किस्म के कर्ज़ देंगे, एक तो एग्रीकल्चरल लोन और दूसरा रूरल लोन । एग्रीकलचरल लोन तो आप दे लेंगे लेकिन रूरल लोन आप नहीं दे पायेंगे, उस में आप को करोड़ों रुपये दरकार होंगे । इस के लिये आप को अरबों रुपया चाहिये । गांव में शादी होती है, विवाह होता है, श्राद्ध होती है, बहुत से कामों के लिये रुपया चाहिये । इसलिये मैं कहूंगा कि कोआपरेटिव सोसायटी के लिये जो कदम आप उठा रहे हैं उस के लिये काफी सोच विचार कर आदमियों को रक्खा जाय । पहले जो आदमी रक्खे जायें उन को कोआप-रेटिव का ए, बी, सी, डी की ट्रेनिंग दें । जहां तक पुराने आदमियों का सवाल है उन को न रखा जाए । उन में से कुछ ईमान्दार भी हैं, सभी बेईमान नहीं हैं, लेकिन उन पुराने आदमियों को काफ़ी छान बीन करने के बाद रखें ताकि सोसायटी का काम ठीक से चल सके ।

दूसरी बात मैं मार्केटिंग के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । मैं अपने फ़ूड मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि सभी गल्लों के दाम गिर गए हैं । हमको लड़का पढ़ाना पड़ता है, नमक खरीदना पड़ता है, बैल खरीदना पड़ता है, छाता खरीदना पड़ता है, कपड़ा खरीदना पड़ता है, सारी चीजें खरीदनी पड़ती हैं । तो जिस रफ्तार से हमारे गल्ले का दाम गिरता जाता है उसी रफ्तार से सब चीजों के दाम गिराइए । अगर उस रफ्तार से दूसरी चीजों के दाम नहीं गिराते हैं, दो तीन ही चीजों के गिराते हैं तो किसान बेचारा मर जायेगा । मैं अशोक मेहता साहब से पूछना चाहता हूं कि उन्हों ने अपनी जिन्दगी के कितने दिन देहात में बिताये हैं । वह केवल किताबों को पढ़ कर ही यहां व्याख्यान देते हैं । गोपालन साहब ने कितने दिन अपनी जिन्दगी के गांव में बिताये हैं ।

डा० राम सुभग सिंह (शाहाबाद–दक्षिण) : टाइम उन्हीं को मिलता है ।

श्री विभूति मिश्र : इसीलिये वह सिर्फ गल्ले के दाम की बातें कर रहे हैं । मैं आप से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारे गल्ले के दाम गिरते हैं उसी रेशियो में दूसरी चीजों का दाम भी गिरना चाहिये । मैं आप से कहता हूं कि हम तो देहात में गल्ला पैदा करते हैं, लेकिन हम को १० रु० महीना तो लड़के की स्कूल की फीस देनी पड़ती है । फिर अगर पीछे से वह किसी प्रोफ़ेसर से पढ़ता है तो वह अलग से ट्यूशन फी लेता है । अगर हम को अपने पैदा किये हुए चावल के लिये सिर्फ ११ रु० मन मिलता है तो कैसे हम इतना पैसा दे सकते हैं ? गांधी जी कहते थे कि एक मजदूर की तनख्वाह में और राष्ट्रपति की तनख्वाह में कोई फक नहीं होना चाहिये । राष्ट्रपति की हम इज्जत

करते हैं, मजदूर जोकि खेतों में काम करता है, उस की भी हम इज्जत करते हैं । लेकिन पेट तो ोनों ने एक ही पाया है । राजेन्द्र बाबू का पेट किसी मजदूर से बड़ा नहीं है । थोड़ा कम ी खाते होंगे । मैं भी आदमी हूं और राष्ट्रपति भी आदमी है । मैं उन की इज्जत करता हूं क्योंकि वह हमारे राष्ट्रपति हैं । मेरा लड़का पढ़ने के लिये जाता है, वह नीचे से ले कर ११वीं कक्षा तक फर्स्ट आता है लेकिन कालेज में उस को पढ़ाने के लिये मेरे पास पैसा नहीं है जबकि एक सेठ जिस का पेट फूला हुआ है, जो बेईमानी कर के पैसा लाता है उस का लड़का इंग्लैंड पढ़ने के लिये जाता है । यह दोनों की आमदनी के ऐडजस्टमेंट से ही हो सकता है, ऐडजेस्टमेंट ही देश का कल्याण कर सकता है । इस लिये मैं कहूंगा कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं, हमारे गल्ले के दाम का वही रेशियो होना चाहिये जोकि और चीजों का है । ऐसा होने पर ही हमारा कल्याण हो सकता है नहीं तो किसान मर जायेंगे ।

इस के बाद मैं लगान के प्रश्न पर आता हूं । हमारे यहां जमीन का महंगाई के समय बन्दोबस्त हुआ था, बहुत सी जमीन है जिस का रेन्ट ज्यादा हो गया । वह रेन्ट अभी कम नहीं हुआ है । जमींदारी ले ली लेकिन लगान वही रहा । इसलिये मैं कहूंगा कि जिस रफ्तार से और जगहों पर दाम गिर रहे हैं, उसी प्रकार से इस सिलसिले में भी कि जमीन की मालगुजारी कम हो इन्तजाम करना चाहिये ।

इस के बाद आप देखिये जूट है, ग्राउंड नट है, शूगर केन है, और बहुत सा कच्चा माल है, काटन है, जिस से कि फिनिश्ड गुड्स बनाये जाते हैं । हम को एक मन जूट का दाम १३ या १४ रु० मिलता है । अगर उसी जूट के बोरे बन जाते ह मिल में एक एक मन जूट के बोरे का दाम ५० रु०, ६० रु० लिया जाता है । क्या कच्चे जूट में और उस जूट के फिनिश्ड गुड्स में इतना फर्क हो गया कि दाम इतने बढ़ जायें ? आज हम किसान असंगठित हैं, हमारा कोई संगठन नहीं है । बड़े बड़े पूंजीपतियों के संगठन हैं, उन का आप के यहां पहुंचना आसान है, किसानों का पहुंचना कठिन है । यह मैं मानता हूं कि पार्लियामेंट के मेम्बर आप के पास पहुंच जायेंगे, लेकिन आप बतलाइये कि मेरी डबल मेम्बर कान्स्टिटुएन्सी से जिस में ४ लाख वोटर्स हैं, कितने किसान आप के पास पहुंचे । सलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस का रेशियो ठीक किया जाय ताकि रा मैटीरियल और फिनिश्ड गुड्स के दामों का अन्तर घटे । फिनिश्ड गुड्स और रा मैटीरियल की कीमत में जो फर्क है उस को बहुत ज्यादा न रक्खें बल्कि उस को इस तरह से रक्खें ताकि दोनों का मुनाफा हो सके ।

इस के बाद आप वेअर हाउसेज का प्रश्न लीजिये । आप दस, पन्द्रह गांवों में एक वेअर हाउस बनाते हैं । मैं समझता हूं कि हमारे फूड मिनिस्टर साहब यह आर्गू करेंगे कि उन्हों ने ५,००० वेअर हाउसेज बना कर बड़ा भारी कदम उठाया है । इस के लिये कोटि कोटि धन्यवाद, लेकिन मेरा खयाल है कि ५,००० वेअर हाउसेज से काम नहीं चलेगा । किसान किस मात्रा में गल्ला रखते हैं इस का आप को अन्दाजा नहीं है । इसलिये आप और ज्यादा वेअर हाउसेज बनाइये । इस से साल दो साल के अन्दर हमारी रक्षा हो सकेगी ।

श्री ए० पी० जैन : अभी हम १२,००० सोसायटी कायम करेंगे यह बताया गया है । हर एक सोसायटी के पास एक वेअर हाउस होगा जिस को या तो वह बनायेगी या किराये पर लेगी । तमाम स्टेट्स से पूछने के बाद, कि कितने वेअर हाउसेज का दूसरे जरियों से इन्तजाम हो सकता है, तब हम ने ५,०००

[श्री ए० पी० जैन]

वेअर हाउसेज़ बनाने का निश्चय किया है । बहरहाल १२,००० वेअर हाउसेज़ सोसायटीज को इस्तेमाल करने के लिये मिलेंगे।

श्री विभूति मिश्र: मेरा कहना यह है कि आप ऐसा सिद्धान्त रक्खें कि एक सर्टेन ऐमाऊंट तय कर दें कि जिस की इतनी आमदनी है, जो १० रु० रेन्ट देता है, हमारे गांवों में हरिजन भाई रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, वह मालगुजारी नहीं चुका पाते हैं तो उन के लिये कुछ ऐसा इन्तजाम कीजिये, कि कुछ हिस्से को आप अपनी मालगुजारी में लीजिये और तब उसको फ्री लैंड दीजिये, उस से रेन्ट न लीजिये ।

दूसरी बात स्माल होल्डिंग्स के बारे में है। इस सम्बन्ध में एक नया सिद्धान्त यहां पर रक्खा गया, खास तौर से उन लोगों के द्वारा जो एकानिमक्स की बात करते हैं । मैं तो कहता हूं कि जिन के पास छोटी छोटी होल्डिंग्स हैं उन में अधिक पैदावार होती है । साथ ही कुछ ऐसे लोग हैं जिन के पास काफ़ी ज़मीन है । उन की खेती की अपेक्षा छोटे छोटे खेतों के गल्लों के साथ मुकाबला किया जाय कि उन के पास कितना गल्ला हुआ और छोटे छोटे खेतों में कितना हुआ । उस के बाद औसत दाम निकाल लिया जाय । जब तक हमारे देश में ७०,८० फी सदी का खेतों पर ही सारा बोझा है और जब तक उस को कम करने का इन्तज़ाम नहीं किया जाता तब तक आप चाहे जो रिफार्म्स लायें, कोई भी काम नहीं चल सकता है । आज भी हमारे गांवों की हालत बड़ी खराब है । सब लोग जानते हैं कि एक खेत है उस में हम ने भदई किया, रबी किया और अगहनी किया । उस के बाद खेत काटने को जाते हैं तो दो बोझे काट कर लाते हैं और तब खाते हैं । जब मजदूरी कुछ नहीं लगती है, कोई काम उस के लिये कहीं नहीं लगता है, तो वह जो बोता है वही काट काट कर खाता है । अगर आप वहां पर चकला बैठा देंगे तो कैसे काम चलेगा ? हमारी औरतें पर्दा आब्जर्व करती हैं, आज तो वह खेतों पर काम कर लेती हैं, लेकिन अगर आप चकला चला देंगे तो क्या वह दूसरों के खेतों में काम करेंगी ? कभी नहीं । महात्मा जी गांवों की परिस्थिति को जानते थे, वहां की नब्ज़ पहचानते थे और उस के मुताबिक काम किया करते थे । हमारे भाइयों ने कहा कि यहां कोआपरेटिव बेसिस पर गांव में खेती की जाये । मैं अशोक मेहता साहब से पूछना चाहता हूं कि आप की पार्टी में १० आदमी हैं, उन में तो आपस में रिफ्ट पड़ गया तब आप कैसे समझ सकते हैं कि जिस गांव की आबादी एक हजार की है वहां लोग एक हो कर खेती कैसे कर सकते हैं ? यह कभी सम्भव है ? हम लोग मढ़े के लिये और खेत के लिये जान दे देते हैं, आपस में कट मरते हैं, तो क्या कभी यह सम्भव हो सकता है । इसलिये मैं फ़ूड मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि वह इस की जांच पड़ताल करें कि स्माल होल्डिंग्स में कितनी पैदावार होती है और बड़ी होल्डिंग्स में कितनी पैदावार होती है और उस के बाद उन का औसत निकाल लिया जाय । जब तक खेती के सिर पर से ३०, ४० फी सदी लोगों का बोझा नहीं हटेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकेंगे । इसलिये मैं कहता हूं कि आप छोटी बड़ी होल्डिंग की बात को छोड़ दें ।

आप को खाद का भी दाम घटाना चाहिये । जो फर्टिलाइज़र आप देते हैं उस को भी गल्ले की कीमत के हिसाब से सस्ता कीजिये । फर्टिलाइजर तो फूड ऐंड एग्री-कल्चर मिनिस्ट्री की चीज़ है, उस का कीमत तो आप घटाइये । साथ ही पानी का चार्ज

भी घटाइये । आप को आबपाशी का चार्ज भी घटाना चाहिये । आज आप उस को नहीं घटाते हैं ।

एक बात और है । अभी एक नया पम्प लगाया है सिंचाई के लिये, वह सन्तोषप्रद वर्क नहीं कर रहा है । कारण यह है कि उस का चार्ज बहुत ज्यादा है और किसान उस को ले नहीं रहे हैं । इसलिये आप के लिफ्ट सिस्टम के इरिगेशन में दिक्कतें आती हैं ।

मैं अपने फूड ऐंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर से कहूंगा कि वह किसानों के मालिक हैं, लेकिन जरा दस पन्द्रह दिन के लिये गांवों में जा कर तो देखें कि वहां पर किसानों की क्या हालत है । उन को मैं समझता हूं कि खबर नहीं है कि उन की क्या हालत है, क्योंकि कभी देखने के लिये जाते तो हैं नहीं । पंचवर्षीय योजना में जो मजदूर लोहा पैदा करते हैं उन को प्राविडेन्ट फंड मिलता है, लेकिन जो गल्ला पैदा करते हैं उन को हमारी सरकार कुछ नहीं देती । उन को प्राविडेंट फंड भी देना चाहिये जोकि गल्ला पैदा करते हैं ।

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री रामकृष्ण गुप्त (महेन्द्रगढ़) ।

आर्थिक नीति के बारे में प्रस्ताव

श्री जी० एच० देशपांडे (नासिक–मध्य) : गत आठ वर्षों में हमारे ग्राम्य क्षेत्रों में निःसन्देह एक महान परिवर्तन हुआ है । ब्रिटिश-काल में अधिकतर भूमि पर जमींदारों और जागीरदारों का ही आधिपत्य था जोकि किसानों का शोषण करते थे और उन पर बहुत अन्याय करते थे । परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि देश के स्वातंत्र्य के लिये किये गये राष्ट्रीय आन्दोलन में सब से अधिक योग इन किसानों ने ही दिया है । सन् १८९६ में महाराष्ट्र में एक भयंकर अकाल पड़ा था । उस समय लोकमान्य तिलक ने इस स्थिति का सामना करने के लिये कतिपय कार्यवाहियां की थीं जिन में प्रमुख रूप से कृषकों ने ही योग दिया था । जब महात्मा गांधी राजनैतिक क्षेत्र में आये तो उन का साथ भी इन्हीं लोगों ने दिया था । श्री गोपालन ने बताया है कि १९३६ में महाराष्ट्र में जमींदारी सुधार सम्बन्धी जो संकल्प पारित किया गया था उस में भी किसानों ने पूरा पूरा योग दिया था । सन् १९३७ में जब कुछ प्रान्तों में कांग्रेस के मंत्रीमंडल स्थापित हुए तो वहां पर कुछ सुधार करने का प्रयत्न किया गया, परन्तु क्योंकि प्रमुख शक्ति केन्द्र के हाथ में थी, इसलिये कुछ भी नहीं किया जा सका । परन्तु फिर भी हम ने अहिंसात्मक उपायों से कई सुधार कर दिये हैं । गत आठ वर्षों में हम ने पर्याप्त प्रगति की है । हम ने मध्यवर्तियों को समाप्त कर दिया है और आज खेतिहर की अवस्था अधिक उत्तम है । अभी तक भूमि जोतने वाला भूमि का स्वामी नहीं बन सका है । परन्तु आज उस का शोषण नहीं होता है और न ही कोई उस को भूमि से वंचित ही कर सकता है । आज ग्रामों की अवस्था पहले से कहीं अच्छी हो गई है । राज्य विधानों के परिणामस्वरूप ऋण की मात्रा पहले से बहुत कम हो गई है । किन्तु इन सब बातों के होते हुए भी अब भी बहुत सारे भूमिहीन किसान हैं । उन की समस्या को हल करना बड़ा कठिन है । इस विषय में हमें दूसरे देशों की नकल नहीं करनी चाहिये । उन देशों के पास अधिक भूमि है और जन संख्या भारत की अपेक्षा कहीं कम है । हमारे यहां आवश्यकता से अधिक लोग भूमि पर आश्रित हैं अतः हम और अधिक जन संख्या को कृषि में नहीं लगा सकते । भूस्वामियों की संख्या को सीमित करने के लिये प्रायः प्रत्येक राज्य में विधान बनाये

[श्री जी० एच० देशपांडे]

जा चुके हैं । किन्तु फिर भी भूमि के बंटवारे की समस्या अभी तक हल नहीं हुई है । हमें भूमिहीन किसानों को कार्य देने के लिये कुछ और साधन ढूंढने होंगे । यदि कुछ राज्यों में ऐसी भूमि हो जो कृषि योग्य बनाई जा सकती हो तो उसे अवश्य भूमिहीन किसानों में बांटा-जा सकता है । बम्बई राज्य में अब ऐसी कोई भूमि शेष नहीं है । ऐसी भूमि को विशेष कर हरिजनों और आदिवासियों में बांटा जाना चाहिये । इस से आर्थिक स्तर के साथ साथ उन का सामाजिक स्तर भी बढ़ जायेगा ।

किन्तु मैं एक बात अवश्य कहूंगा । अब ऐसा समय आ गया है कि हमें प्रत्येक राज्य में एक अधिकतम सीमा निश्चित कर देनी चाहिये अर्थात् कि एक व्यक्ति कितनी भूमि रख सकता है ? ऐसा करने में आज हमें यह आशंका है कि कहीं उपज कम न हो जाये ! निस्सन्देह यह आशंका कुछ सत्य है किन्तु हम इस बात पर अधिक बल नहीं दे सकते हैं । यदि हम बड़े बड़े भूस्वामियों से भूमि नहीं लेंगे तो प्रस्तावित समाजवादी ढंग का समाज नहीं बन सकेगा । उन से भूमि ले लेने के सम्बन्ध में सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये । उन को उस भूमि का कुछ प्रतिकर अवश्य दिया जा सकता है और फिर यह भूमि भूमिहीन कृषकों में बांटी जा सकती है ।

श्रीवेलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा –रक्षित-अनुसूचित जातियां) : प्रतिकर कौन देगा ? काश्तकार ?

श्री जी० एच० देशपांडे : काश्तकारों को केवल सरकारी भूमि से ही भूमि दी जा सकती है और सरकार कोई अधिकतम भू-सीमा नियत कर के बड़े बड़े भूस्वामियों से भूमि ले सकती है । किन्तु ग्राम वालों का कहना है कि आप हमारी आय और सम्पत्ति पर ही अधिकतम सीमा क्यों लगाना चाहते हैं दूसरे आर्थिक क्षेत्रों में ऐसा क्यों नहीं करते हैं ? हमें उन की इस शिकायत का भी ध्यान रखना चाहिये और सभी आर्थिक क्षेत्रों में साथ ही साथ अधिकतम सीमायें निश्चित करने का प्रयत्न करना चाहिये ।

अब मैं कृषि सुधार की ओर आता हूं । पिछले आठ वर्षों में इस सम्बन्ध में बड़ी उन्नति हुई है, किन्तु फिर भी हमें कमी वाले क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये । उन के सुरक्षण के लिये कोई ऐसी योजना बनाई जानी चाहिये जिस से कि उन का त्राण हो सके । आर्थिक दृष्टि से चाहे यह अधिक लाभकारी न भी हो किन्तु उन की सहायता की दृष्टि से आप को यह रक्षा साधन अपनाने ही पड़ेंगे ।

कृषि-विकास के लिये पूंजी की समस्या को सरकार ने बड़े अच्छे ढंग से संभाला है । इस सम्बन्ध में ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये कृषि मंत्री ने जो निर्भीक पग उठाये हैं उन के लिये मैं उन को धन्यवाद देता हूं । मुझे पूर्ण आशा है कि वह अवश्य सफल होंगे । किन्तु केवल सरकार के प्रयत्नों से ही सफलता प्राप्त नहीं होगी । इस में हमें भी सहयोग देना चाहिये । हम लोगों के पास मत लेने के लिये जाते हैं । हमें उन को बताना चाहिये कि सरकारी ऋणों को लौटाना उन का कर्तव्य है । उन्हें तक़ावी ऋण को उसी कार्य में व्यय करना चाहिये जिस के लिये कि उन्हें वह ऋण मिलता है । मेरे विचार में जब ऐसा होने लगेगा तब हमारी उन्नति में कोई सन्देह शेष नहीं रह जायेगा ।

श्री मुहीउद्दीन (हैदराबाद नगर) : ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण समिति की इस उपपत्ति ने कि ५० वर्ष के सहकारी आन्दोलन के पश्चात् भी सहकारी संस्थाओं द्वारा दिया

गया ऋण कुल ऋण का केवल ३ प्रतिशत है, देश में एक बड़ी हलचल पैदा कर दी है। समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये सारी समस्याओं को सविस्तार हमारे सामने रख दिया है। इस प्रतिवेदन के आधार पर हमारे खाद्य और कृषि मंत्री ने ग्राम्य ऋण को पुनर्गठित करने के लिये जो क़दम उठाये हैं उन के लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं।

कल माननीय मंत्री ने पटना सहकर्ता सम्मेलन का हवाला देते हुए कहा था कि सहकारी आन्दोलन के सरकारीकरण को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये तथा केन्द्रीय और शीर्ष बैंकों द्वारा सहकारी संस्थाओं को रुपया मात्र दे देने से ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन नहीं हो सकता है। मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं। सहकारिता आन्दोलन का जड़ से सुधार किया जाना चाहिये। १९५३-५४ के सहकारी आन्दोलन सम्बन्धी आंकड़ों से पता चलता है कि सारी संस्था के वित्तीय संगठन में कोई रचना सम्बन्धी त्रुटि है। उन आंकड़ों से पता चलता है कि सहकारी आन्दोलन की नींव बहुत कमज़ोर है। इस सम्बन्ध में सरकार ने जो बड़े पैमाने की सहकारी संस्थायें बनाने का निश्चय किया है वह बहुत ही उपयुक्त हैं।

माननीय खाद्य और कृषि मंत्री ने जो कल घोषणा की थी कि ब्याज की दर १२ प्रतिशत से घटा कर ६। प्रतिशत कर दी गई है, मेरे विचार में यह आन्दोलन के लिये हितकर नहीं है, क्योंकि इन समितियों की पूंजी पहले से ही बहुत थोड़ी है। अधिनियम के अनुसार सहकारी समितियों को अपने लाभ का २५ प्रतिशत अनुविहित रिज़र्व में रखना होता है। मुझे भय है कि ब्याज दर के घटाने से प्राथमिक समितियों तथा केन्द्रीय बैंकों आदि को शीघ्र सुदृढ़ होने के स्थान पर अपनी वित्तीय स्थिति को दृढ़ करने में और अधिक समय लग जायेगा।

अब सहकारी समितियां ऋण देने के स्थान पर विपणन तथा भांडागारों सम्बन्धी कार्यवाहियों की ओर अधिक ध्यान दे रही हैं। सहकारी समितियों को दृढ़ करने के लिये यह आवश्यक है कि जो व्यक्ति जहां से ऋण ले वहीं पर अपनी उपज को बेचे। ऋण तथा विपणन संस्थाओं का भेद मिटाना अत्यन्त आवश्यक है तभी सहकारी आन्दोलन दृढ़ हो सकता है।

किन्तु प्रश्न उठता है कि सामान्य आढ़ती को छोड़ कर कोई कृषक सहकारी विपणन संस्था के पास क्यों जाये ? जब तक उसे निश्चित रूप से यह ज्ञात नहीं होगा कि वहां जाने से उसे कुछ अधिक लाभ हो सकता है तब तक वह ऐसा नहीं करेगा। अतः कृषकों की इस सत्यनिष्ठा को बनाये रखने के लिये उन्हें इस निष्ठा के लिये अवश्य कुछ न कुछ पुरस्कार मिलना चाहिये। इस की एक निश्चित प्रणाली यह है कि कृषि-उत्पाद का ठीक ठीक श्रेणीकरण कर दिया जाये। उत्तम प्रकार के कृषि-उत्पादों को भंडारों में संगृहीत कर के पृथक रूप से बेचा जाना चाहिये। इस प्रकार कृषक को अधिक मूल्य मिलने का आश्वासन दिया जा सकता है।

माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया था कि देश में एक भांडागार निगम बनाया जायेगा तथा इस आशय का एक विधेयक शीघ्र ही लोक-सभा में प्रस्तुत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में हमें अभी तक कुछ पता नहीं है। १९४४ में रिज़र्व बैंक ने समस्त देश में भांडार गृह स्थापित करने की योजना बनाई थी। एक आदर्श विधेयक बना कर राज्यों को परिचालित भी किया गया था। मैं

[श्री मुहीउद्दीन]

सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि केन्द्रीय भांडागार निगम और प्रस्तावित राज्य-भांडागार निगम का समन्वय कैसे किया जायेगा । तथा उन भांडागारों के क्या कर्तव्य होंगे ? इस सम्बन्ध में रिज़र्व बैंक ने पिछले चार वर्ष से एक अवधि-विपत्र बनाया हुआ है और रिज़र्व बैंक बोर्ड के अन्तिम प्रतिवेदन के अनुसार १९५४-५५ में अवधि विपत्र को १६० करोड़ से अधिक अग्रिम धन ऋण के रूप में दिया गया है ; यदि यह अवधि-विपत्र कृषि-उत्पाद पर दिये जाने लगे तो ग्राम्य ऋण की समस्या बहुत सीमा तक हल हो जायेगी ।

अब मैं मूल्यों के समर्थन नीति पर आता हूं । निस्सन्देह कृषि पदार्थों के मूल्यों की स्थिरता बड़ी आवश्यक है क्योंकि इन का प्रभाव अस्सी प्रतिशत जनता पर पड़ता है ।

माननीय मंत्री ने कल घोषणा की थी कि मोटे धान का न्यूनतम मूल्य ११ रुपये होगा मेरी समझ में नहीं आता है कि यह मूल्य किस आधार पर निश्चित किया गया है ? हैदराबाद में ऐसे धान का मूल्य १४ रुपये प्रति मन है । मुझे इस समय इस के न्यूनतम मूल्य के निर्धारित किये जाने का कोई उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि तीन चार महीने में नई फ़स्ल आने वाली है और जो न्यूनतम मूल्य निश्चित किया गया है उस से वास्तविक मूल्य कहीं अधिक है ।

डा० कृष्णस्वामी (कांचीपुरम्) : सरकार की सफलताओं को देखते हुए हमें श्री रफी अहमद किदवई साहब को नहीं भूल जाना चाहिये । वह पहले मंत्री थे जिन्हों ने देश में कृषि-उत्पादन में वृद्धि होने का सब से पहले आभास पाया था ।

हमारे देश में कृषि एक बड़ा उद्योग है । यदि इस में दस प्रतिशत उपज बढ़ती है तो राष्ट्रीय आय में भी पांच प्रतिशत वृद्धि हो जाती है । अतः हमें इस की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये और ऐसे साधन ढूंढ निकालने चाहियें जिन से कि कृषि उत्पादन में हुई वृद्धि को देश की अर्थव्यवस्था के लाभ के लिये काम में लाया जा सके । हमें निकट भविष्य के लिये इस आधार पर कार्य करना चाहिये कि वर्तमान कृषकों की संख्या इतनी ही रहेगी । हमें अनाजों में कमी न होने देते हुए उस के कृषि क्षेत्र को कम कर के उन के स्थान पर औद्योगिक फसलों को बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिये । इस के लिये हम जापानी कृषि प्रणाली जैसे नये कृषि साधनों का प्रयोग कर सकते हैं । हमारी आर्थिक व्यवस्था की दृष्टि से औद्योगिक फसलों का उत्पादन बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि हमारे उत्पादों का ५० प्रतिशत लागत मूल्य इन्हीं फसलों पर निर्भर रहता है ।

वास्तव में कृषि-उत्पादन के बढ़ जाने से हम अब शीघ्रता से अपने देश का आर्थिक विकास कर सकते हैं । खाद्य और कृषि संस्था ने अपने जून १९५५ के एक प्रलेख में कहा है कि जहां कहीं भी कृषि उत्पादन अधिक होता है वहां घाटे की अर्थ व्यवस्था का अधिक आश्रय लिया जा सकता है ।

अब मैं अपने मित्र श्री मुहीउद्दीन द्वारा उठाये गये प्रश्न को लेता हूं । उन का कहना है कि कृषि उत्पादन बढ़ जाने से यह राजनीतिक प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि हम कृषि के विषय में कौन सी मूलभूत नीति को अपनायें ? इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि यह नीति ऐसी हो जिस से कि कृषक वर्ग की आय बढ़े तथा देश के उत्पादन में वृद्धि हो । उत्पादन में २० प्रतिशत की वृद्धि होने

से कृषक वर्ग की आय भी १०, १२ अथवा १५ प्रतिशत बढ़ सकती है । परन्तु यदि वस्तुओं के मूल्य स्थिर कर दिये जायें तो शेष समाज को कोई लाभ नहीं होगा । इस मामले पर मंत्रालय को अधिक अच्छी तरह सोचना होगा ।

मूल्यों के स्थायित्व को ले कर पर्याप्त असम्बद्ध बातें कही गई हैं । वास्तव में मूल्यों के स्थायित्व के प्रयत्न का अर्थ यह हो सकता है कि हम उत्पादन क्षमता की वृद्धि को आर्थिक विकास के अन्य क्षेत्रों के लिये उपयोग में नहीं लाना चाहते । निस्सन्देह कृषक वर्ग की आमदनी में वृद्धि होना आवश्यक है । आय में किसी अंश तक वृद्धि आवश्यक है क्योंकि देश के बाजार का विकास तभी हो सकता है जबकि कृषक वर्ग समृद्धिशाली हो । क्योंकि, जैसाकि भली भांति विदित है, इस में देश की जन संख्या का ७० से ले कर ८० प्रतिशत भाग आता है ।

कुछ लोग सुझाव देंगे कि हमें नियंत्रण रखना चाहिये । किन्तु मेरा ख्याल है कि अब एक पर्याप्त लम्बे समय तक हमें नियंत्रण नहीं रखना चाहिये । माननीय सदस्यों ने कहा है कि मूल्यों में गिरावट होते ही आय भी घट जायेगी । मेरा ख्याल है कि यह बात ठीक नहीं है ऐसा होना तब संभव है कि जब मूल्यों में सट्टे के फलस्वरूप अत्यधिक गिरावट हो जिस से कि आय भी कम हो जाय किन्तु ऐसी स्थिति से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं । किन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि मूल्यों को गिरावट से कृषक वर्ग की आय में विशेषकर इस देश में, गिरावट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि उत्पादन में वृद्धि होने से बाजार में भी अधिक माल आवेगा और इससे कृषक को अधिक आय होगी । किन्तु मैं इस बात पर सहमत हूं कि राज्य की स्थिति का ध्यान पूर्वक अध्ययन होना चाहिये ।

मेरे सम्माननीय मित्र श्री मुहिउद्दीन ने मूल्य स्थायित्वकरण की नीति को आपत्तिजनक बताते हुए कहा है कि अमरीका में भी इस नीति को ठीक प्रकार से क्रियान्वित नहीं किया जा सका है । जिस देश में कृषि राष्ट्रीय आय के आधे से अधिक भाग के लिये उत्तरदायी हो वहां साधारण मूल्य स्थायित्वकरण की नीति का पालन करना असंभव सा है । जहां सट्टे के फलस्वरूप मूल्यो में गिरावट होने की आशंका हो वहां सरकार बाजार को अपने नियंत्रण में ले कर मुनाफाखोरों को स्थिति का अनुचित लाभ उठाने से रोक सकती है । उदाहरण के लिये, यदि वास्तविक आय में अत्यधिक गिरावट होती है तो सरकार अनुपूरक सार्वजनिक कार्यों को प्रारंभ कर के कृषकों को अपनी आय बढ़ाने में सहायता दे सकती है ।

श्री सिंहासन सिंह (ज़िला गोरखपुर–दक्षिण) : उन्हों ने अभी कहा कि मूल्यों में गिरावट के कारण हुई हानि को पूरा करने के लिये कोई और तरीका हो सकता है।

डा० कृष्ण स्वामी : यदि कृषि उत्पाद की अतिरिक्त मात्रा कृषकों अथवा थोक बेचने वालों के पास संचित न रहे तो मूल्यों में गिरावट अधिक नहीं होगी । साधारणतः मान्य सिद्धान्त यह है कि जब अतिरेक मात्रा कृषकों के पास संचित नहीं होती है तो उन की आय में वृद्धि होती है या कम से कम आय उतनी ही रहती है जितनी कि पहले थी । वास्तव में अधिकांश देशों का यह अनुभव रहा है कि संक्रमण काल में सरकार को बाजार की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये प्रयत्न करना चाहिये तथा वितरण लागत कम करने में सहायता देनी चाहिये । जिस से कि कृषकों को, मध्यस्थ अथवा दलाल को

[डा० कृष्णस्वामी]

सम्पर्क में आये बिना अधिक मूल्य प्राप्त करना संभव हो सके । यह स्थिति मूल्य समथन से भिन्न है । अतः मेरा सुझाव यह है कि कृषक की आय को बढ़ाने के लिये सरकार को अनुपूरक लोक निर्माण कार्य प्रारम्भ करने चाहियें ।

आज स्थिति बहुत विषम है और मुझे आश्चर्य है कि मुझ से पूर्व जो सम्माननीय सदस्य बोले थे उन्हों ने इस पहलू पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया था । हम देखते हैं कि थोक मूल्यों में पर्याप्त गिरावट हुई है किन्तु फुटकर मूल्यों में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ा है । इस का परिणाम यह हुआ है कि मूल्यों में हुई गिरावट के परिणामस्वरूप होने वाला लाभ उपभोक्ता को प्राप्त नहीं हुआ है । केवल थोक व फुटकर विक्रेताओं के लाभ बढ़ गये हैं । यह एक ऐसी स्थिति है जबकि सरकार को थोक मूल्यों पर खरीद कर के फुटकर मूल्यों से कम मूल्यों पर बेचना चाहिये जिस से कि उपभोक्ता को लाभ हो सके । किन्तु अन्ततः कृषकों को गोदाम की अधिक सुविधायें दे कर और उन की क्रय-शक्ति को बढ़ा कर ही उन की स्थिति को दृढ़ किया जा सकता है ।

अब मैं संक्षेप में उन सुधारों का उल्लेख करूंगा जिन का प्रतिपादन मेरे माननीय मित्रों ने किया है । मितव्ययी चकबन्दी पर हम बोलते रहे हैं । यह एक उत्तम विचार है किन्तु उस के रास्ते में एक बड़ी बाधा यह है कि चकबन्दी ऐसी अर्थ व्यवस्था में नहीं हो सकती जिस का विस्तार तेजी से न हो रहा हो । चकबन्दी तभी हो सकती है जबकि विस्थापित कृषकों को सेवायोजित करने के लिये अन्य वैकल्पिक साधन हों । आज जो स्थिति है, उसे यदि हम वास्तविक दृष्टिकोण से देखें तो हमारे उद्देश्य कितने ही अच्छे क्यों न हों, जब तक कि बड़े पैमाने पर सेवा-योजन के तरीके हमारे पास न हों तब तक हम प्रगति नहीं कर सकेंगे । इस स्थल पर मैं भूदान का उल्लेख करूंगा । भूदान में कई गुण हैं किन्तु वह भूमि सम्बन्धी सभी कठिनाइयों के लिये रामबाण नहीं है । भूमि पर अवलम्बित व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक है । प्रति व्यक्ति प्राप्य भूमि बहुत ही कम है और एक दूसरी कठिनाई यह है कि अन्य व्यवसाय धंधों में जो लोग लगाये जा सके हैं उन की संख्या कम है और इसलिये निकट भविष्य में सीमान्त क्षेत्र के समाप्त होने की संभावना नहीं है । यही तर्क भूमि की अधिकतम सीमा के निश्चित किये जाने के प्रश्न पर लागू होता है । हम समसीमान्त और सीमांत इकाइयों को कम करने नहीं जा रहे हैं । इस के अतिरिक्त, हम दो परस्पर विरोधी नीतियों का परिपालन कर रहे हैं । सिंचाई परियोजनाओं से भूमि का उत्पादन बढ़ गया है इसलिये भूमि की चकबन्दी हम किस तरह करेंगे यह मैं समझ नहीं सका हूं । क्योंकि चकबन्दी निस्सन्देह परस्पर-विरोधी होगी और हमारी मुख्य समस्या को हल नहीं कर सकेगी । जब तक हमारे पास सेवायोजन के व्यापक और अधिक उत्तम साधन न हों हम इस समस्या को सुलझा नहीं सकेंगे । जब तक भमि पर अवलम्बित लोगों की संख्या कम नहीं की जायेगी तब तक सुधार की कोई बड़ी योजना शुरू नहीं की जा सकती ।

एक और बात पर मैं जोर देना चाहता हूं । आर्थिक विकास शीघ्रातिशीघ्र हो सके इस की संभावनाओं में हम सब को रुचि है । मानव जाति के इतिहास में हम ने एक वृहत्तम कार्य प्रारम्भ किया है । दूसरे देशों में राजनीतिक गणतंत्रों की स्थापना से पूर्व वहां औद्योगिक क्रान्ति हुई है । किन्तु भारत में औद्योगिक क्रान्ति होने से पूर्व राजनीतिक गणतंत्र अस्तित्व में आया है । इसलिये भार

कौन वहन करेगा इस बात पर विचार करना हमारे लिये आवश्यक है । जहां तक ब्रिटेन के औद्योगिक विकास का सम्बन्ध है, हम जानते हैं कि अंग्रेज श्रमिकों ने इस भार को वहन किया था यहां तक कि रूस में कुलका अथवा कृषकों ने ही इस भार को वहन किया था । किन्तु जब हम इन बातों पर भारत के दृष्टिकोण से विचार करते हैं तो हमें राजनीतिक लोकतंत्र और कई ऐसी अन्य बातों का ध्यान रखना पड़ता है जो वास्तव में एक स्थिर आर्थिक व्यवस्था के लिये सहायक हो सकती हैं । हमारी राजनीतिज्ञता की कसौटी यही है कि हम लोगों को साथ ले कर चलें और उन्हें यह अवगत करा दें कि यह अधिकांश जनसंख्या के द्वारा भार वहन किया जाना है न कि चुने हुए किसी छोटे से गुट द्वारा । हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि यदि हम जनता के भार कम करना चाहते हैं तो हमें अन्य देशों से, चाहे वे हम से मतभेद ही क्यों न रखते हों, सहायता लेनी पड़ेगी बशर्ते कि यह सहायता किसी अनुचित शर्त पर न दी जाये । मैं सुझाव दूंगा कि जब हम कृषि को वास्तविक लाभ पहुंचाने की बात पर विचार करते हैं तब हमें पहले उत्पादन क्षमता और बाद में सामाजिक न्याय पर विचार करना चाहिये । हमारी विचित्र स्थिति को देखते हुए ऐसा किया जाना अवश्यम्भावी है, और मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह देश को तथ्यों से अवगत करा कर अधिक नैतिक साहस का परिचय दे ।

पंडित एस० सी० मिश्र (मुंगेर–उत्तर-पूर्व) : मुझे बोलने का अवसर देने के लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूं । जब कोई सदस्य इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट कराता है कि कतिपय सुविधायें, जिन के बारे में ऊपर से आश्वासन दिया जा चुका हो, जनता को उपलब्ध नहीं होती हैं तब यह साफ जवाब दिया जाता है कि हम ने तो उन का उपबन्ध कर दिया है । परन्तु वास्तविकता यह है कि यह लाभ प्राप्त होते नहीं हैं । मैं विशेषकर खाद्य मंत्री से निवेदन करता हूं कि सारा मामला यही है । मैं खाद्य मंत्री को केवल एक मिसाल दूंगा । सहकारी आन्दोलन के सफल होने के प्रति वे काफी आशान्वित हैं किन्तु हम जानते हैं कि मेरे राज्य में और मेरे ख्याल में अन्य राज्यों में भी सहकारी आन्दोलन में काफी घपले हुए हैं । जब तक कि खाद्य मंत्री ऐसी अवांछनीय बातों को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक किसानों को कोई वास्तविक लाभ नहीं होगा ।

कल हम ने सुना कि पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख उद्देश्य विदेशी मुद्रा प्राप्त करना है । यहां भी दो दृष्टिकोण हो सकते हैं । विदेशी मुद्रा प्राप्त करने वाली फसलों में से जूट एक है । कई मित्रों ने कहा है कि जो व्यक्ति जूट पैदा करता है उसे कभी कभी उस का बहुत कम मूल्य मिलता है । कभी कभी तो यह मूल्य सीमान्त मूल्य से भी कम होता है । बड़े लोग किसानों से बिल्कुल कम मूल्यों पर जूट खरीद कर उसे काफी ऊंचे मूल्यों पर विदेशों को बेच देते हैं । इस से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति तो होती है, राष्ट्रीय आय भी बढ़ती है परन्तु इस तरह से पूंजीपति गरीबों का शोषण करते हैं । इस से ग्राम्य क्षेत्रों में निराशा की भावना फैलती है ।

मेरा निवेदन है कि योजना आयोग और मंत्रालय कुछ कर सकते हैं किन्तु उन्हें पहले निश्चय करना चाहिये । हमारे देश का सब से बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि किस रास्ते पर चलना है यह कोई नहीं जानता है । गत चार-पांच वर्षों से अधिकतम सीमा निर्धारित किये जाने के बारे में बातें हो रही हैं । किन्तु

[पंडित एस० सी० मिश्र]

अन्ततः क्या होगा यह कोई नहीं जानता है। मेरे ख्याल में देश में ऐसे साहसी तरुण भी मौजद हैं जो बंजर या दलदली जमीन को कृषियोग्य बना सकते हैं। किन्तु इस के लिये उन को सुविधायें दी जानी चाहियें। यदि कोई व्यक्ति ऐसी जमीन को कृषियोग्य बनाता है तो वह भमि उस से २५ वर्ष तक वापिस न ली जावे। मेरा ख्याल है कि इस प्रकार सीमान्त कृषि का विस्तार किया जा सकता है। किन्तु उच्चाधिकारियों द्वारा कुछ किया नहीं जाता है। अतएव मैं विशेषकर खाद्य मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि इन बातों के सम्बन्ध में किसी न किसी प्रकार का कोई निर्णय किया ही जाना चाहिये। केवल पंचवर्षीय योजना ही न बनाई जाये अपितु एक पंचवर्षीय नीति बनाई जाये। ऐसी कोई नीति न होने के कारण ही हम असफल हो रहे हैं।

श्री विभूति मिश्र : आप क्या डिसीज़न चाहते हैं?

पंडित एस० सी० मिश्र : डिसीज़न यह होना चाहिये कि हमारे देश में कोई बेकार नहीं रहने दिया जायगा, सब को काम दिया जायगा और किसी किसान को भी बगैर ज़मीन के नहीं रक्खा जायगा, उस को खेती लायक ज़मीन दी जायगी जिस से वह उस के ज़रिये अपने परिवार के लोगों का भरण पोषण कर सके। लोगों को ज्यादा से ज्यादा खेती के काम पर लगाया जायगा। सेंटर की तरफ से कोई एक पालिसी तय हो जानी चाहिए कोई एक रास्ता तय हो जाना चाहिये ताकि सब जगह वह ही रास्ता फ़ौलो हो। ऐसा न हो कि एक स्टेट गवर्नमेंट एक पालिसी पर चले और दूसरी स्टेट में दूसरा रास्ता अख्तियार किया जाय। आप को सेंटर से सारे देश भर के लिये एक पालिसी बना कर जारी कर देनी चाहिये और हर राज्य का कहना चाहिये कि वह उस पालिसी पर और उस रास्ते पर चले।

मैं आप का ध्यान एक खास बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि आज हमारे पढ़े लिखे लोग बेकार फिरते हैं उन को नौकरियां नहीं मिलतीं और इसलिये आज इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को खेती के पेशे को ओर खींचें और उन को खेती बाड़ी के काम पर लगायें क्योंकि यह सदैव स्मरण रखना चाहिये कि जितनी पूंजी से हम उद्योग पर, बड़े उद्योगों पर, एक आदमी को काम पर लगा सकते हैं, उतनी पूंजी से खेती में दस आदमियों को लगा सकते हैं और हमारा देश कृषि प्रधान है।

मैं अपने मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि दरअसल अगर आप अपनी योजनाओं की सफलता चाहते हैं तो दिल्ली तक ही उन्हें मत छोड़ दीजिये, बल्कि दिल्ली से बाहर भी उनका पीछा कीजिये और खेतों तक पीछा कीजिये। महात्मा गांधी को अपने काम में और योजनाओं में इसलिये सफलता मिलती थी कि वे किसी भी स्कीम के माइन्यूटेस्ट डिटेल्स तक जाते थे और मेरा अनुरोध है कि आप को भी वही नीति अख्तियार करनी चाहिये तभी आपको अपने काम में सफलता मिलेगी अन्यथा नहीं। अगर आप सिर्फ रास्ता तय कर के ही छोड़ देते हैं और उस के आगे नहीं जाते और यह नहीं देखते कि उस पर कैसे काम चल रहा है तो आप के देश का कल्याण होने वाला नहीं है। सरकार को इस में आगे बढ़ने की आवश्यकता है और थोड़ा परिश्रम करने की ज़रूरत है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को और पढ़े लिखे लोगों को आप खेती के काम पर डालने की कोशिश कीजिये। यहां पर एक पालियामेंट का

मेम्बर क़रीब ९ सौ गांवों का प्रतिनिधि है लेकिन अगर सच पूछिये तो एक सदस्य अगर खेती करवाये तो वह पांच, छै गांवों से ज्यादा को नहीं सम्हाल सकता । आज हम अपनी जन शक्ति का जो उपयोग हमें करना चाहिये वह नहीं कर रहे हैं और जिस के कारण तमाम देश में हाहाकार मचा हुआ है और देश की शक्ति बर्बाद हो रही है । खेतिहरों के स्टैन्डर्ड को आप ऊंचा करें और उन को सुविधायें दें और अगर आप उन को केवल एक मज़दूर की सतह पर छोड़ देंगे तो कोई पढ़ा लिखा आदमी खेती के काम पर नहीं जायगा । और जिस तरह की बगावत लखनऊ में पटना में और इलाहाबाद में पिछले दिनों में देखने में आयी है, ऐसी बगावत और जगहों पर भी होगी और इस देश को गंभीर क्षति पहुंचेगी । इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इस समस्या की ओर ध्यान दें और पढ़े लिखे लोगों को कृषि की ओर लगायें और कृषि काम करने वालों का स्टैन्डर्ड मजदूरों का सा न रक्खा जाय और इस के लिये सरकार जो योजनायें बनाये उन को सिर्फ़ यहां से पास कर के ही छोड़ न दे बल्कि उन को आगे परसू करे और देखे कि नीचे तक उन के अनुसार काम भी होता है ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह (जिला गढ़वाल–पश्चिम व जिला टिहरी गढ़वाल व जिला अल्मोड़ा–उत्तर): मैं आप की आभारी हूं कि आप ने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया । यह तो ठीक है कि मैं महलों में रही हू और खेतों के बारे में तजुर्बे की कोई बात नहीं कह सकती हूं लेकिन तो भी जो मैं ने दूसरे लोगों से सुना है और इधर पिछले दो, तीन साल में जो देखने में आया है उस के आधार पर मैं कुछ सुझाव इस सदन के सामने रखना चाहती हूं ।

सब से पहले तो मैं सरकार को यह बताना चाहती हूं कि इस सहकारी खेती यानी कलेक्टिव फ़ार्मिंग में अभी सफलता मिलना कठिन है क्योंकि अभी तक हमारी उस ढंग पर खेती करने की आदत नहीं पड़ी है जैसी कि और स्थानों में जैसे रूस, चीन और अमरीका आदि देशों में होती है, और इस कारण हमें कलेक्टिव फ़ार्मिंग में सफलता नहीं हो रही है । कलेक्टिव फ़ार्मिंग से यह होगा कि कुछ आदमी तो खूब मेहनत करेंगे, और बाक़ी आदमी आलसी बन कर बैठे रहेंगे और मेहनत नहीं करेंगे और मैं समझती हूं कि कलेक्टिव फ़ार्मिंग अभी कम से कम कुछ समय के लिये हमारे देश में सफलता नहीं प्राप्त कर सकती ।

दूसरी मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि गरीब किसानों से जहां कहीं भूमि ली जाय सड़क बनाने के वास्ते या और किसी काम के वास्ते तो उस भूमि का उस किसान को उचित और पूरा मुआवज़ा मिलना चाहिये, मुआविज़ा तो अभी भी मिलता है लेकिन एक तो वह बहुत देर बाद मिलता है और दूसरे पूरा नहीं मिलता है और आधा ही मिलता है । मेरा सुझाव यह है कि जिस किसान से सरकार ज़मीन ले उस के बदले में दूसरे स्थान में उस के लिये ज़मीन लेने से पहले ही निर्धारित कर दे ताकि उस ज़मीन से बेदखल होते ही वह दूसरी ज़मीन पर चला जाय और इस से यह फ़ायदा होगा कि वह दूसरी ज़मीन में जा सकेगा और ज़मीन पाने के लिये उस को वर्षों और महीनों इधर से उधर भटकना नहीं पड़ेगा और उस को अपनी रोज़ी कमाने का साधन मिल जायगा ।

तीसरा मेरा सरकार से यह निवेदन है कि गढ़वाल के बारे में मैं जानती हूं कि गढ़वाल में जो खेती बाड़ी का काम करते हैं उन के पास ज़मीन बहुत थोड़ी होती है

[श्रीमती कमलेन्दुमति शाह]

और वे उस से केवल साल में ४, ५ महीने तक के लिये ही कमा पाते हैं और बाक़ी महीनों के लिये उन्हें दूसरे साधन ढूंढने पड़ते हैं। और उन्हें दूसरों के पास ज़मीन छोड़नी पड़ती है। इसलिये मेरी राय में यह ज़मीन नहीं होनी चाहिये बल्कि हिस्सेदार होनी चाहिये क्योंकि, अगर भूमिधर कोई दूसरा बन गया तो जमीन का मालिक कहीं का नहीं रह जायगा। यदि नौकरी छूट जाय और घर की ज़मीन किसी दूसरे को मिल जाय तो वह बेचारा भूखा मर जायगा और कहीं का नहीं रहेगा।

सरकार को यह भी देखना चाहिये कि एक किसान के सारे परिवार के लिये जो ३० एकड़ की सीलिंग रक्खी है तो इस तीन एकड़ ज़मीन के बाबत यह भी निश्चित होना चाहिये कि ३० एकड़ ज़मीन खाली बालिगों को ही मिलेगी या कुछ नाबालिगों को भी मिलेगी। अब एक कुटुम्ब में यदि चार, पांच बच्चे हैं तो आखिर उन के पढ़ाने लिखाने और पालने पोसने पर भी तो कुछ खर्च आयेगा, इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उस ज़मीन में नाबालिग को भी हिस्सा दिया जाना चाहिये।

पांचवां सुझाव मेरा यह है कि जो मेहनत करने वाला किसान है उस पर कम से कम कर लगना चाहिये और जिस के पास रुपया है, उस को ज्यादा देने में कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन किसानों के पास कोई ज्यादा धन नहीं होता है और अपनी ज़रूरत भर का होता है जिस से वह अपना और अपने बाल बच्चों का पेट भर सकें, इसलिये सरकार को किसानों पर कम से कम कर लगाना चाहिये। किसान पर सिंचाई कर भी आरम्भ में नहीं लगाना चाहिये—बल्कि एक साल बाद सिंचाई का लाभ उठाने के बाद उस पर कर लगाना चाहिये। उदाहरण अगर एक साल बाद सरकार थोड़ा ज्यादा कर भी लेगी सिंचाई के लिये तो वह किसानों को कम लगेगा बनिस्बत इस के कि उन को पहले ही सुना दिया जाय कि अब तुम्हारे यहां नहर आने वाली है जिस से सिंचाई होगी, इसलिये तुम्हारे ऊपर यह कर लगाया जाता है। इस से किसान डरते हैं और वह इस सिंचाई का उपयोग नहीं कर सकेंगे और उन के मन में हमेशा चिन्ता बनी रहेगी। मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि कम से कम छै महीने तक या एक साल तक उन्हें यह मौका दिया जाना चाहिये कि वे सिंचाई के लाभ को देख लें फिर जो रुपया उस का सिंचाई कर देना है उस को वह खुशी खुशी सरकार को दे सकें और वह जरूर देगा।

मेरी एक और प्रार्थना है। खास कर हमारे पहाड़ी गांवों में यह हाल है कि जो सेठ साहूकार हैं वह हमारे किसानों को इतना ठगते हैं कि क्या बताऊं? जब साहुकारों के पास हमारे किसान कर्ज लेने जाते हैं तो साहूकार कहता है कि पहले तुम हमारे थैली की गांठ खोलने के लिये छः रुपया दो। थैली खुलने के बाद वह २५ फी सदी रुपया और लेता है। यानी जब किसान कर्ज अदा करता है तो उसे २५ रु० और सूद के देने पड़ते हैं। इस तरह कम से कम ३१ रु० १०० रु० पर सूद पड़ जाता है। इसलिये स्टेट की सरकारों को गांवों में अपने बैंक खोलने चाहियें जिस से २॥ या ३ प्रतिशत पर किसानों को कर्ज मिल सके और वह लोग साहूकारों से बच सकें। इसी तरह से किसानों का रक्त चूसा जाना बन्द हो सकेगा। एक एक गांव में एक एक साहूकार ४०, ५० हजार रुपया सालाना कमाते हैं कि जो किसान हैं वह बेचारे ५० ० सालाना भी नहीं कमा पाते हैं। अगर इस तरह से सरकार कदम उठाये तो वह गरीब किसान लोग भी दूसरे धनी लोगों के बराबर आ सकेंगे और अपना जीवन सुख से बिता सकेंगे।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं कृषि मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

भारत में हम आयोजन का विचार कर रहे हैं । दुर्भाग्यवश, कृषि योजना में बहुत सी कमियां हैं । भारत में भूमि सुधार के दो मुख्य उद्देश्य हो सकते हैं, अर्थात, अनुकूलतम उत्पादन होना, ज़मींदारों की सख्तियों को कम करना, आदि । जहां तक कृषि मज़दूर का सम्बन्ध है, मुझे कोई भी ऐसी बात विदित नहीं हुई है जिससे यह पता लगे कि भूमि सुधार समितियां अपने प्रतिवेदनों में और कुछ राज्यों के विधान में भी कोई रुचि ली जा रही है । मैं सरकार से पूछता हूं कि वह कृषि मज़दूरों की उपेक्षा क्यों कर रही है ? उनकी संख्या २० करोड़ है । क्या आपने कभी भी कृषि मज़दूर की कठिनाइयों पर विचार किया है ? यदि आप कृषि मज़दूर की दशा में सुधार करना चाहते हैं, तो कृपया यह बात लोक विदित होने दीजिये । हमें यह ध्यान रखना चाहिय कि देश की ग्रामीण जनता को उत्पाद में अपना उचित भाग प्राप्त करने से कभी रोका नहीं जा सकता । गांधी जी ने कहा था कि जोतने वाले को भूमि अवश्य दी जानी चाहिये । क्या इस सम्बन्ध में आपने कुछ किया है ? हम कृषि मज़दूर की दशा में सुधार करने के लिये क्या करेंगे ? मेरा यही प्रश्न है ।

वास्तव में कृषि कोई लाभदायक काय नहीं है । यदि जमींदार गांव में रुपये का लेनदेन नहीं करता, तो यह लाभदायक नहीं है । अतः यदि कृषि साधारण किसानों के लिये लाभदायक नहीं है तो यह कृषि मज़दूर के लिये लाभदायक कैसे हो सकती है । अतः मेरा ख्याल है कि अब सरकार को कृषि मज़दूरों की परिस्थिति में सुधार करने के लिये कोई कार्यवाही करनी चाहिये ।

श्री कानावड़े पाटिल : अखिल भारतीय ग्राम ऋण सर्वेक्षण के प्रतिवेदन के अनुसार कृषि मज़दूरों की संख्या १,४९,००,००० है । उनके आश्रितों की संख्या ४ करोड़ है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः माननीय सदस्य की बात चौथाई सच है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : आंकड़ों में सदैव ही अन्तर होता है । यह खाद्य और कृषि मंत्रालय द्वारा प्रकाशित गुटका है और इसमें इनकी संख्या ४-५ करोड़ दी है । अतः मैं इन आंकड़ों पर वाद-विवाद करना नहीं चाहता । मैं तो केवल यह चाहता हूं कि इन भूमिधारियों और कृषि मज़दूरों को वैकल्पिक कार्य दिया जाये । श्रम मंत्रालय के एक सर्वेक्षण के अनुसार दक्षिण भारत में कृषि मज़दूर को केवल १८१ दिन के लिये काम मिलता है और इसमें भी उसे ८१ दिन पूरा काम नहीं मिलता । यदि कृषि मज़दूर की यह स्थिति है तो स्वभावतः सारी कृषि व्यवस्था एक पक्षीय हो जाती है । अतः कोई ऐसा उपाय अवश्य निकाला जाना चाहिये कि कृषि मज़दूरों को या तो पूरा काम मिले या उन्हें वैकल्पिक कार्य मिले ।

चौधरी रणवीर सिंह (रोहतक) : कोई और बात कहने से पहले मेरे साथी ने अभी जो बातें आंकड़ों के सम्बन्ध में कही है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं । जो किताब हमें भेजी गई है उसके मुताबिक़ जो लोग खुद मालिक हैं और खुद काश्त करते हैं उनकी तादाद हिन्दुस्तान के अन्दर १६ करोड़ से कुछ ज्यादा है । उनको ओनर्ज़ कल्टीवेटर्ज़ का नाम दिया गया है । इसी तरह से मुज़ायरों की तादाद, जिन को टेनैंट्स कहते हैं, कोई तीन करोड़ है । जो लेबरर्ज़ की तादाद है वह कोई साढ़े चार

[चौधरी रणवीर सिंह]

करोड़ के करीब है। जिसके बारे में कुछ कहा गया है, जिन को शाजा बांदा रखने वाले कहते हैं, जिन का जमीन से बटाई लेने के अलावा कोई वास्ता या रिश्ता नहीं होता है, उनकी तादाद ५३ लाख है। हिन्दुस्तान की कुल आबादी में से जितनी आबादी खेती पर मुनहसर है उसकी तादाद करीब करीब २५ करोड़ है। उपाध्यक्ष-महोदय इससे एक बात बिल्कुल साफ जाहिर होती है कि कुछ भाई हैं जिनके खयाल के मुताबिक़ किसानों के तमाम दुखों की एक दवा जो है वह सीलिंग ही है और इसी से उन के दुखों का उजाला हो सकता है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइये कि आखिर इस सीलिंग के लगने से खेती की इकोनोमिक्स पर कितना असर पड़ सकता है। यही नहीं एक और सवाल है जिसका हमें फैसला करना होगा। हमें आज यह देखना है कि जो आदमी इस देश में खेती पर निर्भर करते हैं उनकी तादाद कितनी ह और आया हमें उनकी तादाद को बढ़ाना है या घटाना है। आज हमारे देश के अन्दर उन लोगों की आबादी ७० फीसदी है जो कि जमीन पर ही निर्भर करते हैं। अब हमें देखना है कि देश की तरक्की इस तादाद को घटाने से हो सकती है या बढ़ाने से। अगर आप दूसरे देशों से कोई सबक लें और अपने देश के पुराने इतिहास से कोई सबक लें तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हमें इस तादाद को घटाना होगा, इसको बढ़ाना नहीं होगा। अमरीका के अन्दर जो लोग जमीन की आमदनी पर ही निर्भर करते हैं उनकी ताद केवल १२ फीसदी है। तो अगर हमें अपने देश को दूसरे देशों के मुकाबले में खड़ा करना है तो हमें अपने देश के अन्दर छोटी और बड़ी दोनों क़िस्म की इंडस्ट्रीज को बढ़ाना होगा और ज्यादा से ज्यादा आबादी को उधर भेजना होगा और ज़मीन के ऊपर बोझ को कम करना होगा।

मैं उन आदमियों में से नहीं हूं जो सीलिंग की कोई मुखालिफत करते हों। मैं उन आदमियों में से भी नहीं हूं जो यह समझते हैं कि ३० या ४० या ५० या १०० एकड़ ज़मीन खेती करने के लिये ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ जिस में बेसिक चीज़ समझता हूं वह यह है कि आज जो यह खयाल किया जाता है और यह समझ लिया जाता है कि आज के हिन्दुस्तान के खेती के संसार के अन्दर सीलिंग का ही एक मसला है, वह गलत बात है। कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद से इंटरमिडियेरीज़ का जो मसला था वह तकरीबन खत्म हो चुका है या खत्म होने वाला है। यह एक पास्ट की बात होने वाली है, इतिहास की बात होने वाली है। सीलिंग के माने यह नहीं हैं जैसे कि बिहार के भाई समझते हैं। मुझे तो ताज्जुब होता है कि वे अपने ही नुक्तेनज़र से तमाम देश को क्यों देखना चाहते हैं। हमें मालूम है कि बिहार के अन्दर कोई रेवेन्यू रिकार्ड नहीं है। सरकार के पास वहां कोई ऐसा हिसाब नहीं है जिस से यह पता लग सके कि इस ज़मीन को कौन काश्त करता है। उन्हें पता होना चाहिये कि पंजाब के अन्दर हर एक फसल का रिकार्ड होता है और.....

श्री विभूति मिश्र: बिहार में परमानेंट सेटलमेंट है और वह आज से नहीं है, सन् १८८५ से है।

चौधरी रणवीर सिंह: यही तो मैं अर्ज़ करता हूं कि वहां पर एक परमानेंट रिकार्ड है और उसी के लिहाज़ से आज भी वह देखना चाहते हैं, इस बात को वह भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं।

मैं कह रहा था कि पंजाब के अन्दर हर छः महीने के अन्दर हालत बदलती है । पंजाब के रिकार्ड से यह पता लग सकता है कि आज से छः महीने पहले किस आदमी ने एक खेत को काश्त किया और दूसरे छः महीने में किस ने किया । यह हो सकता है कि जो खेत छः महीने पहले किसी ने काश्त किया हो वही खेत उसने छः महीने के बाद काश्त न किया हो और किसी दूसरे ने किया हो । साथ ही साथ वह उस फसल के लिये इस्तेमाल न किया गया हो जिसके लिये कि वह पहले इस्तेमाल किया गया था । इस तरह से पंजाब में हर छः महीने और हर साल का रिकार्ड है जिससे यह पता चलता है कि किस आदमी ने कौन सा खेत और क्या फसल काश्त की । यही चीज़ यू० पी० में भी है । इसके मुक़ाबले में बिहार के भाई आयें और बतायें कि उनके पास क्या रिकार्ड है । यह सही बात है कि उनके पास कोई ऐसा रिकार्ड नहीं है, इस बात से वह इन्कार नहीं कर सकते । वे जो इंटरमीडियरी को रिमूव करने की बात कहते हैं और जिस के ऊपर वह बड़ी बड़ी मांग करते हैं, मैं मानता हूं वह उचित ही है, और मैं भी चाहता हूं कि हमें आगे बढ़ना चाहिये । लेकिन वह अपने ही नुक्तेनज़र से सारे देश को न देखें । आज तिवारी जी ने कहा कि ट्रैक्टर वाले जो हैं वह जो पैदावार करते हैं, उनकी पदावार दूसरों के मुकाबले में, जो कि ट्रेक्टर्ज़ का इस्तेमाल नहीं करते, कम है । उनको मालूम होना चाहिये कि अगर ट्रैक्टर वाला दूसरे आदमी के मुकाबले में ज्यादा पैदा नहीं करता है तो वह ज़िंदा नहीं रह सकता है । ट्रैक्टर के ज़रिये से जो खेती करता है वह ऐसी खेती नहीं करता है जिस से कि उसको पता ही न चले कि क्या खर्चा पड़ता है । अगर ऐसा न हो तो वह छः महीने के बाद दिवालिया हो जायगा । जो ट्रैक्टर्ज़ के तेल का खर्चा होता है और जो मैकेनाइज्ड तरीकों से जो कल्टीवेशन होती है वह सब एक तरह से ऐसी चीज़ है जैसे कि एक बिजनैस होता है । इस लिये ट्रैक्टर्ज़ इस्तेमाल करने वालों को अगर जिन्दा रहना है तो उनको पैदावार ज्यादा करनी ही होगी और औसतन पैदावार बढ़ानी ही होगी । अगर वह ऐसा कर सकते हैं तभी वह जिन्दा रह सकते हैं ।

मुझे एक बात याद आती है । पंजाब के देहातों के अन्दर एक मिसाल है जिस को मरासी लोग, जो कि पंजाब में एक क्लास है, वह कहती है, कि अगर काश्तकार न होते तो इन्सानों को खेती करनी पड़ती । इसी तरह से जो लोग ट्रैक्टर्ज़ वगैरह के खिलाफ़ हैं क्या वे यह चाहते हैं कि जिस ड्रजरी में किसान इस वक्त है उसी में वह रहे । अगर हमें इस ड्रजरी में से निकलना है तो हमें मशीनें लानी ही होंगी और मैं कृषि मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह मशीनें लायें और जल्दी से लायें ताकि देश की पैदावार बढ़े और किसानों का जीवन एक सुखी जीवन बनें ।

एक माननीय सदस्य : जो बेकारी होगी?

चौधरी रणवीर सिंह : बेकारी का मसला मेरी समझ में नहीं आता है । जो बेकारी की बात करते हैं वह शायद सिर्फ उन ट्रैक्टर्स को ही देखते हैं जो कि ६० हार्स पावर के हैं । उनको शायद यह मालूम नहीं कि थोड़ी थोड़ी हार्स पावर के ट्रैक्टर भी होत हैं । मैं और डाक्टर राम सुभग सिंह दोनों ही जापान गये और हमने वहां पर पांच हार्स पावर और दो हार्स पावर के ट्रैक्टर देखे और मैं समझता हूं अगर ऐसे ट्रैक्टर इस्तेमाल किये जायें तो किसी भी तरह से हमारे देश में बेकारी नहीं फैल सकती है । मैं आपसे यह नहीं कहता कि आप ऐसी मशीनें लायें जिन से हमारे देश में बेकारी फैले । आप ऐसी मशीनें लायें जो कि किसानों की ड्रजरी को कम करें और किसान ज्यादा पैदा कर सकें । मैं जानता

[चौधरी रणवीर सिंह]

हूं हमारे देश के अन्दर बहुत सारी ज़मीनें ऐसी हैं जिस को काश्त करने में हल कारगर साबित नहीं होता है । वह ज़मीनें सख्त होती हैं और हल उनके अन्दर घुसता नहीं है । मुझे मालूम है कि तराई के एरिया की जो ज़मीन है वहां पर अगर कोई आदमी बरसात में हल नहीं चला सकता है तो उसकी ज़मीन बंजर हो जाती है । हमें आज ऐसी मशीनों की ज़रूरत है जो सख्त ज़मीनों की काश्त करने में हमारी मदद कर सकें और किसानों की ड्रजरी को कम कर सकें और वह ऐसी छोटी छोटी मशीनें होनी चाहियें जो बेकारी भी न लायें और किसानों की ज़िन्दगी को सुखी बना दें । ऐसी मशीनें आज देश की खेती के संसार में लाने की ज़रूरत है ।

इसके अलावा मैं अपने इधर वाले दोस्तों से कहना चाहता हूं कि वे एक बात समझ लें और वह यह है कि अब इंटरमीडियरी के नाम पर और सीलिंग के नाम पर अगर वह जिन्दा रहना चाहते हैं तो यह ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता । इस पर हम बहुत दिनों तक निर्भर नहीं रह सकते । आज अगर यू० पी० के किसान उठते हैं तो वे इसलिये नहीं कि वहां सीलिंग नहीं लगी है, बल्कि वे इसलिये उठते कि उनके गन्ने की कीमत ठीक नहीं मिलती । अगर आज पंजाब के किसान शोर करते हैं तो इसलिये नहीं कि वहां पर सीलिंग नहीं है बल्कि इसलिये कि उनके गहूं की और चने की क़ीमत उनको ठीक नहीं मिलती । इसी तरह से अगर साउथ के किसान उठते हैं तो इसलिये नहीं कि वहां पर सीलिंग नहीं है, बल्कि इसलिये कि उनकी रबड़ की, चाय की, कहवे की, रुई की और ग्राउण्ड नट की कीमत उनको ठीक नहीं मिलती है । इसी तरह से जूट का हाल है । आज आपको किसान की लड़ाई या पुकार का सही रुख जानना ज़रूरी है । आप पिछले सालों के अखबार पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि किसान किस चीज़ के लिये लड़ता है किसान किस बात पर अपनी आवाज़ उठाता है ।

इसके अलावा मैं एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूं । लेकिन अपनी बात कहने से पहले मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उसने बहुत बड़े बड़े काम किये हैं । सरकार ने प्राइस सपोर्ट दिया है, जिसके बारे में विशेषज्ञों का यह ख्याल था कि वह इस देश में नहीं दिया जा सकता । वे कहते थे कि यह देश बहुत बड़ा है और यहां पर बहुत बड़ी आबादी खेती का काम करती है । अगर किसी देश में १० या १२ फीसदी आबादी खेती करती हो तो वहां तो प्राइस सपोर्ट दिया जा सकता है या जहां खेती का इनकम १० या १२ फीसदी हो उस देश में प्राइस सपोर्ट दिया जा सकता है । उन लोगों का कहना था कि हिन्दुस्तान में तो ५० फीसदी आमदनी खेती से होती है और यहां पर ७० फीसदी आबादी खेती पर निर्भर करती है, यहां पर किस तरह से प्राइस सपोर्ट दिया जा सकता है और उसका बोझ कौन सहारेगा । ताज्जुब की बात है कि ऐसा कहा जाता है । प्राइस सपोर्ट का मसला बिल्कुल साफ है । जितना मार्केटेबिल सरप्लस है उसको सपोर्ट देना है । यह कोई ऐसी बात नहीं है जो कि अभी तक हमारे देश में कभी हुई न हो । आप खेती के पिछले आठ सालों का इतिहास देखें तो आपको उससे यह शहादत मिलेगी कि पिछले सालों में, कंट्रोल के ज़माने में सरकार ने एक हज़ार करोड़ रुपये लगाकर खेती की पैदावार को, मार्केटेबिल सरप्लस को खरीदा, इसलिये कि हिन्दुस्तान में कंज्यूमर को सस्ती

चीज़ें बेची जा सकें । आज भी उतना ही या उससे दस पांच फीसदी ज्यादा मार्केटेबिल सरप्लस होगा । उसको खरीदने का सवाल है, और वह भी कंज्यूमर के लिये खरीदा जायगा । ऐसा करने से किसान को फायदा होता है तो सरकार को ऐसा करना चाहिये । पहले जब सरकार ने एक हज़ार करोड़ का मार्केटेबिल सरप्लस खरीदा था तो उसने २०० करोड़ का घाटा बरदाश्त किया था । मैं अपने कृषि मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस काम के लिये वे वित्त मंत्री से मांग करें और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इधर के सदस्यों का बहुत बड़ा हिस्सा उनके साथ है । मैं चाहता हूं कि सरकार अगले पांच साल के लिये इस काम के वास्ते ४०० करोड़ रुपया रखे, ताकि प्राइस को स्टेबिलाइज़ किया जा सके । और यह डर गलत है कि अगर सरकार प्राइस सपोर्ट देने लगेगी तो इससे सरकार को बहुत घाटा होगा । आज आप देखें कि हालत क्या है । वह गेहूं जो कि पंजाब में फस्ल पर ८ रुपये मन बिका था आज मद्रास और कलकत्ते में १८ रुपये मन बिकता है । वह चना जो पंजाब में ५ रुपये मन बिका था आज १४ और १५ रुपये मन तक बिकता है । तो इसमें सवाल तो प्लानिंग का है ।

यहां बतलाया गया है कि वेअर हाउसेज़ बनाये जायेंगे । इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जितना हाथ इस मिनिस्ट्री का देश की उन्नति करने में है उतना और किसी का नहीं है । मैं मिनिस्टर महोदय को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी पूरी सपोर्ट उनके लिये है । इसलिये जिस चीज़ को वे देश के लिये अच्छा समझें उसको पूरा करने के लिये हिम्मत से आगे बढ़ें । वे अपनी मांग फाइनेंस मिनिस्ट्री से और दूसरी मिनिस्ट्रीज़ से पूरी करावें और पीछे न हटें ।

मैं ठीक तरह से नहीं समझ सका कि जैन साहब ने वेअर हाउसेज़ के बारे में क्या कहा । मैं उनका मतलब ठीक से नहीं समझ सका । मैं ने तो यही समझा है कि शायद गवर्नमेंट आफ इण्डिया १२ हज़ार वेअर हाउसेज़ बनवाना चाहती थी लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स ने सात या पांच हज़ार की ही राय दी है ।

श्री ए० पी० जैन : मैं ने ऐसा नहीं कहा । मैं ने कहा था कि १२ हज़ार बनाने का प्रोग्राम था । जब स्टेट्स गवर्नमेंट्स से बातचीत हुई तो उन्होंने बतलाया कि करीब सात हज़ार वेअर हाउसेज़ तो किराये पर लिये जा सकते हैं इसलिये पांच हज़ार बनाये जायं । कुल मिला कर १२ हज़ार हो जायेंगे ।

चौ० रणवीर सिंह : मैं तो कहूंगा कि १२ हजार का ही टारजेट रखे । इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं । कहा जाता है कि इन वेअर हाउसेज़ के बनाने में बड़ी मुश्किल होगी । कहा जाता है कि एक वेअर हाउस में इतना सीमेंट लगेगा जितना कि एक मकान में लगता है । अगर यही कठिनाई है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप देहात में उस वक्त तक के लिये पक्के मकान बनवाना बन्द करवा दें जब तक कि सारे देश में उतने वेअर हाउसेज़ न बन जायें जितनों की कि ज़रूरत है । किसान की तरक्की के लिये वेअर हाउसेज़ का बनना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जब तक ये वेअर हाउसेज़ नहीं बनेंगे तब तक किसान को सस्ती दर पर क़र्ज़ा नहीं मिल सकेगा आज हालत यह है कि अनाज तो पैदा करता है किसान और उसके ऊपर व्यापारी सस्ती दर पर कर्ज़ा लेता है, लेकिन किसान को

[चौधरी रणवीर सिंह]

उसके अनाज के बदले सस्ता क़र्ज़ा नहीं मिल सकता ।

मैं एक बात और अर्ज़ करना चाहता हूं । वह है एग्रीकल्चरल टैक्सेशन के बारे में । एक ज़माना था कि सन् १७९३–९४ में हमारे देश में सारे देश की कुल आमदनी का ६९ पर सेंट लैंड रेवेन्यू से आता था, लेकिन सन् १९५३–५४ में जो इनकम हुई, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को, उसका ८.६ पर सेंट लैंड रेवेन्यू से आया । अगर सूबों को अलाहिदा लिया जाय तो सन् ५२ के अन्दर सूबों की कुल आमदनी का २० ३ पर सेंट लैंड रेवेन्यू से आया । एक ज़माना था जब कि सन् १९२२ में यह आमदनी लैंड रेवेन्यू से सूबों की कुल आमदनी का ५४ पर सेंट थी । हमारे कुछ दोस्त यह समझते हैं कि अगर लैंड रेवेन्यू को भी उसी तरीक़े से असेस किया गया जिस तरीक़े से कि इनकम टैक्स को असेस किया जाता है तो आसमान गिर जायगा । इस सिलसिले में मैं एक बात और अर्ज़ करना चाहता हूं । पंजाब सरकार ने प्लानिंग कमीशन को यह सिफारिश भेजी और अपने यहां इस आशय का प्रस्ताव भी पास किया कि हम हर उस किसान के लैंड रेवेन्यू को माफ़ करना चाहते हैं जो कि ५ रुपये से कम मालगुजारी देता है । लेकिन अफ़सोस है कि पंजाब गवर्नमेंट को ऐसा करने की इजाज़त नहीं मिली हालांकि पंजाब गवर्नमेंट इस बात के लिये ज़िम्मेवारी लेने को तैयार थी कि ऐसा करने से उसे जो ३२ या ३४ लाख का खसारा होगा उसको वह किसी दूसरे तरीक़े से पूरा कर लेगी । मैं जानना चाहता हूं कि आखिर कब तक इस देश के अन्दर टैक्सेशन के दो तरीक़े चलते रहेंगे । एक आबादी इस देश में ऐसी है जिस की कई हज़ार की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता । दूसरी तरफ़ एक आबादी ऐसी है, जो कि देश की कुल आबादी का ७० फीसदी है, जो कि चाहे कुछ पैदा कर सके या न कर सके, चाहे उसे घाटा ही क्यों न उठाना पड़ रहा हो, तो भी उसे टैक्स देना पड़ता है । आप इस लैंड रेवेन्यू को रेंट नहीं कह सकते । सरकार तो जनता की प्रतिनिधि है । वह लैंड रेवेन्यू को रेंट नहीं कह सकती, उसे इसको टैक्स कहना होगा, और अगर उसको टैक्स कहा जायगा तो टैक्स में डिफरेंसियेशन नहीं किया जा सकता । आपको इस डिफरेंसियेशन को खत्म करना होगा । कुछ दोस्त समझते हैं कि ऐसा करने से राज्य सरकारों का दिवाला निकल जायगा । लेकिन मैं पूछता हूं कि आखिर कुल लैंड रेवेन्यू देश की आमदनी का ८ पर सेंट ही तो है । और फिर यह सारी आमदनी खत्म नहीं हो जायगी । ज्यादा से ज्यादा ४ पर सेंट यानी कुल लैंड रेवेन्यू का ५० पर सेंट कम हो जायगा । अगर कोई सरकार इतनी कमी को भी किसी दूसरे तरीक़े से पूरा नहीं कर सकती तो मैं समझता हूं कि वह काम चलाने लायक़ नहीं है । अन्दाज़ा लगाया जाता है कि सरकार दूसरी पंचवर्षीय योजना में देश की आमदनी २० पर सेंट बढ़ा देगी । तो मेरी समझ में नहीं आता कि क्या इस ४ पर सेंट आमदनी की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता । आप जितनी लैंड रेवेन्यू है उसका ५० पर सेंट माफ़ कर दें और इतनी कमी को दूसरे ज़रिये से पूरा कर लें । आप अगर ऐसा करेंगे तो लोगों को मालूम होगा कि अब हमारी अपनी सरकार है और जो अब तक हमारे साथ सौतेली मां का सा बरताव होता था वह बदलने वाला है और हमारे साथ वही सलूक होगा जो कि दूसरे बड़े बड़े साहूकारों और इनकम टैक्स देने वालों के साथ हो रहा है ।

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : मुझे हर्ष है कि चाहे योजना आयोग कृषि

विभाग या कृषि के विषय को प्रथम या द्वितीय स्थान देता है या नहीं, इस सभा ने इस पर वाद विवाद के लिये दस घंटे नियुक्त करके इसे निश्चय ही विशेष स्थान दिया है । पिछली बार आयव्ययक सत्र में जब हमने इस पर चर्चा की थी, तब हमें मुश्किल से साढ़े तीन घंटे मिले थे और परिणाम यह हुआ था कि बहुत थोड़ी जानकारी दी जा सकी और फिर इस सभा के सदस्य बहुत थोड़ी टीका टिप्पणी कर सके । अतः मैं सभा में बहुत से सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गई आलोचना और सुझावों के इस अवसर का स्वागत करता हूं ।

यह सर्वथा स्पष्ट है कि अब तक जिन माननीय सदस्यों ने अब तक भाषण दिये हैं उन्होंने अधिकतर भूमि सुधार की चर्चा की है और कृषि ऋण को केवल द्वितीय स्थान दिया है । ऐसी बहुत थोड़ी सी बातों पर जोर दिया गया जो इन दो महत्वपूर्ण विचारों के प्रसंग में न हो और जो उनसे उत्पन्न नहीं होती हों । परन्तु मुझे विश्वास है कि सभा ने और आपने, श्रीमान्, उन चर्चाओं में जो हम खाद्य और कृषि मंत्रालय के बारे में किया करते थे, और वर्तमान चर्चा में एक ध्यान देने योग्य अन्तर देखा होगा । हमने इस सभा में अनेकों बार खाद्य सम्बन्धी स्थिति पर चर्चा की है सौभाग्य से इस चर्चा में कदाचित् ही कोई ऐसी बात कही गई है जिससे यह ज्ञात हो कि हम खाद्य स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं ।

श्री कामत (हुशंगाबाद) : जब आप सभा में इस ओर थे तब बात और थी ।

डा० पी० एस० देशमुख : मेरा ख्याल है कि मेरे मित्र ठीक कहते हैं । इसमें सन्देह नहीं कि खाद्य के सम्बन्ध में हमने जो उत्तम स्थिति प्राप्त कर ली है, यह उसके कारण है । मैं यह अवश्य कहूंगा कि कुछ लोग इस सफलता के लिये कृषकों और राज्यों में विभिन्न कृषि विभागों को श्रेय नहीं दे रहे हैं । मुझे प्रसन्नता है कि फिर भी कुछ सदस्यों ने हमारी सफलता का, जो हमने जापानी ढंग से कृषि कर के प्राप्त की है, थोड़ा उल्लेख किया है । इस ढंग से देश में केवल चावल के उत्पादन में ही पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है अपितु अति अधिक ध्यान देने योग्य बात यह है कि गत वर्ष की असाधारण बाढ़ सूखा और अन्य विनाश के होते हुये भी, हम यह कह सकते हैं कि हमारी खाद्य स्थिति सन्तोषजनक है क्योंकि हमारा उत्पादन १९५५–५६ के लक्ष्य से कम से कम ४२ लाख टन अधिक है । इससे यह प्रकट होगा कि १९५३–५४ का उत्पादन कोई आकस्मिक उत्पादन न था । गत वर्ष साधारणतया अधिक आपदाओं के होते हुये भी और इस बात के होते हुये भी कि पश्चिम बंगाल और बिहार के दो राज्यों में हमें ३१ लाख टन चावल की क्षति हुई, कुल उत्पादन १९५५–५६ के लक्ष्य से ४२ लाख टन अधिक है । उन आंकड़ों के अतिरिक्त जो अनेकों बार सभा में बताये गये हैं, इस जापानी ढंग से खेती करके ही हमने आठ लाख टन से कम चावल की प्रत्यक्ष वृद्धि नहीं की है और जिसका मूल्य २५ करोड़ रुपये से कम नहीं है । हमने यह सब केन्द्रीय सरकार के मुश्किल से दो लाख रुपये के व्यय से किया । प्रथम वर्ष में हमने केवल ३००० रुपये व्यय किये थे ।

श्री सिंहासन सिंह : जापानी ढंग से कितने एकड़ भूमि में खेती होती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : १९५३–५४ में चार लाख एकड़ में हुई थी । और १९५४–५५ में १३.२ लाख एकड़ में । १९५३–५४ में हमारा उत्पादन साधारणतया ३८½ मन प्रति एकड़ था जब कि हमारा देश भर का औसत उत्पादन मुश्किल से नौ या दस मन होता था । जापानी ढंग से १३ लाख

[डा० पी० एस० देशमुख]

एकड़ में खेती होने से भी, औसत ३५½ मन प्रति एकड़ हो गया है । इसके अतिरिक्त बहुत से कृषकों ने अपने खेतों में इसका आंशिक प्रयोग किया, जैसे एक दम पौदे लगाने की अपेक्षा प्रतिरोपण करना, बीज करने की बजाय लाइन में बीजबपन करना, कुछ उर्वरकों, खादों का प्रयोग करना, अपेक्षाकृत अधिक कृषि करना आदि । सफल आन्दोलन का केवल यही उदाहरण नहीं है, क्योंकि हमने गन्ने के उत्पादन के सम्बन्ध में एक आन्दोलन चलाया था । हालांकि मैं यह नहीं कहता कि १९५४–५५ में हमारी सारी औसत मात्रायें हमारे आन्दोलनों के कारण थीं । जहां तक चीनी उत्पादन और गुड़ उत्पादन का सम्बन्ध है, उसमें भी पर्याप्त वृद्धि हुई ह । सभा जानती है कि मैं ने चीनी क आयात की बात को कैसी लज्जाजनक बताया था । परन्तु गत वर्ष में हमारे उपभोग के लिये चीनी का आयात करने की लज्जाजनक बात समाप्त की जा सकी है । गत वर्ष चीनी का उत्पादन इतना अधिक हुआ कि कभी नहीं हुआ । मुझे सन्देह नहीं है कि यदि हमारे आन्दोलनों और कृषकों के उत्साह को बनाये रखा गया ह, तो हम न केवल विद्यमान जनसंख्या के लिये ही पर्याप्त खाद्य उत्पन्न कर सकेंगे अपितु हम बढ़ती हुई जन संख्या से, जिसका कुछ लोगों को अनावश्यक डर है, कदाचित् आगे रहेंगे । इस बीच में मैं यह बात कहना चाहता हूं, अर्थात्, बहुत से लोगों ने जनसंख्या में इस वृद्धि का अनावश्यक शोर मचा दिया ह । मैं ने मृत्यु और जन्म के आंकड़ों का अनुपात देखा था, और मेरा ख्याल है कि यह प्रत्यक्ष है कि पिछले १०–२० वर्षों में मृत्यु और जन्म दोनों का अनुपात कम हो गया है ।

मैं महसूस करता हूं कि स्थिति के ठीक होने से सारी चीजों में सुधार होगा क्योंकि मेरा यह विश्वास है कि जनसंख्या गरीबी की हालत में और कम पौष्टिक भोजन मिलने पर अधिक तेजी से बढ़ती है । हमारे देश की जनता की दशा सुधारते ही जन्म कम होने लगेंगे और साथ ही साथ मृत्यू की संख्या भी कम हो जायेगी । मैं इस सम्बन्ध में अधिक नहीं कहना चाहता ।

डा० सुरेश चन्द्र (औरंगाबाद) : मदन तरंग प्रणाली से क्या हुआ है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरा उस से कोई सम्बन्ध नहीं है । मैं डाक्टर नहीं हूं । जिस प्रकार से हम चावल और चीनी के मामले में आत्मनिर्भर हो गये हैं उसी प्रकार में यह आशा करता हूं कि कुछ विशेषज्ञों के द्वारा लगाये गये अनुमानों के अलावा हम १९६१ तक नारियल और सुपारी के मामले में भी आत्मनिर्भर हो जायेंगे । संभवतः हम तीन साल के अन्दर ही स्वावलम्बी हो जायेंगे । गन्ना, गुड़ और पटसन के कुल उत्पादन को छोड़ कर जिस में निस्सन्देह हम कुछ पीछे हैं, सभी अन्य चीजों के उत्पादन में वृद्धि हुई है ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

मेरे माननीय मित्र डा० कृष्णस्वामी ने बताया कि हमें ऐसी फसलों की ओर ध्यान देना चाहिये जिन से हमें अपने उद्योगों के लिये कच्चा माल प्राप्त हो सके । मैं चाहता था कि वे एक निश्चित सुझाव देते, क्योंकि हम लगभग प्रत्येक वस्तु के सम्बन्ध में शीघ्र ही आत्मनिर्भर होने के आशा करते हैं । कपास के सम्बन्ध में भी हम स्वावलम्बी बनने की अवस्था में आ गये हैं और संभवतः अगले साल उत्पादन की अधिकता के कारण मूल्य गिर जायें और कपास उत्पादकों को उस संबंध में शिकायत करनी पड़े । पटसन के

सम्बन्ध में हम वस्तुतः कुछ वर्ष पूर्व ही स्वावलम्बी हो गये थे ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : क्या सभी प्रकार की कपास हमारे देश में पैदा होती है और हम इस सम्बन्ध में किसी भी अन्य देश पर निर्भर नहीं हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : $1^{1}/_{16}$ इंच से अधिक लम्बे रेशे वाली कपास को छोड़ कर हमारे यहां सभी प्रकार की कपास, जिन की इस देश को आवश्यकता है, पैदा होती है । वस्तुतः यदि हम आयात कम करने की कोशिश करें, तो हम अपने यहां पैदा होने वाली $^{1}/_{2}$ इंच की लम्बे रेशे वाली कपास का, जोकि अपने यहां के मिलों के लिये उपयुक्त है, उचित उपयोग कर सकते हैं । अतः डा० कृष्णस्वामी द्वारा बताई गई फसलों की ओर ध्यान देने की कोई गुंजाइश नहीं है । हम उत्पादन को इस वृद्धि को कायम रखेंगे । अतः अन्य पदार्थ की ओर ध्यान नहीं दिया जा सकता है । उस का कारण यह है कि चावल, चीनो, गेहूं, कपास, मोटे अनाज, तिलहन इत्यादि सभी चीजों के सम्बन्ध में हम जल्दी ही आत्मनिर्भर हो जायेंगे । योजना आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों तक तो हम बहुत पहले पहुंच चुके हैं ।

एक प्रश्न यह पूछा गया था कि क्या भूक्षारण के मामले में सरकार की गति धीमी है । मैं इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े उपस्थित करूंगा ताकि माननीय सदस्यों को सरकार के प्रयत्नों के बारे में जानकारी हो जाये । मैं यह मानता हूं कि भूसंरक्षण बोर्ड के विधान के तैयार होने में बेकार की देर लगी । हम ने यह बोर्ड १६ दिसम्बर, १९५३ को स्थापित किया था और तब से हम ने राज्यों को ऋण देकर इस पर ६९$^{1}/_{2}$ लाख रुपये खर्च किये हैं और १५ राज्यों को हम ने ३६.९२ लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी है । मैं उन राज्यों नाम लेना बेकार समझता हूं । ६ राज्यों ने कुछ योजनायें उपस्थित की हैं जिन के लिये हम ऋण और सहायता के रूप में क्रमशः २१.७५ लाख और १६ लाख रुपये खर्च करेंगे । यद्यपि इस पर कुछ देरी से विचार किया गया, फिर भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हम किसी प्रकार भी पीछे नहीं रहेंगे । निस्संदेह यह एक ऐसी विशाल समस्या है जिसके समाधान के लिये रुपये की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि राज्यों तथा जनता में परस्पर सहयोग और समन्वय की है ।

दूसरी बात राज्य-व्यापार के बारे में कही गई थी । डा० कृष्णस्वामी ने इसी पर जोर दिया है । मूल्यों को स्थिर रखने के लिये अपनी प्रस्थापनाओं में हमने राज्य-व्यापार के अलावा कुछ नहीं किया है । यह राज्य-व्यापार ही है । जिन पदार्थों के बारे में हम ने बताया है कि हम उन की खरीद करेंगे, कम से कम उन तक इस विधेयक के क्षेत्र को बढ़ाने की हम अवश्य कोशिश करेंगे ।

हैदराबाद के एक मित्र ने पूछा है कि चावल की खरीद के सम्बन्ध में नीति घोषित करने का क्या यह उचित समय है । पिछली बार हमने ज्वार खरीदने के बारे में कुछ देरी से निश्चय किया था । उस समय तक किसान ज्वार का कुछ भाग व्यापारियों को बेच चुके थे जिस से किसानों को पर्याप्त सहायता नहीं मिल सकी । हम इस में नहीं उलझना चाहते और जहां तक चावल का मामला है, खलिहान भरने का समय आ गया है अतः यह ठीक ही समय है, लगभग १५ दिन या एक महीने में अधिकांश चावल काट लिया जायेगा ।

अतः हम थोड़ा सा भी समय नष्ट नहीं होने देना चाहते, ताकि यदि मोटे चावल का

[डा० पी० एस० देशमुख]

भाव ११ रु० प्रति मन से भी नीचे गिर जाये, तो भी किसानों को कोई नुकसान न हो ।

कृषि सम्बन्धी ऋण के बारे में दो बातें रखी गई थीं । एक ओर तो इस के लिये आग्रह किया गया था कि हम ने ब्याज की दर घटा कर ६½ प्रतिशत करना चाहते हैं, वह भी बहुत कम नहीं है दूसरी ओर सहकारी संस्थाओं के पक्ष में बोलते हुए हैदराबाद के एक माननीय सदस्य ने बताया कि यह दर बहुत कम की जा रही है । दोनों ही पक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता है । वस्तुतः हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिस से अन्त में किसान को लाभ हो । हम यह कोशिश करेंगे कि ऋण कम ब्याज में उपलब्ध हो सके । यह मांग केवल इस सभा की ही नहीं है, अपितु देश के प्रत्येक व्यक्ति की है ।

साम्यवादी दल के नेता ने भूमि सुधारों के सम्बन्ध में बोलते हुए बताया कि हम ने जो सुधार किये हैं उन से कोई लाभ नहीं हुआ है । इस का उत्तर मेरे ज्येष्ठ साथी देंगे । दूसरी बात उन्हों ने ऋणग्रस्त तथा साहूकारी के बारे में कही थी । मुझे खेद है कि यह मामला पूर्णतया राज्यों के हाथ में है और मेरे विचार में सभी राज्य इस ओर उचित ध्यान देंगे । यह कहा जा सकता है कि किसानों की रक्षा करने में हम ने साहूकारों को धन देने के लिये निरुत्साहित किया है, जिस के परिणामस्वरूप स्वयं किसानों को ही नुकसान हुआ है, क्योंकि अब उन्हें साहूकारों से धन नहीं मिल पाता । साहूकार अब रुपया नहीं देना चाहते हैं और पक्की बिक्री तथा सम्पत्ति के पूर्ण हस्तान्तरण पर जोर देते हैं । वे पहले से ही ब्याज ले लेना चाहते हैं, जो कि उन को अवधि पूरी होने पर मिलना चाहिये । किन्तु कुछ भी सही, मेरे विचार में राज्यों ने इस ऋण ग्रस्तता तथा साहूकारी के प्रश्नों की ओर ध्यान दिया है और अधिकांश राज्यों ने तत्सम्बन्धी कोई न कोई विधान भी बना लिया है ।

मेरे मित्र श्री अशोक मेहता ने दो बातें कहीं । उन्हों ने कहा विक्रय के लिये फालतू अनाज का स्टाक बढ़ाया जाये । उन्हों ने उत्पादन सम्बन्धी संकट की भी चर्चा की जो रूस में और हाल ही में चीन में उत्पन्न हो गया था । मेरी समझ में नहीं आता कि इस प्रकार की आलोचना को क्या कहा जाये क्योंकि जहां तक हमारे देश का प्रश्न है, फालतू अनाज मंडी में आता रहा है । यदि ऐसा नहीं होता तो अनाज की कीमतें कदापि न गिरती । कीमतें यकायक इतनी कम हो गईं कि अब यह विश्वास भी नहीं होता कि कुछ ही समय पहले देश में खाद्यान्न का इतना अभाव था । जहां तक विक्रय के लिये फालतू अनाज का सम्बन्ध है, मुझे यह कहना है कि हम जो मूल्य अवलम्बन दे रहे हैं उस का अभिप्राय ही यह है कि बाजार में जो फालतू अनाज आ रहा है वह ले लिया जाये । दूसरी बात श्री अशोक मेहता ने उत्पादन सम्बन्धी संकट के बारे में कही—अर्थात् उत्पादन संकट का अस्तित्व और विक्रय के लिये फालतू अनाज का अभाव है । यह स्थिति तो रूस और चीन में उन देशों द्वारा अपनाई गई नीति के परिणामस्वरूप पैदा हो गई थी । वहां किसानों को अधिक उत्पादन करने के लिये निरुत्साहित कर दिया गया था । परन्तु हमारे देश में ऐसे किसी संकट आने की सम्भावना नहीं है । सच तो यह है कि हमें दूसरी दिशा में सावधानी बरतनी है ।

मेरे मित्र श्री लक्ष्मय्या ने कहा कि हमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी चाहिये और निर्यात भी करना चाहिये । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम केवल आत्म निर्भर ही नहीं हैं,

बल्कि हम तिलहन, मूंगफली का तेल, छोटे रेशे की कपास व चावल आदि का निर्यात भी कर रहे हैं ।

पंडित तिवारी ने यह सुझाव दिया कि गोदामों का निर्माण अधिक तेजी के साथ किया जाये । वस्तुतः गोदाम सम्बन्धी सुझाव कोई नये नहीं हैं क्योंकि हम ग्राम ऋण सर्वेक्षण समिति की सभी सिफारिशों को क्रियान्वित करने का फैसला पहले ही कर चुके हैं । जहां तक गोदामों की संख्या का सम्बन्ध है, कुछ मतभेद हो सकता है । परन्तु मुझे यकीन है कि यदि गोदामों की संख्या बढ़ाने की जरूरत पड़े तो हम ऐसा करने में देरी नहीं करेंगे ।

श्री जी० एच० देशपांडे ने कमी वाले क्षेत्रों की चर्चा की । उन्हों ने सुझाव दिया कि कमी वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाये । मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है और पिछले एक दो वर्ष से ऐसे क्षेत्रों में व्यय किये जाने के लिये, जहां बहुत दिनों से अनाज का अभाव चला आ रहा है, विशेषतः धन राशि आवंटित की जा रही है ।

मुझे प्रसन्नता है कि चौ० रणबीर सिंह ने कहा कि केवल जोतों के सम्बन्ध में उच्चतम सीमा निश्चित कर देने मात्र से सारी समस्या हल नहीं होगी । परन्तु मेरा कहना यह है कि उच्चतम सीमा ही एक मात्र प्रश्न नहीं है । वस्तुतः मुख्य प्रश्न छोटी तथा अलग अलग स्थित जोतों का है । मेरे माननीय मित्र श्री बी० एस० मूर्ति ने अतिशयोक्ति कर के अपनी बात का स्वयं ही खंडन कर दिया ।

उन्हों ने धमकी दी कि खेतिहर मजदूर बहुमत में हैं और जब तक कि हम यह न दिखायें कि हम ने उन के लिये कोई खास काम किया है अगले चुनावों में हम कोई आशा नहीं कर सकते । चूंकि उन के २० करोड़ घट कर ४½ करोड़ रह गये हैं इसलिये मैं समझता हूं कि उन के तर्क का बल कम हो जाता है । यह भी सही नहीं है कि हम ने अपने देश में इन लोगों की अवहेलना की है । वास्तव में, यद्यपि हम उस से प्रत्यक्षतः संबंधित नहीं हैं, सदन जानता है कि बहुत से स्थानों में कृषि मजूरी अधिनियम लागू है । मजूरी निश्चित करने का प्रयत्न किया जा रहा है । परन्तु यह बड़ी कठिन समस्या है । जैसा कि मेरे मित्र श्री ए० के० गोपालन ने शिकायत की थी, जब कि अधिनियम के अनुसार निश्चित मजूरी १ रू० ४ आ० है, मजदूर को वास्तव में २ रु० मिलते हैं । ऐसा होना संभव है क्योंकि कृषि संबंधी अर्थ-व्यवस्था की स्थिति इतनी अचानक बदलती है कि किसी भी व्यक्ति के लिये उस के साथ कदम मिला कर रखना अत्यन्त कठिन है । अधिक अच्छी बात यह होगी कि इस विषय पर दिये जाने वाले धन के परिणाम की दृष्टि से विचार न किया जाये वरन् इस दृष्टि से विचार किया जाये जो कि मजूरी उस को मिलती है उस की क्रयशक्ति कितनी है । यदि हम इस पर अधिक ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा हो । मैं यह नहीं कहता कि मजदूरों की आय अधिक है । वास्तव में इस में तनिक भी शंका नहीं कि खेतिहर मजदूरों का हमें भूतकाल की अपेक्षा अधिक ध्यान रखना होगा । साथ ही यदि हम किन्हीं आंकड़ों पर निर्भर रहना चाहते रहे हों तो हमें उस पर उन को मिलने वाली वास्तविक मजूरी तथा उस की क्रयशक्ति के दृष्टिकोण से विचार करना होगा । उस से अपेक्षाकृत अधिक वास्तविक स्थिति ज्ञात होगी । मैं श्री बी० एस० मूर्ति को आश्वासन दूंगा कि हम ने इस प्रश्न की उपेक्षा नहीं की है । वास्तव में जब कभी भी हम किन्हीं भूमिहीन मजदूरों का पुनर्वास प्रारम्भ करते हैं तो वे आवश्यक रूप से वे कृषि मजदूर

[डा० पी० एस० देशमुख]

होते हैं । हम भोपाल में प्रयोग कर रहे हैं जिन का हम विस्तार कर सकेंगे यदि सिंचाई की सुविधायुक्त उपयुक्त भूमि के टुकड़े हों जो राज्य सरकारें हमें देने को तैयार हों । तभी इस प्रयोग का विस्तार किया जा सकेगा ।

एक तर्क से मैं सर्वथा सहमत हूं जिस का कई माननीय सदस्यों ने समर्थन किया, और वह यह है कि इस देश की समृद्धि, विशेषकर किसानों और खेतिहरों की देश की जनता की संख्या के हिसाब से घटती बढ़ती जायेगी । इस के बारे में तनिक भी शंका नहीं है कि हमारी भूमि पर दबाव इतना अधिक है कि हमारे लिये किन्हीं भी साधनों से उन में से प्रत्येक को समृद्ध करना असंभव होगा । यह कैसे किया जावे इसी प्रश्न पर सदन को विचार करना है । मैं नहीं समझता कि मुझे इतना समय उपलब्ध है कि उस पर कुछ कहूं । हमें इस के लिये कदम उठाना होगा कि किसी न किसी साधन से भूमि का दबाव कम हो । हमारी भूमि का प्रत्येक कण इतना उपजाऊ नहीं है जितना कि वह बिहार अथवा उत्तर प्रदेश में होगा । हर जगह भूमि की उर्वरत इतनी अधिक नहीं है कि जिस में १।। या २ एकड़ सिंचित भूमि पर एक परिवार अपना भरण पोषण कर सके । भूमि की किस्म स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न होती है । यह और भी अधिक आवश्यक है कि इस समस्या पर दोनों ओर से विचार किया जाये । एक ओर तो हमें निश्चित ही भूमि सुधार का सहारा लेना होगा और थोड़े से लोगों के हाथ म जो जमीन है उसे कम करना होगा व उस के अपेक्षाकृत अधिक लोगों में वितरित करना होगा । मैं पूर्णतः इस पक्ष में । साथ ही हमें यह भी देखना है कि क्या थोड़ा सा भूभाग वास्तव में एक परिवार का भरण पोषण कर सकता है और यदि हम चाहते हैं कि हम सदैव उसी भू भाग पर चिपके रहें तो क्या हम उस के रहन सहन के स्तर को सुधारने जा रहे हैं ? यही प्रश्न है जिस पर हम को सोच विचार करना होगा ।

सभापति महोदय : दाय के सम्बन्ध में क्या है ? मान लीजिये कि उच्चतम सीमा निश्चित कर दी जाये । पिता की मृत्यु के बाद पुत्र उस के उत्तराधिकारी होंगे । उस स्थिति में उच्चतम सीमा का क्या होगा ?

डा० पी० एस० देसमुख : कुछ व्यक्ति उस समय तक प्रतीक्षा करने को उद्यत नहीं हैं जब तक कि स्वामी मरे । वे भूमि हथियाने के लिये जल्दी में रहते है और तुरन्त ही यथाशीघ्र सामाजिक न्याय किया जाना चाहते हैं ।

अन्त में, मैं यह संकेत करना चाहता हूं कि हम ने कृषि अथवा वन विद्या अथवा अन्य से संबंधित कोई भी कार्य अछूता नहीं छोड़ा है । जहां तक अन्न तथा अन्य वस्तुओं का सम्बन्ध है उन की अच्छी स्थिति कम से कम आंशिक रूप में इस के कारण कही जा सकती है । मैं किसी आलोचना का उत्तर नहीं दे रहा हूं बल्कि सदन को कुछ बातों की सूचना देने का प्रयत्न कर रहा हूं जो कि हम ने की है अथवा जिन्हें हम करना चाहते हैं उन सब चीजों में जो हम करना चाहते हैं अब सहकारिता आन्दोलन को सब से अधिक अग्रमान्यता देना चाहते हैं । मैं अपने बिहारी मित्र के सहकारी समितियों के बुरे अनुभव को जानता हूं । हम अपने माननीय मित्र श्री विभूति मिश्र की सलाह लेने का प्रयत्न करेंगे और जहां कहीं भी संभव होगा वहां नये ढंग से कार्य करेंगे ।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : १५ नवम्बर के संशोधन के सम्बन्ध में भी बताइये कि क्या करना चाहते हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : जहां तक उस का संबंध है मैं अपने माननीय मित्र को सूचित करूंगा कि प्रत्येक राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को यथासंभव अधिकतम अग्रमान्यता दी है । मैं नहीं समझता कि कम से कम वर्ष १९५५ में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कोई भी सदस्य सहानुभूति की कमी अथवा कार्य की कमी की शिकायत कर सकता है । वास्तव में कुछ लोगों की, जो कि अनुसूचित जातियों की तरह ही पिछड़े हुए हैं, यह शिकायत है कि उनकी उपेक्षा केवल इसलिए हो रही है कि वे अनुसूचित जातियों में सम्मिलित नहीं किये जा सकें ।

श्री एस० एस० मोरे : यह क्या सरकार अनुसूचित जातियों में आने वाले लोगों के दायरे को बढ़ाने का विचार रखती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह मेरे ऊपर निर्भर नहीं है । यह गृह-कार्य मंत्रालय के हाथ में है । कुछ भी हो अधिकांश स्थानों में प्रथम अग्रमान्यता अनुसूचित जातियों के लोगों को दी जाती है ।

मैं समझता हूं कि यह आन्दोलन उठा कर हमने अनेक वस्तुओं का सुधार कर लिया है । हमारे पास प्रशासन की अपेक्षाकृत अधिक अच्छी सामग्री है । हम किसानों के लाभ के लिये अधिक केन्द्रों में सूचना कार्यालय खोलने का प्रयत्न कर रहे हैं । भारतीय कृषि के लाभ प्रकट होने लगे हैं । घाटे का कार्य होने के बजाय उस से शीघ्र ही पर्याप्त लाभ होने लगेगा । हम भारतीय कृषि गवेषणा परिषद (आई० सी० ए० आर०) के द्वारा इतने अधिक पर्चे प्रकाशित करा रहे हैं जितने पहले कभी नहीं किये गये ।

परन्तु मैं सहकारी आन्दोलन के सम्बन्ध में कह रहा था जिस के पक्ष में हमें जोरदार प्रयास करना है और जब तक कि हमें जनता तथा राज्य सरकारों का सहयोग नहीं मिलता और हम पर्याप्त तैयारी नहीं करते तब तक यह जितना भी स्वांग हम ऋण सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों के अन्तर्गत खड़ा करने का प्रयत्न कर रहे हैं संभवतः व्यर्थ जायेगा । अस्तु हम इस मामले को यथासंभव अत्यधिक महत्त्व देना चाहते हैं और जैसा कि कुछ सदस्यों द्वारा संकेत किया गया है हम सहकारी समितियों को केवल ऋण तक सीमित नहीं रखना चाहते । सहकारिता के और भी पहलू हैं जो ऋण से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं । निस्सन्देह ऋण हमारे जैसे निर्धन देश में महत्त्वपूर्ण हैं जहां कि धन की कमी है परन्तु फिर भी यदि हम अपेक्षाकृत अच्छा समाज, अधिक प्रजातांत्रिक सामाजिक संगठन, निर्मित करना चाहते हैं, तो सहकारी समितियां ही हमारा पथ प्रदर्शन कर सकती हैं और उन्हीं पर हम निर्भर कर सकते हैं ।

मैं नहीं जानता कि आप मुझे कितना समय देने को तैयार हैं । सहकारिता के अतिरिक्त मेरा निश्चित विश्वास है कि हम जनता को खाने के लिये अधिक अण्डे व मछलियां देने में समर्थ होंगे ।

श्री एल० एन० मिश्र : शाकाहारियों के सम्बन्ध में क्या है ?

डा० पी० एस० देशमुख : शाकाहारियों के पास तो वैसे ही पर्याप्त से अधिक चावल है । मैं उन्हें अधिक खाने के लिये आमंत्रित करता हूं ।

हम नारियल, सुपारी व काजू के मामले में भी बड़ा प्रचार कर रहे हैं । हम अपनी

[डा० पी० एस० देशमुख]

गव्यशालाओं की संख्या में वृद्धि करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और बड़े शहरों में जो ढोर हैं उन्हें हटाने का प्रयत्न कर रहे हैं यह एक बड़ी समस्या है परन्तु उस का भी हल करना है। हम ने यह भी योजना बनाई है कि हमारे देश से हड्डियों का आयात न हो सके और अधिक से अधिक हड्डी का खाद बनाने का यंत्र (बोन डाइजेस्टर) लगाये जा सकें ताकि हम इस खाद का प्रयोग अपनी कृषि की उन्नति के लिये कर सकें।

हम ने थोड़े से वर्षों में ही देश में उर्वरकों की खपत दुगनी कर दी है जो चीज कुछ समय पूर्व प्रायः असंभव समझी जाती थी। परन्तु यह केवल इसलिये हुआ है कि हम ने इस को उत्तम कृषि के कतिपय निश्चित व्यवहारों से किया है। यह ऐसा नहीं हुआ होता यदि हम केवल जनता को उर्वरकों का प्रयोग करने के लिये कहने पर निर्भर रहे होते बल्कि चूंकि हम ने उस के साथ कुछ प्रचार आन्दोलन भी किये और कतिपय रियायतें दी इसलिये वह सफल हुआ। वर्ष १९५३ में मूल्य में लगभग ७५ रु० की रियायत तथा १० करोड़ के सस्ते ऋण का उपबन्ध, जो कि राज्य सरकारों का उर्वरकों की इस खरीद के लिये धन जुटाने के लिये दिया गया था, इन दो तीन चीजों के परिणाम-स्वरूप कृषक को इन वस्तुओं को अधिकाधिक मात्रा में लेने लगे यहां तक कि इस समय हमारे पास आवश्यक उर्वरकों की कमी पड़ रही है और हमें खपत के साथ कदम मिलाना कठिन हो रहा है।

हम रिन्डरपेस्ट का उन्मूलन करने के लिये भी कदम उठा रहे हैं और मुझे यह कहते हुए अत्यन्त हर्ष होता है कि हम जो कुछ दक्षिण में कर रहे हैं वह अत्यन्त सफल सिद्ध हो रहा है।

यद्यपि किसी ने उस का निर्देश नहीं किया है, यदि, श्रीमान्, आप इस चर्चा में बोलने के लिये स्वतन्त्र होते तो मुझे विश्वास है कि आप न ढोरों तथा उन के बारे में जो हम कर रहे हैं उस का निर्देश किया होता। मेरा उस के सम्बन्ध में एक विचार है।

सभापति महोदय : मुझे आशा थी कि माननीय मंत्री ढोरों का जिक्र करें क्योंकि ढो रों के बिना कृषि का क्या महत्त्व है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं सहमत हूं महोदय। अन्यथा लोग यह समझेंगे कि कृषि का पशुओं से कोई संबंध नहीं है।

श्री ए० पी० जैन : मैं ही एकमात्र अपराधी नहीं हूं अन्य सदस्य भी हैं, किसी ने भी उसका उल्लेख नहीं किया है।

डा० पी० एस० देशमुख : गव्यशालाओं तथा गोसदनों तथा मुख्य ग्राम केन्द्रों आदि की स्थापना की योजना के अतिरिक्त, जैसा कि एक से अधिक बार संकेत किया जा चुका है, हमें इस में जनता के सहयोग की भी आवश्यकता है। यदि सब लोग, जो इस के इच्छुक हैं कि किसी भी प्रकार का पशुवध न हो, हमारे साथ सहयोग करें और कम से कम दो बातों में हमारी मदद करें अर्थात् दोगली नस्लों के सांडों को बधिया किया जाना और दूसरे बेकार पशुओं को गोसदनों में रखना जो हम ने खोले हैं तो मुझे विश्वास है कि समस्या की भीषणता बहुत हद तक कम हो जायेगी और उस से इन लोगों की वास्तविकता सद्भावना का दर्शन होगा। मैं उन से अधिक त्याग की आशा नहीं करता, लेकिन यदि वे सहयोग करें, तो मुझे विश्वास है कि हम ने जो गोसदन खोले हैं, और जिन में अभी पशु नहीं हैं, वे भर जायेंगे। इन

गोसदनों पर हम जो धन व्यय कर रहे हैं उस का न केवल पूरा उपयोग ही हो जायेगा वरन् पशुओं की यह समस्या भी काफी हद तक हल हो जायेगी । अन्ततोगत्वा मैं समझता हूं कि अगर हम देश में दूध की पूर्ति की व्यवस्था में सुधार चाहते हैं तो इस के लिये देश में पशुओं की संख्या में कमी करने के अतिरिक्त कोई दूसरा चारा नहीं । उन के वध की आवश्यकता नहीं, परन्तु उन का प्रजनन नहीं होने देना चाहिये और उन्हें गोसदनों में शान्तिपूर्ण ढंग से मरने देना चाहिये । अगर हम इस कार्यक्रम में सहयोग करें तो, मुझे विश्वास है कि इस प्रचार की काफी सीमा तक आवश्यकता नहीं होगी इस समय जो अनेक व्यक्ति इस काम में अपनी शक्ति और समय लगा रहे हैं, उस का उपयोग अधिक रचनात्मक उद्देश्यों के लिये किया जा सकता है, और तभी प्रत्यक गाय अथवा भैंस से हम अधिक दूध प्राप्त कर सकते हैं । हम अपने पशुओं के लिये पर्याप्त चारे की भी व्यवस्था कर सकेंगे । देश में भूसे की मात्रा पशुओं की संख्या की दृष्टि से सीमित ही है और अपने पशुओं को सबल बनाने तथा उन से अधिक दूध प्राप्त कर सकने का एक मात्र ढंग यही है कि उन्हें अधिक पशुओं का प्रजनन न करने दे कर उन की संख्या घटायी जाये ।

सभापति महोदय : या भूसे का संभरण बढ़ा दिया जाये ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां । इस के लिये भी हमारी एक योजना है । वास्तव में, मैं तो यह चाहता था कि राज्यों को अधिक कांटेदार तार उपलब्ध कर दिये जायें—मैं यह नहीं जानता कि इसमें कहां तक सफल हो सकूंगा—ताकि वे चरागाहों को टुकड़ों में बांट सकें । इस समय ऐसी बहुत सी भूमि पड़ी है जिस में कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, ऐसे कुछ क्षेत्रों को घेर देने से ही वहां कुछ घास उग सकेंगी और इस से अधिक चारे की व्यवस्था हो सकेगी । मैं नहीं चाहता . . . .

श्री लोकनाथ मिश्र (पुरी) : क्या पशुओं की जन्म संख्या मनुष्यों से अधिक है ?

डा० पी० एस० देशमुख: मैं ने दोनों की जनन शक्ति की तुलना नहीं की है ।

मैं अब और अधिक समय नहीं लेना चाहता । मैं उन सदस्यों को, जो यह समझते हैं कि मैं ने उन के किसी महत्त्वपूर्ण सुझाव के बारे में कुछ नहीं कहा, यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उन पर विचार किया जायेगा और यदि उन सुझावों पर या उन की आलोचनाओं पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता हुई तो हम उसे प्रसन्नतापूर्वक करेंगे ।

श्री एस० एस० मोरे : मैं मंत्री जी का भाषण बड़ी ही सावधानी से सुन रहा था और जब उन्होंने प्रगति के संबंध में आंकड़े प्रस्तुत किये तब मुझे स्फुरण का भी अनुभव हुआ, परन्तु मुझे उन आंकड़ों की सचाई पर ही सन्देह है क्योंकि कई आयोग और समितियां यह मत प्रकट कर चुकी हैं कि इस देश में कृषि संबंधी जो आंकड़े तैयार किये जाते हैं वे उन्हीं प्रतिज्ञाओं के समान अविश्वस्त होते हैं जो निर्वाचनों के समय किये जाते हैं । इसीलिये, मंत्री महोदय ने जो सुनहरा चित्र प्रस्तुत किया है, मैं उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं ।

हमें कृषि के इस प्रश्न पर एक मिली जुली समस्या के रूप में विचार करना चाहिये । केवल कृषि ही पर्याप्त नहीं । आप को भूमि, सहकारिता और ऋण के प्रश्न पर भी विचार करना होगा किसी भी कल्याणकारी राज्य का मुख्य कार्य यह होता है कि किसानों को, जो भारत की कुल जनसंख्या का ७० प्रतिशत भाग है, जीवन का उचित अवसर मिले, उन की उचित आय हो । हर कोई पूंजीपतियों को प्रोत्साहन देने की बात तो करता है,

[श्री एस० एस० मोरे]

लेकिन हमारे देश में अगर कोई एसा व्यक्ति है जो बिना किसी प्रोत्साहन के काम करता है, तो वह है भारतीय किसान । ग्रामों में ऋण संबंधी सर्वेक्षण करने वाली समिति का कहना है कि कृषि इस देश का सब से बड़ा उद्योग है । परन्तु दुर्भाग्यवश वह एक ऐसा उद्योग है जिसे व्यवसाय का ढंग न जानन वाले अनपढ़ और अज्ञानी व्यक्ति चला रहे हैं और इस कारण यह उद्योग अब भी बिल्कुल आदिम रूप में चल रहा है ।

इस संबंध में मैं एक बात पर जोर देना चाहता हूं । अगर किसान अनपढ़, अज्ञानी और अपने हितों की देखभाल कर सकने में असमर्थ हैं, तो राज्य को उस का अभिभावक बनना होगा । मेरा प्रश्न है कि किसानों को लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिये हम क्या करने जा रहे हैं ।

ऋण के संबंध में बात करने से कोई लाभ नहीं । इस पर अत्यधिक जोर देने के कारण ही हमारी सहकारी समितियां और पूरी सहकारी आन्दोलन ही असफल **हो गया । १९१४ की मैक्लेगन समिति के** बाद से अनेक समितियों ने इस बात पर जोर दिया है कि किसानों को ऋण लेने योग्य बनाये बिना ऋण के संबंध में जोर देना व्यर्थ है । और यदि किसान का उत्पादन-व्यय उस की आय से अधिक हो तो वह कभी ऋण लेने योग्य नहीं हो सकता ।

दुर्भाग्यवश, **इस** देश में उत्पादन-व्यय संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं **हैं** । मुझ कुछ किसानों के साथ कृषि मंत्री के पास जाने का अवसर मिला था । किसानों को धान की कीमतों में अत्याधिक गिरावट की शिकायत थी । मंत्री महोदय ने कहा कि उत्पादन-व्यय के आंकड़े नहीं हैं । लेकिन उन्हों ने दो वर्ष पहले के मूल्यों की प्रचलित मूल्यों से तुलना कर अनुमान से कह दिया कि मूल्य बढ़े हैं इसलिये किसानों को लाभप्रद मूल्य मिल रहे हैं । परन्तु मूल्य लाभप्रद हैं या नहीं यह अनुमान की बात नहीं, इस का निष्कर्ष तो तथ्यों के आधार पर निकाला जाना चाहिये ।

यहां तक कि १९४७ में श्री वी० टी० कृष्णमाचा ी की अध्यक्षता में नियुक्त मूल्य जांच उप-समिति तक ने संकेत किया है कि अगर हम देश को वास्तव में केवल खाद्य पदार्थों में ी नहीं वरन् कच्चे माल में भी आत्म निर्भर बनाना चाहते हैं तो हमें उत्पादक को उचित ूल्य देने का वादा करना होगा । मैं उन में से नहीं हूं जो यह कहते हैं कि उत्पादक को शोषण करने की छूट होनी चाहिये, परन्तु मैं इस बात पर विशेष जोर देना चाहता हूं कि उत्पादक का शोषण भी नहीं ोने देना चाहिये । कृष्णमाचारी समिति ने कहा है कि मूल्य-निर्धारण के समय केवल उत्पादन-व्यय का ही नहीं, वरन् रहन सहन के व्यय का भी ध्यान रखा जाना चाहिये । संविधान के अनुसार भी हम सब का जीवन-स्तर ऊंचा उठाने को प्रणबद्ध हैं, केवल किसान छूट गये हैं । किसान का जीवन स्तर है भी क्या ?

यहां भूमिहीन कृषि मजदूरों सम्बन्धी कुछ आंकड़ों को झूठलाया गया । परन्तु केवल इनकी ही समस्या नहीं है । मैं आपको उदाहरणों के साथ यह दिखा सकता हूं कि छोटे किसानों की तो और भी ुरी हालत है । इसलिये मेरा सुझाव है कि जो छोटा किसान कुछ दिनों तक अपनी भूमि पर खेती करने के बाद अपनी आय में कुछ वृद्धि करने के लिये दूसरे की भूमि पर मजदूरी करने जाता है, उस के साथ भी भूमिहीन कृषि-मजदूरों का सा ही व्यवहार होना चाहिये । मैं तो कहूंगा कि जिस व्यक्ति के पास भी अपने परिवार का भरण पोषण कर भर को भी भूमि न हो उस का वर्गी-

करण किसान के रूप में नहीं करना चाहिये, क्योंकि उस से सम्पूर्ण देश के सामने एक त्रुटि-पूर्ण चित्र आता है, वरन् उसे एक भूमिहीन कृषि-मजदूर कहना चाहिये। श्री अशोक मेहता ने कहा कि हमें बाजार में बेचने योग्य आधिक्य (अतिरिक्त सामान) बढ़ाना चाहिये। लेकिन मुझे इस सुझाव की उपयोगिता पर संदेह है ।

इसलिये माननीय मंत्री से मेरा आग्रह-पूर्ण अनुरोध है कि वह यह पता लगायें कि विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन का व्यय क्या है। आप को यह भी निश्चय करना चाहिये कि निम्नतम स्तर क्या हों और उसी के अनुसार कृषि पदार्थों के मूल्य निर्धारित कर देने चाहियें ।

अनेक माननीय सदस्यों ने उन मूल्यों की ओर संकेत किया है जो सरकार ने कृषि मूल्यों को सहारा देने के लिये निर्धारित किये थे। मंत्री महोदय से पूछने पर पता चला कि उत्पादन व्यय और जीवन-निर्वाह व्यय सम्बन्धी आंकड़े न होने के कारण केवल व्यावहारिक आधार पर ही काम चलाया जा रहा है। मैं आप के इरादों और ईमानदारी पर संदेह नहीं करता परन्तु यह पूछना चाहता हूं कि इस सब के बावजूद भी क्या आप यह कह सकते हैं कि आप किसानों को जो आय दे रहे हैं, वह उत्पादन-व्यय से अधिक है ?

गांवों में ऋण सम्बन्धी सर्वेक्षण करने वाली समिति तक ने संकेत किया था कि ऋण पर अत्याधिक जोर दिया गया है। जब तक आप किसान की अर्थ व्यवस्था को ऋण योग्य नहीं बनाते, तब तक किसानों के पास वह साधन कहां से आयेंगे जिन से वे ऋण चुकाने के लिये धन प्राप्त कर सकें जो उन्हों ने सहकारी समितियों, भूमि बंधक बैंकों या इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं से लिये होंगे। मुझे इस सम्बन्ध में कुछ अनुभव भी है। मैं एक भूमि-बंधक बैंक का संचालक था। उस समय मंदी के दिन थे और मूल्य बहुत गिरे हुए थे। परिणाम यह हुआ कि बैंक की बकाया राशि बढ़ती गयी और वह संकट में पड़ गया ।

केवल आधिक्य की अर्थ-व्यवस्था और लाभ की गुंजाइश होने पर ही किसान के पास ऋण चुकाने लायक बचत हो सकेंगी। अन्यथा आप चाहे कितनी ही रियायतें क्यों न दें, वह मूल धन चुकाने के योग्य नहीं हो पायेगा क्योंकि वह भी मनुष्य है और उस की भी आवश्यकतायें हैं और अगर उसे जीवित रहना है तो वे आवश्यकतायें भी पूरी करनी होंगी।

सभापति महोदय : विशेष रूप से उस समय जब उड़ीसा में किसान को पांच आने प्रति दिन और पंजाब में दस आने प्रति दिन की आमदनी ही होती हो ।

श्री एस० एस० मोरे : यही तो मैं भी कहता हूं। मुख्य प्रश्न यह है कि क्या हमारे पास ऐसा कोई संगठन है जो किसानों के हितों की देखभाल करे, और जो उसे अपने पैरों पर खड़ा कर सके। यह मेरी अटल राय है कि जब तक आप गांवों में पंचायतों की तरह के संगठन विकसित नहीं करते, तब तक आप बिल्कुल भी सफल नहीं हो सकते। अंग्रेजों ने हमारे समाज को जो सब से बड़ी क्षति पहुंचायी वह यह थी कि उन्हों ने यहां सामूहिक अर्थ व्यवस्था की बलि दे कर व्यक्तिवादी अर्थ-व्यवस्था लागू कर दी। पुरानी पंचायत व्यवस्था में अनेक त्रुटियां हो सकती हैं, परन्तु अनेक व्यक्तियों ने यह स्वीकार किया है कि वह एक ऐसी संस्था थी जो अनेक राजवंशों के पतन और क्रान्तियों के बाद भी जीवित रही। इसलिये मैं कहता हूं कि हमें एक नयी पंचायत व्यवस्था निकालनी चाहिये जिस में पुरानी कमियां न हों।

(श्री एस० एस० मोरे)

इसलिये, मेरा सुझाव है कि गांवों का सामुदायिक आधार पर संगठन कीजिये। व्यक्ति को एक ओर छोड़ कर उस के हितों को समुदाय के हितों के अधीन रखिये। आप को किसानों की अर्थ व्यवस्था इस रूप में संगठित करनी होगी कि आप जो संगठन बनायें, शोषक ताव उन्हें भ्रष्ट न कर सकें। किसान अपने पैरों पर खड़े हो सकें और स्वय अपनी देखभाल कर सकें। यहां मैं उस बात पर फिर जोर देना चाहता हूं जो महात्मा गांधी बार बार कहा करते थे— राजधानी में बैठ कर आप देश के सब से नीचे गिरे हुए लोगों के हितों की देखभाल नहीं कर सकते। आप को विकेन्द्रित आधार पर अपने लोकतन्त्र का निर्माण करना होगा। जनता को अपने घरों का स्वामी बनने दो— यही एक रास्ता है। मैं समझता हूं कि हमें दूरदर्शिता से योजना बनानी चाहिये, केवल अगले निर्वाचनों की दृष्टि से ही नहीं। अगर एक ही पीढ़ी में आप पूरी पीढ़ी को एक सहकारिता-पूर्ण, समुदाय में संगठित कर सकें—चीन में, पूर्वी यूरोपीय देशों में वे ऐसा ही कर रहे हैं तो उन का लाभ होगा। मैं जर्मन लोकतांत्रिक गणतंत्र की पंचवर्षीय योजना में से पढ़कर सुनाता हूं। उन्हों ने लिखा है : "यह योजना किसान को यह वचन देती है कि वह अपने निरन्तर बढ़ते हुए उत्पादन को सरकारी क्रय कार्यक्रम के माध्यम से बेच सकेगा। इस कार्यक्रम के अनुसार राशि का निर्धारण इस ढंग से किया गया है कि किसान अपना उत्पादन बढ़ा कर उस उत्पादन की राशि भी निरन्तर बढ़ाता जा सकता है जो वह अपने उपयोग के लिये और बाजार में स्वयं बेचने के लिये वह अपने पास रोक लेता है। उस के अतिरिक्त योजना में भी यह भी व्यवस्था है कि सरकारी क्रय-संगठन विशेष मूल्यों पर किसानों का अतिरिक्त उत्पादन भी खरीद सकता है। इन कार्यों से किसान अपनी आय और अपने खेतों की आर्थिक स्थिरता में निरन्तर वृद्धि की ओर से निश्चित हो सकते हैं। दैनिक व्यवहार की वस्तुओं के मूल्यों में कमी इस में सहायक सिद्ध होगी और किसानों को व्यवहार की औद्योगिक वस्तुओं और कृषि यंत्र अधिक मात्रा में मिल सकेंगे . . . ।"

मेरा निवेदन है कि मंत्रालय, भारत सरकार और नियोजन अधिकारियों को, यदि वे जनता के हितों की रक्षा करना चाहते हों तो, स्थायी और टिकाऊ संगठन स्थापित करने का विचार करना चाहिये। बड़ों से बड़ा भला चाहने वाला अपनी कुतुब मीनार पर बैठकर किसानों का भला नहीं कर सकता। उसे जनता के पास जाना होगा और एक ऐसा संगठन स्थापित करना होगा जो स्थायी रूप से उस के हितों की देखरेख कर सके—पारस्परिक सहायता और सहयोग के आधार पर सहायता कर सके। संयुक्त परिवार की व्यवस्था छिन्न भिन्न होती जा रही है। वह आधुनिक विचार धारा से मेल नहीं खाती। संयुक्त परिवार के स्थान पर आप को संयुक्त ग्रामीण समुदाय बनाना होगा जिस में रहने वाले एक दूसरे के प्रति परिवार के सदस्यों का सा व्यवहार करें। अगर आप इस तरह से समस्या का निबटारा नहीं करेंगे तो मुझे कहना पड़ेगा कि आप भले ही योजना बनाने में टनों कागज रंग डालें, किसान की पीड़ाजनक स्थिति देश के लिये एक ऐसी लज्जाजनक और संकटपूर्ण वस्तु बन जायेगी जिस से आप हर तरह के अच्छे इरादों के बावजूद भी छुटकारा न पा सकेंगे।

श्री एम० एल० वर्मा (टोंक) : मैं ने इस हाउस में दुबारा आने के बाद पहली बार बोलने की इच्छा प्रकट की थी और उस के लिये आप ने मुझे मौका दिया। इस के लिये मैं आभार प्रकट करता हूं।

हमारे देश में जो समस्यायें हैं वह अधिकतर जमीन से ताल्लुक रखती हैं और वह कई हैं। पहली समस्या तो यह है कि मुट्ठी भर इन्सानों ने हजारों लाखों बीघा जमीन अपने कब्जे में कर रक्खी है। लाखों आदमियों को उन्हों ने गुलाम बना रक्खा है और बदकिस्मती यह है कि हमारे इस हाउस में किसानों के नाम पर प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों ने ही सीलिंग का विरोध किया। वह लोग इस देश की हवा को, इस देश के रुख को जानते ही नहीं हैं। हमारी समस्या इस देश के भूमिहीन किसानों की समस्या है। मैं बताऊं कि आज भी इस देश में लाखों आदमी ऐसे हैं जो इस हिन्दुस्तान के नागरिक नहीं हैं। हिन्दुस्तान की मर्दमशुमारी में जिन को शामिल नहीं किया गया है, जिन के घर नहीं हैं, जमीन नहीं है, धंधा नहीं है, । मैं यह भी बताऊं कि सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जो स्वयं अपनी जानकारी में अपनी महिलाओं के सतीत्व भंग के द्वारा अपना पेट भर रहे हैं। ऐसी कौमें आज भी हैं। कौमों की कौमें ऐसी हैं जो इस देश में मुसीबत और बेइज्जती से अपनी जिन्दगी बिता रही हैं। कई कौमें ऐसी हैं जिन का ठिकाना आज यहां है कल वहां। इस हिन्दुस्तान की वोटर्स लिस्ट में उन का नाम नहीं है। यह ठीक है कि जो एम० एल० ए० हैं, एम० पी० हैं वह उन के पास जायेंगे जिन के पास वोट हैं, उन के पास कोई नहीं जायेगा, जिन के पास वोट नहीं है। ऐसे गरीब लोगों की सम्भाल करने वाला कोई नहीं है। मैं आप को नाम बताऊं। बंजारे, और काल बेलिया जो कि सांप आदि लिये फिरते हैं, तीसरे गाडिया लौहार, चौथे साठिया। इस प्रकार की कौमें हैं जहां तक बंजारों और गाड़िया लौहारों का तालुक है, वह लोग सारे हिन्दुस्तान में फैले हुए हैं। मैं अभी अभी महाराष्ट्र और कर्नाटक का दौरा कर के आया हूं, उन को मैं ने देखा है कि जिन के पास कोई जमीन नहीं है, घर की जमीन नहीं है, धंधा नहीं है, हिन्दुस्तान की वोटर्स लिस्ट में उन का नाम नहीं है, मर्दम-शुमारी में भी उन का नाम दर्ज नहीं है। मैं हाउस का ध्यान इस ओर आकर्षित करूं और खास कर अपने खाद्य मंत्री जी का कि जमीन की समस्या जो हमारी बड़ी समस्या है उस को हल करने के सम्बन्ध में वह उन लोगों की ओर भी ध्यान दें जिन को इस भारत माता की गोद में आज भी स्थान नहीं है। हिन्दुस्तान को आजाद हुए आठ साल हुए, यह ठीक है कि यहां पर हमारे राजभोज साहब और शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के प्रतिनिधि हैं, लेकिन उन लोगों का कोई प्रतिनिधि नहीं है जो घुमक्कड़ जातियों के हैं, जो हिन्दुस्तान में मारे मारे फिरते हैं। चूंकि उन के पास वोट नहीं है, इसलिये उन के पास कौन जाये ? मैं पहला सुझाव जो कृषि मंत्री जी को देना चाहता हूं वह यह है कि हिन्दुस्तान में उन कौमों को बसाने के लिये वह जमीन दें, उन को घरबार बनाने के लिये मदद दें, उन को खाद दें, उन को बीज दें, उन को तकावी दें और जो जो सहूलियतें हैं वह उन को दें।

हमारे यहां एक फारेस्ट्स की समस्या, जंगलात की समस्या भी है। हर साल हजारों और लाखों पेड़ लगाये जाते हैं। कितने ही नये पौधे लगाये जाते हैं। इन में से कितने ही जिन्दा रहते हैं इस का कोई ठिकाना नहीं है। उन को पानी मिलता है या नहीं, उन की सम्हाल होती है या नहीं, इस का कुछ पता नहीं है। लेकिन आज जो जंगलात हैं उन का बुरी तरह से विनाश हो रहा है, उन की कोई देखभाल नहीं हो रही है। आज जंगलों के ठेके दिये जा रहे हैं, बेरहमी से जंगल काटे जा रहे हैं और उन जंगलात का विनाश हो रहा है जो कि सदियों से खड़े हैं। हमारे यहां जंगलों के बारे में कानून बना कि किसान अमुक अमुक तरह के पेड़ काट नहीं सकता है। आज किसान

[श्री एम० एल० वर्मा]

अपने जलाने के लिये लकड़ी और हल बनाने के लिये जो लकड़ी चाहता है वह कहां से लाये। मैं कह सकता हूं कि अगर आज किसान जंगलात की हिफाजत न करता और उन को बचाये न रखता तो आज यह जंगल खत्म हो गये होते। यह उसी की मेहरबानी है कि जंगल बचे हुए हैं, आप की सरकार द्वारा यह जंगल बच नहीं सकते थे। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि हमारे हिन्दुस्तान में वह किसान जो जंगलों के बीच में रहता है उस को अपनी जरूरत के मुताबिक अर्थात् मकान बनाने की खातिर जलाने की खातिर और काश्त के औजार, हल इत्यादि बनाने की खातिर मुफ्त लकड़ी जंगलों में से लेने की इजाजत होनी चाहिये। अगर हमारे किसानों को जो कि जंगलों में रहते हैं, इतनी भी सुविधा न हो तो आप की फारेस्ट पालिसी सफल नहीं हो सकती है। मैं आप को यह भी बताना चाहता हूं कि जब फारेस्ट में आग लगती है और अगर उस को कोई बुझा सकता है तो वह किसान है और वह बुझाता भी है और इस काम के लिये वह अपनी पूरी ताकत लगा देता है और कोई मजूरी भी नहीं लेता। इसलिये अगर उसी को वहां से लकड़ी लेने की इजाजत न हो तो कितने दुःख की बात है। यह इस लिये मेरा सुझाव है कि उन को लकड़ी मुफ्त मिलनी चाहिये।

जहां तक किसानों के कर्जे का ताल्लुक है उस के बारे में अभी हमारी राजमाता जी ने इस सदन का ध्यान दिलाया है। मैं आप को यह बताना चाहता हूं आज ऐसे भी हजारों किसान हैं जो कि ३५ या ४० या ५० रुपये में हजारों की तादाद में गिरवी हैं। मैं जानता हूं कि १३ साल तक एक बाप गिरवी रहा और मर गया। उस का बेटा आज करीब करीब २२ साल का है वह भी तीन साल से गुलाम है केवल ५० रुपये में। यह कर्जे की हालत है। एक रुपये के दो दो और दस दस ले लिये जाते हैं लेकिन फिर भी उन का छुटकारा नहीं होता, उन को कर्जे से मुक्ति नहीं मिलती। मैं खास तौर पर अपने कृषि मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं और आशा करता हूं कि वह इस के बारे में कुछ करेंगे और किसानों को, कोई कानून बना कर कर्जे से मुक्त करायेंगे।

अब मैं आप के खाद के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस के बारे में अभी हमारे मिश्र साहब ने कहा कि फर्टिलाइजर फैक्टरी की खाद बहुत मंहगी है। मैं कहता हूं कि खाद महंगी क्यों न हो जब कि जिपसम तो मिले बीकानेर में और फर्टिलाइजर फैक्टरी बने बिहार में। तो इसलिये खाद के मंहगे होने की जो बात कही जाती है वह तो समझ में आनी चाहिये। इसलिये अगर वहीं पर खाद का कारखाना बनाया जाये जहां पर कि कच्चा माल पैदा होता है तो ही खाद सस्ता हो सकता है। साथ ही साथ मेरा विचार है कि फर्टिलाइजर फैक्टरी से पैदा होने वाले खाद से हमारे देश की समस्या पूरी तौर से हल नहीं हो सकती है। हमारे देश में सिंचाई की जमीन कम है। अगर आप के खाद का इस्तेमाल किया जाये तो यह जरूरी बात है कि २४ घंटे के अन्दर अन्दर खेत पानी चाहेगा और उसे पानी नहीं दिया गया तो फसल खत्म हो जायेगी। इसलिये अगर हमारे देश को उत्पादन में प्रगति करनी है और तरक्की करनी है और सफलता प्राप्त करनी है तो केवल गोबर का खाद ही हमें इस्तेमाल करना होगा।

हमें पशुओं के लिये चरागाह के लिये भी जमीन रखनी होगी। कभी कभी हमारे मिनिस्टर साहब ने उपाध्यक्ष महोदय की तरफ से पूछे गये सवाल का जवाब दिया कि डाक्टर की जरूरत कैसे पूरी की

जा सकती है। मैं आप को बताऊं कि वास्तव में जंगलों के संरक्षण के बारे में हमारी नीति साफ होनी चाहिये। हमारी जो नीति काबिल काश्त जमीनों तथा पहाड़ों और फारेस्ट्स (जंगल) के बारे में है वह बिल्कुल साफ नहीं है। हजारों और लाखों एकड़ जमीन फारेस्ट के लिये पहाड़ों की है वह बिल्कुल नग्न अवस्था में पड़ी हुई है, उस की कोई देखभाल नहीं हो रही है। जिन जंगलों के हम ठेके देते हैं और जिन पेड़ों की काटने की इजाजत देते हैं उन के अलावा दूसरे पेड़ काट लिये जाते हैं और इस तरह से जंगलों का विनाश हो रहा है। मैं यह जानता हूं कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जैसे बांस के, सागवान के, जिन को अगर काट दिया जाये तो वह फिर पुबारा उग आते हैं। मगर कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो एक बार काट दिये जायें तो वह फिर दुबारा नहीं उगते हैं। इस वास्ते उन पेड़ों को काटने के बारे में हमारी नीति साफ होनी चाहिये। खाद के बारे में मेरा विश्वास है कि हिन्दुस्तान में गोबर की खाद ही सफल होगी और अगर गोबर की खाद ही हमारे लिये ठीक है तो हमें मवेशियों की तरफ ध्यान देना होगा और उन के लिये चरागाह की जमीन छोड़नी होगी। इसलिये इस ओर भी विशष ध्यान दिया जाना चाहिये।

अब मैं सिंचाई के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। यह ठीक बात है कि आप सिंचाई के लिये बड़े बड़े बांध बना रहे हैं। साथ ही साथ आप नहरें भी निकाल रहे हैं। लेकिन मैं आप को बताऊं कि आप की नहरों के चौकीदार किसानों से आज भी रिश्वत खा रहे हैं। जिस किसान ने पैसा दिया उस को तो पानी मिल गया और जिस ने पैसा नही दिया वह रोता रह गया और उसकी फसल सूख गई। इस के बारे में हम ने कोई नीति तय नहीं की है। फिर जहां आप की नहरें चलती हैं उन में पानी तो खूब होता है, मगर कच्ची नहरें होने की वजह से भमि ऊसर हो जाती है। आप जमीन की तरफ कोई ख्याल नहीं देते हैं। जरा सा पानी ज्यादा गया नहीं, जरा सी कच्ची नहर हुई नहीं कि हजारों बीघा जमीन ऊसर हो गई। इसलिये जमीन को ऊसर होने से बचाने के बारे में भी हमारी पालिसी साफ होनी चाहिये।

अब मैं सीलिंग के मामले पर आता हूं। हमारे पंजाब के कुछ भाई इस का विरोध करते हैं, उन में से सरदार लाल सिंह साहब भी एक हैं। मुझे आज चौधरी साहब का भाषण सुन कर ताज्जुब हुआ है कि वे भी सीलिंग के विरोधी ह। उन्हों ने आज देश की हवा को पहचाना नहीं है, उन्हों ने यह देखने की कोशिश नहीं की कि देश आज क्या चाहता है। मैं उन को बतलाना चाहता हूं कि अगर आज सीलिंग नहीं की गई तो हमारे देश में एक जबरदस्त क्रान्ति हो जायेगी। आज एक गरीब किसान यह सहन नहीं कर सकता कि उस के पास इतनी कम जमीन हो जिस से कि वह अपना गुजारा भी न कर सके और दूसरे आदमी के पास हजारों और लाखों एकड़ जमीन पड़ी रहे। जमीन का मसला हमारे देश के लिये एक बेसिक मसला है और इस पर ७० या ८० फीसदी लोगों का दारोमदार है। हमारे देश में जो कुछ भी है वह इस जमीन के ऊपर ही है और इस देश की तरक्की तभी हो सकती है जबकि जमीन का बटवारा ठीक ढंग से हो जाये। कितनी जमीन किस के पास रहनी चाहिये, इस का फसला होना जरूरी है। मैं यह भी साफ कहना चाहता हूं कि किसान इंतिजार नहीं करेगा वह अपने भाग्य का निर्णय जल्दी चाहता है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह भी बड़े महत्व की है और, वह लगान की व्यवस्था के बारे में है। हमारे देश में अंग्रेजों

[श्री एम० एस० वर्मा]

के जमाने में जिस प्रकार सेटलमट हुआ, जिस प्रकार लगान व्यवस्था तय की गई, वह बहुत ही गलत तरीके से तय की गई। उस की तरफ अब हमारा ध्यान जाना चाहिये। आज एक किसान को जो कि रेल से २०० मील दूर रहता है एक एकड़ पर उस को भी वही लगान छः रुपया अदा करना पड़ता है जो कि एक शुगर फैक्टरी के पास रहने वाले और प्रति एकड़ एक हजार रुपया कमाने वाले को अदा करना पड़ना है। इस वास्ते इस लगान के बारे में बिल्कुल नई नीति अपनाई जानी चाहिये और यह मान कर न चला जाये कि यदि एक किसान के पास साल भर खाने लायक दाने भी न हों उस से भी वही लगान वसूल किया जाये और जो एक जमींदार है और जो लाखों रुपये कमाता है उस से भी वही लगान वसूल किया जाये।

हम पूंजीपतियों से ४२०० तक की आमदनी पर टैक्स नहीं लेते लेकिन एक गरीब किसान को, जिस के पास अप परिवार का पेट भरने के लिये पर्याप्त मात्रा में मक्की, ज्वार और बाजरा भी नहीं है, लगान से माफी नही दी जाती। मेरा सुझाव है कि जिस किसान की २५० रु० माहवारी की या ३००० रुपये साल की आमदनी है उस पर लगान नहीं लिया जाना चाहिये। सरकार को यह समझ लेना चाहिये कि जमीन सरकार की नहीं है, वह किसान की है। हमारे देश में धर्मशास्त्रियों ने भी यह माना है। सरकार किसान से देश की सुरक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य, रक्षा आदि के लिये पैसा ले सकती है, लेकिन उस को यह नहीं समझना चाहिये कि जमीन उस की है। जमीन का मालिक तो किसान को ही समझा जाना चाहिये।

यही मेरे दो चार सुझाव हैं। आशा है कृषि मंत्री जी इन पर ध्यान देंगे।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर-रक्षित-अनुसूचित जातियां): आज सदन में जमीन के बारे में चर्चा हो रही है। मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि हरिजनों और शिड्यल्ड ट्राइब्स के लिये बहुत काम हो रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इन लोगों की जमीन के मामले में हालत में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। देखिये अभी तक जमींदारी कहां तक खत्म हुई है? जब तक जमींदारी खत्म नहीं होती और किसान खेती का मालिक नहीं बनता तब तक मेरे ख्याल में इस देश की हालत ठीक नहीं होगी। आप राजस्थान जाइये, विन्ध्य और मध्य प्रदेश जाइये, बम्बई जाइये आप देखेंगे कि जमींदार जगह जगह बने हुए हैं और जमीन नहीं छोड़ रहे हैं। उन्हों ने अपनी जमीन को अपने रिश्तेदारों के नाम कर दिया है। उन्हों ने उस को अपने मां, बाप, बहिन, भाई, चाचा आदि के नाम से बांट दिया है। जो जमीन पर काम करने वाले हैं उन को जमीन कहां मिल रही है। आप कहते हैं कि हरिजनों का उद्धार हो रहा है पर उन को जमीन तक नहीं मिल रही है। तो मैं कहता हूं कि केवल यह कहने से उन का उद्धार नहीं होगा। उन को जमीन मिलनी चाहिये, मकान मिलने चाहिये। मैं मानता हूं कि कांग्रेस ने उन के लिये बहुत कुछ किया है लेकिन हमारा कहना है कि और ज्यादा होना चाहिये। ज्यादा नहीं होता इसीलिये हम को यहां पर झगड़ा करना पड़ता है। हमारे देश में अछूत भाइयों की आर्थिक दशा बहुत गिरी हुई है। उन को आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिये कोशिश होनी चाहिये। जब तक यह नहीं होता तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे देश में श्रम करने वाले मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा है। उन को रोटी और मकान मिलना चाहिये।

तभी उन की हालत सुधर सकती है । अभी उन की हालत सुधरी नहीं है । उन के बारे में बड़ी बड़ी रिपोर्टें निकलती हैं लेकिन उन को अंग्रेजी में छापा जाता है, उन को हिन्दी में नहीं छापा जाता । मैं पूछता हूं कि खाद्य मंत्री यह क्या कर रहे हैं । आप हिन्दी बढ़ाना चाहते हैं तो हिन्दी में रिपोर्ट छापिये । यहां पर कृषि मजदूरों की चर्चा हो रही है, लेकिन मैं पूछता हूं कि आप ने इन कृषि मजदूरों की दशा सुधारने के लिये क्या स्कीम बनायी है । अभी तक इन की हालत नहीं सुधरी है । आप इन के बारे में बातें तो बहुत लम्बी चौड़ी करते हैं । लेकिन हम को तो कुछ तब मालूम हो जब इन लोगों का कुछ भला हो, उन को सस्ता क्रेडिट मिले । आप ने ऐसे नियम बना रखे हैं कि गरीबों को तो कर्ज मिलता ही नहीं । मैं चाहता हूं कि ऐसा प्रबन्ध किया जाये कि गरीबों को भी कर्ज मिल सके ।

हमारे देहातों में जो पटवारी हैं वे इन जमीन पर काम करने वालों का नाम जमीन पर नहीं चढ़ाते । जमींदार रुपया दे कर जिस का नाम चाहते हैं चढ़वा देते हैं । मैं चाहता हूं कि जो मजदूर या किसान जमीन पर काम करते हैं उन का नाम उस जमीन पर लिखा जाना चाहिये । उन को जमीन मिलनी चाहिये, मकान मिलने चाहियें और कोआपरेटिव सोसाइटीज द्वारा उन को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिये । मैं जापान गया था । मैं ने वहां देखा कि कोआपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा वहां किसानों को बहुत लाभ पहुंच रहा है । हम ने जापानी तरीके से चावल पैदा करने में मेहनत की है । यह ठीक है । हमारे देश में इन सब बातों पर अमल होना चाहिये । मेरी प्रार्थना है कि मैं जो दो तीन सुझाव देता हूं उन पर सरकार ध्यान दें । मेरा पहला सुझाव यह है :

"(१) कि सरकार को भूमि सुधार संबंधी नीति लागू कर देनी चाहिये ताकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को आजीविका के लिये आर्थिक दशा भूमि मिल सके और देश की इस दलित आबादी की आर्थिक दशा सुधारने में उन के सहकारी कृषि संगठनों को सहायता मिल सके ।"

श्री ए० पी० जैन : आप अंग्रेजी में क्यों बोलने लगे, हिन्दी में बोलिये ।

श्री पी० एन० राजभोज : यहां सारा काम तो अंग्रेजी में हो रहा है । आप मेरे सुझाव अंग्रेजी में ही सुन लीजिये ।

मेरा दूसरा सुझाव है :

"(२) व्यवसायों के विकास के लिये साधारणतया सभी देहाती जनता और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की व्यापक व्यवस्था की जाये; और

मेरा तीसरा सुझाव यह है :

(३) भूमिहीन खेतिहरों की समस्या, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में सरकार से सिफारिशें करने के लिये एक समिति नियुक्त की जाये ।"

मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि वे एक कमेटी बना दें जिस में सोशल वर्कर और दूसरे लोग मिल कर जमीन के मामले पर विचार करें ।

डा० पी० एस० देशमुख : आप कोआपरेटिव (सहकारी) तरीके से काम करना चाहते हैं ।

श्री पी० एन० राजभोज : हम कोआपरेटिव सोसाइटीज (सहकारी समितियां) चाहते हैं । लेकिन हमारे मिनिस्टर साहब बात करने में बहुत होशियार हैं । लेकिन जो वह कहते हैं वह हम को अधिकारी वर्ग

[डा० पी० एन० राजभोज]

मिलने नहीं देता। उन के कहने पर अमल नहीं होता। मैं आप से कहना चाहता हूं कि इस के लिये ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न होना चाहिये। हमारे जो अफसर लोग बैठे हैं उन से भी मेरी प्रार्थना है कि वे गरीबों की सहायता करें और ऐसा प्रयत्न करें कि गरीब लोगों को जमीन मिले। उन के हाथ में कानून की बहुत बड़ी शक्ति है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि देहातों में जमीन के बारे में गरीबों पर जो जुल्म होता है, जो उन पर मारपीट आदि होती है उसका हाल हमारे अखबारों में नहीं छपता। बड़े बड़े लोगों के स्टेटमेंट तो छप जाते हैं पर गरीबों के कष्ट की कहानी को अखबार भी नहीं छापते।

इस के अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बहुत सी जगहों पर चार हजार—दो हजार हरिजन–शरणार्थी पड़े हैं, उन को जमीन मिलनी चाहिये। हम लोग भी शरणार्थी से अधिक शरणार्थी हैं। हमारे लिये भी जल्दी से जल्दी जमीन, रोटी और मकान का और सब प्रकार का प्रबन्ध होना चाहिये और हमारी समस्या हल होनी चाहिये। हम आप के साथ हैं। हम आप से अलग होने वाले नहीं हैं। हमारा और आप का तो घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसलिये आप को हरिजनों और बैकवर्ड क्लासेज की आर्थिक हालत को सुधारने का जल्द से जल्द प्रयत्न करना चाहिये।

मेरी सभा से और सरकार से यही प्रार्थना है।

श्री थानू पिल्ले (तिरुनलवेली) : आजकल यह कहने की कुछ प्रथा सी चल पड़ी है कि भूमि जोतने वाला ही भूमि का मालिक है। देखा जाये तो इस में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। लेकिन यह बात बड़ी बड़ी जमींदारियों के सम्बन्ध में ही ठीक बैठती है। जहां तक ऐसे व्यक्तियों का सम्बन्ध है जिन के पास केवल १० या १५ एकड़ भूमि है, उन के लिये यह कहना कि चूंकि वे उस भूमि को जोतते हैं अतः वह उन्हीं की हो जायें, ठीक नहीं होगा। क्योंकि जिन व्यक्तियों के वे भूमिखंड हैं वे कोई धनी व्यक्ति नहीं हैं। उन के जीवन-निर्वाह का भी वही सहारा है। अतः मेरा निवेदन है कि शीघ्र ही इस बात की व्यवस्था की जाये कि अधिकतम भूमि कितनी दी जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में विधान बनाया जाना चाहिये।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

आप ने न्यूनतम मजूरी अधिनियम पारित किया है। लेकिन इस से कृषि-क्षेत्र में कोई लाभ नहीं हो सकता है। क्योंकि यदि आप भूमि जोतने वालों की न्यूनतम मजूरी दो रुपये भी कर दे हैं तो भी वह इस का लाभ केवल थोड़े समय तक ही उठा सकेंगे। फसल के समय ही उन को इस का लाभ हो सकता है। आज कल भूमि जोतने वाले को उत्पादन का ५० प्रतिशत भूस्वामी को दे देना पड़ता है। मेरे विचार में यदि ऐसा विधान पारित कर दिया जाये कि भूमि जोतने वाले को उत्पादन का २५ से ३३ प्रतिशत से अधिक न देना होगा तो इस से भूमि जोतने वालों को लाभ पहुंच सकता है।

सहकारी समितियों का भी प्रश्न उठाया गया है। लेकिन मैं देखता हूं कि अब अधिकतर सहकारी समितियों को बड़े बड़े व्यापारी ही चला रहे हैं। वे समितियों के चुनावों में लोगों की वोटें खरीद लेते और इस प्रकार अपने हित को देखते हुए इन समितियों का संचालन करते हैं। मेरा निवेदन है कि सहकारी समितियों में घुसने वाली इस बुराई को शीघ्र से शीघ्र दूर किया जाये।

आपने जमींदारी प्रथा को तो समाप्त कर दिया लेकिन पूर्त और धार्मिक संस्थाओं को दी गई भूमि के सम्बन्ध में कुछ नहीं किया। यही हाल उन भू-स्वामियों के सम्बन्ध में है जो गांवों में नहीं रहते इस प्रकार के बिचौलियों को हटाने के सम्बन्ध में शीघ्र ही विधान पारित किया जाना चाहिये।

वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करने के सम्बन्ध में जोरों से बातें कही जाती हैं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि एक ओर तो आप मूल्य निर्धारण करना चाहते हैं और दूसरी ओर मूल्यों पर नियंत्रण बनाये रखने की मांग होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी आर्थिक व्यवस्था में कोई कमी है। मेरे विचार में मजदूरी और मूल्यों के बीच समन्वय नहीं है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्री एस० सी० सामन्त : (तामलुक): आज हम कृषि, भूमि और ग्रामीण सुधार को ध्यान में रखते हुए सरकार की आर्थिक नीति पर विचार कर रहे हैं। इस का सम्बन्ध देश की समूची आर्थिक व्यवस्था से है लेकिन कृषि की आर्थिक व्यवस्था में सुधार होने पर ही हम आगे बढ़ सकेंगे। हम चाहते हैं कि किसान की आर्थिक व्यवस्था में शीघ्र से शीघ्र सुधार हो। हम उस के रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाने चाहते हैं। लेकिन यह सब एक दिन में नहीं हो सकता। सदियों से किसानों को कष्ट झेलने पड़े हैं। उधार से उन का कभी पीछा नहीं छूटा। अपनी मेहनत का उन्हें कभी भी पूरा फल नहीं मिला। मैं यह नहीं कहता कि उन की हालत में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया जाये। लेकिन एक बात तो आप कर ही सकते हैं। उन की मेहनत का उन्हें पारितोषिक तो दीजिये। वह जो पैदा करते हैं उस को तो उचित मूल्य पर बिकवाइये। होता यह है कि जब फसल तयार होती है तो उसे सस्ते दामों पर बेचना पड़ता है लेकिन जब वह अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुयें खरीदता है तो उसे बढ़े हुए दाम देने पड़ते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि कृषि उत्पादन का न्यूनतम मूल्य निश्चित कर दिया जाना चाहिये। इस से ही किसान को लाभ पहुंच सकता है।

आपने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। साहूकार किसानों को उधार देने के लिये तैयार नहीं है। इस से किसानों की हालत बिगड़ती जा रही है। यद्यपि सरकार ने ग्रामीण उधार की व्यवस्था की है, फिर भी उस से अभी अधिक लोगों को लाभ नहीं पहुंचा है। इस का और भी विस्तार किया जाना चाहिये। उधार समय पर और कम ब्याज पर उपलब्ध होना चाहिये।

सरकार को केवल चरागाहों और बंजर भूमि पर होने वाली खेती की ओर ही ध्यान न देना चाहिये बल्कि गहन कृषि की ओर भी ध्यान देना चाहिये। हमें वनों को बढ़ाना चाहिये। यह हमारे लिये आवश्यक हैं। हमारे पास जितनी भूमि है उसी का हमें अधिक से अधिक लाभ उठाने की ओर ध्यान देना चाहिये।

श्री तुलसीदास (मेहसाना पश्चिम) : मुझे यह कहते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में उत्पादन सम्बन्धी जो आंकड़े निर्धारित किये गये थे वे लगभग सभी पूरे हो चुके हैं। सरकार ने जो प्रयत्न किया है उस का फल अच्छा ही रहा है। हमारे सामने किसानों की आय का प्रश्न है। यह तो सभी को मालूम है कि इस देश की ७० प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर करती है। राष्ट्रीय आय का ५० प्रतिशत भाग कृषि से ही प्राप्त होता है। अतः कृषि हमारे लिये सब से महत्वपूर्ण विषय है। यद्यपि सरकार

[श्री तुलसीदास]

ने कृषि सम्बन्धी वस्तुओं का मूल्य बनाये रखने का प्रयत्न किया है फिर भी उसे उस सीमा तक सफलता प्राप्त नहीं हुई है जिस सीमा तक वह चाहती थी । देखा जाये तो मूल्य बनाये रखने पर भी किसानों को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है । माननीय खाद्य और कृषि मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि कृषि वस्तुओं के मूल्यों को उचित स्तर पर बनाये रखने के लिये उन्हें विदेशों को भी निर्यात करना पड़ा था । लेकिन ऐसा करने से व्यापारी वर्ग को लाभ पहुंचा, न कि किसानों को । मेरा निवेदन है कि यदि कृषि वस्तुओं के सम्बन्ध में पहले ही से निर्यात-अभ्यंश निश्चित कर दिया जाये तो किसानों को लाभ पहुंच सकता है ।

अब मैं खाद्यान्नों को लेता हूं । परिवहन की कठिनाइयों के कारण यह देखा गया है कि उन क्षेत्रों में जहां खाद्यान्न पैदा होता है वह सस्ता बिकता है और उन क्षेत्रों में जहां इसे का उपभोग किया जाता है, उन वस्तुओं का मूल्य बहुत अधिक होता है । यदि वस्तुओं को लाने-ले जाने के लिये परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयां हटा दी जायें तो मुझे विश्वास है कि किसानों को अधिक-से-अधिक लाभ पहुंच सकता है ।

जापानी ढंग से चावल पैदा करने का तरीका भारत में सफल हुआ है लेकिन अब भी इस बात की आवश्यकता है कि किसानों को उत्पादन बढाने के लिये नये तरीके बताये जायें ।

ग्रामीण उधार सर्वेक्षण समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और सरकार ने उसकी कुछ सिफारिशों को कार्यान्वित भी कर दिया है । लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि शेष सिफारिशों को भी शीघ्रता से कार्यान्वित किया जाये । किन्तु अन्य सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए आपको कार्य-व्यवस्था करनी पड़ेगी जो कि आप अभी तक नहीं कर सके हैं । ऐसा करने में कुछ समय लग जायेगा । इस अन्तर्कालीन अवधि में किसानों को कष्ट उठाना पड़ेगा । क्योंकि केन्द्र और राज्यों द्वारा पारित किये गये विधानों के कारण अब किसानों को साहूकारों से रुपया उधार नहीं मिल रहा है । किसान अपने अनाज को आर्थिक समय तक रोक भी नहीं सकता है । उसे सस्ते दामों पर ही बेचना पड़ेगा । इस लिए मेरा तो यही कहना है कि ग्रामीण उधार सर्वेक्षण समिति की शेष सिफारिशों को भी शीघ्र से शीघ्र कार्यान्वित किया जाये जिससे किसानों को लाभ पहुंचे ।

चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे अधिक है । गत वर्ष इतनी चीनी तैयार की गई जितनी कभी नहीं हुई थी । यहां तक कि उसे ढोने के लिए डिब्बे तक उपलब्ध न हो सके । रेलवे मंत्री ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि आयात की गई चीनी को ढोने के कारण रेलें फैक्टरियों से चीनी नहीं ढो पाईं । इस का परिणाम यह हुआ है कि फैक्टरियों में चीनी भरी पड़ी है । अब उन के पास आगामी ऋतु में गन्ना खरीद कर रखने के लिये स्थान की कमी होगी जिस से अगले वर्ष के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । किसानों को गन्ना बेचने में असुविधायें उठानी पड़ेंगी । मेरा निवेदन है कि फैक्टरियाँ में पड़ी चीनी को निकालने के सम्बन्ध में शीघ्र ही प्रबन्ध किया जाये जिस से आगामी वर्ष में चीनी के उत्पादन पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े और फैक्टरियां उत्पादन आरम्भ कर सकें ।

यदि किसानों को अनाज भेजने के लिये रेल के डिब्बे उपलब्ध न हुए तो उन्हें अपना अनाज सस्ते दाम बेचना पड़ेगा । इसलिये

यह आवश्यक है कि खाद्य और कृषि मंत्री रेलवे मंत्री से और अधिक सम्पर्क बढ़ावें जिस से दोनों मंत्रालयों के बीच पूर्ण समायोजन हो सके ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह (मुजफ्फरपुर—उत्तर-पश्चिम) : मैं कुछ और कहने के पहले एक बात का स्पष्टीकरण अपने खाद्य तथा कृषि मंत्री से चाहता था और जिसे मैं फिर दुहरा देना चाहता हूं। उन्होंने यह कहा था कि आल इंडिया कोआपरेटिव कांग्रेस से जो प्रस्ताव पास हुआ था उस को सरकार ने मान लिया है, माना है या नहीं, उस के बारे में मैं साफ साफ जानना चाहूंगा क्योंकि जिस प्रान्त बिहार से मैं आया हूं वहां उस के विपरीत ही काम हो रहा है। सर्व प्रथम आल इंडिया कोआपरेटिव कांग्रेस ने यह मांग की थी कि स्टेट्स कोआपरेटिव बैंक में तीन आदमियों से अधिक सरकार के नौमिनीज न रहें लेकिन कल या परसों बिहार कोआपरेटिव बैंक की एक बैठक हुई थी जिस में बिहार सरकार की ओर से एक गजट पढ़ा गया था जिस में कहा गया था कि बिहार सरकार की तरफ से संचालक मंडल के ६ आदमी रहेंगे, दुगने आदमी रखने की बात कही गई है। अगर भारत सरकार ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है तो क्या कारण है कि आज बिहार की सरकार उस को नहीं मान रही है ।

दूसरा सवाल यह था कि इस प्रस्ताव में यह कहा गया है कि जितने नौमिनीज सरकार की तरफ से रक्खे जायेंगे, उन्हें इंटरनेशनल ऐडमिनिस्ट्रेशन में, एलेक्शन के मामले में और मैनेजर लोगों के बहाल करने में दस्तंदाजी करने का कोई हक नहीं होगा लेकिन जो विज्ञप्ति बिहार सरकार की ओर से इस के बारे में निकली है, उस से यह पता नहीं चलता है कि उनको इन कामों में दस्तंदाजी करने का हक नहीं रहेगा बल्कि और मेम्बरों को जो हक हैं उतने पूरे हक उन लोगों को दिये गये हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इसे सरकार ने मान लिया है और यदि हां, तो फिर इसको कार्यान्वित करने के लिये क्या रास्ता अख्तियार किया है ? और जो स्टेट्स इसे नहीं मान रही हैं उन स्टेटों के साथ क्या बरताव करेंगे ? फाईव यीइर प्लान में जो रुपया उनको देने वाले हैं उनसे क्या यह शर्त मनवायेंगे या मनवाने की कोशिश करेंगे या कोई दूसरी कोआपरेटिव एजेंसीज उन जगहों पर कायम करेंगे ? उन्होंने कहा था कि सेंट्रल बैंक में स्टेट बैंक रूरल क्रेडिट सर्वे की तरफ से नौमिनीज न रक्खे जायं, इसके लिए जो प्रस्ताव पास किया था तो क्या इस प्रस्ताव को भी सरकार ने स्वीकार कर लिया है और अगर मान लिया है तो इसके मुताल्लिक उनके पास कोई इंस्ट्क्शंस भी गये हैं कि नहीं ? आल इंडिया कोआपरेटिव यूनियन का एक और बड़ा मुख्य प्रस्ताव था जिसमें उन्होंने मांग की थी कि आल इंडिया कोआपरेटिव यूनियन को एक मात्र अधिकारी ऐज्यूकेशन और ट्रेनिंग के बारे में मान लिया जाय और रिजर्व बैंक उस को इस वास्ते अनकन्डीशनल सपोर्ट दे जिस तरह से गवर्नमेंट आफ इंडिया ने दिया है, उसे फाईव यीइर प्लान बनाने और कोआपरेटिव के दूसरे मामलों में मान्यता देने के सम्बन्ध में सरकार का क्या फैसला हुआ, यह मैं नहीं जानता हूं उसके बारे में स्पष्टीकरण होना चाहिये। उन्होंने बताया कि वेयर हाउसेज़ दो के बदले चार रक्खे जायेंगे लेकिन उसके बारे में स्पष्टीकरण होना चाहिए कि कोआपरेटिव्स को कैसे नौमिनेट करेंगे ? क्या आल इंडिया कोआपरेटिव यूनियन का प्रतिनिधि रक्खेंगे और उनसे अपना प्रतिनिधि भेजने के लिए कहेंगे या कोई दूसरा रास्ता अख्तियार

[ठाकुर युगल किशोर सिंह]

करेंगे और जिस किसी को रखना मुमकिन होगा उसको रख लेंगे और उसे कोआपरेटर का नाम दे देंगे ? इसमें कनफ्यूजन हुआ है और बहुत सी स्टेटों में मैंने देखा कि वहां ऐसे लोगों को कोआपरेटर्स बनाया गया है जो कभी कोआपरेटर नहीं थे और कोआपरेटिव के नाम पर कौंसिल में नामजद हुए इन सब चीजों का स्पष्टीकरण मैं उनसे चाहता हूं ।

रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी की जो रिपोर्ट निकली है, उसमें बहुत सी बातों की मैं कमी देखता हूं और मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि कोआपरेटिव मूवमेंट का फेल्योर उन्हीं कारणों से हुआ है जिन कारणों को रूरल क्रेडिट सर्वे ने बतलाया है । मैं तो उसके फ़ेल्योर का एक मात्र कारण यह समझता हूं कि अभी तक जो कोआपरेटिव के कानून बने हुये हैं उन में अफ़सरों का कंट्रोल ज़रूरत से ज्यादा है और उन पावर्स के होने के कारण अफ़सरान ने आज तक उस मूवमेंट के साथ खिलवाड़ किया है और ठीक से अपने कर्तव्य को नहीं निभाया है और लोगों में उसका प्रचार नहीं किया है और उसके सम्बन्ध में जितनी भी कार्यवाही होनी चाहिये थी, नहीं की गई है ।

मैं मिसाल के तौर पर दो तीन उदाहरण यहां पर देना चाहता हूं जिस से पता चल जायगा कि किस तरह कंट्रोल किया जा रहा है और किस तरह से वह कोआपरेटिव का मूवमेंट बरबाद हो रहा है । आपको मालूम है कि विहार स्टेट कोआपरेटिव बैंक के जो चेयरमैन हैं, वह हमारे सभा के सदस्य भी हैं और आल इंडिया कोआपरेटिव यूनियन के प्रेसीडेंट हैं और एक यूनिवरसिटी के वाइस चांसलर भी हैं । मतलब यह कि इतने प्रतिष्ठित आदमी वहां के चेयरमैन थे, लेकिन एक दिन उनका एक छोटे अफसर से कुछ मतभेद हो गया और दूसरे दिन खबर आई कि जो मैनेजिंग डाइरेक्टर थे उनको हटा करके सरकार की तरफ से जो ऐडिशनल रजिस्ट्रार थे उनको मैनेजिंग डाइरेक्टर बना दिया गया और उसने चार्ज ले लिया । उन्होंने अग्रीकलचर क्रेडिट कमेटी और बोर्ड से बिना सलाह किये लाख रुपये के फर्टिलाइजर उस वक्त खरीदे जब कि उनके दाम लगातार गिरते जा रहे थे और जिसके बारे में आफ़िस का नोट था कि बिना बोर्ड की राय से फर्टिलाइजर्स के वास्ते आर्डर नहीं जाना चाहिये, लेकिन आर्डर दिया गया और जैसा कि आडिट रिपोर्ट से मालूम पड़ता है कि उसमें करीब ५, ६ लाख घाटा हुआ है । सरकार को हमने लिखा भी कि यह तो सर्चार्जेबुल आइटम है और सरकार को इस मैनेजिंग डाइरेक्टर के खिलाफ कोई कार्यवाही करनी चाहिये लेकिन हम लोगों की बदक़िस्मती से वे ही रजिस्ट्रार बने हुये हैं और कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अन्दर रजिस्ट्रार ही ऐसे सर्चार्ज वाले आइटम को इनीशिएट कर सकते हैं और इसलिये उस मामले में कुछ नहीं हो सका ।

पांच साल की आडिट रिपोर्ट में हमने देखा कि स्टेट कोआपरेटिब बैंक के अन्दर उन्हीं के कार्यकाल में घाटा हुआ है और इसका बहुत बड़ा कारण सरकारी अफसर की अपने काम में ढिलाई और गैर-ज़िम्मेदारी है क्योंकि वहां पर जो मैनेजिंग डाइरेक्टर बदल कर रक्खे गये हैं उनके ठीक से अपने कर्तव्य को न निबाहने के कारण ही ऐसा घाटा हुआ हांलाकि सरकार को इस के बारे में लिखा जाता है लेकिन सरकार उस पर कोई कार्यवाही नहीं करती है क्योंकि उस में बड़े अफसरान शामिल हैं । लेकिन दूसरी तरफ़ ऐसे अधिकारी जो आनरेरी काम करने वाले हैं और जिन्होंने कोआपरेटिब के लिये अपना सारा

समय और सारी जिन्दगी दी है उन के साथ ऐसी कार्यवाही की जा रही कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है । एक सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक के बारे में मुझे मालूम हुआ कि एसिस्टेंट रजिस्ट्रार ने एक चपरासी से पैर दबाने को कहा और जब उसने पैर नहीं दबाया तो उस बैंक के सेक्रेटरी पर सर्चार्ज का नोटिस चला गया । इस तरह की बहुत सी शिकायतें दिन रात सुनने में आती रहती हैं अगर आप चाहते हैं कि यह मूवमेंट सक्सेसफुल हो तो आपका उन अफसरान पर जो इसमें काम कर रहे हैं, ज़रा अच्छा सुपरविजन रखना होगा और यह इन्श्योर करना होगा कि वे ठीक तरह और दिलचस्पी के साथ अपना काम कर रहे हैं या नहीं । आपने एक सवाल के जवाब में बताया कि हम लोगों के इनिशियेटिव को जारी रखना चाहते हैं लेकिन उसके लिये आपने ज़रूरी कदम नहीं उठाया है और कोई अपनी तरफ से किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को डाइरेक्टिव नहीं दिया कि इस कोआपरेटिव मूवमेंट में लोगों की दिलचस्पी कैसे बढ़ सकती है और कैसे इसको देश में बढ़ाया जा सकता है । चूंकि इस कोआपरेटिव मूवमेंट में जो अफसर लोग हैं वे ठीक स और दिलचस्पी के साथ अपना काम नहीं कर रहे हैं इसलिये यह मूवमेंट कामयाब नहीं हो रही है और उसकी नाकामयाबी का बहुत बड़ा सबब यह आपके अफ़सरान ही हैं । मैं चाहता हूं कि यह मूवमेंट सक्सेसफुल हो और इसके लिये आपके सेंटर और स्टेट्स के बीच में कम्पलीट कोआरडिनेशन होना चाहिय ताकि कोआपरेटिव सोसाइटीज़ के काम को देश भर में अच्छी तरह से चलाया जा सके । जब हम इस के बारे में केन्द्रीय सरकार से आवश्यक कार्यवाही करने को कहते हैं तो कह दिया जाता है कि भाई यह तो स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह कह कर चुप हो जाना ठीक न होगा और यह देखना होगा कि आप स्टेट की इन स्कीमों के लिये पार्लियामेंट से जो लाखों और करोड़ों रुपये मंज़र कराते हैं, वह रुपया वहा पर ठीक तरह इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, पानी में तो नहीं बहाया जा रहा है, जब तक इस तरह का कोई रास्ता आप नहीं निकालेंगे और कोई उसके देखने के लिये मशीनरी नहीं स्थापित करेंगे जो कि इस कोआपरेटिव के काम को देश भर में ठीक तरह से सुपरवाइज कर सके, तब तक आपको इस काम में पूर्ण सफलता मिलना असम्भव है ।

श्री ईश्वर रेड्डी (कड़पा) : सरकार के विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किये गये भूमि सुधारों का पुनरीक्षण करना चाहिये, तत्पश्चात् उसके आधार पर व्यापक भूमि सुधार करने चाहिये ।

निःसंदेह सरकार ने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया है, किन्तु इसको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है, जो कि ५०० करोड़ रुपयों के लगभग है, क्योंकि किन्हीं राज्यों में तो जमींदारों को लगान का दस या बारह गुना प्रतिकर दिया गया है । मेरे विचार सें यह बहुत अधिक है । यदि हम भूमि प्रणाली का इतिहास पढ़ें तो हमें ज्ञात होगा कि ये जमींदार कभी भूमि के मालिक नहीं रहे । ये केवल लगान संग्रहकर्ता ही थे, लेकिन धोखा, जालसाजी, तथा सफेद-स्याह कर के ये लोग जमीन के मालिक बन बैठे थे । इन लोगों ने सदैव रूढ़िवादिता तथा पुराणपंथियों का पक्ष लिया और सदैव सामाजिक, राजनैतिक तथा अन्य सुधारों के विरोधी बने रहे तथा उनके मार्ग में रोड़े अटकाये । अतः इन से किसी प्रकार की रियायत करना बड़ी भूल होगी । सरकार को प्रतिकर बिल्कुल नहीं देना चाहिये और यदि वह वचनबद्ध हो चुकी है, तो भी उसे यह प्रतिकर बीस वर्ष बाद देना चाहिये । तब तक हम अपनी अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ बना लेंगे ।

[श्री ईश्वर रेड्डी]

जहां तक भूधारणा के अधिकारों को रक्षा करने का सम्बन्ध है, हम देखते हैं कि यदि एक ओर राज्यों में इस सम्बन्ध में विधियां पारित की जा रही हैं तो दूसरी ओर बहुत बड़ी संख्या में बेदखलियां हो रही हैं, और किसानों को अपनी जमीनों से निष्कासित किया जा रहा है। बंगाल में भी जोतदारों ने संगठित रूप से किसानों को निष्कासित करने के लिये बड़ी साजिश की और उनसे एक ऐसी घोषणा पर हस्ताक्षर करवाये जिस से कि बरगादार अधिनियम तथा अर्जन अधिनियम का उल्लंघन होता था। जब यह मामला पश्चिमी बंगाल सरकार के समक्ष रखा गया तो उन्होंने कहा कि वे इस साजिश के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकते। जब उनसे यह कहा गया कि वे आगे ऐसा न होने देने के लिये अधिनियम बनायें तो उन्होंने कहा कि ऐसा करना संविधान के प्रतिकूल होगा। किसानों को लगान न देने पर भी सरलता से निकाल दिया जाता है। यह प्रणाली बहुत बुरी है। जब कि कांग्रेस ने अपने फ़ैजपुर संकल्प में यह कहा है कि लगान के बकाया की वसूली कर्ज की वसूली की तरह होनी चाहिये, न कि किसानों को निष्कासित करके।

इसके अलावा भूमि की अधिकतम सीमा निश्चित करने के सम्बन्ध में भी सरकार की जो नीति रही है, वह बहुत ढुल-मुल प्रकार की है और कृषि मंत्रालय की नीति तो इस सम्बन्ध में बहुत शोचनीय है, उन्होंने दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश को, जब कि वे अपने राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा निश्चित करना चाहते थे, निरुत्साहित किया तथा हस्तक्षेप कर ऐसा करने से रोक दिया।

डा० पी० एस० देशमुख : माननीय सदस्य सभी प्रकार की बातें कह रहे हैं। उनकी जानकारी बहुत पुरानी है। उन्होंने कहा है कि केन्द्रीय मंत्रालय ने अधिकतम सीमा निश्चित करने से रोका है।

श्री ईश्वर रेड्डी : मैं आपको इस सम्बन्ध में कांग्रेस के महासचिव का वक्तव्य दिखला सकता हूं। मैं यह जानना चाहता था कि क्या अब खाद्य और कृषि मंत्रालय ने अधिकतम सीमा निश्चित करने के सम्बन्ध में अपना रवैया बदला है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो चुका है।

श्री एम० आर० कृष्ण (करीमनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : किसी भी देश की कृषि का विकास मुख्यतः कृषकों की अवस्था पर निर्भर करता है। भारत में कृषि मजदूरों की अवस्था बड़ी दयनीय है और अंग्रेजी राज्य में इनकी संख्या भी बढ़ती चली गई है। इसके दो कारण थे। पहिला यह कि किसानों के ऋण का निरन्तर बढ़ना और दूसरा ग्रामीण उद्योगों का पराभव।

कांग्रेस सरकार ने शासन की बागडोर संभालने के पश्चात् इस ओर ध्यान दिया और कई महत्वपूर्ण संकल्प पारित किये। उन्होंने जमींदारी उन्मूलन का साहसिक कदम उठाया। यह सब भूमिहीन मजदूरों की दशा सुधारने के उद्देश्य से ही किया गया था। सरकार का उद्देश्य बहुत अच्छा था, लेकिन जिन लोगों को इसके क्रियान्वित करने का भार सौंपा गया वे लोग इतने ईमानदार न थे। जमींदारों ने भी इस

कार्य में सरकार से असहयोग किया और उसे धोका देने की कोशिश की।

हैदराबाद राज्य में तीन चौथाई जमीन नवाबों और जमींदारों की थी। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् भी वह भूमि उन्हीं की है, क्योंकि उन्होंने उसे अपने सम्बन्धियों के नाम कर दिया है, जिन लोगों को खेती से कोई रुचि नहीं। उदाहरणार्थ, निज़ाम के पास इस समय भी ८,००० वर्ग मील जमीन है और वह उसका उपयोग कर रहा है। जब कि यह भूमि, भूमिहीन मजदूरों को दे दी जानी चाहिये।

यद्यपि विभिन्न राज्यों में इस प्रकार के आदेश पारित हो चुके हैं कि योग्य कृषकों को भूमि दी जाय तथापि व्यवहार में यह बहुत कठिन सिद्ध हुआ है क्योंकि किसानों से, जो कि अधिकांशतः अशिक्षित और निर्धन होते हैं, आवेदन-पत्र देने के पूर्व भूमि–सर्वेक्षण की संख्या, इत्यादि का उल्लेख करने को कहा जाता है। ये विवरण केवल पटवारियों तथा पटेलों के पास ही रहते हैं। फल यह होता है कि वे उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते और इस बात से रह जाते हैं। अतः मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि किसी तहसील या तालुक में जमीन वितरित करनी हो तो जमीन की सर्वेक्षण-संख्या इत्यादि को प्रदर्शित किया जाय।

हैदराबाद राज्य में, काश्तकारी अधिनियम का उद्देश्य, किसानों की सहायता करना था। लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि अधिकांश किसानों को निष्कासित कर दिया गया क्योंकि वे लोग भूधारण के प्रमाण पत्र पेश न कर सके और न उन्हें यह बतलाया गया कि उन्हें ऐसा करना था।

अन्त में मुझे एक बात और कहनी है और वह है तकावी के सम्बन्ध में। सरकार उन्हीं लोगों को तकावी दे रही है जिन के पास रुपया है और जो सब कुछ स्वयं अपने रुपये से कर सकते हैं। लेकिन बेचारे दरिद्र किसानों को कोई सहायता नहीं दी जा रही है। सरकार को इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिये कि तकावी केवल ज़रूरतमन्द किसानों को ही दी जाय।

डा० गंगाधर शिव (चित्तूर––रक्षित––अनुसूचित जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर मेरा यह प्रतिस्थापित प्रस्ताव संख्या २ रखा जाय। इससे मेरा यह उद्देश्य है कि कृषि सुधार तथा समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना यथाशीघ्र हो और पूंजीपतियों तथा जमींदारों से भूमि लेकर ऐसे लोगों को दी जाय जो कि वास्तव में खेती करने वाले हैं।

भारत में खेती करने वालों की संख्या में अधिकांशतः हरिजन हैं। अंग्रेजों ने सारी भूमि उच्चजाति के लोगों को दे दी थी जिसका परिणाम यह हुआ कि बेचारे हरिजन भूमिहीन रह गये।

इस लिये मैं सरकार को यह सुझाव दूंगा कि वह ऐसे आदेश दे कि कोई भी हरिजन जो कि किसी जमीन को पांच वर्षों से जोत रहा हो वहां से निष्कासित न किया जाये तथा उस भूमि का स्वामित्व उसी को दे दिया जाय।

सरकार को ऐसी सहकारी समितियां बनानी चाहिये जो हरिजनों को यथासम्भव प्रोत्साहन दें और उन्हें प्रथम वर्ष बिना ब्याज पर ऋण दिया जाना चाहिये। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि 'किसान को भूमि दो' के बदले हमारा नारा यह होना चाहिये कि 'भूखे किसान को भूमि दो'। भरे पेट वाले किसान को भूमि देकर कोई लाभ न होगा। इसके अलावा हरिजनों को पशु तथा खेती

[डा० गंगाधर शिव]

के औजार मिलने की सुविधायें होनी चाहिये और यह कार्य सहकारी समितियों की विशेष शाखाओं को करना चाहिये । इसके अलावा सरकार को आसान शर्तों तथा लम्बे पट्टे पर हरिजनों को जमीन देनी चाहिये । केवल इसी तरीके से छोटे-बड़े का विभेद मिट सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : पंडित ठाकुर दास भार्गव अपना भाषण प्रारम्भ करें ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) मैं सब से पहले इस बहस में जनाब की तवज्जह इस अम्र की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जब एग्रीकल्चर की बहस हो तो मेरे ख्याल में इन्सानों को छोड़ कर सब से अव्वल जो जिक्र होना चाहिए वह मवेशियों का होना चाहिए । डा० पंजाब राव देशमुख साहब ने मुझे एंटीसिपेट करके चन्द बातें हाउस के सामने फरमाइ । मैं इसके लिए उनका बड़ा मशकूर हूं क्योंकि इससे लोगों को किसी कदर तसल्ली हुई होगी कि गवर्नमेंट इस तरफ से बिल्कुल गाफिल नहीं है । लेकिन मैं अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि अभी करीब एक महीना डेढ़ महीना हुआ, जिस दिन सेठ गोविन्द दास जी का बिल पेश था, उस दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक इरशाद फरमाया था जिसकी तरफ मैं खास तौर से हाउस की तवज्जह दिलाना चाहता हूं । उन्होंने फरमाया था कि जिस देश में बैलों की शक्ति पहले के मुकाबले में कम हो जाती है उसमें अनाज के उत्पादन में लोगों को बहुत तकलीफ हो सकती है । मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं, और मैं ने इससे पेश्तर भी यह अर्ज किया था, कि मेरे इलाके में बल्कि मैं तो समझता हूं कि सारे देश म गायों की पहले के मुकाबले में दूध देने की शक्ति कम हो गयी है । बैलों का यह हाल है कि जो बैल पहले ३० या ३५ मन की गाड़ी को ले जाते थे वे अब उतना बोझ नहीं ढो सकते और न उतनी गहरी जुताई ही कर सकते हैं । इसी तरह से जब प्रोटेक्टिव फूड का जिक्र आता है तो कौन ऐसा शख्स है जो इस बात की ताईद नहीं करेगा कि गायों की दूध देने की शक्ति कम हो गयी है । यह बात गवर्नमेंट की एक नहीं, कई रिपोर्टों में बतलायी गयी है । मेरे पास वक्त नहीं है नहीं तो मैं उन रिपोर्टों को पढ़ कर सुनाता । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट भी यह मंजूर करती है कि गायों की दूध देने की शक्ति कम हो गयी है । गायें अब उतने बच्चे नहीं देतीं जितने कि पहले दिया करती थीं । उतने अर्से तक दूध नहीं देती जितने अर्से तक पहले देती थीं । इसका यह मतलब है कि हमारे पशुओं का बराबर डिटेरिओशन हो रहा है ।

मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहां मैं और दिशाओं में उन्नति देखता हूं, अनाज की समस्या हमारे मंत्री महोदय ने हल कर दी और जहां और बहुत सी बातें उन्होंने कीं, और जिनको देख कर तसल्ली होती है, वहां मुझे यह कहते हुये दुःख होता है कि इन पिछले आठ वर्षों में जैसा मैं ने पेश्तर भी अर्ज किया था जानवरों की तरफ गवर्नमेंट की तवज्जह नहीं गई है और इस बारे में गवर्नमेंट की तरफ से क्रिमिनल नेगलेक्ट बरता गया है । गवर्नमेंट ने ३ करोड़ रुपये गो सदनों के वास्ते

दिये जिसमें से केवल ३ लाख रुपया खर्च किया गया और गवर्नमेंट ने खुद फाईव यीइर प्लान की रिपोर्ट में इस बात को लिखा है कि हम इस दिशा में अभी तक कुछ नहीं कर सके हैं और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हालांकि हाउस ने उनको हुक्म दिया कि वे कुछ इस बारे में करें, अभी तक कुछ नहीं हो पाया और मुझे सुनना बाकी है कि हमारे मिनिस्टर महोदय ने हाउस के इस डाइरेक्टिव के बारे में क्या किया है ? मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं, कि इसकी तरफ काफी तवज्जह होनी चाहिए ।

हम यहां पर लैंडलेस लेबरर्स की बात सुनते हैं और और भी बातें सुनते हैं और उनके नुमाइन्दे यहां पर मौजूद हैं लेकिन कैटिल का कोई नुमायन्दा यहां पर नहीं है . . .

एक माननीय सदस्य : आप तो हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : कोई मज़हका नहीं अगर आप मुझे कैटिल समझें, मैं तो म्यूट आदमी हूं लेकिन मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि कैटिल की तरफ सरकार की तवज्जह नहीं है और मैं चाहूंगा कि इस अहम मसले की तरफ सरकार ध्यान दे । आपने कैटिल स्लाटर को बंद करने के लिए अभी तक क्या कदम उठाये हैं ? कैस्ट्रेशन ठीक हैं और खास हालतों में किया जाना चाहिए और मैं उससे इनकार नहीं करता । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गोसदनों को ठीक करने के वास्ते गवर्नमेंट ने आज तक क्या किया है ? हम इसके लिए रोजाना आपकी बनाई हुई गो संवर्धन कौंसिल में झगड़ते हैं कि गवर्नमेंट गो सदनों में सुधार लाने के लिए ज़रूरी क़दम उठाये लेकिन अफ़सोस के साथ मुझे यह कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट ने इस बारे में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया ।

जब कभी मैं स्वर्गीय श्री रफी अहमद किदवई का नाम सुनता हूं तो मुझे एक इंसपिरेशन सा मिलता है और दिल में एक खुशी का अहसास होता है और सारा देश उनका शुक्रगुजार है जो उन्होंने देश के खुराक के मसले को कामयाबी के साथ हल किया और देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया । अब उनकी जगह पर श्री ए० पी० जैन रौनक अफरोज हैं और स नाते आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि उ होंने जो श्री रफी अहमद की इनहैरिटेंस पाई है उसको जस्टिफाई करें । मरहूम किदवाई साहब ने फरमाया था कि हर एक जानवर की देखभाल करना इस देश की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट का फर्ज है कि उनका पालन पोषण करे और आज तो इसकी और भी ज़रूरत है कि कैटिल प्रीजरवेशन हो क्योंकि जब तक बैलों की काफी तादाद नहीं होगी तब तक गैर मुमकिन है कि आप खेती बाड़ी का काम कर सकें और देश में खेती की उन्नति कर सकें और ठीक तौर पर खेती कर सकें । असल बात यह है कि इस देश में खेती की पैदावार पूरे तौर पर आप बढ़ा नहीं सके हैं, थोड़ी बहुत ज़रूर बढ़ाई है लेकिन वह काफ़ी नहीं है । मैं डा० देशमुख साहब का बड़ा मशकूर हूं जिन्होंने अपनी स्पीच के दौरान फरमाया कि हमारी फर्टिलिटी बढ़ गई है । मैं उन से अदब से पूछना चाहता हूं कि किन किन चीज़ों में आप की फर्टिलिटी बढ़ गई है ? यह ठीक बात है कि जब तक फर्टिलिटी नहीं बढ़ती तब तक हमारी प्राब्लम सौल्व नहीं हो पायगी । राइस कल्टीवेशन में जो बढ़ोतरी हुई है मैं उस के लिये आप को धन्यवाद देता हूं, इसी तरह शुगरकेन

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

कल्टीवेशन में भी जो तरक्की हुई है वह भी काबिले तारीफ है और मैं उस के लिये आप को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं । तो हमारी जरूरत अपने देश में फर्टिलिटी को बढ़ाने की है । दूसरे मुलक जहां पर कि हमारे से ज्यादा फेवरेबुल कंडिशन्स नहीं हैं वहां पर हमारे देश के मुकाबले कई गुना अधिक पैदावार होती है और हमें वहां के खेती के तरीक़ों का अध्ययन करना चाहिये कि किस तरह वहां पर ज़मीन से इतनी पैदावार करते हैं और हमें ऐसे तरीके अपनाने होंगे जिस से हम अपने देश में अधिक पैदावार कर सकें । हमें अपने लैंड की प्राब्लम सौल्व करनी होगी ।

गांवों के अन्दर जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, टेनेंट्स हैं या आप के ओनर कल्टीवेटर्स हैं, मैं उन के बारे में एक एक लफ्ज़ अर्ज़ करना चाहता हूं । लैंडलेस लेबरर्स की प्राब्लम आप के सामने जिस तरह से मौजूद है, वह ज़मीन के देने से हरगिज़ हल नहीं हो सकेगी । आप सारी जमीन को काबिले काश्त बना लीजिये और उस को सब लोगों में बांट दीजिये । इस सीलिंग से आप की एकोनामिक होल्डिंग भी पूरी नहीं हो सकेगी, आप पहले अपनी एकोनामिक होल्डिंग्स को पूरा कीजिये, इफ़ यू रिएली मीन बिज़नैस । इस सवाल पर आप को और प्लानिंग कमिशन को सोच विचार करना है और साथ ही आप को यह भी देखना है कि हमारे जो लैंडलेस लेबरर्स हैं उन की एकोनामिक कंडिशन दुरुस्त हो और ऐसी होनी चाहिये कि एक मामूली काश्तकार की आमदनी और जो इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले लेबरर्स हैं, उन की दोनों की आमदनी यकसां हो और इंटरचेंजेबुल हो और जब तक यह नहीं होगा तब तक आप की प्राब्लम साल्व नहीं होगी ।

जहां तक उन को लोन देने की बात है गवर्नमेंट २२५ करोड़ रुपया हर साल बतौर क्रेडिट के देना चाहती है । और यह क्रेडिट ऐसे क्लास के लोगों को वह देना चाहती है जिन की कि आमदनी आप की रिपोर्ट में पांच आने या दस आने रोज़ की लिखी हुई है, उन को आप क्रेडिट पर रुपया दे कर सवा छै परसेंट सूद वसूल करना चाहते हैं जोकि वसूल करना मैं समझता हूं ना-मुमकिन है । अगर आप के पास कारूं का ख़ज़ाना भी हो तो भी वह आप को सवा छै परसेंट सूद नहीं दे सकते । आप तो जो उन को रुपया दें वह यह सोच कर दें कि अगर मूल रक़म ही वसूल हो जाय तो बहुत है, आप किसी व्याज की उनसे उम्मीद मत रखिये । आप को यह नहीं भूलना चाहिये कि जो सदियों से दयनीय स्थिति में रह रहे हैं और दो हज़ार वर्ष की गुलामी में रह चुके हैं, वे पांच, छै वर्ष में इस लायक नहीं हो गये हैं कि आप को सूद दे सकें । आज भी उन की आर्थिक अवस्था बहुत खराब है । उन की हालत सुधारने के लिये आप ने जो कदम उठाया है वह सही कदम है और ठीक रास्ते पर आप चले हैं लेकिन अभी बहुत काम किया जाना बाकी है, उन की जो रोजाना की दिक्कतें और शिकायतें हैं उन को आप को सुनना है और रफा करना है और जब तक आप यह नहीं करेंगे तब तक यह मामला हल होने वाला नहीं है । यह बड़ी मुसीबत का मामला है और इतना बड़ा सवाल है कि मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट चली तो ठीक रास्ते पर है पर यह इतना मुश्किल काम है कि इस का हल होना मुश्किल है ।

यह आप ने बहुत अच्छा किया कि जो टनेंट्स को फिक्सिटी आफ टेन्योर आप देना चाहते हैं और जिस से कि उन का इजेक्टमेंट न हो सके । पंजाब में भी इस तरह

का कानून पास हो चुका है कि ऐसे टेनेंट्स बेदखल नहीं हो सकते जोकि चार वर्ष के मुजारे हों ।

जहां तक यह सीलिंग का मामला है उस के बारे में मेरा कहना यह है कि पंजाब में तीस स्टैन्डर्ड एकड़ की सीलिंग रखने से मतलब यह होगा कि एक आदमी की सिर्फ १०० या ज्यादा से ज्यादा १५० रुपये माहवार आमदनी होगी जोकि मेरी राय में काफ़ी नहीं होगी । पंजाब में तीस एकड़ की सीलिंग फिक्स कर के पंजाब की सारी टेनंटरी की रूरल पापुलेशन की आमदनी १०० रुपये से ज्यादा अगर हम नहीं होने देना चाहते तो क्या आप यह चाहते हैं कि आप के शहर हमारे सारे गांवों पर रूल करें और सारे आप के एलेक्टेड मेम्बर्स जो आयें वह सारे के सारे अरबन एरियाज़ से आयें ? और इस का नतीजा यह होगा कि एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जायगी कि जिस में कोई भी गांव का रहने वाला आदमी फाइनेंनशिएली इंडिपेंडेंट नहीं रह पायगा । आप बेचारे गांव वालों की आमदनी की तो सीलिंग फिक्स कर देते हैं कि इस से ज्यादा उन की आमदनी न हो सके लेकिन यह जो ऊंची ऊंची तनख्वाहें अफसरान पा रहे हैं उन की तनख्वाहों में कमी करने और उन की आमदनी पर सीलिंग फिक्स करने की ओर आप का ध्यान नहीं जाता । मैं न स्टेट बैंक के जो सब से बड़े अफ़सर हैं उन की तनख्वाह के बारे में मैंने मुनासिब मौक़े पर एक अमेंडमेंट पेश किया था कि उन की तनख्वाह फाइनेंस मिनिस्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिये लेकिन मेरा अमेंडमेंट रिजैक्ट हो गया । मैं तो यह सजैस्ट करूंगा कि ऐसे बड़े आदमी जिन के पास काफी बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं उन से ले कर आप नौन एकोनामिक होल्डिंग वालों को जमीन दीजिये और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप की लैंड की प्राब्लम सौल्व नहीं होगी क्योंकि बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जिन की कि एकोनामिक होल्डिंग्स नहीं हैं ।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

आप सीलिंग आमदनी की रखिये लेकिन इतनी रखिये कि वे अपने परिवार को भली प्रकार खिला पिला सकें और एकानामिकली इंडिपेंडेंट हों । अब मैं आप से अर्ज करूंगा कि इस को सोच विचार कर आप उस को फिक्सिटी आफ टेन्योर दें, आप सब कुछ करें । जितना रुपया आप के पास है आप सब शहरों के लोगों के आराम पर न लगायें जिनको पहिले ही एमेनिटीज़ हासिल हैं । उन के मुकाबले अश्र अशीर भी उन लोगों को हासिल नहीं है जो गांवों में रहते हैं । उन के साथ गवर्नमेन्ट ने इन्साफ नहीं किया । हमें उम्मीद थी कि गवर्नमेन्ट जरूर उन लोगों के साथ इन्साफ करेगी और मैं देखता हूं कि कर भी रही है, उन का रुझान है, लेकिन वह रुझान तेजी से हो, तरक्की से हो ताकि लोग यह महसूस कर सकें कि हमारी वेलफेयर स्टेट अमीर आदमियों की नहीं है, गरीब आदमियों की वेलफेअर स्टेट है । कोई आदमी हिन्दुस्तान में ऐसा न रहे जिस के पास अपना साफ सुथरा मकान न हो और थोड़ी बहुत जमीन न हो । आज हम देश में शिकायतें सुनते हैं कि गवर्नमेन्ट की जमीनों से बेदखली होती है । अगर यह दुरुस्त है कि गवर्नमेन्ट अपने टेनैन्ट्स के लिये कुछ नहीं करती, जैसा श्री गोपालन ने कहा अगर गवर्नमेन्ट का रवैया वही है कि गवर्नमेन्ट लोगों को जमीन नहीं देती, या उन को फिक्सिटी आफ टेन्योर नहीं देती है तो मैं उम्मीद करूंगा कि आगे ऐसा नहीं करेंगे और एक मिसाल कायम करेंगे जिस के ऊपर हम चलेंगे ।

मैं ने शायद जरूरत से ज्यादा वक्त ले लिया । मैं नहीं चाहता कि कोई मेम्बर

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

साहब बोलने से महरूम रहें, इसलिये में खत्म करता हूं ।

श्री टंडन (जिला इलाहाबाद – पश्चिम): जो बातें अपने भाषण में मंत्री जी ने बताईं उन का मैं बहुत स्वागत करता हूं । उन्होंने हमें संख्याओं द्वारा यह बताया कि हमारे देश में अन्न पहले से बहुत अधिक हो रहा है, और अन्न की समस्या जो पहले हमें डराती थी वह अब लगभग नहीं है तथा इस वर्ष बहुत ही थोड़ा सा अन्न बाहर से मंगाना है । साथ ही, यह कि हमारे पास इतना भी अन्न होता है कि हम उस में से एक हिस्सा बाहर भी भेज सकते हैं । यह एक अच्छी तथा गुलाबी तस्वीर है, देखने में सुहावनी मालूम होती है । इसी प्रकार, चीनी की पैदावार, उन्होंने कहा, इस वर्ष १९४५–५५ में १६ लाख टन हुई है । इस से पहले कभी इतनी पैदावार नहीं हुई थी । चार पांच वर्ष पहले, ८ लाख टन, ९ लाख टन या १० लाख टन होती थी । एक साल १२ लाख टन हुई, तो बधाई दी गयी थी । अब १६ लाख टन होती है । चीनी की पैदावार बहुत बढ़ी । अन्न भी बढ़ा और चीनी भी बढ़ी । गवर्नमेंट ने यह भी प्रबन्ध किया, जिस की मंत्री जी ने बहुत ब्योरे के साथ चर्चा की कि किसानों को उधार देने की सुविधा का बहुत सुन्दर प्रबन्ध हो रहा है । यह सब अच्छी बातें हैं । परन्तु, मेरे हृदय में एक कसक और एक पुकार उठती है । जब यह हो रहा है तो उस का प्रतिबिम्ब, उस का अक्स देहात के जीवन पर क्या पड़ा है ? जब हम देहातों में जाते हैं, ग्रामों को देखते हैं तो वहां हमें आंख से यह नहीं दिखाई पड़ता कि वहां के लोगों की दरिद्रता में कुछ बहुत अन्तर हुआ हो । वह वैसे ही दरिद्र बने हुये हैं, कपड़े-लत्ते नहीं, खाने के विषय में बुरी दशा, किसी भी बात में तो परिवर्तन नहीं हुआ है । हमारे प्रदेश में, चीनी बनाने का सब से बड़ा सामान गोरखपुर और देवरिया में है । हमारे देश के यह दो जिले चीनी बनाने के लिये प्रसिद्ध हैं । जब चीनी की पैदावार बढ़ी तो स्वभावत: हम यह समझे कि वहां के चीनी के कारखानों में वृद्धि हुई । परन्तु वहां की जनता की क्या दशा है ? हमारे राज्य भर में, उत्तर प्रदेश भर में, सब से दरिद्र यही दो जिले हैं, गोरखपुर और देवरिया, जहां पर सब से अधिक चीनी बनती है । हमारे राज्य में, यह दो ज़िले सब से अधिक चीनी बनाने वाले हैं, तो अनुमान किया जा सकता है कि इन दोनों जिलों की हालत कुछ अच्छी होगी, लेकिन बात उल्टी है । जहां सब से अधिक चीनी बन रही है, वही ज़िले सब से अधिक दरिद्र हैं । हम को याद है कि गोरखपुर और देवरिया के मान्य नेता बाबा राघव दास जी, जिन को हमारे मंत्री जी भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ने कई बार मेरे सामने कथा कही है; अपने भाषणों में उन्होंने बताया है कि वहां की दरिद्रता का क्या हाल है । मैं ने इतनी दरिद्रता का अनुमान भी नहीं किया था । वहां के देहात के हरिजन कई महीने तक वहां के गाय-बैलों की जो गोबरी होती है उस में से अनाज निकालते हैं और धो-धो कर उस से अपना गुजारा करते हैं । उन को लगभग दो-ढाई महीने तक ऐसा करना पड़ता है । बहुत से गांवों का यह हाल है । इस खाने को गोबरी ही कहते हैं । कितनी दर्दनाक और बुरी दशा उन देहातों की है । ऐसी दशा में यह संदेह होता है कि जो संख्यायें हमें बताई गई हैं क्या वह सब सही हैं ? मेरे लिये कहना कठिन है । हमारे मंत्री जी तो जानते होंगे, हमारे पुराने दोस्त श्री रफी अहमद किदवई इन संख्याओं की क्या इज्जत करते थे ।

कई बार उन्होंने कहा था, शायद यहां भी कहा था, कि इन सरकारी संख्याओं के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता । विशेषकर उन्होंने उस समय यह कहा था जब राशन लगा हुआ था और बराबर यह बात सामने आती थी कि यहां कितना अनाज हो रहा है । वह राशन के विरुद्ध थे । वह कहते थे कि यह संख्यायें गलत हैं ।

सवाल उठता है कि यह संख्यायें सही हैं या गलत । जिस तरह की भी हों, मैं नहीं कह सकता । लेकिन इतना मैं जानता हूं कि जो गांवों की हालत है वह मुझे कहीं पर भी सुधरती हुई नहीं दिखाई देती । जहां भी मैं गांवों में जाता हूं, दरिद्रता छाई हुई दिखाई देती है । अभी बाढ़ आई । उस बाढ़ ने तो और मुसीबत कर दी, लेकिन बाढ़ के पहले भी इतनी बुरी हालत थी कि थोड़ी सी बाढ़ आई और उस बाढ़ के आते ही किसी के पास कोई सरो–सामान नहीं रहा कि उसमें थोड़ा बहुत भी ठहर सके । सभी कुछ बहता चला जाता है ।

सभापति महोदय : आप का समय समाप्त हो गया ।

श्री टंडन : मैं ने समझा था कि आप मुझे १५ मिनट देंगे । मेरा ऐसा अनुमान था ।

मेरा कहना है कि इस में कहीं न कहीं कोई गहरा अन्तर है, भीतर से यह स्थिति है, लेकिन यह बुरी हालत है, बाहर पैदावार की बढ़ी हुई संख्यायें हैं । मैं अनुमान करता हूं कि आपने इन बातों की ओर ध्यान दिया होगा ।

मुझे लगता है कि दो एक और प्रश्न भी बहुत बड़े हैं, जिन की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है । मैं उनको मौलिक प्रश्न मानता हूं । एक तो यह है कि देहातों में जो लोग रहते हैं वे कैसे रहते हैं, उनका रहन-सहन क्या है और कैसे हम उनके रहन-सहन को सुधार सकते हैं । आप अरबों रुपया बड़ी-बड़ी योजनाओं में खर्च करते हैं । मैं निवेदन करता हूं कि इन योजनाओं को चाहे हम उस हद तक, जिस हद तक हम चाहते हैं, पूरा करें या न करें, परन्तु हमारा रुपया मुख्य करके आज इस में लगना चाहिये कि हम देहातों की सूरत बनावें । आप पांच-दस देहातों को बना कर तो दिखावें । आज तक मेरी यह शिकायत रही है, लेकिन इसे दूर नहीं किया गया है । आपने बहुत सी 'कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स' चला रखी हैं, लेकिन जब मैंने इनको देखा तो इनका मेरे ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ा । मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि इनका देहाती जनता पर कोई मौलिक तौर पर बहुत अच्छा असर पड़ा होगा । आप बहुत ऊपरी चीज बना रहे हैं । आप उनके रहन-सहन की तरफ देखें, उनके घरों की तरफ देखें, उनकी दरिद्रता की तरफ देखें । मैंने कई बार निवेदन किया है कि नये ढंग से आप ग्राम बसावें, लेकिन अभी तक आपने कुछ भी तो नहीं किया है । मुझे मालूम है कि हमारे भाई मोहनलाल सक्सेना जी ने भी यह बात सामने रखी थी, एक निर्माण पत्र भी उन्होंने निकाला है, उसमें भी चर्चा आई, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया । मेरा सुझाव है कि दो चार गांव हर जिले में आप नमूने के तौर पर बना कर सामने लावें, जिस में हर घर दूसरे घर से अलग हो, हर घर के साथ कुछ भूमि अलग हो जिस में बाटिका बन सके ताकि रहने का कुछ सुन्दर ढंग हो । आज गंदगी से भरे हुए गांव हैं, और यही हालत घरों की भी है । मैंने आध-आध एकड़ जमीन की बात की थी लेकिन अगर आप आध एकड़ भूमि एक घर के साथ अलग नहीं रख सकते तो चौथोई एकड़ ही रखें । मैं जानता हूं कि यह एक दिन की बात नहीं है, लेकिन कुछ

[श्री टंडन]

नमूने तो आप बना ही सकते हैं, यह बात तो आपके लिये मुश्किल नहीं है। ग्रामोद्योगों के लिये आपने एक बोर्ड बनाया, मैं गवर्नमेंट को उसके लिये बधाई देता हूं – मैं यह मानता हूं कि गवर्नमेंट ने आज तक जितने अच्छे काम किये हैं उन में लगभग सब से अच्छा काम यह किया है कि खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड बनाया है। इसको बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है और देना भी चाहिये था। मैं मंत्री महोदय को सुझाव देता हूं कि जिस तरह से आप ने यह बोर्ड बनाया है उसी तरह से आप एक और बोर्ड बनावें, जिस को आप कुछ रुपया दें, जिसको आप अधिकार दें कि वह नये ढंग के गांव आप को बनवा कर दे, हर जगह नमूने बनवा दे। आप इतना रुपया खर्च कर रहे हैं, तो क्या आप दो चार गांव भी बनाकर नहीं दिखा सकते। चाहे आप छोटा सा कच्चा घर ही बनवा दें, लेकिन उस घर के साथ थोड़ी सी जमीन आध एकड़ या चौथाई एकड़ होनी चाहिये जिसमें बाटिका हो। इस तरह जो यह ज़मीन हर मकान के साथ रखेंगे उसमें वह लोग खेती कर सकेंगे और अपनी आमदनी भी बढ़ा सकेंगे। साथ ही साथ मुल्क की पैदावार भी बढ़ेगी और पैदावार बढ़ाने का यह कितना सुन्दर रास्ता है। अगर आप इस तरह घर बनवायेंगे, तो मेरा निवेदन है जो आप का रुपया खर्च होगा वह एक उपयोगी चीज पर खर्च होगा, वह व्यर्थ नहीं जायेगा। इसके लिये यह आवश्यक है कि आप एक बोर्ड बनावें, जो यह सब काम करे।

चूंकि समय बहुत कम है, संक्षेप में मेरी प्रार्थना यही है कि इस तरह से आप गांवों की जनता को उठाने की बात सोचें इस प्रकार से पशुधन की भी, जिस की चर्चा भार्गव जी ने की, उन्नति होगी। आज गांवों में जो लोग रहते हैं उनके पास जगह नहीं होती है, पशुओं को रखने की। अगर आप आध एकड़ भूमि देंगे तो उसमें से ग्रामवासी कुछ तो वाटिका के लिए रख लेंगे और थोड़ी सी पशुओं को रखने के लिए रख लेंगे। तब उनको एक उत्तेजना होगी, एक सहारा होगा, और वह गाय को पाल सकेंगे। हम गो रक्षा की बात करते हैं, लेकिन गो रखने के स्थान की एक कठिन समस्या है। इस तरह से अगर आप मकान बनावें तो पशु-धन की भी उन्नति हो सकती है और हमारा ग्रामीण जीवन भी ऊंचा उठ सकता है। इससे गांवों में सफाई अच्छी होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा और हर तरह से उस मकान में रहने वाले को सुविधायें होंगी। उनको अपने जीवन में अधिक सुन्दरता दिखाई पड़ेगी।

सभापति महोदय : मैं उन्हीं सदस्यों से बोलने को कहूंगा जो पांच मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री ए० पी० जैन : हम साढ़े सात बजे तक बैठ सकते हैं।

सभापति महोदय : हम साढ़े सात बजे तक बैठेंगे। श्री ए० एन० विद्यालंकार पांच मिनट बोलेंगे।

श्री ए० एन० विद्यालंकार (जालंधर) : सभापति जी, कहने के लिये तो बहुत बातें थीं लेकिन समय आपने बहुत कम दिया है, इस लिये बहुत ज्यादा न कहते हुये मैं थोड़ी सी ही बातें कहूंगा।

जो बहस इस सभा में हो रही है, उसका मतलब यह है कि हम एक ओवर-आल पिक्चर लें और यह देखें कि हमारी जो नीति इस समय चल रही है वह ठीक तरीके से चल रही

है या नहीं। मैं समझता हूं अगर हम बुनियादी तौर पर देखें और तफसील के अन्दर न जायें तो हमें इस बात का संतोष होगा कि हमारी गवर्नमेंट ने काफी तरक्की की है। जहां तक लैंड रिफार्म्ज का ताल्लुक है, जो आंकड़े हमें दिये गये हैं उनसे मालूम होता है कि ५३ लाख में से २२ लाख इंटरमिडियेरी, या जो बीच के लोग होते हैं, उन को हम ने खत्म कर दिया है। २९ करोड़ एकड़ कल्टिवेटिड एरिया में से १६ करोड़ एकड़ आज ऐसी जमीन है जो खेती करने वाले किसानों के अपने हाथ में आ चुकी है। इसी तरह से जो कुछ क़र्जे के सम्बन्ध में करीब साढ़े सात सौ करोड़ रुपये की देहात वालों को कर्जे की आवश्यकता होती है, मंत्री महोदय ने बताया कि उसमें से २२५ करोड़ रुपया क़र्जा देने की व्यवस्था हो जायेगी, जो सरकार प्रबन्ध करना चाहती है। आज तक जितने क़र्जे की देहात वालों को जरूरत होती थी, उसमें से केवल ६ या ७ फीसदी ही सरकार तथा कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये, या किसी और सरकारी जरिए से लोगों को मिल पाता था। लेकिन, अब जितने कर्जे की देहात वालों को आवश्यकता होगी उसका ३० फीसदी सरकार देगी, और मैं समझता हूं कि यह एक बहुत अच्छी चीज है और एक बहुत बड़ी जम्प है।

मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट की नीति में तेजी आये। यह जो यहां पर नुक्ताचीनी की जाती है, उसका मतलब यह नहीं कि अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन हम यह जरूर चाहते हैं कि गवर्नमेंट की नीति के अन्दर काफी तेजी आनी चाहिये।

प्रान्तों में जो भूमि सुधार हुये हैं और जो टिनेंसी लेजिस्लेशन बने हैं, उनमें यूनीफार्मिटी नहीं है। चूंकि केन्द्र की तरफ से जोर दिया गया था, इसलिये कुछ प्रान्तों ने ये कानून बना लिये हैं, लेकिन उन्होंने कुछ रिज़वशन से काम लिया है और उतनी तेजी से कदम नहीं उठाया जितनी तेजी से उठाना चाहिये था। मिसाल के तौर पर, जैसे अभी पंडित ठाकुरदास जी ने पंजाब का जिक्र किया। पंजाब के सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर सरकार ने ३० एकड़ की मियाद मुकर्रर की। वह मामूली ३० एकड़ नहीं हैं, बल्कि स्टेंडर्ड एकड़ हैं, जिसके मानी हुये कि उन्होंने ६० एकड़ की मियाद मुकर्रर की है। मैं समझता हूं कि यह सीलिंग बहुत ज्यादा है। इसी तरह से और प्रान्तों में भी हुआ है। रेंट को कम करने का भी सवाल था। प्लानिंग कमीशन ने यह रिकमेंडेशन की थी कि पैदावार का चौथाई या पांचवां हिस्सा रेंट के तौर पर लिया जाय, लेकिन कई प्रान्तों ने उस पर अमल ही नहीं किया, और कुछ प्रान्तों ने मिकदार ज्यादा रखी है। मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ किया जाय कि इसमें यूनिफार्मिटी आ जाय और जो चीज हम करना चाहते हैं उसको जोर से साथ कर सकें। यह नहीं कि हम उसमें रिजर्वेशन से काम लें।

पशुओं के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया, है; मैं उसका समर्थन करता हूं। हमारे यहां ट्रेक्टर नहीं चल सकेंगे, क्योंकि हमारे यहां तेल की कमी है। ऐसी हालत में, अगर हम ट्रेक्टरों को बढ़ायें और पशुओं की उन्नति न करें, तो इससे हमारी इकानामी कमजोर हो जायगी। मैं समझता हूं कि इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये, क्योंकि पशुओं के साथ दूध और घी का सवाल भी जुड़ा हुआ है। ठाकुर दास जी ने यह ठीक ही कहा है कि पशुओं की शक्ति में कमी हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने यह बात छोड़ दी कि पशुओं के साथ साथ मनुष्यों की शक्ति में भी कमी हो रही है। इस का कारण यह है कि अब पशुओं से दूध और घी कम मिलता है। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिये और पशुओं की उन्नति के लिये विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिये।

[श्री ए० एन० विद्यालंकार]

यहां पर कहा गया है कि हमने सरप्लस गल्ला बाहर भी भेजा है । लेकिन, मुझे यह सुन कर खुशी नहीं हुई । अगर हमारे देश में गल्ले की वृद्धि हुई है, तो पहले हमारे देश के लोगों को ज्यादा गल्ला खाने के लिये मिलना चाहिये था । हम लोग इस गल्ले को इसलिये नहीं खरीद सकते क्योंकि हमारे पास क्रयशक्ति की कमी है । इसी तरह से हमने ज्यादा चीनी पैदा की है, ज्यादा कपास पैदा किया है, उसको भी बाहर भेजना पड़ता है । हम चाहते हैं कि हम बाहर अपने सामान के लिये बाज़ार बनावें । लेकिन, मैं चाहता हूं कि हम पहले अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद ही गल्ला बाहर भेजें । हम चाहते हैं कि पहले हमारे यहां के आदमियों का औसत कंजम्पशन बढ़े । ऐसा करने से, पहले अगर गल्ला एक्सपोर्ट किया जायगा तो उससे हम खुश नहीं हो सकते । इसलिये जब तक हमारे लोगों का कंजम्पशन नहीं बढ़ता है, हम एक्सपोर्ट की कोशिश न करें । यह ठीक है कि हमको अपनी पैदावार का एक्सपोर्ट करना है, मैं एक्सपोर्ट का विरोधी नहीं । लेकिन अगर हमारी इंटरनल मार्केट कमज़ोर है और हम एक्स पोर्ट मार्केट की तलाश करते फिरें, तो ऐसा करने से हमारी इकानामी कमजोर हो जायगी । और, यह हमारा दुर्भाग्य होगा कि जब हम अपने लोगों को काफी खाना नहीं दे सकते, तो भी हम अपनी ख़ुराक को बाहर भेजें ।

मिनिमम वेजेज ऐक्ट के बारे में भी, मैं सरकार को ध्यान दिलाना चाहता हूं । यद्यपि यह कानून काफी समय से पास हो गया है, पर हमारे लैंडलैस लेबर को अभी भी मिनिमम वेज नहीं मिल रही है । इस ऐक्ट पर अमल नहीं हो रहा है । इसके सम्बन्ध में ज्यादा प्रयत्न होना चाहिये ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस चर्चा के लिये निश्चित समय की दस घंटों की अवधि को बढ़ा दिया गया है ?

सभापति महोदय : सभा ने साढ़े सात बजे तक बैठने का निश्चय किया है । अब यह हिसाब लगाने का मामला है और उसके लिये मुझे रिकार्ड देखना पड़ेगा कि उससे निश्चित अवधि बढ़ेगी या नहीं । कहा जाता है कि वह अवधि तब दस घंटों और इकतालीस मिनटों की हो जायेगी ।

श्री कासलीवाल (कोटा-झालावाड़) : मैं अपने राज्य—राजस्थान—के बारे में एक बात कहूंगा । हमारे यहां अगले दस या पन्द्रह वर्षों में दो नहरों—राजस्थान नहर और भाखड़ा-नांगल—नहर—के द्वारा कुल मिला कर ५० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होने लगेगी । राजस्थान नहर से ४० लाख एकड़ और भाखड़ा-नंगल नहर से १० लाख एकड़ की सिंचाई होगी । लेकिन, राजस्थान की कुल जनसंख्या केवल १ करोड़ ६५ लाख है । क्षेत्रफल में वह सब से बड़े राज्यों में से है । इसलिये, मैं प्रस्ताव करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के परामर्श और उसकी सहकारिता के आधार पर, केन्द्रीय सरकार राजस्थान में बस्तियां बसाने की एक योजना बनाये । बहुत अधिक जनसंख्या वाले राज्यों से ला कर राजस्थान में लोग बसाये जायें । मैं चाहता हूं कि कम जन संख्या वाले हमारे राजस्थान में अन्य सभी राज्यों से लोग लाये जायें । और, मैं विश्वास दिलाता हूं कि सिंचाई की ५० लाख एकड़ भूमि कम से कम १० लाख परिवारों को जीविका दे सकती है । वे आराम से रह सकते हैं । मैं गंगानगर का एक उदाहरण देना चाहता हूं । नहर आने से पहले वह उजाड़ था । अब वहां की धरती बिल्कुल बदल चुकी है । वहां की आबादी में भी पंजाब से आने वालों की ही अधिकता है । हमारे राजस्थान में लोग भाषा के प्रश्न का हौवा भी नहीं बनाते ।

वहां सभी राज्यों के लोग आ कर खप सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि इन नहरों का पानी व्यर्थ जाये। इसीलिये, मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे अभी से राजस्थान सरकार के साथ वहां बस्ती बनाने की योजना पर परामर्श शुरू कर दें, क्योंकि काम बहुत बड़ा है।

अब मुझे दो बातें और कहनी हैं। माननीय मंत्री ने कृषि की सहकारी योजनाओं और सहकारी खेती की असफलता पर निराशा प्रकट की है। बात यह है कि सरकार ने इसे सही तरीके से नहीं किया। सहकारी खेती से पहले सरकार को पारस्परिक सहायता-दल संगठित करने का प्रश्न लेना चाहिये था। मुझे विश्वास है कि किसी भी राज्य में इन का संगठन नहीं किया गया है। पारस्परिक सहायता दल का अर्थ क्या है? उस का अर्थ है कि किसी एक काम के लिये, जैसे जुताई या निराई के लिये, सारे गांव की जनता का जत्थेबन्द होना। यदि यह किया गया होता, तो सहकारी खेती का अपने-आप विकास होने लगता। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इसे ध्यान में रखें।

अब, केवल एक ही बात रह गई है। मैं नहीं चाहता कि भूदान में मिली जमीनें व्यक्तिगत किसानों को दी जायें। भूदान की जमीनें सहकारी खेती के लिये ही दी जानी चाहियें। मैं ने सुना है कि अब तो पूरे के पूरे गांवों का ग्रामदान हो रहा है, और यह समूचे ग्राम भी व्यक्तिगत किसानों को दिये जाने वाले हैं। इन्हें केवल सहकारी खेती के लिये ही देना चाहिये।

श्री एस० एल० सक्सेना (जिला गोरखपुर—उत्तर): मेरे पास समय बहुत कम है, तो भी मैं खाद्य तथा कृषि मंत्री महोदय को उन के सुधार के कामों के लिये धन्यवाद दूंगा। इस अवसर पर मुझे स्वर्गीय श्री किदवई साहब की याद बरबस आ जाती है, जिन्होंने कि इस देश की खाद्य समस्या को सफलतापूर्वक हल किया और देश को खाद्यान्न के मामले में आत्म-निर्भर बनाया। किदवई साहब ने फूड प्राबलम को सौल्व कर के देश को अभय बना दिया। हमारे नये मंत्री महोदय ने भी एक बड़ी समस्या हल की, कि जब कीमतें बहुत गिर रही थीं तो उन को और ज्यादा गिरने से रोक कर एक बहुत बड़ी कैलैमिटी से इस देश को बचाया, और उस के लिये मैं उन को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही उन्हों ने जो अपनी योजना पेश की है वह भी प्रशंसनीय है और मुझे विश्वास है कि अगर उस के अनुसार कार्य किया गया तो हमारा देश काफी उन्नति कर जायेगा।

इस मौके पर मैं बहुत संक्षेप में हमारे पड़ौसी देश चीन जिस की कि आबादी हमारे देश से डेढ़ गुनी है जिस ने अल्प काल में लैंड रिफार्म्स कर के जो अपने देश की खेती और पैदावार की उन्नति की है उस की ओर मैं मंत्री महोदय और सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं और मेरी राय तो यह है कि अगर हिन्दुस्तान जल्दी तरक्की करना चाहता है तो उसे चीन के भूमि सुधार तरीकों को अपने यहां शुरू करना होगा।

आज हमें यह बात याद रखनी है कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और उस के साथ चलने के लिये हमें अपनी रफ्तार काफी तेज करनी होगी।

हमारे पड़ौसी देश चीन में इन पिछले पांच वर्षों में बहुत अधिक उन्नति हुई है। आंकड़ों से हमें मालूम होता है कि इन पांच सालों में हम ने अपने देश में सन् १९५० में ५० लाख टन से सन् १९५५ में ६५ लाख टन गल्ला पैदा किया है, जब कि चीन देश में

[श्री एस० एल० सक्सेना]

पांच सालों में ११० लाख टन गल्ला सन् ४९ में पैदा किया गया था, और सन् ५४ में यानी पांच साल बाद उस ने अपने यहां १६९ लाख टन पदा किया, जिस का मतलब यह हुआ कि पांच साल में उन का प्रोडक्शन करीब ४७ परसेंट बढ़ा, जब कि हमारा केवल ३० परसेंट ही बढ़ा । वे अपने फाइव यीइर प्लान के टार्गेट के हिसाब से १९२ लाख टन गल्ला सन् १९५७ में पैदा करेंगे, यानी अगले तीन सालों में २३ लाख टन और अधिक टार्गेट तक पहुंचने के लिये पैदा करेंगे, जब कि हम अपने यहां अगले ६ सालों में टार्गेट तक पहुंचने के लिये केवल १० लाख टन गल्ला पैदा करेंगे । हमारा टार्गेट चीन की अपेक्षा चौथाई से भी कम है और अगर हमें दुनिया में सिर उठा कर रहना है तो हम को अपनी प्रगति की रफ्तार को और तेज करना होगा ।

इसी तरह रुई के अन्दर सन् १९४८ में हमारी पैदावार साढ़े चार लाख टन रही, चीन की भी रुई की पैदाबार साढ़े चार लाख टन थी, इंडिया की रुई की पैदावार अब साढ़े सात लाख टन है, जब कि चीन की सन् ५४ में रुई की पैदावार साढ़े चार लाख से बढ़ कर साढ़े १३ लाख टन हो गई है और सन् ५७ में उन के टार्गेट के हिसाब से वह बढ़ कर साढ़े सोलह लाख टन हो जायेगी । इस में भी उन का टार्गेट हम से कहीं ज्यादा है ।

चीन ने पिछले पांच सालों में एग्रीकल्चरल लोन्स देने में ६०० करोड़ रुपया खर्च किया है, जब कि हमारे देश में उस से बहुत कम रुपया खर्च किया गया है और मैं समझता हूं कि अगर हमको प्रगति की दौड़ में अन्य देशों से पिछड़ना नहीं है तो इस हमें दिशा में चीन का अनुकरण करना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि हमने भी अपने एग्रीकल्चरिस्टस में २२५ करोड़ रुपये डिस्ट्रिब्युशन के लिए अगली पंचवर्षी योजना में प्रोवाइड किये हैं । चीन ने अपने यहां कोआपरेटिव फार्मिंग के तरीके अपना कर बहुत तेजी से तरक्की की है। उन्होंने अपने यहां कोआपरेटिव मूवमेंट को बहुत फैलाया है और आप देखेंगे कि वहां पर १९ लाख १० हजार पेजेंट हाउसहोल्ड्स कोआपरेटिव्स में शामिल हो चुके हैं । गवर्नमेंट लोन्स वहां पर काफी तादाद में किसानों को दिये जा रहे हैं ।

इसके अलावा उन्होंने अपने वहां टैक्स पालिसी ऐसी रक्खी कि जो शख्स पैदावार में जितनी तरक्की करेगा तो उस तरक्की की प्रोड्यूस पर उससे कोई टैक्स नहीं लिया जायगा और इससे वहां पर किसानों को अधिक पैदावार करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है और उन्होंने ने यह भी पालिसी रखी है कि अगर कोई अपने लैंड को बेकार रखेगा तो उस पर टैक्स लिया जायगा । वहां पर इम्यूलेशन कैम्पेन होते हैं जिस में सरकार की ओर से एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट शो करने वाले को इनामात दिये जाते हैं । बेस्ट प्रोड्यूसर्स को मैडेल प्रेजेंट्स दिये जाते हैं, जिससे कि वहां के लोगों में अधिक पैदा करने के लिए होड़ सी लगी रहती है और मैं समझता हूं कि हमें भी अपने वहां इसी तरह का कोई इन्तजाम करना चाहिये । हमें अपने यहां किसानों को कर्जे की और अधिक सुविधाएं देनी चाहियें और आज जो बाढ़ से यू० पी० में करीब दस लाख घर गिर गये हैं और जो लोग बेघरबार हो गए हैं और उनके पास जमीन नहीं है, उनके वास्ते आप घरों का इन्तजाम करें और लैंडलैस

जो कि यहां पर ५ करोड़ के करीब हैं, उनको कर्ज़ देने के लिए कोई माकूल प्रबन्ध होना चाहिए और उन्हें जमीन भी मिलनी चाहिये ।

इसके अलावा एक दूसरी बात जिस की ओर मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह उन पंचायतों के बारे में है जो कि आपने लैंड देने के वास्ते बानई हैं । पंचायतों को अधिकार है कि वह लैंड बांटें और लैंडलेस लोगों को एक्सेस लैंड दें, लेकिन अनुभव ने यह बतलाया है कि उनके द्वारा ठीक तौर पर यह काम नहीं किया जा रहा है और वह लैंड अपने रिश्तेदारों में बांट देते हैं और जिनको कि वाकई मिलना चाहिए उनको लैंड नहीं मिल पाता । इन पंचायतों में काफी करप्शन चल रहा है और अफसर लोग रिश्वतें खा रहे हैं, गन्ना कोओपरेटिव सोसाइटियों का काम बड़ी गड़बड़ रीति से चल रहा है और वहां की गड़बड़ को ले कर सुप्रीम कोर्ट में तीन चार मामले भी चल रहे हैं और हमारे पास उनकी वर्किंग के बारे में काफी शिकायतें आ रही हैं । आजकल यू० पी० में शामली के पास चकबन्दी हो रही है । पर अफसर लोग रिश्वत लेकर अमीरों को अच्छे चकलात देने लगे हैं । और यह भी सुनने में आया है कि लोगों ने अपनी इच्छानुसार चक मंजूर कराने के वास्ते अफसरों के पास अपनी लड़कियां तक बुरा काम करने के लिए भेजी हैं । मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे इस ओर ध्यान दें और इन पंचायतों, सोसाइटियों और चकबन्दी में यह जो करप्शन चल रहा है इस को बन्द करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें क्योंकि अगर वे इस को दूर नहीं करते तो उन को अपने डेवलपमेंट के काम में कामयाबी मिलनी मुश्किल हो जायगी और उनका सारा काम खराब हो जायगा ।

श्री एन० राचय्या : मैं आप से अनुरोध करूंगा कि आप मुझे कुछ समय और दें क्योंकि इस महत्त्वपूर्ण विषय पर मैसूर का एक भी सदस्य नहीं बोला है । मैं भारत सरकार की आर्थिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करता हूं । मैंने उसके स्थान पर एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है जिस का आशय यह है कि सभा यह सिफारिश करती है कि जोतने वालों में तत्काल भूमि वितरण करने के निमित्त भूमि सुधार करने के लिए सरकार तत्काल कदम उठाये और भूमि की अधिकतम सीमा निश्चित करे, क्योंकि जोतने वालों में भूमि का वितरण ही समाज के समाजवादी ढंग की व्यवस्था का प्रारम्भिक आधार है ।

मैं समझता हूं कि भारत सरकार की आर्थिक नीति गांधीवादी अर्थ नीति पर आधारित है । खाद्य समस्या को इतने कम समय में हल करने के लिए तो मैं मंत्रालय को बधाई देता हूं परन्तु जोतने वालों को भूमि देने के सम्बन्ध में सरकार की नीति मेरी समझ में नहीं आती । यद्यपि योजना आयोग इस सम्बन्ध में सजग रहा है, फिर भी योजना आयोग तथा खाद्य और कृषि मंत्रालय इस महत्त्वपूर्ण समस्या को हल नहीं कर सके हैं ।

संविधान के अनुसार हम लोकतन्त्र और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए वचनबद्ध हैं । इधर संसद् और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दोनों ने समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना की प्रतिज्ञा की है परन्तु हमारे यहां मनुष्यों द्वारा निर्मित

[श्री एन० राचय्या]

कुछ ऐसी बाधायें हैं जिनके कारण हम कुछ विशेष सफलता नहीं प्राप्त कर पाते ।

जहां तक खेतिहर मजदूरों का सम्बन्ध है, हमारी कुल आबा दी का ७५ प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर है, परन्तु उसके पास अपनी भूमि नहीं । भूमि का वितरण हुआ ही नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में मंत्रालय को योजना आयोग और राज्य सरकारों से व्यवहार में सजग रहना होगा । मंत्रालय को यह कह कर ही निष्क्रिय नहीं बैठ जाना चाहिए कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार राज्य सरकारें कार्यवाई कर लेंगी । उनके अपने उत्तर-दायित्व और बाधायें भी हैं । इसलिये सरकार को स्वयं कार्य आरम्भ कर यह समस्या हल करनी चाहिए । अन्यथा हम समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना नहीं कर सकेंगे । हमने खाद्य समस्या तो हल करली है, परन्तु हम गरीबी और बेकारी की समस्या हल नहीं कर सके हैं ।

श्री बी० डी० शास्त्री (शाहडोलयश-सीधी) : सीलिंग के बारे में लोगों ने अपने अपने अलग अलग मत दिये हैं । मैं चाहता हूं कि उस में मैं भी अपना मत व्यक्त करूं ।

जमींदारी खत्म होने से ही हमारी समस्या हल नहीं हुई । जमींदारी खत्म करने के पहले हम सोचते थे कि इस में से काफी जमीन हम उन लोगों को दे देंगे जिनके पास जमीन नहीं है और यह समस्या किसी न किसी तरह से हम हल कर लेंगे । लेकिन आप को मालूम है कि जमींदारी एबोलीशन कानून जब आने वाला था उस के पहले ही जो लैंडलार्ड्स थे उन का यह प्लैन था कि अगर आज हम ५०० एकड़ पर काबिज हैं, १,००० एकड़ पर काबिज हैं तो कोशिश यह होनी चाहिये कि कानून पास होने से पहले २ या ३ हज़ार एकड़ पर कब्जा कर लें । और जब तक कानून बना तब तक उन्होंने अपनी काफी सीर बना ली । मैं आप को उदाहरण दूं कि आज एक एक जमींदार के पास, जिस के पास पहले ५०० और १,००० एकड़ जमीन थी, २,००० और ३,००० एकड़ जमीन है और वह उस पर पूर्ण रूप से काबिज है । हालांकि उस को खेती की बढ़ वृद्धि से कोई इन्टरेस्ट नहीं है, न वह चाहता है कि सारी जमीन पर कृषि कर ले, लेकिन वह चाहता है कि थोड़ी सी जमीन उस के पास से हट कर किसी गैर आदमी के पास न जाय कि वह उस से बिल्कुल छूट जाये, भले ही उस के पास बेकार पड़ी रहे ।

इस तरीके से जो जमींदारी एबोलीशन हुआ उस से कोई अच्छा परिणाम नहीं निकला और तब तक नहीं निकल सकता जब तक आप जमीन की सीलिंग न मुकर्रर करें । हालांकि राज्यों में इस बात पर विचार हो रहा है कि वह अपने यहां सीलिंग कर दें, लेकिन वस्तुतः जब तक हमारी केन्द्रीय सरकार इस पर जोर नहीं देगी और एक राष्ट्रीय योजना इस के लिये नहीं बनायेगी कि सारे देश में सीलिंग की कैसे व्यवस्था हो तब तक हमारा काम नहीं चल सकता । यह अलग बात है कि हम देखें कि यू० पी० के अन्दर जमीन की क्या हैसियत है या पंजाब में जमीन की क्या हैसियत है और दूसरे प्रान्तों में जमीन की क्या हैसियत है और हम कितनी जमीन दे कर कितने आदमियों को खुशहाल कर सकते हैं । इस की हम जांच कर सकते हैं, लेकिन हमारे

लिये यह अत्यावश्यक है कि हम जमीन की कोई न कोई सीमा कायम कर दें ताकि जो जो जमीन के ब्लेक मार्केटियर्स, अब भी अपने पास ज्यादा से ज्यादा जमीन रखना चाहते हैं और नाजायज तरीके से जमीन पर काबिज हैं, उनका कब्जा हट सके ।

आज की जन संख्या के बीच में कम से कम २५ फीसदी लोग ऐसे हैं जिन को कि हम कृषक मजदूर कहते हैं, उन कृषक मजदूरों में से आधे के पास जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में है, लेकिन आधे लोग ऐसे हैं जो बेचारे खुद जमीन नहीं रखते, जो आज भी स्वतन्त्र हिन्दुस्तान में गुलामों की तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं । उन की रोज की आमदनी देख कर आप ताज्जुब करेंगे । उन को डेढ़ सेर अन्न दिया जाता है, जिस के लिये वह चार बजे सुबह उठते हैं । पहले तो वह बैल चराने के लिये ले जाते हैं, सात बजे तक वह बैल चराते हैं, उस के बाद वह उन बैलों को हल में लगाते हैं और सारा दिन वह हल में काम करते हैं । उस के बाद वह फिर बैल चराते हैं । नौ, दस बजे तक बैल चराने के बाद कहीं वह घर आते हैं । यहां पर हम लोक सभा के सदस्य भिन्न प्रश्नों पर बोलते चले जा रहे हैं लेकिन इन गरीब लोगों की तरफ हम ध्यान नहीं देते कि ये कैसे लोग हैं जो डेढ़ सेर अन्न के लिये चार, छः या दस घंटे के अलावा सारा दिन गुलामों क तरह अपना जीवन बिताते हैं । अगर ऐसे निरीह लोगों की तरफ हम ने अपना ध्यान नहीं खींचा तो हम कभी भी अपने देश का कल्याण नहीं कर सकते ।

दूसरी योजना हमारी यह है कि हर राज्य सरकारों के पास कुछ न कुछ जमीनें ऐसी हैं जो बड़े बड़े बांध की शक्ल में हैं। जब कभी कोई अकाल पड़ा तब राज्य सरकारों ने अकाल पीड़ितों के लिये रिलीफ फण्ड खोल कर उन के द्वारा कहीं पर बांध बनवा दिया और कहीं पर तालाब बनवा दिया । अपने विंध्य प्रदेश का मुझे अनुभव है वहां हजारों की संख्या में बांध ऐसे होंगे जो १००, १००,५०, ५० एकड़ के हैं और सरकार के कब्जे में हैं । उस में भी लोगों को ठेका दे दिया जाता है । वह लोग क्या करते हैं कि दूसरे लोगों की साझेदारी से काम करते हैं और सारा फायदा खुद उठाते हैं । जो साझीदार हैं वह मजदूर होते हैं जिन को भर पेट खाना भी नहीं मिलता । अगर सरकार गम्भीरता से उन की दशा पर विचार करे तो बड़ा सुन्दर उपाय निकल सकता है । जो लैंडलेस लेबरर्स हैं उन की छोटी छोटी टुकड़ी की आर्मी बनाये और उन को उन सरकारी बांधों में कब्जा दिया जाय ताकि सरकारी बांधों का लाभ सीधा उन को मिल सके । इस तरह से एक बहुत बड़ी समस्या के हल से थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है । परती जमीन भी इन्हीं लोगों की हो जाये । इस तरह से लैंडलेस लेबरर्स की भी बेहतरी होगी, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा भूमि में खेती हो सकेगी और उपज में वृद्धि हो सकेगी । तो जिन जिन राज्यों के पास ऐसे बड़े बड़े सरकारी बांध हों और वे एक आदमी के कब्जे में हों तो उन से वह छीन लिये जायें और उन भूमि-हीन मजदूरों को दे दिये जायें ताकि वे अपनी मेहनत से उन में अधिक गल्ला पैदा कर सकें, अपना भी भला कर सकें और साथ ही अधिक उत्पादन से देश का भी कल्याण कर सकें ।

श्री जयपाल सिंह (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं इस विषय में केवल एक बात पर जोर देना चाहता हूं और वह यह है कि जब तक इस देश की वन सम्बन्धी नीति सही ढंग से संगठित नहीं की जाती तब तक देश की अर्थ व्यवस्था के समृद्धशाली और सफल होने की आशा नहीं ।

[श्री जयपाल सिंह]

हमारे यहां बाढ़ें आती रही हैं और उन्होंने इस वर्ष सब से भीषण रूप धारण कर लिया है; और वन-प्रदेश से आने के नाते मुझे सरकार से अनुरोध करना है कि इन वनों के सम्बन्ध में वह अपनी पूरी नीति में ही परिवर्तन कर दें। मेरा नम्र निवेदन है कि इस का केवल एक ही ढंग है, और वह यह कि वनों को मात्र केन्द्रीय विषय बना दिया जाय।

वनों के प्रति अपने व्यवहार में राज्य सरकारें अत्यधिक उच्छृंखल रही हैं। उन्हें केवल राजस्व की ही चिंता है और इस के लिये वे जंगलों को अंधाधुंध काटे जाने की अनुमति दे देती हैं, और इस का परिणाम यह होता है कि हमारे पास वे घने वन नहीं रहते जो ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी को रोक रख कर इन बाढ़ों को रोक लेते थे।

मैं यह समझता हूं कि राज्य सरकारें अयोग्य हैं और देश के प्रति अपने कर्त्तव्य के प्रति अनुत्तरदायी रही हैं और वनों का कार्य अब उन के हाथ में नहीं रहने दिया जाना चाहिये।

वनों को विकसित होने में बहुत समय लगता है। लोक साधारणतया यही समझते हैं कि बनवासी मूर्ख होते हैं। मैं आप को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं। वनों को रक्षित रखने के सम्बन्ध में वे अत्यधिक अनुदार हैं—क्योंकि वे जानते हैं कि उन का समस्त जीवन इन वनों के निरन्तर अस्तित्व और समृद्धि पर ही निर्भर है।

यह कह चुकने के बाद मैं उस ओर बैठे अपने माननीय मित्रों से यह पता लगाने का अनुरोध करूंगा कि वन-क्षेत्रों के निवासियों पर इन तथाकथित भूमि सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा है। वन संरक्षण के नाम पर वर्षों से वहां रहने वालों को उन की भूमियों से बेदखल किया जा रहा है। लेकिन सरकार को पूरे पालामाऊ क्षेत्र के वनों को काटने का अधिकार डालमिया ऐसे व्यक्तियों को देते लज्जा का अनुभव नहीं होता। कागज उद्योग या उसी प्रकार के अन्य कामों के नाम पर हम घने वन-प्रदेशों को मरुभूमि बनाने जा रहे हैं।

ये वन हमारे हजारों वर्षों की थाती हैं और यदि कुछ ही वर्षों में आप इन वनों का अन्त कर देंगे तो आप को केसी के बाढ़ के रूप में इस का मूल्य चुकाना पड़ेगा। बाढ़ें हिमालय के कारण आती हैं, परन्तु उन को रोकने के लिये हमारे पास वन नहीं। उड़ीसा, बिहार, आसाम, सभी जगह यही बात है।

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि मरुभूमियों को उचित प्रकार से काबू में लाया जाये तो वे भी समृद्धि के केन्द्र बन सकती हैं।

अनेक माननीय सदस्य खड़े हुए—

सभापति महोदय : माननीय मंत्री ने यह इच्छा प्रकट की है कि उत्तर देने में उन का पौन घंटे के स्थान पर पूरा एक घंटा लग जायेगा क्योंकि कई नये प्रश्न उठाये गये हैं। इस लिये अब मैं माननीय मंत्री को बुलाऊंगा। मुझे खेद है कि मैं अन्य माननीय सदस्यों को और समय नहीं दे सकता।

श्री ए० पी० जैन : इस से पहले कि मैं आज की बहस के सिलसिले में कुछ कहूं, मैं आनरेबल मेम्बर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बहस में बहुत दिलचस्पी दिखायी। बहुत से मेम्बरों ने इस में हिस्सा लिया और उन्होंने कुछ रचनात्मक सुझाव सामने रखे। केवल बहस के लिये ही बहस नहीं की गई। चुनांचे हम लोगों को भी इस से काफी लाभ होगा। मेरे वास्ते यह तो

सम्भव न होगा कि जितने भी प्रश्न उठाये गये हैं उन सब का तफसील के साथ मैं जवाब दूं लेकिन मैं सदस्यों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि छोटे या बड़े, जो भी प्रश्न उन्हों ने उठाये हैं, उन सब पर हम गम्भीरता के साथ विचार करेंगे और जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा उन से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे।

जहां तक खेती का सम्बन्ध है उस को एक सही और ठीक नजर के साथ देखना चाहिये। मैं ने कभी इस बात का दावा नहीं किया कि खेती को सुधारने में कुछ होना चाहिये था वह सब हो गया है और अब आगे कोई उन्नति की गुंजाइश नहीं है। हिन्दुस्तान में खेती एक बहुत पुराना पेशा है और यदि हम इतिहास पर निगाह डालें तो हम पायेंगे कि हमारे देश में खेती ही प्रधान रही है।

मेरा अपना अन्दाजा यह है कि जिस समय का इतिहास हमारे पास नहीं है उस वक्त भी खेती प्रधान थी। अंग्रेजों के जमाने में खेती के ऊपर बहुत कम ध्यान दिया गया जिस का नतीजा यह हुआ कि जब भारत को स्वतन्त्रता मिली तो हमें देहात के अन्दर बहुत पिछड़ी हुई और गरीबी की हालत मिली। एक वक्त डा० अम्बेडकर ने यह कहा था कि देहात गरीबी और अशिक्षा या जहालत का तालाब है। कुछ भाइयों ने इस का बुरा माना था। अगर निन्दा के तौर पर कही जाये तो यह बुरी बात है लेकिन देहात का वास्तविक रूप यही है कि गरीबी, पिछड़ापन और अशिक्षा सब के सब हमारे देहात के अन्दर मिलते हैं।

तो जो बातें मैं ने कहीं उन को इस तरह से देखना चाहिये कि पिछले चार पांच बरस में जब से कि हम नें खेती के सुधार के मसले को अपने हाथ में लिया है उस वक्त से हम सही रास्ते पर चले या नहीं, हम ने अपनी खेती में कुछ उन्नति की है या नहीं। यह आसान है कि एक कारखाने की जगह दो कारखाने लगा दिये जायें। हम ने अपनी दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर तीन लोहे के नये कारखाने बनाने का इरादा किया है। मगर हम तीन के बजाय ६ भी बना सकते हैं। बशर्ते कि हमारे पास रुपया हो। इसी तरह से जहां तक और भी कारखानों का या उद्योग धन्धों का मसला है उन को आसानी से स्थापित किया जा सकता है क्योंकि उन में बहुत कुछ बढ़ने की शक्ति है। लेकिन जहां तक भूमि का सम्बन्ध है उस का आकार तो ईश्वर ने निर्धारित किया हुआ है, उस को बदला नहीं जा सकता। कुछ ऐसी जमीनें हैं जिन को अभी तक खेती में नहीं लाया गया है और जो बंजर जमीनें हैं, उन को तोड़ा जा सकता है, मौजूदा जमीनों में कुछ उन्नति की जा सकती है, सिंचाई बढ़ा कर और खाद का इस्तेमाल कर के। लेकिन खेती की तरक्की और उन्नति की एक सीमा है और यह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। अगर कोई नया बीज पैदा किया जाय तो उस में कुछ वक्त लगता है और फिर जब उस का जब प्रयोग किया जाये तो उस से पहले उस की जांच पड़ताल करनी पड़ती है। मसलन कोयम्बटूर का जो हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने गन्ने की बहुत अच्छी अच्छी किस्में निकाली हैं। लेकिन गन्ने की नई किस्म पैदा करने के लिये कुछ वक्त की जरूरत होती है। खेती के अनुसन्धान में हमेशा समय लगता है और उस के बाद उस के प्रयोग की आवश्यकता होती है। कोयम्बटूर इंस्टीट्यूट से जिस वक्त गन्ने की नई नस्ल जारी की जाती है तो कई साल तक देश के भिन्न भिन्न भागों में उस का प्रयोग होता है पेश्तर इसके कि किसानों को इस बात की सिफारिश की जाये कि वे उस गन्ने को उगाने लगें। तो जहां कि कारखानेदारी में बढ़ने की गुंजाइश ज्यादा है वहां खेती की तरक्की में, उसकी बढ़ाती में, समय लगता है, और काफी दिक्कतें पैदा होती हैं।

[श्री ए० पी० जैन]

मैं ने यह कहा कि पिछले पांच साल में हमारी खेती की पैदावार १४ फी सदी बढ़ी है। कुछ सदस्यों ने इस पर ऐतराज किया। उन्हों ने कहा कि सरकारी आंकड़ों के ऊपर हमेशा भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्वर्गीय रफी अहमद साहब की भी याद दिलायी जिन्होंने यह कहा था कि सरकारी आंकड़े हमेशा सही नहीं होते। जहां तक कि सरकारी आंकड़ों के इकट्ठा करने का सम्बन्ध है उस में दुनिया में बड़ी उन्नति हुई है और खास तौर से हमारे देश में तो इस में काफी काम हुआ है। नैशनल सैम्पल सर्वे और आंकड़े इकट्ठा करने के लिये दूसरे विभाग इस प्रकार के कायम किये गये कि जिन से यह आशा की जा सकती है कि उन के आंकड़े ठीक होंगे। लेकिन फिर भी मैं इस बात को नहीं कहता कि जिन भाइयों को उन के बारे में शुबहा है वे उन को लाजिमी तौर से मान लें। लेकिन एक चीज हम को देश में दिखायी देती है। अब से तीन चार बरस पहले हम ४७ लाख टन गल्ला बाहर से मंगाते थे। इस साल हम ने कोई ८ लाख टन गल्ला बाहर से मंगाया और वह भी इस लिये नहीं कि उस को हम अपने रोजमर्रा के इस्तेमाल में लायें, बल्कि वह हम ने इसलिये मंगाया है कि हम एक खजाना गल्ले का बना लें कि जिस से कि किसी भाग में अगर कुछ कमी हो तो उस को हम पूरा कर सकें और वह गल्ला वहां इस्तेमाल किया जा सके। कुछ दुनिया के तजुर्बे ने बतलाया और कुछ हम ने उस को सोचा और हम ने यह फैसला किया है कि साढ़े सात लाख टन से ले कर दस लाख टन तो हमें गेहूं का खजाना रखना चाहिये और इतना ही खजाना चावल का रखना चाहिये। यह रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिये नहीं होगा बल्कि जब कोई खास आवश्यकता होगी तो उस को इस्तेमाल किया जायगा। सभापति जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि चाहे जितनी भी कोशिश की जाये, चाहे जितनी भी आबपाशी बढ़ जाये, लेकिन फिर भी खेती में कुछ न कुछ हमेशा खतरा रहता है। कभी सूखा पड़ता है, कभी बहिया आती है। यों तो हमारी सिंचाई की जमीन काफी बढ़ी है और दूसरी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक हमारी सिंचाई की जमीन ९ लाख एकड़ हो जायेगी। मैं आप की तवज्जह दिलाना चाहता हूं एक मामले की तरफ जो कि अमरीका में हुआ है। अमरीका की खेती तो बहुत उन्नतिशील है। वह देश विज्ञान में भी बहुत बढ़ा हुआ है और पैसा भी उन के पास बहुत है। लेकिन फिर भी उन के यहां बहिया आयी जिस में कि कुछ सौ आदमी बह गये और खेती को भी नुकसान हुआ। उन के यहां एक डस्ट बाउल है जिसमें कभी कभी बारिश नहीं होती और खेती को नुकसान होता है। तो खेती की पैदावार को हमेशा ही कुछ न कुछ खतरा रहता है। इस खतरे का मुकाबला करने के लिये हम ने यह निश्चय किया कि अपने देश में अन्न का एक खजाना रखा जाये।

मैं उन भाइयों से यह पूछना चाहता हूं कि जिन्हों ने आंकड़ों के ऊपर शुबहा किया है कि क्या जो आज कल देश के अन्दर गल्ले की हालत है उस को देखते हुए उनकी तबीअत के अन्दर शुबहा रहता है कि गल्ले की पैदावार नहीं बढ़ी है? और वह आखिर १४ परसेंट ही तो बढ़ी है। अगर कोई सोचे कि इस १४ फी सदी के बढ़ने से देहात में खुशहाली हो जायगी और वहां पर कोई गरीब नहीं रहेगा तो ऐसी बात तो नहीं है जब हमारी दूसरी पंच वर्षीय योजना पूरी हो जायेगी तो हमारी पैदावार ३० या ३५ फीसदी बढ़ेगी।

यह भी आप को पता है कि अब से पहले कंट्रोल्स थे । हर एक चीज के ऊपर कंट्रोल्स थे । वह कंट्रोल्स हटे । गेहू आज लोग आसानी से खरीद सकते हैं, कोई कावट नहीं है। चावल आज आसानी से लोग खरीद सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है । इसी तरह से और भी पैदावार है वह भी आासानी से खरीदी जा सकंती हैं, किसी के ऊपर कोई रुकावट नहीं हैं । अगर पैदावार नहीं बढ़ी है तो ये कंट्रोल्स कैसे हट सकते थे । अगर दावार ही नहीं बढ़ी है तो लोगों को चाहे कितना गल्ला किस तरह मिल सकता था । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आंकड़ों पर चाहे जितना शुबहा किया जाये, लेकिन जो चीज कि सूरज की तरह रोशन है, सब लोगों के सामने, उस चीज से तो इन्कार नहीं किया जा सकता । एक और मसले की तरफ मैं सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं । कुछ सदस्यों ने एक सवाल को उठाया कि दिन प्रति दिन हमारी आबादी बढ़ती चली जा रही है और यह भी कहा कि आज हम एकानोमिक होल्डिग कायम करते हैं, कल अगर एक आदमी के दो बच्चे हो जायेंगे तो वह एकानोमिक होल्डिग कहां रहेगी ? यह प्रश्न हमारे देश के वास्ते एक बहुत गम्भीर प्रश्न है क्योंकि सब से बड़ा हमारे देश में जो उद्योग है वह खेती है और आबादी भी तेजी के साथ बढ़ रही है । हमारी आबादी में हर साल ४५ लाख की वृद्धि होती है और उस में १८ लाख ऐसे नये आदमी होते हैं जिन्हें रोजगार की जरूरत होती है । अब क्या इन सब का बोझा बराबर जमीन के ऊपर पड़ता रहे, मैं समझता हूं कि इस वक्त भी जमीन त्राहि त्राहि बोल गई है, जमीन पर बहुत बोझा है और अब एक ऐसा समय आ गया है जब हमें अपने देश की सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था के ऊपर ध्यान देना चाहिये ।

एक माननीय सदस्य ने इस बात की शिकायत की कि पहली पंच वर्षीय योजना में विशेष ध्यान खेती की तरफ दिया गया था, लेकिन दूसरी योजना में वह ऊंचा स्थान उस को नहीं दिया गया । सुनने में बात कुछ ठीक सी मालूम होती है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी गहराई में जायें तो आप समझेंगे कि ऐसा करना उचित था, क्योंकि हमारे देश के अन्दर इस बात की जरूरत है कि जमीन का बोझा कम हो और उद्योग धंधों में और दूसरे ऐसे कारोबार हैं जो कि शहर में चलते हैं, उन में लोगों को लगाने का ज्यादा मौका मिले । यह भी सदस्यों को मालूम होगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस बात का लिहाज रखा गया है कि वह स्कीमें लाई जायें जिन से कि रोजगार लोगों को ज्यादा मिल सकें और मुल्क की बेकारी दूर हो सके । हर स्कीम जो दूसरी पंच वर्षीय योजना में रक्खी गई हैं, जब उस में इस बात का हिसाब लगाया गया कि कितने विशेषज्ञ, कितने पढ़े लिखे आदमी कितने मैकेनिक्स और कितने मजदूर लग सकेंगे तो ज्ञात होगा कि १ करोड़ और १ करोड़ २० लाख के बीच नये रोज़गार निकलेंगे जिन में से ९० लाख तो नये आदमी भर देंगे । हमारी आबादी बढ़ रही है और एक बहुत थोड़ी सी संख्या ऐसी रह जाती है कि जिस को हम रोजगार दे सकेंगे। आबादी हमारी बढ़ती जा रही है यह मैं देख रहा हूं मगर कम से कम ए क चीज का उस से अन्दाजा होगा कि अगली जो हमारी पंच साला योजना है, इस में जमीन के ऊपर बोझा नहीं बढेगा बल्कि जितना बोझा इस वक्त का है उतना ही कायम रहेगा । यह एक नया रास्ता है कि जो हम ने अख्तियार किया है और मैं समझता हूं कि एक सही रास्ता है क्योंकि हमारे देश की जो इस वक्त स्थिति है देहात और शहर की, उस का वजन उस का तनासुब गलत है । हमारे यहां इस बात की जरूरत है कि देहात से लोग शहर की तरफ आयें और उन को उद्योग धंधा मिले । दूसरी

[श्री ए० पी० जैन]

बात जो कि ंच वर्षीय योजना में रक्खी गई है वह यह है कि छोटे छोटे रोजगार और घरेलू धंधों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाये और इस के वास्ते दो सौ करोड़ पये रखने की तजवीज है जिस से कि देहात में लोग केवल खेती पर ही निर्भर नहीं करेंगे बल्कि उद्योग धंधों से भी वे अपनी रोजी कमा सकेंगे। मैं समझता ंकि जो एक पूरी तस्वीर हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना की है उस में जो हमारी जमीन है उस में कुछ सुविधा मिलेगी और जमीन का बोझा अगर कम नहीं होगा तो कम से कम बढ़ेगा नहीं ।

अब मैं कुछ उन प्रश्नों के उत्तर देना चाहता हूं जो यहां पर उठाये गये । मेरे सहकारी डा० पी० एस० देशमुख ने बहुत सारे उन प्रश्नों का जो भिन्न भिन्न सदस्यों ने यहां पर उठाये थे, उन का कुछ उत्तर दिया लेकिन उन्हों ने जहां तक कि यह भमि सुधार का प्रश्न है, उस को आम तौर से छोड़ दिया। भूमि सुधार के बारे में सदस्यों ने बहुत कुछ कहा और मुनासिब कहा । विरोधी दल के नेता श्री ए० के० गोपालन ने अपनी स्पीच का ज्यादातर हिस्सा उसी के ऊपर खर्च किया । पहली बात जो उन्हों ने कही वह यह थी कि इंटरमिडियरीज यानी बिचोलियों को मिटाने का हम ने दावा किया है लेकिन उस का जो मुख्य लक्ष्य है कि भूमि का बंटवारा हो, वह नहीं हुआ । इसी के साथ उन्हों ने यह भी कहा कि केवल ७ प्रतिशत भूमि ऐसी है जिस को कि काश्तकार खरीद पाया । इसी के साथ में उन्हों ने यह भी कहा कि काश्तकारो को यह जो मालिकाना हकूक मिले, उन के लिये उन को एक बड़ी कीमत देनी पड़ी । मैं समझता हूं कि गोपालन साहब ने कभी एक सही तरीके से इस समस्या के ऊपर गौर नहीं किया । मैं चाहता ंकि सदस्य इसे अच्छी तरह से समझें कि बिचौलियों को मिटाने का मकसद क्या है ? हमारे देश में जमीन की दो प्रथायें हैं, एक जमींदारी और दूस ी रयैतवाड़ी । जमींदारी के अन्दर अक्सर ऐसे ऐसे जमींदार मिलते हैं जो कि अपना निर्वाह लगान वसूल कर के करते हैं, उन की जमीन के ऊपर ज्यादातर किसान बैठे हुए हैं और कुछ थोड़ी सी ऐसी भी जमीन है कि जिस में उन में से कुछ लोग जुताई करते हैं तो जिस वक्त कि हम ने इन विचोलियों को मिटाया तो जमीन के बंटवारे का नक्शा ज्यों का त्यों रहा, जिस के कब्जे में जो जमीन थी वह उस के कब्जे में रही । बिचौलियों के मिटाने की जो हमारी स्कीम थी वह लाजिमी तौर से जमीन से बंटवारे में जहां तक कि कब्जे का सम्बन्ध है, उस में कोई परिवर्तन उस से पैदा होना नहीं था , वह आगे की स्कीम है जिस को कि हम करना चाहते हैं सीलिंग या काश्तकारों को सिक्युरिटी आफ टेन्योर देना, अगर इस माने में और जो इस का सहीं मतलब है उस को समझा जाये तो इस से बड़ा लाभ हुआ क्यों कि सरकार और काश्तकारों के बीच में कुछ बिचौलिये थे और काश्ताका ों और सरकार का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं था । हम वह सीधा सम्बन्ध कायम करना चाहते थे महज इस वजह से नहीं कि बिचौलिये कुछ उन से लगान वसूल करते थे या उन पर ज्यादती करते थे, वह चीजें तो थीं, लेकिन उस से बड़ी वजह यह थी कि अगर खेती में उन्नति करनी थी, या जितने भी हमारे डेवलेपमेंट प्राजैक्ट्स हैं और जो आबपाशी को हम बढ़ाना चाहते हैं और जो हम देश के अन्दर एक नया वातावरण बनाना चाहते हैं और किसानों की रीढ़ की हड्डी को जो हम मजबत करना चाहते हैं तो उस के लिये जरूरी है कि किसान और सरकार के बीच सीधा सम्बन्ध स्थापित हो । इसी से वह कायम है । उस का वही खास मकसद था ।

अब उन्हों ने दूसरी शिकायत यह की कि हैदराबाद और मद्रास के अन्दर बड़ी संख्या में लोगों को निकाला जा रहा है । हैदराबाद की जो उन्हों ने बात कही, इस वक्त तक जो रिपोर्ट हम को मिली हैं, उन से वह सही मालूम होती है । मुझे इस का अफसोस है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उस को एक सही दृष्टिकोण से देखा जाये । हैदराबाद एक ऐसी जगह है जहां पर कि एक देशी राजा राज्य करता था । वहां पर कुछ छोटे मोटे रेकार्ड थे, लेकिन वहां पर मुनासिब तौर पर कोई रेवेन्यु रेकार्ड नहीं थे । वहां पर जो सिस्टम था वह बिल्कुल एक फ्यूडल सिस्टम था । तो जिस वक्त बड़े बड़े जमींदारों और जागीरदारों के मिटाने का सवाल पैदा हुआ, उस वक्त एक खींचातानी हुई । मजबूत आदमियों ने कोशिश की कि कमजोर आदमियों को जमीन पर कब्जा कर लें । चुनांचे जो एक एक्सट्रैक्ट , एक मजमून गोपालन साहब ने पढ़ कर सुनाया उस में दिया हुआ था कि वहां पर ८० फीसदी लोग जमीन से वंचित किये गये । सरेन्डर्स के जरिये से इतने लोगों से दस्तावेजें लिखा ली गई कि वह जमीन पर नहीं रहना चाहते । अब जो सवाल पड़ता है वह यह है कि कानून हम बना सकते हैं, अदालत में एक चीज रख सकते हैं, लेकिन यह बड़ा सवाल समाज के अन्दर, कमजोरों के अन्दर एक ताकत पैदा करने का है, और जिस वक्त तक वह ताकत नहीं पैदा होती, उस वक्त तक यह हालत रहेगी । मुझ को बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस को रोकना मुश्किल है । जितनी चीजें हम कर रहे हैं, हम ने जो सीधा सम्बन्ध सरकार का किसानों से पैदा किया उस का भी मकसद यही है कि उसे मजबूत किया जाये । देहात के अन्दर हम जो कोआप-रेटिव मूवमेंट, सहकारी मूवमेंट को चलाना चाहते हैं उस का भी मकसद यही है कि उन के अन्दर ताकत आये और एक आर्थिक संगठन पैदा हो । उन के दिल में इस बात की भावना पैदा हो कि किस तरह से मिल जुल कर काम किया जा सकता है । अपने निजी फायदे को सामने रख कर नहीं बल्कि समाज के फायदे को सामने रख कर, किस तरह से अपनी चीजों का प्रबन्ध किया जा सकता है । यह तो हमारी भी शिकायत है कि किसान इस वक्त तक मजबूत नहीं रहा है, पिछड़ा रहा है, उस को हम मजबूत करना चाहते हैं । इसी के लिये हम ने यह योजनायें बनाई हैं ।

उन्हों ने कुछ मद्रास के बारे में भी कहा । मद्रास में अभी हाल में एक कानून बना दिया गया है जिस से किसानों को जिन को अब तक सिक्योरिटी नहीं दी गई थी, बेदखल नहीं किया जा सकता । खाली यही नहीं, बल्कि जिन को बेदखल किया गया है खास अर्से के अन्दर उन को दुबारा जमीन देने का प्रबन्ध किया जाये । लेकिन फिर मैं कहता हूं कि यह जो अदालत से बाहर की बेदखली का मामला है, उस के अन्दर ज्यादती होती है, उस के अन्दर दबाव डाल कर दस्तावेजें लिख ली जाती हैं । यह कानून से बन्द होने वाली नहीं है । यह इसी तरह बन्द हो सकती हैं कि किसानों के अन्दर एक ताकत पैदा हो, और हमारा दिली मकसद यही है । जो कुछ हम कर रहे हैं उस सब का ध्येय यही है कि किसान को मजबूत बनाया जाये ।

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल) : सरकार क्या सहायता दे रही है ?

श्री ए० पी० जैन : एडमिनिस्ट्रेशन ने इस के बारे में कानून बनाया । हम बराबर कह रहे हैं कि जहां इस किस्म के मामले हों कि किसी पर ज्यादती हो उन की वहां सहायता की जाये ।

एक प्रश्न उन्हों ने यह उठाया कि जो सरकारी जमीनें हैं उन में से भी कुछ किसानों

[श्री ए० पी० जैन]

को हटाया जा रहा है । उन्हों ने कुछ मिसालें यहां पर पेश कीं । उन के बारे में चूंकि वह खास खास मिसालें हैं इसलिये मुझे पूरी जानकारी नहीं है । लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि कम्यूनिस्ट पार्टी के एक मेम्बर प्रसाद राव हमारे यहां पैनल आफ लैंड रिफार्म के मेम्बर हैं । उन्हों ने इस प्रकार के कुछ प्रश्न उठाये थे । हम ने उन के बारे में जानकारी की । जो कुछ जानकारी हमारे पास आई है उस से पता लगा कि उन की इत्तला ठीक नहीं है । अभी हमारे पास कुछ जानकारी आनी बाकी है । मैं इस बात को पूरी तौर से मानता हूं कि सरकार को एक आदर्श पेश करना चाहिये दूसरों के सामने । अगर सरकार ही उन किसानों को जो जमीनों को जोत रहे हैं बदखल करती है तो वह किस तरह से किसी जमींदार को या किसी दूसरे को रोक सकती है कि वह किसानों को बेदखल न करें । तो अगर कहीं एसा हो रहा है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस को रोका जाये और मेरी राय में उसे रोकना चाहिये । यह बिल्कुल गलत और नामुनासिब चीज होगी कि सरकार बसे हुए किसानों को बेदखल करे । लेकिन जहां तक मेरी इत्तला है, ऐसी कोई चीज हमारे इल्म में नहीं आई ।

अब एक प्रश्न उन्हों ने उठाया और कहा कि यह जो बेजमीन वाले मजदूर हैं उन के बारे में सरकार ने कुछ नहीं किया । इस सवाल का उत्तर तो मेरे सहकारी डा० पंजाब राव देशमुख ने दे दिया था । जहां तक उन की मिनिमम वेजिज़ मुकर्रर करने का सवाल है वह राज्य सरकारों के सामने है । मगर एक दूसरी बात भी है कि उन को जमीन देने के लिये हम ने क्या किया ? इसी के लिये तो हम सीलिंग रखना चाहते हैं । जिन लोगों के पास मिकदार से कुछ ज्यादा जमीन है उस को लिया जाये और उस जमीन को उन लोगों में बांटा जाये जिन के पास कि एकानामिक होल्डिंग से कुछ कम है या बिल्कुल नहीं है, और जो नई जमीनें तोड़ी जा रही हैं उन में भी हम उन लोगों को तर्जीह देते हैं बसान में । मेरा अपना खयाल यह है कि अब आगे जितनी नई जमीनें टूटेंगी उन में इन लोगों में से कुछ को सुविधा मिलेगी । और जो कुछ ऐसी बंजर जमीनें पड़ी हुई हैं जिन को ट्रैक्टर से तोड़न की जरूरत नहीं है, उन में भी हम उन को जमीनें देंग और अब भी दे रहे हैं ।

यहां पर खास तौर से हरिजन भाइयों और ट्राइबल पीपुल के वास्ते कहा गया और मैं समझता हूं कि मुनासिब बात है, उन को तर्जीह देनी चाहिये, वह सब से ज्यादा पिछड़े हुए आदमी हैं और हम उन को तर्जीह देंगे ।

श्री गोपालन ने एक और प्रश्न उठाया और वह सीलिंग के बारे में था । सीलिंग के बारे में जो रायें जाहिर की गई उन में से ज्यादातर रायें यह थीं कि एक सीलिंग मुकर्रर की जाये, लेकिन कुछ सदस्यों ने यह राय भी दी अगर हमें देश में उन्नतिशील तथा वैज्ञानिक खेती करनी है जोकि दूसरों के वास्ते आदर्श हो, तो हम को सीलिंग नहीं लगानी चाहिये ।

एक माननीय सदस्य : यह राय उन लोगों ने दी है, जिन के पास जमीनें हैं ।

श्री ए० पी० जैन : अब जहां तक गवर्नमेन्ट का सम्बन्ध है हमारा यह निश्चय है कि हम सीलिंग रक्खेंगे । क्योंकि हमारे सामने सवाल यह है कि आया हमारी जमीन के बटवारे का नक्शा यह हो कि थोड़े आदमियों के पास बहुत ज्यादा जमीन हो और कुछ के पास औसत दर्जे की जमीन हो और ज्यादा आदमियों के पास बहुत थोड़ी जमीन हो या बिल्कुल न हो, या यह कि जहां तक भी मुमकिन हो सके हम जमीनों के बटवारे में

एक बराबरी कायम कर सकें। अब यह तो मैं नहीं कहता कि सब के पास बिल्कुल बराबर जमीन हो सकती है, लेकिन हमारी बराबर यह कोशिश होगी कि किसी के पास एक हद्द से ज्यादा जमीन न हो। वह हद्द क्या हो, इस के लिये एक कमेटी मुकर्रर की गई है जिस में कि हमारी सभी पार्टियों के सदस्य शामिल हैं। जिस समय प्लैनिंग कमिशन के सामने यह सवाल आया था तो उन्हों ने इस उसूल को तो माना कि सीलिंग मुकर्रर होनी चाहिये, लेकिन साथ ही उन्हों ने यह भी सिफ़ारिश की कि एक सेन्सेस होना चाहिये लैंड होल्डिंग्स का जिस से यह मालूम किया जाये कि मालिकों के पास और किसानों के पास कितनी कितनी जमीनों की होल्डिंग्स हैं और कितनी हद्द मुकर्रर करने से कितनी जमीन मिलेगी और उस से कितने आदमियों को लाभ पहुंचेगा। यह आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं और हम उन के मुताबिक फैसला करेंगे और बहुत जल्दी हम इस का फैसला करना चाहते हैं।

श्री एन० बी० चौधरी : तो योजना आयोग की सिफारिश के बावजूद आठ साल तक यह काम क्यों नहीं किया गया ?

श्री ए० पी० जैन : मैं इस का भी जवाब देना चाहता हूं। मेरे मित्र कम्यूनिस्ट पार्टी के मेम्बर हैं और मैं उन की तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि रूस में किस तरह से लैंड रिफार्म हुआ। वहां अक्तूबर १९१७ में रिवोल्यूशन हुआ। एक दम वहां किसानों की कमेटियां बैठ गईं और जो बड़े बड़े जमींदारों की जमानें थीं उन के ऊपर उन्हों ने कब्जा कर लिया। उस के बाद जो यह औसत दर्ज के किसान थे और जिन्हों ने नये कब्जे पाये थे उन के दिलों में कुछ शुबहात पैदा हुए। उन्हों ने शहरों के वास्ते अनाज देना बन्द कर दिया और जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी उस के खिलाफ बगावत कर दी वहां पर अकाल भी पड़ा जिस में अगर मुझे सही याद है और जिस के बारे में बीट-रीस एंड सिडनी वेब ने लिखा है कि तीन में से एक आदमी पीड़ित हुआ। लाखों की तादाद में आदमी मर गये। उस के बाद लेनिन की पालिसी चली। एक कदम पीछे हटाया गया और दो कदम आगे बढ़ाये गये। उस के बाद स्टेट फार्मिंग आया और फिर क्लेक्टिव फार्मिंग आया और आगे जो बात सुनी गई वह यह थी कि मालेनकोफ को लिक्वीडेट किया गया क्योंकि उस की लैंड पालिसी कामयाब नहीं थी। तो यह सवाल ऐसा नहीं है जोकि एक दम से हल हो जाये। यहां पर लिक्विडेशन की पालिसी नहीं है। हमें सोच समझ कर काम करना है। सीलिंग के बारे में कुछ हुआ भी है। कई रियासतों के अन्दर एक सीलिंग मुकर्रर हुई है। अभी ईश्वर रेड्डी साहब ने एक पैम्फलेट पढ़ कर सुनाया। मुझे मालूम नहीं कि वह कौन सा पैम्फलेट है और कहां से वह लाये हैं। उन्हों ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार चाहती थी कि वह हिमाचल में सीलिंग मुकर्रर करे लेकिन हम ने उन को सीलिंग मुकर्रर नहीं करने दी। यह गलत चीज़ है हिमाचल के अन्दर एक सीलिंग मुकर्रर हो गई है, मौजूदा होल्डिंग्ज़ के ऊपर और आइंदा होने वाले होल्डिंग्ज़ के ऊपर। कुछ ऐसे राज्य हैं कि जिन्हों ने होने वाले होल्डिंग्स के ऊपर एक सीलिंग मुकर्रर की है और कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्हों ने बिचोलिये को मिटाया और उस के बाद में सीलिंग मुकर्रर किया। यह बात नहीं है कि सीलिंग के ऊपर काम ही नहीं हो रहा है। बल्कि यह है कि हम एक ऐसी मंज़िल पर पहुंच गये हैं कि जहां पर पहुंच कर हमें सोच समझ कर और पूरे प्रबन्ध के साथ आगे कदम उठाना है। इसी के साथ ही मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हुआ कि गोपालन साहब

[श्री ए० पी० जैन]

ने भी सीलिंग का विरोध किया । मैं ने सोचा कि वह कैसे हमारे सरदार लाल सिंह साहब का साथ दे सकते हैं । सरदार लाल सिंह तो कहते हैं कि वैज्ञानिक खेती की वजह से सीलिंग मुकर्रर नहीं होनी चाहिये और यह बात कुछ हद तक समझ में आ भी सकती है । मैं यह मानता हूं कि दूसरी एक वजह यह हो सकती है कि काश्तकार बेदखल होते हैं । लेकिन मैं यह बात बिल्कुल नहीं समझ सका कि उन्हों ने सीलिंग का विरोध क्यों किया । सीलिंग के क्या माने हैं । इस के माने हैं कि इतनी ज़मीन से ज्यादा किसी के पास नहीं होगी । सीलिंग के एक दूसरे माने यह भी हो सकते हैं कि जिस के पास इतनी ज़मीन से ज्यादा ज़मीन हो उस को कुछ हद तक ज़मीन को रखने की इजाज़त हो जहां तक कि सीलिंग की हद हो और उस के बाद जितनी भी जमीन उसके पास हो वह ले ली जाये । तो अब एक रिज़म्पशन का मामला आता है । जहां तक रिज़म्पशन का मामला है उस के बारे में मैं ने अपने शुरू के भाषण में कुछ कहा था । इस के बारे में हम ने कुछ फैसला इस किस्म का किया है कि एक हद तक हम जमींदार के पास ज़मीन को रहने देंगे लेकिन उस हद को कुछ शर्तों के साथ पूरा होने देंगे । एक शर्त तो यह है कि जो टेनेंट्स हैं या सबटेनेंट्स हैं उन के पास हम बेसिक होल्डिंग छोड़ने की कोशिश करेंगे । अगर मजबूरी की हालत में जब कि हो सकता है कि उस के पास बेसिक होल्डिंग न हो तो हम एक और तरीका अख्तियार करेंगे । जितने भी कानून इस वक्त बनाये गये हैं उन में एक हद मुकर्रर की गई है कि इतनी ज़मीन वापस दी जा सकती है । पंजाब के अन्दर ३० एकड़ स्टैंडर्ड एकड़ ज़मीन मुकर्रर की गई है और इस के साथ में यह शर्त है कि अगर कोई काश्तकार वहां पर बैठा हुआ है तो उस हद तक और उस हालत में ज़मीन वापस नहीं ली जा सकेगी जब तक उस के पास कम से कम पांच एकड़, जो बेसिक होल्डिंग है, बाकी न बचे या दूसरी जगह पांच एकड़ जमीन उसे न दी जाये । तो किसानों के हक को वहां पर महफ़ूज़ किया गया है । इसी तरह से राजस्थान में है कि उसी हालत में जमीन के मालिक को ज़मीन को वापस लेने का हक होगा कि जब १२०० रुपये मुनाफे की ज़मीन काश्तकार के पास छोड़ दे । इसी किस्म की शर्त हैदराबाद में भी लगाई गई है । मैं मान सकता हूं कि कहीं पर दिक्कतें पैदा हो रही हों इन उसूलों को अमल में लाने में । हमारी कोशिश हमेशा यह होगी कि इन उसूलों के ऊपर हम सख्ती से अमल करें । लेकिन जहां तक उसूल का ताल्लुक है यह एक मुनासिब उसूल है । हम जो समाज बनाना चाहते हैं और जो ढांचा खड़ा करना चाहते हैं उस के हिसाब से यह एक मुनासिब चीज़ है ।

एक सवाल उठाया अशोक मेहता साहब ने और वह सवाल यह है कि ज़मीन की पैदावार जो बाज़ार के अन्दर आती है इस को कम न होने दिया जाये उन्हों ने मिसाल ी रूस की और कहा कि कैंची के जो दो फल्के होते हैं उन के बीच मे जो फर्क होता है अगर वह ज्यादा बढ़ जाता है तो उस से दिक्कत पैदा होती है और वह काटती नहीं है । रूस के अन्दर एक वाक्या है कि एक ज़माना ऐसा आया जिस की तरफ मैं ने अभी इशारा किया कि किसानों ने इस बात से इन्कार कर दिया कि वह बाजार में अपना माल भेजें, अपने खेतों को उन्हों ने बर्बाद कर दिया, एक रात में कितने ही मवेशियों को मार डाला । गल्ले को ज़मीन के अन्दर दबा दिया, उस को तबाह कर दिया,

बर्बाद कर दिया । यही हालत चीन के अन्दर भी पैदा हुई । रूस में कुलेक्स ने यह किया । किसान की यह ख्वाहिश होती है कि वह नकद पैसा पा सकें और जो शहरी आदमी होता है वह यह चाहता है कि उस को ठीक भाव पर चीज़ मिल सके । जो शुबहात उन की तबीयत में चीन और रूस में पैदा हुए, वैसे शुभहात यहां पैदा होने के कोई कारण नहीं हैं । मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि हमारे हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं । पहली बात तो यह है कि हमारी जितनी भी योजनायें हैं उन के अन्दर हम एक बात का खयाल रखते हैं कि जो आम इस्तेमाल की चीजें हैं, जो कंज्यूमर गुड्ज़ हैं वह भी एक मुनासिब कीमत पर मिल सकें । साथ ही साथ जो चीजें किसान पैदा करते हैं हम यह भी चाहते हैं कि उन को भी मुनासिब कीमत उन चीजों की मिले । चुनाचे उसी सिलसिले में हम ने प्राइस स्पोर्ट दी ।

दूसरी बात यह है कि हमारा बर्ताव जो किसानों से है वह एक दोस्ती का और मदद का है । रूस के अन्दर जो किसान थे, जो कुलेक्स थे उन के दिलों के अन्दर जो खतरात और शुबहात पैदा हुए उन शुबहात के यहां पैदा होने की उम्मीद नहीं है । हम यहां पर हर मुम्किन तरीके से किसानों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं । हमारी आज किसानों के साथ कोई लड़ाई नहीं है । हमारा और उन का ध्येय एक है । और वह यह कि देहातों की हालत अच्छी हो, किसान सम्पन्न हों और कोई ऐसी चीज़ गालिबन नहीं है कि जिस से रिज़िस्टेंस का हम को खतरा हो ।

तीसरी जो बात है वह यह है कि जितनी हम इस वक्त सहयोगी समितियां बना रहे हैं, जितनी कोआप्रेटिव सोसाइटीज़ बना रहे हैं, मार्केटिंग कोआपरेटिव इत्यादि के लिये जो आर्गेनाइज़ेशन बना रहे हैं उस का सिर्फ एक ही ध्येय है कि किसान को सुविधा मिल सके कि वह बाज़ार के अन्दर अपने माल को मुनासिब कीमत पर बेच सके । तो मैं समझता हूं कि इस बात का कोई कारण नहीं है कि हमारे और किसानों के अन्दर कोई झगड़ा पैदा हो ....

श्री एस० एस० सक्सेना : जो बात आप ने चीन के बारे में कही है, उस की खबर आप को कहां से मिली है ? यह बिल्कुल गलत खबर है ।

श्री ए० पी० जैन : वहां भी यह हुआ ।

अशोक मेहता साहब ने एक और सवाल उठाया । उन्हों ने कहा है कि हमारे देश के अन्दर, हमारी तमाम रियासतों के अन्दर एक किस्म के लैंड टेन्योर के सिस्टम नहीं हैं, एक से कानून नहीं बने हैं । यही सवाल हमारे विद्यालंकार साहब ने भी उठाया । इस प्रश्न का उत्तर मैं ने शुरू में दे दिया था कि हमारा देश एक बहुत विशाल देश है । इस में बहुत सारे राज्य हैं । उन की हालत अलग अलग है । आज भी यहां पर जो इस मसले पर बहस हुई तो, सभापति जी, आप ने सुना होगा कि जो पंजाब के प्रतिनिधि बोले उन्हों ने आम तौर से सीलिंग की मुखालिफत की है, और मैं जानता हूं कि पंजाब राज्य में इस की कुछ मुखालिफत है । जहां तक भूमि सुधार का सम्बन्ध है, यह काम राज्य सरकारों का है, और उन के यहां अपने लेजिस्लेचर्स भी हैं । उन को भी अपने साथ ले कर राज्य सरकार को चलना पड़ता है । तो मैं समझता हू कि यह गैर मुनासिब चीज़ होगी कि किसी राज्य सरकार को किसी चीज़ के लिये मजबूर किया जाये । राज्य सरकारें इस बात के लिये बराबर कोशिश कर रही हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि एक ठीक वातावरण पैदा हो । इस के होते हुए भी काफी एकता तमाम

[श्री ए० पी० जैन]

हिन्दुस्तान में पैदा हुई है और इस वक्त जो हमारी खुदकाश्त की व्याख्या है वह आम तौर से वही है जोकि बम्बई के कानून में दी हुई है । बम्बई के कानून में खुदकाश्त की यह व्याख्या दी हुई है :

"कि स्वयं खेती करना या अपने परिवार के लोगों द्वारा या नौकरों द्वारा, जिन्हें वेतन मिलता हो, खेती कराना ।"

यह व्याख्या जोकि पहले बम्बई के कानून के अन्दर आई, उस को मध्य प्रदेश ने, बरार ने माना, हैदराबाद ने माना मध्यभारत ने माना, मैसूर ने माना, राजस्थान ने माना, सौराष्ट्र ने माना, अजमेर ने इस को माना, विन्ध्य प्रदेश ने इस को माना । उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अन्दर स की जरूरत नहीं थी । दो रियासतों ने इस को नहीं माना । वे हैं पंजाब और पेप्सू । मुझे उम्मीद है कि ये रियासतें भी जल्दी ही इसी नतीजे पर पहुंचेंगी । मेरा अपना ख्याल यह है कि निजी जोत या खुदकाश्त के साथ यह एक लाजिमी चीज़ होनी चाहिये कि खेती करने वाला खुद उस की देखभाल करे और उस के साथ में जितना हो सके अपना शारीरिक श्रम भी लगाये । मैं उस को निजी जोत नहीं मानता कि मालिक के जिम्मे सिर्फ नफा और नुकसान हो । उस के साथ काम करने में उस के परिवार के लोग भी शामिल हो सकते हैं । जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है हम ने इस मसले पर बातचीत करने के लिये वहां के मिनिस्टर साहब को बुलाया और उन से बातचीत की और जो डेफीनीशन उन की पहले आई थी उस में काफी परिवर्तन हुआ । मगर मैं मानता हूं कि चूंकि कुछ राज्यों के अन्दर खास हालात हैं जिन की वजह से हम पूरी एकरूपता या यूनीफार्मिटी अब तक नहीं कायम कर पाये हैं, और मैं समझता हूं कि न यह हमारे लिये मुनासिब होगा कि हम एक ही पैटर्न की यूनीफार्मिटी कायम कर दें ।

कहा गया है कि रिज़म्पशन के लिये कुछ मियाद होनी चाहिये । हम ने उस के लिये मियाद कायम की है और हम ने इस के साथ यह भी रखा है कि अगर कोई मालिक अपनी खुदकाश्त की जमीन को पांच वर्ष के वास्ते दोबारा उठा देता है तो वह काश्तकार को वापस मिल जायेगी । तो जितना भी मुनासिब तरीकें से होना चाहिये था, वह हम कर रहे हैं ।

उन्हों ने एडमिनिस्ट्रेटिव मैशिनरी पर जोर दिया । मैं समझता हूं कि उन्हों ने यह बहुत मुनासिब बात कही है । हमारे यहां देश के ज्यादातर हिस्से में तो अच्छे लैंड रिकार्डस मौजूद हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव मशिनरी भी अच्छी मौजूद है । लेकिन जो परमानेंन्ट सैटिलमेंट के एरिया थे और जो पुराने राज्यों के एरिया थे उन में जरूर इस मैशिनरी की जरूरत है और हम इस को मजबूत कर रहे हैं । हम ने यहां एक ट्रेनिंग का खास कोर्स निकाला है कि जिस में वहां के अफसर आते हैं और यहां से ट्रेनिंग पा कर जाते हैं और अपने यहां जा कर इस काम को आर्गेनाइज़ करते हैं । हमें इस में काफी कामयाबी मिली है ।

एक बहुत सैद्धान्तिक प्रश्न उठाया गया, जिस को हमारे मित्र, श्री आज़ाद, श्री विभूति मिश्र, श्री देशपांडे, ठाकुर दास जी और अमरनाथ जी ने उठाया । वह यह है कि जब जमीन के ऊपर एक सीलिंग मुकर्रर की जाती है तो आमदनी के ऊपर भी कोई सीलिंग क्यों न मुकर्रर की जाये । यह मुनासिब है । तो यह एक सवाल उठाया गया । मैं चाहता हूं कि इस सवाल को एक

सही नुक्तेनिगाह से देखना चाहिये । मैं इस के हक में हूं कि जब हम ने अपने देश के लिये एक सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी बनाना तै किया है, जब हम ने यहां पर समाजवाद को कायम करना तै किया है तो बड़ी बड़ी आमदनियों के ऊपर हम को एक हद कायम करनी चाहिये । लेकिन इस वक्त सवाल यह है कि ये दोनों प्रश्न एक दूसरे से सम्बन्धित हैं या नहीं । ज़मीन जो है वह उत्पादन का एक साधन है, वह आमदनी नहीं है । जमीन बढ़ नहीं सकती, जमीन घट नहीं सकती । एक तरह से घट तो सकती है यानी अगर खेती से अलाहिदा हो जाये तो घट सकती है । जो दूसरे कारखाने वगैराह की आमदनी है, वह एक साधन से पैदा होती है लेकिन वह उन की आमदनी है । जहां जमीन घट और बढ़ नहीं सकती वहां कारखाना महज इन्सान की ताकत के अन्दर है, उस को चाहे जितना बढ़ा ले । तो साधन का आमदनी से मुकाबला करना ऐसा है कि इन दोनों में कोई तुक पैदा नहीं होती । इस वक्त जमीन के लिये तो सवाल यह है कि इस साधन को किस तरह से बांटा जाये, और जहां तक कारखानों का सवाल है वह तो ऐसा है कि अगर आज दो कारखाने लगे हैं तो कल चार लगा लीजिये । यहां तो जमीन के बारे में यह सवाल पैदा नहीं होता । तो जहां मैं इस बात के हक में हूं कि आमदनी की हद मुकर्रर होनी चाहिये, वहां साथ साथ मैं यह भी जोर से कहना चाहता हूं कि जो भूमि का सीलिंग मुकर्रर हो रहा है और जो आमदनी पर सीलिंग है उन दोनों की आपस में कोई समानता नहीं है । मुझे आप से हमदर्दी है लेकिन मैं देखता हूं कि दोनों चीजें अलाहिदा हैं ।

विभूति मिश्र जी ने एक और प्रश्न उठाया कि कच्चे माल की कीमत में और तैयार शुदा सामान की कीमत में कुछ पैरिटी फिक्स की जाय । यह मुनासिब सी चीज़ है । कोई वजह नहीं है कि आदमी कच्चा माल तो सस्ता खरीदे लेकिन तैयार माल बना कर उस को महंगा बेचता रहे । इस चीज़ की तरफ हम ख़ास तौर से ध्यान देंगे ।

उन्हों ने दूसरा प्रश्न यह भी उठाया कि एक ओर जहां खेती की पैदावार की कीमतें गिर रही हैं, वहां दूसरी ओर जो कारखानों में सामान बनता है उस की कीमत नहीं गिर रही है । यह वाकया है । मैं ने इस के बारे में एक से ज्यादा मर्तबा इस भवन में अपनी राय जाहिर की है । मेरी अपनी राय यह है कि जरूर इन दोनों के अन्दर निस्बत कायम होनी चाहिये । लेकिन मैं ने बहुत सोचा, एक इकानामिस्ट्स की कमेटी को बुलाया लेकिन इस का कोई तरीका हमारी समझ में नहीं आया । अगर कोई हमें मुनासिब तरीका बतलायेगा तो मैं यकीन दिलाता हूं कि उस के ऊपर हम पूरे तौर से विचार करेंगे ।

श्री एन० बी० चौधरी : उत्पादन की लागत के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट है ?

श्री ए० पी० जैन : मैं उस पर अभी आऊंगा । जैपालसिंह जी ने प्रश्न उठाया जंगलात के बारे में । यह मुनासिब प्रश्न है । इस वक्त जंगलात का यह हाल है कि उन को कई जगह बुरी तरह से काटा जा रहा है । लेकिन साथ ही उन्हों ने यह कहा है कि इस को एक सेन्ट्रल सबजैक्ट बना लिया जाय । मैं समझता हूं कि यह निहायत गैर मुनासिब चीज़ है । इस से कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि ऐसा करने से नुक्सान होगा । यह नामुमकिन होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट उन तमाम जंगलात का इन्तिजाम कर सके जोकि सारे देश में फैले हुए हैं । लेकिन इस की ओर हम ध्यान

[श्री ए० पी० जैन]

दे रहे हैं । और हम ने यह तै किया है कि हम एक फारेस्ट कमीशन बनायेंगे जोकि तमाम देश के वास्ते और तमाम राज्यों के वास्ते एक पालिसी कायम करे और दूसरी पंचवर्षीय योजना में हम ने दस करोड़ पये रखने की एक तजवीज़ पेश की है कि जिस से जंगलात की उन्नति हो सके । मैं समझता हूं कि हमारे देश में जंगलात का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है और जंगलात को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिये ।

श्री विभूति मिश्र (सारन व चम्पारन) : बिहार राज्य में जंगलात को काफ़ी बढ़ाया जा रहा है ।

श्री ए० पी० जैन : मुनासिब है कि पंचायतों को मज़बूत किया जाये । प्लानिंग कमिशन ने भी यह कहा कि पंचायतों के सुपुर्द लैंड मैनेजमेंट होना चाहिये, हम इस के लिये कोशिश करेंगे लेकिन आज मैं समझता हूं कि हालत ऐसी नहीं है कि तमाम चीज़ें पंचायतों के सुपुर्द की जा सकें, कुछ जगहें जहां पर कि पंचायतें मजबूत होंगी उन से शुरूआत की जायेगी लेकिन मेरे विचार से यह ज़रूरी होगा कि पंचायतों को मज़बूत किया जाये और उन के हाथ में ताक़त दी जाये ।

अब वक्त बहुत थोड़ा रह गया है और मुझे डर है कि कुछ चीज़ें रह जायेंगी । अब दो सवालों के बारे में थोड़ा कह कर मैं खत्म करूंगा ।

एक सवाल यह उठाया गया कि यह सूद की जो दर है सवा छै प्रतिशत । जोकि आगे को सहकार समितियां वसूल करेंगी, यह दर बहुत ज्यादा होगी तो उस के बारे में मैं उन को कहना चाहता हूं कि इस वक्त तो १२ फ़ीसदी तक वसूल होता है और क़र्जा देने वाली समितियां तो १८ से २० फ़ीसदी तक सूद लेती हैं. बहरहाल मेरी यह कोशिश होगी कि इस दर को कम किया जाये और जितना सहकार समितियों का काम बढ़ेगा और जितनी भी यह मज़बूत होंगी, उतनी ही यह दर कम होगी, तो हम इस बात की कोशिश करेंगे कि यह कम हो लेकिन इस बात का कोई विश्वास दिलाना कि यह कम ही हो जायेगी, बहुत मुश्किल है ।

मैं कुछ चीनी के बारे में बतलाना चाहता हूं । चीनी की बाबत तुलसी दास जी ने जो कहा वह मेरी समझ में नहीं आया । उन्हों ने कहा कि रेलवे मिनिस्टर ने यह कहा है कि वह इसलिये वैगन्स नहीं देते क्योंकि सरकारी चीनी के लिये वैगनों की ज़रूरत होती है । मैं ने उस वक्त भी प्रश्न किया था कि सरकारी चीनी तो पोर्ट्स से अन्दर को आती है और यहां की पैदा की हुई चीनी इधर से उधर जाती है तो दोनों में कोई सम्बन्ध नहीं है ।

एक बात सरदार लाल सिंह ने कही जोकि मैं समझता हूं ठीक नहीं है । बावजूद इस के कि मैं ने उन को इस बात को बतलाया कि ७५ फीसदी बोनस अदा किया जा चुका है लेकिन उन को विश्वास नहीं आया । मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं मिलवार जिन को कि हिसाब लगा कर मैं ने उन को बतलाया कि ७५ फ़ीसदी बोनस अदा किया जा चुका है ।

अब मैं एक विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा और वह श्रद्धेय टंडन जी के उस सुझाव से सम्बन्ध रखता है जिस में उन्हों ने सरकार से इस बात का अनुरोध किया है कि उस को बाढ़ग्रस्त इलाकों में कुछ आदर्श गांव (मॉडल विलेजेज़)

बनाने चाहियें, बहुत अच्छा और नेक ख़याल है उन का और मैं समझता हूं कि इस दिशा में शुरूआत की जानी चाहिये । उन्हों जो इस के साथ में सुझाव दिया कि आधा एकड़ या चौथाई एकड़ फ़ार्म उस के साथ हो कि जिस में फल और सब्जी पैदा की जाये और उस में अपने पशु रक्खे जायें, बहुत ीक चीज़ है और ऐसा होना चाहिये । हमारे देश के अन्दर जितने देहात हैं, बहुत बुरी तरह से बसे हुए हैं और उन को हमें एक तरीक़े से और ढंग से बसाना चाहिये और ऐसा करने के लिये एक अच्छा मौक़ा हमारे सामने आया है जिस का कि हमें फ़ायदा उठाना चाहिये । कभी कभी मुसीबत से भी कोई एक अच्छी बात पैदा होती है और जहां वहिया से जो गांव बह गये, उन का हम सब को अफ़सोस है, लेकिन एक मौक़ा है कि जब दुबारा हम गांव को बसाने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रक्खें और मैं राज्य सरकारों को इस बारे में लिखूंगा । पिछली बार भी जब उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से मेरी बात हुई थी तब भी मैं ने उन इसे कहा था कि हमें अपने गांव को ठीक ंग से बसाना चाहिये, पुराने तरीक़े से बसाने से कोई फ़ायदा नहीं है । मैं श्री टंडन के सुझाव की बहुत क़ करता हूं । और उस के बारे में मैं विभिन्न राज्य सरकारों को लिखूंगा कि वे ऐसे आदर्श गांव बसाने का प्रयत्न करें ....

श्री एस० एल० सक्सेना : क्या सरकार इतने रुपयों में दस लाख मकानात बना सकेंगी ?

श्री ए० पी० जैन : दस लाख मकानात नहीं बना सकेंगी तो क्या हुआ, चार, पांच गांवों में तो इस की शुरूआत की जा सकेगी ।

वैसे यहां पर सवालात तो काफ़ी उठाये गये हैं और समय की कमी के कारण कुछ छूटे जा रहे हैं लेकिन जो बड़े बड़े और खास खास सवाल थे, उन का मैं ने उत्तर दे दिया है और मैं भवन को यक़ीन दिलाना चाहता हूं कि और बातों और सुझावों के ऊपर मैं ग़ौर करूंगा .....

एक माननीय सदस्य : क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर कैटिल और क्रौप इंश्योरेंस के प्रयोग के सम्बन्ध में सरकार कुछ करने वाली है ?

श्री ए० पी० जैन : जी हां, गवर्नमेंट क्रौप एंड कैटिल इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिये कुछ कार्यवाही करेगी ।

श्री सी० के० नायर (बाह्य दिल्ली) : सभापति महोदय, मैं आप की इजाज़त से मंत्री महोदय से कुछ शंका समाधान चाहता हूं । पहले तो मैं उन से यह जानना चाहूंगा कि वे सीलिंग की बची हुई ज़मीन व्यक्तिगत रूप से बांटेंगे या कोआपरेटिव सोसाइटीज़ को बांटेंगे ? इस बारे में क्या नीति है ?

श्री ए० पी० जैन : हम कोआपरेटिव फ़ार्मिंग को बढ़ाना चाहते हैं और हर मुमकिन तरीक़े से उस को इस देश में बढ़ायेंगे और स्थापित करेंगे ।

श्री सी० के० नायर : व्यक्तियों को बांटते वक्त सीलिंग के अलावा कोई मिनिमम या मैक्सिमम फ़िक्स करेंगे ? वह मिनिमम या मैक्सिमम सीलिंग से अलग होगा या नहीं ?

सभापति महोदय : ये तो ऐसे सुझाव हैं जोकि माननीय मंत्री को बाद में भेजे जा सकते हैं ।

मेरा विचार है कि माननीय मंत्री मूल प्रस्ताव के स्थान में रखा गया एक प्रस्ताव स्वीकार करने को तैयार हैं । उस का नम्बर क्या है ?

श्री ए० पी० जैन : मैं ने सूचना दे दी है कि मैं प्रस्ताव संख्या २५ स्वीकार कर लूंगा ।

श्री एन० बी० चौधरी : श्रीमान्, मेरे प्रस्ताव का क्या हुआ ? उसे पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिये ।

(सभापति महोदय द्वारा मूल प्रस्ताव के स्थान पर प्रस्तुत हुआ प्रतिस्थापित प्रस्ताव संख्या १२ मतदान के लिये रखा गया जो अस्वीकृत हुआ)

श्री एस० एल० सक्सेना : मैं चाहता हूं कि मेरा प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जाये ।

(सभापति महोदय द्वारा श्री एस० एल० सक्सेना का मूल प्रस्ताव के स्थान पर प्रतिस्थापित प्रस्ताव संख्या २० मतदान के लिये रखा गया जो अस्वीकृत हुआ)

सभापति महोदय : अब मैं श्री बर्मन का प्रस्ताव संख्या २५, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है, सभा के समक्ष मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है :—

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर यह प्रस्ताव रख दिया जाये :

"This House having considered the economic policy of the government of India with special reference to Agriculture, Land and Rural credit, expresses satisfaction at the steps taken so far and endorses the policy envisaged far the future."

("यह सभा भारत सरकार की आर्थिक नीति, विशेषकर कृषि, भूमि तथा ग्राम्य ऋण पर विचार कर के अब तक की गई कार्यवाहियों पर सन्तोष प्रकट करती है और भविष्य के लिये बनाई गई नीति का समर्थन करती है ।")

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अन्य प्रस्ताव रद्द हो गये ।

राज्य-सभा से संदेश

सचिव : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि इन विधेयकों के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है :—

१. विनियोग (संख्या ३) विधेयक १९५५ ।

२. अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक, १९५५ ।

इस के पश्चात् लोक-सभा अनिश्चित तिथि के लिये स्थगित हुई ।

अनुक्रमणिका

लोक-सभा वाद-विवाद-भाग २

दशम् सत्र, १९५५

(खंड ८—संख्या ४६-५४)

(२२ सितम्बर १९५५ से १ अक्तूबर, १९५५)

अ

अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद—

— के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा ५०७६-८८

अचल सिंह, सेठ—

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४६५७-५९

अच्युतन, श्री—

नदी बोर्ड विधेयक—

संयुक्त समिति को निर्देशित करने के लिये राज्य सभा से सहमत होने का प्रस्ताव ५३४६-४७

रेलवे परिवहन की स्थिति पर चर्चा ५१७४-७५

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५—

— की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत अधिसूचनाओं की प्रतियां – पटल पर रखी गयीं ४८७३-७४

अधिसूचना (यें)—

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत—की प्रतियां — पटल पर रखी गयीं ४८७३-७४

अधिसूचना (यें)—(जारी)

चलचित्र (विवाचन) नियम, १९५१ में संशोधन करने वाली—की प्रति — पटल पर रखी गयी ४८७४

अनुदानों की मांगें, १९५५-५६—रेलवे—

— के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तरों की प्रति—पटल पर रखी गई ४९७७-७८

अनुपस्थिति की अनुमति—

अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की सिफारिश पर पंडित लिंगराज मिश्र को सभा की बैठकों से — ५१९८-९९

अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की सिफारिश पर श्री आर० वेलायुधन को सभा की बैठकों से — ५१९८-९९

अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की सिफारिश पर श्री एन० सोमना को सभा की बैठकों से — ५१९८-९९

अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की सिफारिश पर श्री एस० सी० बालकृष्णन को सभा की बैठकों से — ५१९८-९९

अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की सिफारिश पर श्री कृष्णाचार्य जोशी को सभा की बैठकों से — ५१९८-९९

अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की सिफारिश पर श्री के० आनन्द नम्बियार को सभा की बैठकों से — ५१९८-९९

अनुपस्थिति की अनुमति—(जारी)

अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की सिफारिश पर श्री जी० आर० दामोदरन को सभा की बैठकों से — ५१९८-९९

अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की सिफारिश पर श्री त्रिदिव कुमार चौधरी को सभा की बैठकों से — ५१९८-९९

अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की सिफारिश पर श्री दशरथ देव को सभा की बैठकों से — ५१९८-९९

अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की सिफारिश पर श्री देवेश्वर शर्मा को सभा की बैठकों से — ५१९८-९९

अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की सिफारिश पर श्री बेलीराम दास को सभा की बैठकों से — ५१९८-९९

अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की सिफारिश पर श्री भजहरि महाता को सभा की बैठकों से—५१९८-९९

अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की सिफारिश पर श्री मुचाकी कोसा को सभा की बैठकों से — ५१९८-९९

अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की सिफारिश पर श्री मोहन राव को सभा की बैठकों से — ५१९८-९९

अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की सिफारिश पर राईट रेवरेंड जान रिचर्डसन को सभा की बैठकों से — ५१९८-९९

अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की सिफारिश पर श्री सीताराम अस्थाना को सभा की बैठकों से — ५१९८-९९

अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की सिफारिश पर श्री सूफी मुहम्मद अकबर को सभा की बैठकों से — ५१९८-९९

अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की सिफारिश पर श्री हरि राम नथानी को सभा की बैठकों से — ५१९८-९९

अनुपस्थिति की अनुमति—(जारी)

अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की सिफारिश पर श्री हरिन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय को सभा की बैठकों से — ५१९८-९९

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५-५६—

गृह मन्त्रालय के अन्तर्गत विविध विभाग और व्यय — ४९७९-८२, ५०२०-४६

कटौती प्रस्ताव—

अनुदानित सहायता सम्बन्धी नीति ४९८१-८२, ५०२०-४६

अहिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों को आयोग में अपर्याप्त प्रतिनिधान का दिया जाना ४९८१-८२, ५०२०-४६

राजभाषा आयोग का कार्य ५०२०-४६

शासकीय भाषा आयोग का कार्य-संचालन ४९८१-८२, ५०२०-४६

शासकीय भाषा आयोग की रचना और स्थापना में विलम्ब ४९७९-८०, ५०२०-४६

शासकीय भाषा आयोग की रचना में विलम्ब ४९८१-८२, ५०२०-४६

शासकीय भाषा सम्बन्धी नीति ४९८१-८२, ५०२०-४६

सरकार की भाषा सम्बन्धी नीति ४९७९-८०, ५०२०-४६

सहायता देने तथा चुनाव पद्धति में भेदभाव ४९८१-८२, ५०२०-४६

सहायता देने में अपनाये जाने वाले मानदण्ड तथा तरीके ५०२०-४६

सुपरिवीक्षण कर्मचारियों पर व्यय ४९७९-८०, ५०२०-४६

हिन्दी को शासकीय भाषा के रूप में लागू करने सम्बन्धी नीति ४९८१-८२, ५०२०-४६

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५-५६ —(जा

चलमुद्रा पर पूंजी व्यय ४९८२

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय—

कटौतीप्रस्ताव—

नई दिल्ली में आवास स्थान का प्रश्न ४९९३–५०२०

निजी व्यक्तियों के अधीन पूर्वाधिकार अंशों के द्वारा सार्वजनिक समवाय को चन्दा देने की नीति से असहमति ४९९३–५०२०

होटल उद्योग की अवांछनीयता सम्बन्धी नीति पर असहमति ४९९३–५०२०

होटल उद्योग में सरकारी निधियों के विनियोजन की वांछनीयता ४९९३–५०२०

होटल चलाने की आवश्यकता ४९९३–५०२०

वित्त मंत्रालय—

कटौती प्रस्ताव—

अधीक्षक कर्मचारीवृन्द में कमी ४९६३-७६

एक नये विभाग "समवाय विधि प्रशासन विभाग" की स्थापना ४९६५–७६

वर्तमान अतिरेक कर्मचारीवृन्द से काम लेकर अधिक व्यय के किये जाने की सम्भावना ४९६३–७६

समवाय विधि प्रशासन विभाग के लिये पदाधिकारियों तथा कर्मचारीवृन्द की नियुक्ति ४९६५–७६

अनुपूरक अनदानों की मांगें, १९५५-५६ —(जारी)

वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय— ४९८१–९२

कटौती प्रस्ताव—

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम में भारतीय सदस्यता के सापेक्ष लाभ ४९८३–९२

लेन देन क तरीक ४९८३–९२

विदेशी पूंजी का गैर-सरकारी उपक्रमों तथा साधनों के द्वारा आने देने की नीति का अनुमोदन ४९८३-९२

वैदेशिक कार्य ४९५४–५८

वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय—

कटौती प्रस्ताव—

चीन की सरकार के साथ दावों का निर्णय करने का प्रयत्न ४९५७–६४

प्रत्यावासित भारतीय राष्ट्रजनों के न्यायोचित दावों के निपटारा करने में हुआ विलम्ब ४९५७–६४

अन्तर्राज्यीय जल-विवाद विधेयक—

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम—

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५–५६— वित्त मन्त्रालय का अन्य पूंजी व्यय— कटौती प्रस्ताव—

—में भारतीय सदस्यता के सापेक्ष लाभ ४९८३–९२

अन्त्येष्टि क्रिया सुधार विधेयक (श्री तैलकीकर द्वारा)—

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्पर्णण) चालू रखना विधेयक, १९५५—

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

अय्यंगार, श्री एम० ए०—

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

बैठकों की कार्यवाही के विवरण की प्रति—पटल पर रखी ५१९७

अय्युण्णि, श्री सी० आर०—

अन्त्येष्टि क्रिया सुधार विधेयक (श्री तेलकीकर द्वारा)—

परिचालित करने का प्रस्ताव ५४१७–१८, ५४२४

औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक—

विचार प्रस्ताव तथा परिचालित करने का संशोधन ४८४६–४८

खंडों पर चर्चा ४८६२

अलगेशन, श्री—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९१ के उत्तर में शुद्धि ४५२५–२६

भारतीय नौवहन के विकास के लिये आयोग की नियुक्ति के सम्बन्ध में संकल्प ४७०३–१९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

जलहल्ली स्थित हिन्दुस्तान मशीनी औज़ार निर्माण कारखाने के बारे में श्री स्केफ का प्रतिवेदन ५४५५-५९

भारतीय सैनिकों द्वारा उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण के विद्रोही आदिम जातीय लोगों का हताहत किया जाना ५३३८–४०

अस्थाना, श्री सीताराम—

अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की सिफारिश पर—को सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति ५१९८–९९

अहिन्दी भाषा भाषी क्षेत्र(त्रों)—

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५–५६—

गृह मन्त्रालय के अन्तर्गत विविध विभाग और व्यय—

कटौती प्रस्ताव—

—को आयोग में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का दिया जाना ४९८१–८२, ५०२०–४६

आ

आज़ाद, श्री भागवत झा—

आर्थिक नीति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५३९१, ५४७५–८५

भारतीय नौवहन के विकास के लिये आयोग की नियुक्ति के सम्बन्ध में संकल्प ४६८५

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५६७

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५६७

आदिम जाति(यां)—

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

भारतीय सैनिकों द्वारा उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण के विद्रोही आदिम जातीय लोगों का हताहत किया जाना ५३३८–४०

आधे घंटे की चर्चा—

अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद् के सम्बन्ध में — ५०७६–८८

आबिद अली, श्री—

औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक—

खंडों पर चर्चा ४८६७–६८

आर्थिक नीति—

—के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५३६३–५४१४, ५४६३–५६४२

आल्वा, श्री जोकीम—

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक—

विचार प्रस्ताव ४९०७

आश्वासन(नों), सरकारी—

देखिये "सरकारी आश्वासन(नों)"

इ

इकबाल सिंह, सरदार—

नदी बोर्ड विधेयक—

संयुक्त समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ५३३१–३४

रेलवे परिवहन की स्थिति पर चर्चा ५१७७–८०

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४६५९–६३

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४६५९–६३

उ

उइके, श्री—

भारतीय अन्य धर्मग्राही (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक (श्री जेठालाल जोशी द्वारा)—

विचार प्रस्ताव ५४२९–४३

उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण—

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

भारतीय सैनिकों द्वारा — के विद्रोही आदिम जातीय लोगों का हताहत किया जाना ५३३८–४०

औ

औद्योगिक वित्त निगम—

— के सातवें वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखाओं के विवरण की प्रतियां—पटल पर रखी गयीं ५०८९–९०

औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक—

देखिये "विधेयक(कों)" के नीचे

क

करमरकर, श्री—

मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्यिक) नियंत्रण विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधन पर विचार प्रस्ताव ५०७४–७५, ५०९७–५१०१, ५१०३

कर्मचारी(रियों)—

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५–५६—

गृह मन्त्रालय के अन्तर्गत विविध विभाग और व्यय—

कटौती प्रस्ताव—

सुपरिवीक्षण — पर व्यय ४९७९–८०, ५०२०–४६

वित्त मंत्रालय—

कटौती प्रस्ताव—

अधीक्षक कर्मचारीवृन्द में कमी ४९६३–७६

वर्तमान अतिरेक कर्मचारीवृन्द से काम लेकर अधिक व्यय के किये जाने की संभावना ४९६३–७६

समवाय-विधि प्रशासन विभाग के लिए पदाधिकारियों तथा कर्मचारी-वृन्द की नियुक्ति ४९६५–७६

काटजू, डा०—

लोक लेखा समिति—

चौदहवें प्रतिवेदन में निर्दिष्ट कतिपय सौदों के बारे में वक्तव्य ५१९९–५२०१

कानूनगो, श्री—

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत अधिसूचनाओं की प्रतियां—पटल पर रखीं ४८७३–७४

नारियल जटा बोर्ड के अर्धवार्षिक प्रतिवेदन की प्रति— पटल पर रखी ५४५९–६०

कामत, श्री—

अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की सिफारिश पर सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति ५१९९

आर्थिक नीति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५५३५

औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक—

विचार प्रस्ताव ४७९८

खंडों पर चर्चा ४८६६–६७

कार्य मंत्रणा समिति—

छब्बीसवें प्रतिवेदन से सहमति प्रस्ताव ४५२६–२७

गृह मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की मांगें तथा कटौती प्रस्ताव ४९८१–८२, ५०२२

गोआ के सम्बन्ध में वक्तव्य ५४६२

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की मांगें तथा कटौती प्रस्ताव ४९९३–९४, ४९९६, ४९९७–९८, ५०००, ५००१–०२, ५००६, ५००९, ५०१२

परक्राम्य संलेख (संशोधन) विधेयक—

विचार प्रस्ताव ५०६३

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक—

विचार प्रस्ताव ४८८३–८४

खण्डों पर चर्चा ४९२३, ४९४४–४६

मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्यिक) नियंत्रण विधेयक—

राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन पर विचार—प्रस्ताव ५०७५–७६, ५०९०–९३, ५०९७, ५०९९, ५१००, ५१०२

कामत, श्री—(जारी)

रेलवे परिवहन की स्थिति पर चर्चा ५१७१–७३

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५३६, ४५५७, ४५५९, ४६१०, ४६१६, ४७६४

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव ४५३६, ४५५७, ४५५९, ४६१०, ४६१६, ४७६४

लोक लेखा समिति—

चौदहवें प्रतिवेदन में निर्दिष्ट कतिपय सौदों के बारे में वक्तव्य ५२०१

वित्त मंत्रालय सम्बन्धी अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५–५६ तथा कटौती प्रस्ताव ४९६५–६६, ४९६७–६९, ४९७४, ४९७५

वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय सम्बन्धी अनुपूरक अनुदानों की मांगें १९५५–५६ तथा कटौती प्रस्ताव ४९५७–५८

सभा का कार्य ५२०४

कार्य मंत्रणा समिति—

देखिये "समिति (यां) , संसदीय" के नीचे

कासलीवाल, श्री—

आर्थिक नीति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५६०२–०३

कृषि—

आर्थिक नीति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५३६३–५४१४, ५४६३–५६४२

कृष्ण, श्री एम० आर०—

आर्थिक नीति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५५८२–८४

कृष्णमाचारी, श्री टी० टी०—

तारांकित प्रश्न संख्या ७८५ के उत्तर में शुद्धि ५२०१–०२

तारांकित प्रश्न संख्या १०५४ के उत्तर में शुद्धि ५२०२

भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापन अनुमति प्रस्ताव ५३४०–४१

सोडियम थियोसल्फेट, सोडियम सल्फाइट और सोडियम बाईसल्फाइट उद्योगों के संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन तथा उस के सम्बन्ध में सरकारी संकल्पों की प्रतियां—पटल पर रखीं ५३३५–३६

कृष्णस्वामी, डा०—

आर्थिक नीति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५५०९–१५

गृह मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की मांगें तथा कटौती प्रस्ताव ५०२१, ५०३०

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक—

विचार प्रस्ताव ४८८०–८२

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५४७–५४

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५४७–५४

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड—

देखिये "समिति (यां), संसदीय के अतिरिक्त" के नीचे

केसकर, डा०—

चलचित्र (विनियमन) नियम १९५१ में संशोधन करने वाली अधिसूचना की प्रति—पटल पर रखी ४८७४

क्रीड़ा परिषद, अखिल भारतीय—

—के सम्बन्ध में आध घंटे की चर्चा ५०७६–८८

खर्डेकर, श्री—

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४६२२–२५

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक —

प्रवर समति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४६२२–२५

खां, श्री शाहनवाज़—

अनुदानों की मांगें, (रेलवे), १९५५–५६ के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तरों की प्रति—पटल पर रखी ४९७७–७८

खां, श्री सादत अली—

अतारांकित प्रश्न संख्या ९०१ के उत्तर में शुद्धि ४८७५

वैदेशिक कार्य सम्बन्धी अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५–५६ तथा कटौती प्रस्ताव ४९५६

ग

गाडगील, श्री—

मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्यिक) नियंत्रण विधेयक—

राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन पर विचार प्रस्ताव ५०९४

गिरि, श्री वी० वी०—

औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक—

विचार प्रस्ताव तथा परिचालित करने का संशोधन ४७९९–४८०२

गुप्त, श्री रामकृष्ण—

— द्वारा शपथ ग्रहण ५५०३

गुरुपादस्वामी, श्री एम० एस०—

औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक—
खंडों पर चर्चा ४८५६, ४८६१–६२

गृह-मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की मांगें तथा कटौती प्रस्ताव ५०२१–२२, ५०२६–३३

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की मांगें तथा कटौती प्रस्ताव ५०००

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक—
विचार प्रस्ताव तथा प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन ४६०८–१०

वित्त मंत्रालय सम्बन्धी अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५–५६ तथा कटौती प्रस्ताव ४९७०

गुह, श्री ए० सी०—

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५–५६—
वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय—
कटौती प्रस्ताव —
अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम में भारतीय सदस्यता के सापेक्ष लाभ ४९८६-९०
लेन देन का तरीका ४९८६–९०
विदेशी पूंजी का गैर-सरकारी उपक्रमों तथा साधनों के द्वारा आने देने की नीति का अनुमोदन ४९८६–९०, ४९९१

औद्योगिक वित्त निगम के सातवें वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखाओं के विवरण की प्रतियां—पटल पर रखीं ५०८९–९०

निर्माण, आवास, संभरण मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की मांगें, तथा कटौती प्रस्ताव ४९९६

परक्राम्य संलेख (संशोधन) विधेयक—
विचार प्रस्ताव ५०५२–५६, ५०६६, ५०६८–७३
पारित करने का प्रस्ताव ५०७३, ५०७४

गुह, श्री ए० सी०—(जारी)

भारतीय मुद्रांक (संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापन अनुमति प्रस्ताव ५५६०

वित्त मंत्रालय सम्बन्धी अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५–५६ तथा कटौती प्रस्ताव ४९७२–७६

विनियोग (संख्या ३) विधेयक—
पुरःस्थापन अनुमति प्रस्ताव ५०४६
विचार प्रस्ताव ५०४६, ५०४८–५०
खंडों पर चर्चा ५०५१
पारित करने का प्रस्ताव ५०५२

वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय सम्बन्धी अनुपूरक अनुदानों की मांगें १९५५–५६ तथा कटौती प्रस्ताव ४९६३

वैदेशिक कार्य सम्बन्धी अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५–५६ तथा कटौती प्रस्ताव ४९५५, ४९५६-५७

गृह मंत्रालय के अन्तर्गत विविध विभाग और व्यय—

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५-५६—
४९७९–८२, ५०२०–४६
कटौती प्रस्ताव —
अनुदानित सहायता सम्बन्धी नीति ४९८१–८२, ५०२०–४६
अहिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों को आयोग में अपर्याप्त प्रतिनिधान का दिया जाना ४९८१–८२, ५०२०–४६
राजभाषा आयोग का कार्य ५०२०–४६
शासकीय भाषा आयोग का कार्य-संचालन ४९८१-८२, ५०२०–४६
शासकीय भाषा आयोग की रचना और स्थापना में विलम्ब ४९७९–८०, ५०२०–४६

गृह मंत्रालय के अन्तर्गत विविध विभाग और व्यय—(जारी)

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५-५६—(जारी)

कटौती प्रस्ताव—(जारी)

शासकीय भाषा आयोग की रचना में विलम्ब ४९८१-८२, ५०२०-४६

शासकीय भाषा सम्बन्धी नीति ४९८१-८२, ५०२०-४६

सरकार की भाषा सम्बन्धी नीति ४९७९-८०, ५०२०-४६

सहायता देने तथा चुनाव पद्धति में भेद-भाव ४९८१-८२, ५०२०-४६

सहायता देने में अपनाये जाने वाले मानदंड तथा तरीके ५०२०-४६

सुपरिवीक्षण कर्मचारियों पर व्यय ४९७९-८०, ५०२०-४६

हिन्दी को शासकीय भाषा के रूप में लागू करने सम्बन्धी नीति ४९८१-८२, ५०२०-४६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

देखिये "समिति (यां) संसदीय" के नीचे

गोआ—

—के सम्बन्ध में वक्तव्य ५४६१-६२

गोपालन, श्री ए० के०—

आर्थिक नीति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५३९२-५४०१

गोविन्द दास, सेठ—

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४६३५-३९

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४६३५-३९

ग्रामीण ऋण—

आर्थिक नीति के बारे में प्रस्ताव ५३६३-५४१४, ५४६३-५६४२

च

चट्टोपाध्याय, श्री हरीन्द्रनाथ—

अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की सिफारिश पर — को सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति ५१९८-९९

चन्दा—

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५-५६—

निर्माण, आवास तथा संभरण मन्त्रालय का अन्य पूंजी व्यय—

कटौती प्रस्ताव—

निजी व्यक्तियों के अधीन पूर्वाधिकार अंशों के द्वारा सार्वजनिक समवाय को — देने की नीति से असहमति ४९९३-५०२०

चन्द्रशेखर, श्रीमती—

अन्त्येष्टि क्रिया सुधार विधेयक (श्री तेलकीकर द्वारा)—

परिचालित करने का प्रस्ताव ५४२१-२२ ५४२३

भारतीय रैडक्रास सोसाइटी (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापन अनुमति प्रस्ताव ४९७८-७९

सेंट जान एम्बुलेंस एसोसियेशन (भारत) विधियों का स्थानान्तरण विधेयक—

पुरःस्थापन अनुमति प्रस्ताव ४९७९-८०

चलचित्र विवाचन नियम १९५१—

— में संशोधन करने वाली अधिसूचना की प्रति—पटल पर रखी गई ४८७४

चलमुद्रा पर पूंजी व्यय—

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५-५६ ४९८२

चीन—

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५-५६—

वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय—

कटौती प्रस्ताव—

— की सरकार के साथ दावों का निर्णय करने का प्रयत्न ४९५७-६४

चुनाव—

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५–५६—
गृह मन्त्रालय के अन्तर्गत विविध विभाग और व्यय—

कटौती प्रस्ताव—

सहायता देने तथा—पद्धति में भेदभाव ४९८१–८२, ५०२०–४६

चौधरी, श्री आर० के०—

गृह मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की मांगें तथा कटौती प्रस्ताव ५०३३–३६

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४६७०–७२

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४६७०–७२

चौधरी, श्री एन० बी०—

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५–५६—
वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय—
कटौती प्रस्ताव—

विदेशी पूंजी का गैर-सरकारी उपक्रमों तथा साधनों के द्वारा आने देने की नीति का अनुमोदन ४९८३–८६, ४९९०

आर्थिक नीति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५३९१, ५६२४, ५६२७, ५६३६, ५६४१

गृह मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की मांगें तथा कटौती प्रस्ताव ४९७९–८०, ४९८१–८२

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की मांगें तथा कटौती प्रस्ताव ४९९३–९४, ५०१५–१६

चौधरी श्री एन० बी०—(जारी)

परक्राम्य संलेख (संशोधन) विधेयक—
विचार प्रस्ताव ५०५८

वित्त मंत्रालय सम्बन्धी अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५–५६ तथा कटौती प्रस्ताव ४९६३–६४, ४९६५–६६

विनियोग (संख्या ३) विधेयक—
विचार प्रस्ताव ५०४७–४८

चौधरी, श्री जी० एल०—

आर्थिक नीति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५३९१

चौधरी, श्री टी० के०—

अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की सिफारिश पर—को सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति ५१९८–९९

ज

जयपाल सिंह, श्री—

अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद् के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा ५०८२

अन्तर्राज्यिक जल-विवाद विधेयक—

संयुक्त समिति में सम्मिलित होने सम्बन्धी राज्य सभा की सिफारिश से सहमति प्रस्ताव ५२७५

अन्त्येष्टि क्रिया सुधार विधेयक (श्री तेलकीकर द्वारा)—

परिचालित करने का प्रस्ताव ५४१९–२०, ५४२१

आर्थिक नीति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५६१२–१४

द्वितीय पंच वर्षीय योजना में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५१४६

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक—
विचार प्रस्ताव ४९०८

जयश्री, श्रीमती—

रेलवे परिवहन की स्थिति पर चर्चा ५१७३

जयसूर्य, डा०—

औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक—

विचार प्रस्ताव तथा परिचालित करने का संशोधन ४८४९–५०, ४८५६, ४८५८

मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्यिक) नियंत्रण विधेयक—

राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन पर विचार प्रस्ताव ५०९६, ५०९९

जलयान (नों)—

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा जहाजों के दिये जाने में विलम्ब के बारे में विवरण की प्रति—पटल पर रखी गयी ४६३३–३४

जलहल्ली—

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

— स्थित हिन्दुस्तान मशीनी औज़ार निर्माण कारखाने के बारे में श्री स्केफ का प्रतिवेदन ५४५५–५९

जैन, श्री ए० पी०—

आर्थिक नीति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५३६३–९०, ५४०६, ५४११, ५४६९, ५४८८, ५४९१, ५५००–०१, ५५३२, ५५५०, ५५६८, ५६१४–४०

जोशी, श्री एम० डी०—

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक—

विचार प्रस्ताव ४९०४–०५

खण्डों पर चर्चा ४९१९, ४९२०

भारतीय नौवहन के विकास के लिये आयोग की नियुक्ति के सम्बन्ध में संकल्प ४६८५

जोशी श्री एम० डी० —(जारी)

मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्यिक) नियंत्रण विधेयक—

राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन पर विचार प्रस्ताव ५०९४, ५०९६–९७, ५१०१, ५१०२

जोशी, श्री कृष्णाचार्य—

अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की सिफारिश पर — को सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति ५१९८–९९

जोशी, श्री जेठालाल—

भारतीय अन्य धर्मग्राही (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक (— द्वारा)—

विचार प्रस्ताव ५४२४–२८

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४६६६–६८

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४६६६–६८

ज्ञ

ज्ञापन (नों)—

अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५५–५६ के बारे में सदस्यों के — के उत्तरों की प्रति—पटल पर रखी गई ४९७७–७८

१९५३–५४ के लिये संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन और उसके सम्बन्ध में सरकार के—की प्रति—पटल पर रखी गई ४९७७

झ

झुनझुनवाला, श्री—

वित्त मंत्रालय सम्बन्धी अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५–५६ तथा कटौती प्रस्ताव ४९७१–७२

ट

टंडन, श्री—

आर्थिक नीति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५५९३–९८

भारतीय अन्य धर्मग्राही (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक (श्री जेठालाल जोशी द्वारा)—

विचार प्रस्ताव ५४४५–५२

टेक चन्द, श्री—

नदी बोर्ड विधेयक—

संयुक्त समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ५३१८–२१

भारतीय अन्य धर्मग्राही (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक (श्री जेठालाल जोशी द्वारा)—

विचार प्रस्ताव ५४५२

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४६१२–१३

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४६१२–१३

ड

डाभी, श्री—

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक—

विचार प्रस्ताव ४८९७–९९

खण्डों पर चर्चा ४९१८, ४९२७–२८

त

तिवारी, पंडित डी० एन०—

आर्थिक नीति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५४८५–९१

तारांकित प्रश्न संख्या १३९१ के उत्तर में शुद्धि ५४२५–२६

तिवारी पंडित डी० एन०—(जारी)

परक्राम्य संलेख (संशोधन) विधेयक—

विचार प्रस्ताव ५०५९–६१, ५०७०

रेलवे परिवहन की स्थिति पर चर्चा ५१८०–८२

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५९७, ४६१३–१८

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५९७, ४६१३–१८

तिवारी, श्री आर० एस०—

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४६४५–५०

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४६४५–५०

तुलसीदास, श्री—

आर्थिक नीति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५५७२–७५

औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक—

विचार प्रस्ताव तथा परिचालित करने का संशोधन ४८१८–२३, ४८५९

रेलवे परिवहन की स्थिति पर चर्चा ५१५०–५५, ५१५७, ५१५८

वित्त मंत्रालय के अधीन विविध व्यय सम्बन्धी अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५–५६ तथा कटौती प्रस्ताव ४९६५–६७

तेलकीकर, श्री—

अन्त्येष्टि क्रिया सुधार विधेयक (—द्वारा)—परिचालित करने का प्रस्ताव ५४१४–१७, ५४२०, ५४२१, ५४२३–२४

त्र

त्रिपाठी, श्री के० पी०—

द्वितीय पंच वर्षीय योजना में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५१२३–२८

रेलवे परिवहन की स्थिति पर चर्चा ५१६०–६४

त्रिवेदी, श्री यू० एम०—

अन्तर्राज्यिक जल-विवाद विधेयक—

संयुक्त समिति में सम्मिलित होने सम्बन्धी राज्य सभा की सिफारिश से सहमति प्रस्ताव ५२७०–७२, ५३००, ५३०४

गृह मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की मांगें तथा कटौती प्रस्ताव ५०३१, ५०३२

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक—

विचार प्रस्ताव ४८८५

खण्डों पर चर्चा ४९३७, ४९४६–४८, ४९४९

रेलवे परिवहन की स्थिति पर चर्चा ५१६७–६९

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४६३९–४३, ४६४५

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४६३९–४३, ४६४५

विनियोग (संख्या ३) विधेयक—

विचार प्रस्ताव ५०४७, ५०४८

खंडों पर चर्चा ५०५१

थ

थामस, श्री ए० एम०—

अन्त्येष्टि क्रिया सुधार विधेयक (श्री तेलकीकर द्वारा)—

परिचालित करने का प्रस्ताव ५४२१

आर्थिक नीति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५३९२

भारतीय अन्य धर्मग्राही (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक (श्री जेठालाल जोशी द्वारा)—

विचार प्रस्ताव ५४५२–५४

रेलवे परिवहन की स्थिति पर चर्चा ५१६६–६७

द

दशरथ देव, श्री—

अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की सिफारिश पर — को सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति ५१९८–९९

दामोदरन्, श्री जी० आर०—

अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की सिफारिश पर — को सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति ५१९८–९९

दास, डा० एम० एम०—

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड के लिये निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव ४८७५

दास, श्री एस० एन०—

आर्थिक नीति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५३९१, ५३९२, ५४६३, ५४७१

द्वितीय पंच वर्षीय योजना में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५१२२–२३, ५२३४–३९, ५२५८

नदी बोर्ड विधेयक—

संयुक्त समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ५३४९–५२

परक्राम्य संलेख (संशोधन) विधेयक—

विचार प्रस्ताव ५०५६–५७

पारित करने का प्रस्ताव ५०७३–७४

दास, श्री बी० के०—

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४६६८–७०

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४६६८–७०

दास, श्री बी० सी०—

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५२५६

दास, श्री सारंगधर—

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५१३७–४०, ५१४५, ५१४७

भारतीय नौवहन के विकास के लिये आयोग की नियुक्ति के सम्बन्ध में संकल्प ४६८८–९२

दीवान, श्री आर० एस०—

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५६३, ४६१८–२०

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५६३, ४६१८–२०

देव, श्री आर० एन० एस०—

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक—

खण्डों पर चर्चा ४९१९

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५२८–३१

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५२८–३१

देव, श्री एस० सी०—

आर्थिक नीति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५३९१

देशपांडे, श्री जी० एच०—

आर्थिक नीति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५४१३, ५५०३–०६

भारतीय अन्य धर्मग्राही (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक (श्री जेठालाल जोशी द्वारा)—

विचार प्रस्ताव ५४४३–४५

मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्यिक) नियंत्रण विधेयक—

राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन पर विचार प्रस्ताव ५०९३–९४

देशपांडे, श्री वी० जी—

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५७३, ४३७५–८५

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५७३, ४५७५–८५

देशमुख, डा० पी० एस०—

आर्थिक नीति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५५३४–५२, ५५६८, ५५८२

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद के लिये निर्वाचन ४८७५–७६

देसाई, श्री खण्डूभाई—

औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक—

विचार प्रस्ताव ४७८३–९७, ४८१६, ४८५०–५९

देसाई, श्री खण्डूभाई—(जारी)

औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक—(जारी)

परिचालित करने का संशोधन ४८१६, ४८५०–५९

खंडों पर चर्चा ४८६०, ४८६१, ४८६४–६५, ४८६७

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ४८७०, ४८७१

द्विवेदी, श्री एम० एल०—

औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक—

विचार प्रस्ताव तथा परिचालित करने का संशोधन ४८२३

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक—

खण्डों पर चर्चा ४९१८–१९

ध

धुलेकर, श्री—

मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्यिक) नियंत्रण विधेयक—

राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन पर विचार प्रस्ताव ५०९५–९६

न

नई दिल्ली—

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५–५६—

निर्माण, आवास तथा संभरण मन्त्रालय का अन्य पूंजी व्यय—

कटौती प्रस्ताव—

—में आवास स्थान का प्रश्न ४९९३–५०२०

नटवाडकर, श्री—

आर्थिक नीति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५३९१

नथानी, श्री हरि राम—

अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की सिफारिश पर — को सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति ५१९८–९९

नदी बोर्ड विधेयक—

देखिये "विधेयक(कों)" के नीचे

नन्दा, श्री—

अन्तर्राज्यिक जल-विवाद विधेयक—

संयुक्तसमिति में सम्मिलित होने सम्बन्धी राज्य सभा की सिफारिश से सहमति प्रस्ताव ५२५९–६५, ५२७२, ५२७३, ५२७४, ५२८७, ५३००–०४

केन्द्र से वित्त पोषित बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं की प्रगति के विवरण की प्रति—पटल पर रखी ४८७३

देश में बाढ़ की नवीनतम स्थिति के सम्बन्ध में विवरण—पटल पर रखा ४६३३

देश में बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य ४६३१–३३

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५१०३–२२, ५१३०, ५२३२, ५२४६–५७, ५२५८

नदी बोर्ड विधेयक—

संयुक्त समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ५३०८–१४, ५३१९, ५३४८, ५३४९, ५३५३–६२

विद्युत संभरण (संशोधन) विधेयक—

पुरस्थापन अनुमति प्रस्ताव ४८७६

नम्बियार, श्री—

अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की सिफारिश पर— को सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति ५१९८–९९

अन्त्येष्टि क्रिया सुधार विधेयक (श्री तेलकीकर द्वारा)—

परिचालित करने का प्रस्ताव ५४१८

रेलवे परिवहन की स्थिति पर चर्चा ५१६४–६६

नरसिंहम, श्री एस० वी० एल०—

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक—

विचार प्रस्ताव ४८८४, ४८९६–९७

खण्डों पर चर्चा ४९२३, ४९२४, ४९४४

नायर, श्री एन० श्रीकान्तन—

औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक—

विचार प्रस्ताव ४७९५, ४७९६, ४७९७, ४७९८, ४८१३–१८, ४८५७

परिचालित करने का संशोधन ४७९८, ४८१३–१८, ४८५७

खंडों पर चर्चा ४८५९, ४९६३–६४

नायर, श्री वी० पी०—

अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद् के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा ५०७६–८१, ५०८४–८५

अन्तर्राज्यिक जल-विवाद विधेयक—

संयुक्त समिति में सम्मिलित होने सम्बन्धी राज्य सभा की सिफारिश से सहमति प्रस्ताव ५२७४

आर्थिक नीति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५३९१

औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक—

विचार प्रस्ताव ४७९४–९५, ४८२१, ४८३३–३८

परिचालित करने का संशोधन ४८२१, ४८३३–३८

खंडों पर चर्चा ४८५९–६१, ४८६५

भारतीय नौवहन के विकास के लिये आयोग की नियुक्ति के सम्बन्ध में संकल्प ४६९३

नायर, श्री सी० के०—

आर्थिक नीति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५६४०

औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक—

विचार प्रस्ताव तथा संशोधित रूप में पारित करने का संशोधन ४८२३–२८

नारियल जटा बोर्ड—

—के अर्धवार्षिक प्रतिवेदन की प्रति—पटल पर रखी गई ५४५९–६०

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय—

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५–५६—

निर्माण, आवास तथा संभरण मन्त्रालय का अन्य पूंजी व्यय—

कटौती प्रस्ताव—

नई दिल्ली में आवास स्थान का प्रश्न ४९९३–५०२०

निजी व्यक्तियों के अधीन पूर्वाधिकार अंशों के द्वारा सार्वजनिक समवाय को चन्दा देने की नीति से असहमति ४९९३–५०२०

होटल उद्योग की अवांछनीयता सम्बन्धी नीति पर असहमति ४९९३–५०२०

होटल उद्योग में सरकारी निधियों के विनियोजन की वांछनीयता ४९९३–५०२०

होटल चलाने की आवश्यकता ४९९३–५०२०

निर्वाचन—

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड के लिये सम्बन्धी प्रस्ताव ४८७५

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद के लिये—सम्बन्धी प्रस्ताव ४८७५–७६

नेवटिया, श्री—

रेलवे परिवहन की स्थिति पर चर्चा ५१५९-६०

नेहरू, श्री जवाहरलाल—

अन्तर्राज्यिक जल-विवाद विधेयक—

संयुक्त समिति में सम्मिलित होने सम्बन्धी राज्य-सभा की सिफारश से सहमति प्रस्ताव ५२७६, ५२८३

नेहरू, श्री जवाहरलाल—(जारी)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

जलहल्ली स्थित हिन्दुस्तान मशीनी औजार निर्माण कारखाने के बारे में श्री स्केफ का प्रतिवेदन ५४५९

भारतीय सैनिकों द्वारा उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण के विद्रोही आदिम जातीय लोगों का हताहत किया जाना ५३३९-४०

गोआ के सम्बन्ध में वक्तव्य ५४६१–६२

वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय सम्बन्धी अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५–५६ तथा कटौती प्रस्ताव ४९६१–६४

नेहरू, श्रीमती उमा—

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक—

विचार प्रस्ताव ४८८९–९२

नेहरू, श्रीमती शिवराजवती—

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक—

विचार प्रस्ताव ४८९३–९६

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५९९–४६०४

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५९९–४६०४

पंच वर्षीय योजना, द्वितीय—

—में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५१०३–५०, ५२०५–५९

पटनायक, श्री यू० सी०—

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक १९५५ से सम्बन्धित समितियों की प्रतियां—पटल पर रखीं ५३३८

पटल पर रखे गये पत्र—

अत्यावश्यक पन्य अधिनियम १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत अधिसूचनाओं की प्रतियां ४८७३–७४

अनुदानों की मांगें, १९५५–५६—रेलवे के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तरों की प्रति ४९७७–७८

औद्योगिक वित्त निगम के सातवें वार्षिक प्रतिवदन तथा लेखाओं के विवरण की प्रतियां ५०८९–९०

१९५३–५४ के लिये संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन और उस के सम्बन्ध में सरकार के ज्ञापन की प्रति ४९७७

केन्द्र से वित्त पोषित बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं की प्रगति के विवरण की प्रति ४८७३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की बैठकों की कार्यवाही के विवरण की प्रति ५१९७

चलचित्र विवाचन नियम १९५१ में संशोधन करने वाली अधिसूचना की प्रति ४८७४

देश में बाढ़ की नवीनतम स्थिति के सम्बन्ध में विवरण ४६३३

नारियल जटा बोर्ड के अर्धवार्षिक प्रतिवेदन की प्रति ५४५९–६०

भारतीय आयकर अधिनियम के अन्तर्गत विमुक्त संस्थाओं की सूची ५४६०

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक १९५५ से सम्बन्धित सम्मतियों की प्रतियां ५३३८

पटल पर रखे गये पत्र—(जारी)

लोक-सभा के प्रथम सत्र, १९५२; द्वितीय सत्र, १९५२; तृतीय सत्र, १९५३; चतुर्थ सत्र, १९५३; पंचम सत्र, १९५३ ; षष्ठम सत्र १९५४, सप्तम सत्र, १९५४ ; अष्टम सत्र, १९५४; नवम सत्र, १९५५; तथा दशम सत्र, १९५५ में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों इत्यादि के बारे में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही को दर्शाने वाले अनुपूरक विवरण संख्या क्रमशः ३२, ३४, ३६, ३१, २६, २१, १५, ११, ७ तथा १/५३३६–३७

संसद् द्वारा परिवर्तित विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर पुनर्वास नियम, १९५५ की प्रति ५१९७–९८

मवाय विधेयक, १९५५ ५३३८

सोडियम थियोसल्फेट, सोडियम सल्फाइट और सोडियम बाई-सल्फाइट उद्योगों के संरक्षण जारी रखने केसम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन तथा उस के सम्बन्ध में सरकारी संकल्पों की प्रतियां ५३३५–३६

हिन्दुस्तान शिपमार्ड लिमिटेड द्वारा जहाजों को दिये जाने में विलम्ब के बारे में विवरण की प्रति ४६३३-३४

पदाधिकारी (रियों)—

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५–५६

वित्त मंत्रालय—

कटौती प्रस्ताव—

समवाय विधि प्रशासन विभाग के लिये —तथा कर्मचारीवृन्द की नियुक्ति ४९६४–७६

पन्त, पंडित जी० बी०—

१९५३–५४ के लिये संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन और उस के सम्बन्ध में सरकार के ज्ञापन की प्रति—पटल पर रखी ४९७७

पंत, पंडित जी० बी०—(जारी)

गृह मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की मांगें, तथा कटौती प्रस्ताव ५०३६-४५

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक—

विचार प्रस्ताव ४८७७–८०, ४८८६, ४९१०–१६

प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन ४९१०–१६

खंडों पर चर्चा ४९१७, ४९१८, ४९१९, ४९२०–२१, ४९२२, ४९२४, ४९२५-२६, ४९२७, ४९२८, ४९२९, ४९३०, ४९३१, ४९३२, ४९३४–३५, ४९३६, ४९३७-३८, ४९४०, ४९४१, ४९४२, ४९४३, ४९४४, ४९४६, ४९४८–४९, ४९५०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ४९५३

परक्राम्य संलेख (संशोधन) विधेयक—

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

परियोजना (ओं)—

केन्द्र से वित्त पोषित बहुप्रयोजनीय—की प्रगति के विवरण की प्रति—पटल पर रखी गई ४८७३

पांडे, श्री सी० डी०—

औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक—

विचार प्रस्ताव तथा परिचालित करने का संशोधन ४८४८–४९

गृह मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की मांगें, तथा कटौती प्रस्ताव ५०२५, ५०३१

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक —

विचार प्रस्ताव तथा प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन ४९१५

खण्डों पर चर्चा ४९१७, ४९२२

पाटस्कर, श्री—

अन्तर्राज्यिक जल-विवाद विधेयक—
संयुक्त समिति में सम्मिलित होने सम्बन्धी राज्य सभा की सिफारिश से सहमति प्रस्ताव ५२७८–८३

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५३३, ४५३६, ४५५१, ४५५३, ४५५४, ४५५६, ४५७७, ४६१५, ४६४५, ४७२७–२८, ४७३१, ४७३२–३४, ४७६२, ४७६३–६४

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५३३, ४६३६, ४५५१, ४५५३, ४५५४, ४५५६, ४५७७, ४६१५, ४६४५, ४७२७–२८, ४७३१, ४७३२–३४, ४७६२, ४७६३–६४

पाटिल, श्री कानावडे—

आर्थिक नीति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५५२४

भारतीय अन्य धर्मग्राही (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक (श्री जेठालाल जोशी द्वारा)—
विचार प्रस्ताव ५४५१

रेलवे परिवहन की स्थिति पर चर्चा ५१७१

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधयक—
प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५३८, ४६०९–१२

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५३८, ४६०९–१२

पिल्ले, श्री थानू—

आर्थिक नीति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५५६९—७१

नदी बोर्ड विधेयक—
संयुक्त समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ५३५२

पुन्नूस, श्री—

अन्तर्राज्यिक जल–विवाद विधेयक—
संयुक्त समिति में सम्मिलित होने सम्बन्धी राज्य सभा की सिफारिश से सहमति प्रस्ताव ५२८९, ५२९६–९८

मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्यिक) नियंत्रण विधेयक—
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन पर विचार प्रस्ताव ५०९४–९५

पुरस्कार पहेली प्रतियोगिता विधेयक—

देखिए "विधेयक (कों)" के नीचे

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक—

देखिए "विधेयक (कों)" के नीचे

—के सम्बन्ध में याचिका ४६३४

पूंजी, विदेशी—

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५–५६—
वित्त मंत्रालय की अन्य पूंजी व्यय—
कटौती प्रस्ताव—
—का गैर-सरकारी उपक्रमों तथा साधनों के द्वारा आने देने की नीति का अनुमोदन ४९८३–९२

प्रतिवेदन (नों)—

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
जलहल्ली स्थित हिन्दुस्तान मशीनी औजार निर्माण कारखाने के बारे में श्री स्केफ का — ५४५५–५९

औद्योगिक वित्त निगम के सातवें वार्षिक—
– तथा लेखाओं के विवरण की प्रतियां—
पटल पर रखी गयीं ५०८९–९०

कार्य मंत्रणा समिति—
छब्बीसवें — से सहमति प्रस्ताव ४५२६–२७

१९५३–५४ के लिये संघ लोक सेवा आयोग के — और उस के सम्बन्ध में सरकार के ज्ञापन की प्रति–पटल पर रखी गयी ४९७७

प्रतिवेदन (नों)--(जारी)

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

अड़तीसवें — से सहमति प्रस्ताव ४६७५–७६

नारियल जटा बोर्ड के अर्धवार्षिक — की प्रति--पटल पर रखी गयी ५४५९–६०

प्राक्कलन समिति--

पन्द्रहवें — का उपस्थापन ४९७८

सोलहवें — का उपस्थापन ५१९८

याचिका समिति--

छठे--का उपस्थापन ५३३८

लोक लेखा समिति--

चौदहवें — में निर्दिष्ट कतिपय सौदों के बारे में वक्तव्य ५१९९–५२०१

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति--

ग्यारहवें — का उपस्थापन ४९७८

सोडियम थियोसल्फेट, सोडियम सल्फाइट और सोडियम बाई — सल्फाइट उद्योगों के संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का — तथा उस के सम्बन्ध में सरकारी संकल्पों की प्रतियां--पटल पर रखी गयीं ५३३५–३६

प्रशुल्क आयोग--

सोडियम थियोसल्फेट, सोडियम सल्फाइट और सोडियम बाई–सल्फाइट उद्योगों के संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में — का प्रतिवेदन तथा उस के सम्बन्ध में सरकारी संकल्पों की प्रतियां--पटल पर रखी गयीं ५३३५–३६

प्रश्नोत्तर में शुद्धि--

अतारांकित प्रश्न संख्या ९०१ के उत्तर में शुद्धि ४८७५

प्रश्नोत्तर में शुद्धि--(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न-संख्या ७८५ के उत्तर में शुद्धि ५१०१–०२

तारांकित प्रश्न संख्या १०५४ के उत्तर में शुद्धि ५२०२

तारांकित प्रश्न संख्या १३९१ के उत्तर में शुद्धि ४५२५–२६

प्रस्ताव (वों)--

आर्थिक नीति के सम्बन्ध में प्रस्ताव-- (स्वीकृत) ५३६३–५४१४, ५४६३–५६४२

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

अड़तीसवें प्रतिवेदन से सहमति — (स्वीकृत) ४६७५–७६

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के बारे में --(स्वीकृत) ५१०३–५०, ५२०५–५९

प्राक्कलन समिति--

देखिये "समिति (यां), संसदीय" के नीचे

बन्दी (न्यायालयों में उपस्थिति) विधेयक, १९५३--

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

बर्मन, श्री--

अन्तर्राज्यिक जल–विवाद विधेयक–

संयुक्त समिति में सम्मिलित होने संबंधी राज्य सभा की सिफारिश से सहमति प्रस्ताव ५२७२–७३

आर्थिक नीति के संबंध में प्रस्ताव ५४७१–७२

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५१३४–३६, ५२०५

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक--

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५३९–४४

बर्मन, श्री—(जारी)

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक–

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५३९–४४

बाढ़—

देश में —— की स्थिति के संबंध में वक्तव्य ४६३१–३३

देश में—की नवीनतम स्थिति के संबंध में विवरण—पटल पर रखा गया ४६३३

सभा का कार्य—

बिहार में ——से उत्पन्न स्थिति के संबंध में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में प्रश्न ४५२८

बाढ़ नियंत्रण परियोजना (एं)—

द्वितीय पंच वर्षीय योजना में——के संबंध में प्रस्ताव ५१०३–५०, ५२०५–५९

बारूपाल, श्री पी० एल०—

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४६२५–३०

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४६२५–३०

बालकृष्णन्, श्री एस० सी०—

अनुपस्थिति संबंधी समिति की सिफारिश पर —— को सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति ५१९८–९९

बासप्पा, श्री—

नदी बोर्ड विधेयक–

संयुक्त समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ५३४४–४६

बिहार—

सभा का कार्य—

——में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने की सूचना के बारे में प्रश्न ४५२८

बीरबल सिंह, श्री—

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५८७–९०

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक–

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५८७–९०

बूबराघस्वामी, श्री—

आर्थिक नीति के संबंध में प्रस्ताव ५४०१, ५४०२

बोगावत, श्री—

अन्तर्राज्यिक जल-विवाद विधेयक–

संयुक्त समिति में सम्मिलित होने संबंधी राज्य सभा की सिफारिश से सहमति प्रस्ताव ५२८४

आर्थिक नीति के संबंध में प्रस्ताव ५३९१, ५३९२

भारतीय नौवहन के विकास के लिये आयोग की नियुक्ति के संबंध में संकल्प ४६८५

बोस, श्री पी० सी०—

औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक—

विचार प्रस्ताव तथा परिचालित करने का संशोधन ४८१२–१३

भ

भक्त दर्शन, श्री—

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५७१, ४५९१–९४

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५७१, ४५९१–९४

भगत, श्री बी० आर०—

भारतीय आयकर अधिनियम के अन्तर्गत विमुक्त संस्थाओं की सूची पटल पर रखी ५४६०

भारतीय मुद्रांक (संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापन अनुमति प्रस्ताव ५४६०–६१

भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक, १९५५—
देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

भारतीय (यों)—

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५–५६—
वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय—

कटौती प्रस्ताव—

प्रत्यावासित भारतीय राष्ट्रजनों के न्यायोचित दावों के निपटारा करने में हुआ विलम्ब ४९५७–६४

भारतीय अन्य धर्मग्राही (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक (श्री जेठा लाल जोशी द्वारा)—
देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

भारतीय आयकर अधिनियम—
— के अन्तर्गत विमुक्त संस्थाओं की सूची पटल पर रखी गई ५४६०

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद्—
देखिये "समिति (यां), संसदीय के अतिरिक्त" के नीचे

भारतीय टंक (संशोधन) विधेयक १९५५—
देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

भारतीय नौवहन विकास आयोग—
भारतीय नौवहन के विकास के लिये आयोग की नियुक्ति के संबंध में संकल्प ४६७६–४७२०

भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक—
देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

भारतीय मुद्रांक (संशोधन) विधेयक—
देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

भारतीय रैडक्रास सोसाइटी (संशोधन) विधेयक—
देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

भार्गव, पंडित ठाकुर दास—

अन्तर्राज्यिक जल-विवाद विधेयक—
संयुक्त समिति में सम्मिलित होने संबंधी राज्य सभा की सिफारिश से सहमति प्रस्ताव ५२७६–७७, ५२८३, ५२८९-९५, ५३०३, ५३०४

आर्थिक नीति के संबंध में प्रस्ताव ५५८५–९३

औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक—

विचार प्रस्ताव तथा परिचालित करने का संशोधन ४८२८–३३, ४८५८
खंडों पर चर्चा ४८५९, ४८६२–६३, ४८६५, ४८६८–६९

गृह मंत्रालय के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगें तथा कटौती प्रस्ताव ५०३२

भार्गव, पंडित ठाकुर दास—(जारी)

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगें तथा कटौती प्रस्ताव ५०१४–१५

परक्राम्य संलेख (संशोधन) विधेयक—

विचार प्रस्ताव ५०६५–६८, ५०७०

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक—

खंडों पर चर्चा ४९१९, ४९२१, ४९२७, ४९३०, ४९३२, ४९३३, ४९३४, ४९३५–३६, ४९३७, ४९३८–४०, ४९४१, ४९४२

भारतीय नौवहन के विकास के लिये आयोग की नियुक्ति के संबंध में संकल्प ४७०७

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५५३, ४५५४, ४५७३, ४७५४-५८, ४७६२–६३, ४७६४

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक–

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५५३, ४५५४, ४५७३, ४७५४–५८, ४७६२–६३, ४७६४

भूमि—

आर्थिक नीति के बारे में प्रस्ताव ५३६३–५४१४, ५४६३–५६४२

भोंसले, श्री जे० के०—

संसद् द्वारा परिवर्तित विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियम, १९५५ की प्रति—पटल पर रखी ५१९७–९८

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५५—

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

म

मकान—

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५–५६—

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय–

कटौती प्रस्ताव–

नई दिल्ली में आवास स्थान का प्रश्न ४९९३–५०२०

मजीठिया, सरदार—

राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल विधेयक—

पुरःस्थापन अनुमति प्रस्ताव ५४६०

मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्यिक) नियंत्रण विधेयक—

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

महाता, श्री भजहरि—

अनुपस्थिति संबंधी समिति की सिफारिश पर—को सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति ५१९८–९९

मात्तन, श्री—

भारतीय नौवहन के विकास के लिये आयोग की नियुक्ति के संबंध में संकल्प ४६७६–८५, ४६९३, ४७०२, ४७११, ४७१४, ४७१८

मिश्र, पंडित एस० सी०—

आर्थिक नीति के संबंध में प्रस्ताव ५५१५–१९

मिश्र, पंडित लिंगराज—

अनुपस्थिति संबंधी समिति की सिफारिश पर — को सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति ५१९८–९९

मिश्र, श्री एम० पी०—

आर्थिक नीति के संबंध में प्रस्ताव ५४१३–१४, ५४६३–७१

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक–

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५६८–७५

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

मिश्र श्री एम० पी०--(जारी)

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५६८-७५

मिश्र, श्री एल० एन०--

आर्थिक नीति के संबंध में प्रस्ताव ५४६५, ५५४८

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के संबंध में प्रस्ताव ५२१६-१९

मिश्र, श्री लोकनाथ--

आर्थिक नीति के संबंध में प्रस्ताव ५५५२

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के संबंध में प्रस्ताव ५१२८-३१, ५१४५

मिश्र, श्री विभूति--

आर्थिक नीति के संबंध में प्रस्ताव ५३९०, ५४९१-५५०३, ५५१७, ५५२६, ५६३७

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के संबंध में प्रस्ताव ५२३९-४०

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक--

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४६०४-०९

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक--

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४६०४-०९

सभा का कार्य--

बिहार में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने की सूचना के बारे में प्रश्न ४५२८

मुकर्जी, श्री एच० एन०--

अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद् के संबंध में आधे घंटे की चर्चा ५०८१-८२

मुकर्जी, श्री एच० एन०--(जारी)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के संबंध में प्रस्ताव ५२२४-२८

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक--

विचार प्रस्ताव ४८८३

मुचाकी कोसा, श्री --

अनुपस्थिति संबंधी समिति की सिफारिश पर--को सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति ५१९८-९९

मुनिस्वामी, श्री एन० आर०--

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५-५६--

वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय--

कटौती प्रस्ताव--

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम में भारतीय सदस्यता के सापेक्ष लाभ ४९८३-८४, ४९८६, ४९९२

अन्तर्राज्यिक जल-विवाद विधेयक--

संयुक्त समिति में सम्मिलित होने संबंधी राज्य सभा की सिफारिश से सहमति प्रस्ताव ५२७०, ५२८५-८९

आर्थिक नीति के संबंध में प्रस्ताव ५४६३

गृह मंत्रालय के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगें तथा कटौती प्रस्ताव ४९८१-८२

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगें तथा कटौती प्रस्ताव ४९९३-९४, ४९९७

वित्त मंत्रालय संबंधी अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५-५६ तथा कटौती प्रस्ताव ४९७१

वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय संबंधी अनुपूरक अनुदानों की मांगें १९५५-५६ तथा कटौती प्रस्ताव ४९५७-५८, ४९५९-६०, ४९६२-६३

मुहम्मद अकबर, सूफी—
अनुपस्थिति संबंधी समिति की सिफारिश पर — को सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति ५१९८–९९

मुहीउद्दीन, श्री—
अन्त्येष्टि क्रिया सुधार विधेयक (श्री तेलकीकर द्वारा)—
परिचालित करने का प्रस्ताव ५४१७

आर्थिक नीति के संबंध में प्रस्ताव ५५०६–०९

मूर्त्ति, श्री बी० एस०—
आर्थिक नीति के संबंध में प्रस्ताव ५५२३–२४

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५३४–३९

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५३४–३९

मेहता, श्री अशोक—
आर्थिक नीति के संबंध में प्रस्ताव ५४०८–१२

औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक—
विचार प्रस्ताव तथा परिचालित करने का संशोधन ४७९८, ४८०२–१२

सभा का कार्य ५२०३

मेहता, श्री जे० आर०—
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४६६३–६६

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक–
प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४६६३–६६

मेहता, श्री बी० जी०—
प्राक्कलन समिति—
पन्द्रहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन ४९७८
सोलहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन ५१९८

मोरे, श्री एस० एस०—
अन्तर्राज्यिक जल-विवाद विधेयक—
संयुक्त समिति में सम्मिलित होने संबंधी राज्य सभा की सिफारिश से सहमति प्रस्ताव ५२७१, ५२७२, ५२७४, ५२७५, ५२८२, ५२८३

आर्थिक नीति के संबंध में प्रस्ताव ५५३९, ५५४७, ५५५२–५८

औद्योगिक विवाद (बकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक—
विचार प्रस्ताव तथा परिचालित करने का संशोधन ४८२२, ४८४३–४६

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगें तथा कटौती प्रस्ताव ५०२०

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक—
विचार प्रस्ताव ४८८२–८३, ४९०५–०७
खंडों पर चर्चा ४९३१

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५३७, ४५७३, ४७४३

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५३७, ४५७३, ४७४३

विनियोग (संख्या ३) विधेयक—
खंडों पर चर्चा ५०५२

मोरे, श्री के० एल०—
पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक—
खंडों पर चर्चा ४९१८, ४९२२

य

याचिका (एं)—

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक के संबंध में— ४६३४

याचिका समिति—

देखिये "समिति (यां), संसदीय" के नीचे

र

रघुनाथ सिंह, श्री—

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अड़तीसवें प्रतिवेदन से सहमति प्रस्ताव ४६७५–७६

भारतीय नौवहन के विकास के लिये आयोग की नियुक्ति के सम्बन्ध में संकल्प ४६६४, ४७१६–२०

रेलवे परिवहन की स्थिति पर चर्चा ५१७५–७७

रघुरामैया, श्री—

अन्तर्राज्यिक जल-विवाद विधेयक—

संयुक्त समिति में सम्मिलित होने सम्बन्धी राज्य सभा की सिफारिश से सहमति प्रस्ताव ५२८४

भारतीय नौवहन के विकास के लिये आयोग की नियुक्ति के सम्बन्ध में संकल्प ४६८६, ४६६६–४७०२

याचिका समिति—

छठे प्रतिवेदन का उपस्थापन ५३३८

रघुवीर सहाय, श्री—

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

जलहल्ली स्थित हिन्दुस्तान मशीनी औजार निर्माण कारखाने के बारे में श्री स्केफ का प्रतिवेदन ५४५५

रणवीर सिंह, चौधरी—

आर्थिक नीति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५५२४–३४

राघवाचारी, श्री—

अन्तर्राज्यिक जल-विवाद विधेयक—

संयुक्त समिति में सम्मिलित होने सम्बन्धी राज्य सभा की सिफारिश से सहमति प्रस्ताव ५२६६–७०, ५२८४

आर्थिक नीति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५६०१–०२

गृह मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की मांगें तथा कटौती प्रस्ताव ४६७६–८०, ५०२१–२२

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की मांगें तथा कटौती प्रस्ताव ४६६३–६४, ४६६६, ५०१२–१४, ५०१५, ५०१७

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक—

विचार प्रस्ताव ४८८४

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४७२८–४७६५

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४७२८, ४७६५

वित्त मंत्रालय सम्बन्धी अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५–५६ तथा कटौती प्रस्ताव ४६६३–६४, ४६६६

राचय्या, श्री एन०—

आर्थिक नीति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५४७१, ५६०८–०९

नदी बोर्ड विधेयक—

संयुक्त समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ५३२८–३१

राजभाषा—

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५–५६—गृह मंत्रालय के अन्तर्गत विविध विभाग और व्यय—

कटौती प्रस्ताव—

अहिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों को आयोग में अपर्याप्त प्रतिनिधान का दिया जाना ४९८१–८२, ५०२०–४६

राजभाषा आयोग का कार्य ५०२०–४६

शासकीय भाषा आयोग का कार्य संचालन ४९८१–८२, ५०२०–४६

शासकीय भाषा आयोग की रचना और स्थापना में विलम्ब ४९७९–८०, ५०२०–४६

शासकीय भाषा आयोग की रचना में विलम्ब ४९८१–८२, ५०२०–४६

शासकीय भाषा सम्बन्धी नीति ४९८१–८२, ५०२०–४६

सरकार की भाषा सम्बन्धी नीति ४९७९–८०, ५०२०–४६

हिन्दी को शासकीय भाषा के रूप में लागू करने सम्बन्धी नीति ४९८१–८२, ५०२०–४६

राज-भाषा आयोग—

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५-५६—गृह मंत्रालय के अन्तर्गत विविध विभाग और व्यय—

कटौती प्रस्ताव—

—का कार्य ५०२०–४६

राजभोज, श्री पी० एन०—

आर्थिक नीति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५३९२, ५५४६–४७, ५५६६–६९

राज्य सभा से सन्दश—

लोक सभा द्वारा पारित रूप में औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक से बिना संशोधन के सहमति का — ५४५४

राज्य सभा से संदेश—(जारी)

लोक सभा द्वारा पारित रूप में पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक से बिना संशोधन के सहमति का — ५४५४

लोक सभा द्वारा पारित रूप में समवाय विधेयक १९५५ को संशोधनों सहित लौटाते हुए — ५३३७

राधारमण, श्री—

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक—

विचार प्रस्ताव ४८९९–४९०३

खण्डों पर चर्चा ४९१९, ४९२१, ४९२४, ४९२५, ४९२६

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५६०–६८

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५६०–६८

राने, श्री—

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक—

खण्डों पर चर्चा ४९३६, ४९३८

मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्यिक) नियंत्रण विधेयक—

राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन पर विचार प्रस्ताव ५०९८

राम दास, श्री—

अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की सिफारिश पर—को सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

राम सुभग सिंह, डा०—

अन्तर्राज्यिक जल-विवाद विधेयक—

संयुक्त समिति में सम्मिलित होने सम्बन्धी राज्य सभा की सिफारिश से सहमति प्रस्ताव ५२७२, ५२७३

आर्थिक नीति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५३९१, ५४९८

रामनारायण सिंह, बाबू—

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५४५, ४५५४–६०, ४५७२

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५४५, ४५५४–६०, ४५७२

राव, श्री गोपाल—

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५८५–८७

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५८५–८७

राव, श्री टी० बी० विट्ठल—

अन्तर्राज्यिक-जल विवाद विधेयक—

संयुक्त समिति में सम्मिलित होने सम्बन्धी राज्य सभा की सिफारिश से सहमति प्रस्ताव ५२६६

औद्योगिक वित्त निगम के सातवें वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखाओं के विवरण की प्रतियां—पटल पर रखी गयीं ५०८९–९०

परक्राम्य संलेख (संशोधन) विधेयक—

विचार प्रस्ताव ५०५८—५९

लोक लेखा समिति—

चौदहवें प्रतिवेदन में निर्दिष्ट कतिपय सौदों के बारे में वक्तव्य ५२०१

राव, श्री मोहन—

अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की सिफारिश पर—को सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति ५१९८–९९

राष्ट्रपति की अनुमति—

—प्राप्त विधेयक—

अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक, १९५५ ४८७४

बन्दी (न्यायालयों में उपस्थिति) विधेयक, १९५३ ४८७४

भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक, १९५५ ४८७४

भारतीय टंक (संशोधन) विधेयक, १९५५ ४८७४

राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल विधेयक—

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

रिचर्डसन, बिशप—

अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की सिफारिश पर—को सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति ५१९८–९९

रे, श्री बी० के०—

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४६७५, ४७२८–३२

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४६७५, ४७२८–३२

रैड्डी, श्री ईश्वर—

आर्थिक नीति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५५८०–८२

रेड्डी, श्री रामचन्द्र—

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५–५६—
वित्त मन्त्रालय का अन्य पूंजी व्यय—
कटौती प्रस्ताव—

लेन देन का तरीका ४९९०–९१, ४९९२

अन्तर्राज्यिक जल-विवाद विधेयक—

संयुक्त समिति में सम्मिलित होने सम्बन्धी राज्य सभा की सिफारिश से सहमति प्रस्ताव ५२६५

रेड्डी, श्री रामचन्द्र—(जारी)

गृह मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की मांगें तथा कटौती प्रस्ताव ४९७९–८०, ४९८१–८२, ५०२७–२९

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुपूरक अनदानों की मांगें तथा कटौती प्रस्ताव ४९९३–९६, ४९९७, ५००१, ५०१२

रेलवे परिवहन की स्थिति पर चर्चा ५१८२–८४

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५३२–३४, ४७६४

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५३२–३४, ४७६४

वित्त मंत्रालय सम्बन्धी अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५–५६ तथा कटौती प्रस्ताव ४९६९–७०

सभा का कार्य ५२०४

रेड्डी, श्री विश्वनाथ—

नदी बोर्ड विधेयक—

संयुक्त समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ५३२१–२४, ५३५९

रेलवे परिवहन—

— की स्थिति पर चर्चा ५१५०–९६

रेलवे पुनर्वर्गीकरण—

— के सम्बन्ध में संकल्प ४७२१–२६

ल

लक्ष्मय्या, श्री—

अन्तर्राज्यिक जल–विवाद विधेयक—

संयुक्त समिति में सम्मिलित होने संबंधी राज्य सभा की सिफारिश से सहमति प्रस्ताव ५२९९–५३००

आर्थिक नीति के संबंध में प्रस्ताव ५३९१, ५४७२–७५

लक्ष्मय्या, श्री—(जारी)

नदी बोर्ड विधेयक–

संयुक्त समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ५३३१

लाल सिंह, सरदार—

आर्थिक नीति के संबंध में प्रस्ताव ५४०२–०७

लाश्कर, श्री—

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५२१९–२४

लिंगम, श्री एन० एम०—

आर्थिक नीति के संबंध में प्रस्ताव ५३९१

नदी बोर्ड विधेयक–

संयुक्त समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ५३१४–१८

सभा का कार्य ५३४०

लेखा (खे)—

औद्योगिक वित्त निगम के सातवें वार्षिक प्रतिवेदन तथा—के विवरण की प्रतियां–पटल पर रखी गयीं ५०८९–९०

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

लोक लेखा समिति—

देखिये "समिति (यां), संसदीय" के नीचे

व

वक्तव्य (व्यों)—

आश्वासनों की कार्यान्विति के संबंध में सदस्यों को सूचना देने के बारे में — ४६३३–३५

वक्तव्य (व्यों)—जारी

गोआ के संबंध में— ५४६१–६२

देश में बाढ़ की स्थिति के संबंध में— ४६३१–३३

लोक लेखा समिति—

चौदहवें प्रतिवेदन में निर्दिष्ट कतिपय सौदों के बारे में— ५१९९–५२०१

वर्मा, श्री एम० एल०—

आर्थिक नीति के संबंध में प्रस्ताव ५५५८–६५

वल्लाथरास, श्री—

गृह मंत्रालय के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगें तथा कटौती प्रस्ताव ४९८१–८२, ५०२२–२७, ५०४३

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति–

ग्यारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन ४९७८

वित्त मंत्रालय—

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५–५६—

वित्त मंत्रालय—

कटौती प्रस्ताव—

अधीक्षक कर्मचारीवृन्द में कमी ४९६३–७६

एक नये विभाग "समवाय विधि प्रशासन विभाग" की स्थापना ४९६५–७६

वर्तमान अतिरेक कर्मचारीवृन्द से काम लेकर व्यय के किये जाने की संभावना ४९६३–७६

समवाय विधि प्रशासन विभाग के लिये पदाधिकारियों तथा कर्मचारी-वृन्द की नियुक्ति ४९६५–७६

वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय—

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५–५६—वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय ४९८१–९२

कटौती प्रस्ताव–

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम में भारतीय सदस्यता के सापेक्ष लाभ ४९८३–९२

लेन देन का तरीका ४९८३–९२

विदेशी पूंजी का गैर-सरकारी उपक्रमों तथा साधनों के द्वारा आने देने को नीति का अनुमोदन ४९८३–९२

विद्यालंकार, श्री ए० एन०—

आर्थिक नीति के संबंध में प्रस्ताव ५५९८–५६०१

औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक—

विचार प्रस्ताव तथा परिचालित करने का संशोधन ४८३८–४३

विद्युत संभरण (संशोधन) विधेयक—

देखिये " विधेयक (कों) " के नीचे

विधेयक (कों)—

अन्तर्राज्यिक जल-विवाद विधेयक—

संयुक्त समिति में सम्मिलित होने संबंधी राज्य सभा की सिफारिश से सहमति प्रस्ताव (स्वीकृत) ५२५९–५३०७

अन्त्येष्टि क्रिया सुधार विधेयक (श्री तेलकोकर द्वारा)–

परिचालित करने का प्रस्ताव ५४१४–२४

(अस्वीकृत) ५४२४

औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक—

विचार प्रस्ताव ४७८३–४८५९

परिचालित करने का संशोधन ४७९८–४८५९

विधेयक (कों)—(जारी)
विनिश्चय विधेयक—जारी
औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय)
खंडों पर चर्चा ४७५९–७०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ४८७०–७२
(संशोधित रूप में पारित) ४८७२
लोक सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक से बिना संशोधन के सहमति का राज्य-सभा से सन्देश ५४५४
नदी बोर्ड विधेयक—
संयुक्त समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ५३०७–३४, ५३४१–६३
(संयुक्त समिति को निर्देशित) ५३६३
परक्राम्य संलेख (संशोधन) विधेयक—
विचार प्रस्ताव ५०५२–७३
पारित करने का प्रस्ताव ५०७३–७४
(पारित) ५०७४
पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक—
विचार प्रस्ताव ४८७७–४९१७
प्रवर समिति को निर्देशित करने का संशोधन ४९०८–१६
खंडों पर चर्चा ४९१७–५३
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ४९५३
(संशोधित रूप में पारित) ४९५३
लोक सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक से बिना संशोधन के सहमति का राज्य सभा से सन्देश ५४५४
भारतीय अन्य धर्मग्राही (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक (श्री जेठालाल जोशी द्वारा)—
विचार प्रस्ताव ५४२४–५४
भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित ५३४१
विधेयक (कों)—(जारी)
भारतीय मुद्रांक (संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित ५४६०–६१
भारतीय रैडक्रास सोसाइटी (संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित ४९७८–७९
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक १९५५—
विधेयक से संबंधित समितियों की प्रतियां—पटल पर रखी गयीं ५३३८
मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्यिक) नियंत्रण विधेयक—
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन पर विचार प्रस्ताव ५०७४–७६, ५०९०–५१०३
(स्वीकृत) ५१०१
राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त विधेयक—
अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक, १९५५ ४८७५
बन्दी (न्यायालयों में उपस्थिति) विधेयक, १०५३, ४८७४
भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक, १९५५ ४८७४
भारतीय टंक (संशोधन) विधेयक, १९५५ ४८७४
राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल विधेयक—
पुरःस्थापित ५४६०
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५२७–४६३०, ४६३५–७५, ४७२७–७८
(प्रवर समिति को निर्देशित) ४७७८
लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५२७–४६३०, ४६३५–७५, ४७२७–८३
(प्रवर समिति को निर्देशित) ४७८३

विधेयक (कों)--जारी

विद्युत संभरण (संशोधन) विधेयक--
पुरःस्थापित ४८७६

विनियोग (संख्या ३) विधेयक --

पुरःस्थापित ५०४६
विचार प्रस्ताव ५०४६-५०
खंडों पर चर्चा ५०५१-५२
पारित करने का प्रस्ताव ५०५२
(पारित) ५०५२

समवाय विधेयक १९५५--

लोक सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक को संशोधनों सहित लौटाते हुये राज्य सभा से सन्देश ५३३७
पटल पर रखा गया ५३३८

सैंट जान एम्बुलैंस एसोसियेशैन (भारत) विधियों का स्थानान्तरण विधेयक--
पुरःस्थापित ४९८०

विनियोग (संख्या ३) विधेयक--
देखिये "विधेयक (कों) " के नीचे

विवरण--

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति-

बैठकों की कार्यवाही के विवरण की प्रति-पटल पर रखी गयी ५१९७

लोक सभा के प्रथम सत्र, १९५२, द्वितीय सत्र, १९५२, तृतीय सत्र, १९५३, चतुर्थ सत्र, १९५३, पंचम सत्र, १९५३, षष्ठम सत्र, १९५४, सप्तम सत्र, १९५४, अष्टम सत्र, १९५४, नवम सत्र, १९५५ तथा दशम सत्र, १९५५ में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों इत्यादि के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले अनुपूरक--संख्या क्रमशः ३२, ३४, ३६, ३१, २६, २१, १५, ११ ७, तथा १ पटल पर रखे गये ५३३६-३७

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियम--

संसद् द्वारा परिवर्तित--,१९५५ की प्रति--
पटल पर रखो गयो ५१९७-९८

वीरस्वामी, श्री--

गृह मंत्रालय के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगें तथा कटौती प्रस्ताव ५०४१

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक--

खंडों पर चर्चा ४९१७, ४९२६

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक-प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४६७२-७५

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक--

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४६७२-७५

वेलायुधन, श्री आर०--

अनुपस्थिति संबंधी समिति की सिफारिश पर--को सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति ५१९८-९९

आर्थिक नीति के संबंध में प्रस्ताव ५४०१, ५५०५

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक-प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५३७-४५४५

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक-

प्रवर समिति को निदशित करने का प्रस्ताव ४५३७, ४५४५

वैदेशिक कार्य--

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५-५६ ४९५४-५८

वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय—

अनुपूरक अनुदानों की मांगें १९५५-५६—

वदेशिक काय मंत्रालय के अधीन विविध व्यय—

कटौती प्रस्ताव—

चीन की सरकार के साथ दावों का निर्णय करने का प्रयत्न ४९५७-६४

प्रत्यावासित भारतीय राष्ट्रजनों के न्यायोचित दावों के निपटारा करने में हुआ विलम्ब ४९५७-६४

श

शर्मा, पंडित के० सी०—

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५८१, ४६१६, ४७३४

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५८१, ४६१६, ४७३४

शर्मा, श्री डी० सी०—

अखिल भारतीय क्रोड़ा परिषद् के संबंध में आधे घंटे की चर्चा ५०८२

रेलवे परिवहन की स्थिति पर चर्चा ५१६९-७१

शर्मा, श्री नन्द लाल—

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५६०, ४५७०, ४६००, ४६४३-४५

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५६०, ४५७०, ४६००, ४६४३-४५

शास्त्री, श्री अलगूराय—

द्वितीय पंच वर्षीय योजना में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के संबंध में प्रस्ताव ५११६, ५१५०

परक्राम्य संलेख (संशोधन) विधेयक—

विचार प्रस्ताव ५०६१-६४

भारतीय नौवहन के विकास के लिये आयोग की नियुक्ति के संबंध में संकल्प ४७२०

शास्त्री, श्री आर० आर०—

रेलवे पुनर्वर्गीकरण के संबंध में संकल्प ४७२१-२६

शास्त्री, श्री एल० बी०—

रेलवे परिवहन की स्थिति पर चर्चा ५१८४-९६

शास्त्री, श्री बी० डी०—

आर्थिक नीति के संबंध में प्रस्ताव ५६०९-१२

गृह मंत्रालय के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगें तथा कटौती प्रस्ताव ४९८१-८२

शाह, श्रीमती कमलेन्दुमति—

आर्थिक नीति के संबंध में प्रस्ताव ५५१९-२२

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४६२०-२२

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४६२०-२२

शिव, डा० गंगाधर—

आर्थिक नीति के संबंध में प्रस्ताव ५५८४-८५

श्रीमाली, डा० के० एल०—

अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद् के संबंध में आधे घंटे की चर्चा ५०८२-८८

स

संकल्प (ल्पों)—

भारतीय नौवहन के विकास के लिये आयोग की नियुक्ति के सम्बन्ध में— ४६७६–४७२०

रेलवे पुनर्वर्गीकरण के सम्बन्ध में— ४७२१–२६

संघ लोक सेवा आयोग—

१९५३-५४ के लिये — के प्रतिवेदन और उसके सम्बन्ध में सरकार के ज्ञापन की प्रति— पटल पर रखी गई ४९७७

संस्था (एं)—

भारतीय आयकर अधिनियम के अन्तर्गत विमुक्त — की सूची—पटल पर रखी गई ५४६०

सक्सेना, श्री एस० एल०—

अखिल भारतीय क्रीडा परिषद् के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा ५०८२

अन्तर्राज्यिक जल–विवाद विधेयक—

संयुक्त समिति में सम्मिलित होने सम्बन्धी राज्य सभा की सिफारिश से सहमति प्रस्ताव ५२९८

आर्थिक नीति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५३९२, ५६०३–०८, ५६३२, ५६३९, ५६४१

औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक—

विचार प्रस्ताव तथा परिचालित करने का संशोधन ४८२२

खंडों पर चर्चा ४८६३

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ४८७०–७२

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५१४९, ५२१०–१५

सक्सेना, श्री एस० एल० (जारी)

नदी बोर्ड विधेयक—

संयुक्त समिति को निदशित करने का प्रस्ताव ५३४७–४९

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक— प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४६५०–५२

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४६५०–५२

वित्त मंत्रालय सम्बन्धी अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५–५६ तथा कटौती प्रस्ताव ४९७०–७१

वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय सम्बन्धी अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५–५६ तथा कटौती प्रस्ताव ४९६०, ४९६२, ४९६३

वैदेशिक कार्य सम्बन्धी अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५–५६ तथा कटौती प्रस्ताव ४९५४—५६, ४९५७

सतीश चन्द्र, श्री—

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना–

जलहल्ली स्थित हिन्दुस्तान मशीनी औजार निर्माण कारखाने के बारे में श्री स्केफ का प्रतिवेदन ५४५५—५९

भारतीय नौवहन के विकास के लिये आयोग की नियुक्ति के सम्बन्ध में संकल्प ४६९२—९९

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा जहाजों के दिये जाने में विलम्ब के बारे में विवरण की प्रति—पटल पर रखी ४६३३–३४

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण—

श्री रामकृष्ण गुप्त ५५०३

सन्देश—

लोक सभा द्वारा पारित रूप में औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक से बिना संशोधन के सहमति का राज्य सभा से — ५४५४

लोक सभा द्वारा पारित रूप में पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक से बिना संशोधन के सहमति का राज्य सभा से—५४५४

लोक सभा द्वारा पारित रूप में समवाय विधेयक १९५५ को संशोधनों सहित लौटाते हुये राज्य सभा से— ५३३७

सभा का कार्य—

बिहार में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने की सूचना के बारे में प्रश्न ४५२८

सभा का कार्य ४८७६–७७, ५२०३–०४, ५३४०

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

देखिये "समिति (यां), संसदीय" के नीचे

समवाय विधि प्रशासन विभाग—

अनुपूरक अनुदानों की मांगें १९५५–५६

वित्त मंत्रालय—

कटौती प्रस्ताव—

एक नये विभाग "—" की स्थापना ४९६५–७६

—के लिये पदाधिकारियों तथा कर्मचारी वृन्द की नियुक्ति ४९६५—७६

समवाय विधेयक १९५५—

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

समिति (यां), संसदीय—

कार्य मंत्रणा समिति—

छब्बीसवें प्रतिवेदन से सहमति प्रस्ताव ४५२६–२७

समिति (यां), संसदीय—(जारी)

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अड़तीसवें प्रतिवेदन से सहमति प्रस्ताव ४६७५–७६

बैठकों की कार्यवाही के विवरण की प्रति—पटल पर रखी गयी ५१९७

प्राक्कलन समिति—

पन्द्रहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन ४९७८

सोलहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन ५१९८

याचिका समिति—

छठे प्रतिवेदन का उपस्थापन ५३३८

लोक लेखा समिति—

चौदहवें प्रतिवेदन में निर्दिष्ट कतिपय सौदों के बारे में वक्तव्य ५१९९–५२०१

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

ग्यारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन ४९७८

समिति (यां), संसदीय के अतिरिक्त—

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड—

बोर्ड के लिये निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव ४८७५

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद्—

परिषद् के लिये निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव ४८७५–७६

सरकारी आश्वासन (नों)—

आश्वसानों की कार्यान्विति के सम्बन्ध में सदस्यों को सूचना देने के बारे में वक्तव्य ४६३३–३५

सरकारी आश्वासन (नों)—(जारी)

लोक सभा के प्रथम सत्र, १९५२, द्वितीय सत्र, १९५२, तृतीय सत्र, १९५३, चतुर्थ सत्र, १९५३, पंचम सत्र, १९५३, षष्ठम सत्र, १९५४, सप्तम सत्र, १९५४, अष्टम सत्र, १९५४, नवम सत्र, १९५५ तथा दशम सत्र, १९५५ में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों इत्यादि के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले अनुपूरक विवरण संख्या क्रमशः ३२, ३४, ३६, ३१, २६, २१, १५, ११, ७ तथा १ पटल पर रखे गये ५३३६–३७

सर्मा, श्री देवेश्वर—

अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की सिफारिश पर— को सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति ५१९८–९९

सहगल, सरदार ए० एस०—

औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चिय विधेयक—

विचार प्रस्ताव तथा परिचालित करने का संशोधन ४८३५

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४६५२–५७

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४६५२–५७

सहाय, श्री श्यामनन्दन—

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४६०४

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४६०४

सहायता—

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५-५६— गृह मंत्रालय के अन्तर्गत विविध विभाग और व्यय—

कटौती प्रस्ताव—

अनुदानित — सम्बन्धी नीति ४९८१-८२, ५०२०–४६

सामन्त, श्री एस० सी०—

आर्थिक नीति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५४६३, ५५७१-७२

नदी बोर्ड विधेयक—

संयुक्त समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ५३५२–५३

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक—

खण्डों पर चर्चा ४९२९, ४९४३

साहा, श्री मेघनाद—

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५२४०–४२, ५२५१, ५२५२

सिंह, ठाकुर युगल किशोर—

आर्थिक नीति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५३९०, ५३९१, ५५७५–८०

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५९४–९९

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५९४–९९

सिंह, डा० एस० एन०—

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५१३२–३४

भारतीय नौवहन के विकास के लिये आयोग की नियुक्ति के सम्बन्ध में संकल्प ४६९४

सिंह, श्री आर० एन०—

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५२९१, ५२४२–४६, ५२५७

सिंह, श्री टी० एन०—

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक—

विचार प्रस्ताव ४९०७, ४९०८, ४९१४-१५

प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन ४९१४–१५

खण्डों पर चर्चा ४९३३

रेलवे परिवहन की स्थिति पर चर्चा ५१५५–५८

सिंह, श्री सत्यनारायण—

आश्वासनों की कार्यान्विति के सम्बन्ध में सदस्यों को सूचना देने के बारे में वक्तव्य ४६३३–३५

कार्य मंत्रणा समिति—

छब्बीसवें प्रतिवेदनसे सहमति प्रस्ताव ४५२६

लोक सभा के प्रथम सत्र, १९५२, द्वितीय सत्र, १९५२, तृतीय सत्र, १९५३, चतुर्थ सत्र, १९५३, पंचम सत्र, १९५३, षष्ठम सत्र, १९५४, सप्तम सत्र, १९५४, अष्टम सत्र, १९५४, नवम सत्र, १९५५ तथा दशम सत्र, १९५५ में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों इत्यादि के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले अनुपूरक विवरण संख्या क्रमशः ३२, ३४, ३६, ३१, २६, २१, १५, ११, ७ तथा १ पटल पर रखे गये ५३३६–३७

सभा का कार्य ५२०३–०४

सिंहासन सिंह, श्री—

आर्थिक नीति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५५१२, ५५३६

सिंहासन सिंह, श्री—(जारी)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५२२८—३४

नदी बोर्ड विधेयक—

संयुक्त समिति को निर्देशित करने के लिये राज्य सभा से सहमत होने का प्रस्ताव ५३४१–४४

सिन्हा, श्री नागेश्वर प्रसाद—

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक—

विचार प्रस्ताव ४८८५, ४८८७—८९

खण्डों पर चर्चा ४९२५

सुरेश चन्द्र, डा०—

आर्थिक नीति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५५३८

परक्राम्य संलेख (संशोधन) विधेयक—

विचार प्रस्ताव ५०६४-६५

सेंट जान एम्बुलेंस एसोसियेशन (भारत) विधियों का स्थानान्तरण विधेयक—

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

सेन, श्रीमती सुषमा—

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ४५४४—४७

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को निदशित करने का प्रस्ताव ५५४४—४७

सैनिक (कों)—

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

भारतीय — द्वारा उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण के विद्रोही आदिम जातीय लोगों का हताहत किया जाना ५३३८–४०

सोडियम थियोसल्फेट—

—,सोडियम सल्फाइड और सोडियम बाई-सल्फाइड उद्योगों के संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रति-वेदन तथा उसके सम्बन्ध में सरकारी संकल्पों की प्रतियां—पटल पर रखी गयीं ५३३५–३६

सोडियम बाईसल्फाइट—

सोडियम थियोसल्फेट, सोडियम सलफाइड और—उद्योगों के संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रति-वेदन तथा उसके सम्बन्ध में सरकारी संकल्पों की प्रतियां—पटल पर रखी गयीं ५३३५–३६

सोडियम सल्फाइट—

सोडियम थियोसल्फेट,— और सोडियम बाईसल्फाइट उद्योगों के संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन तथा उसके सम्बन्ध में सरकारी संकल्पों की प्रतियां—पटल पर रखी गयीं ५३३५–३६

सोमना, श्री एन०—

अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की सिफारिश पर—को सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति ४१९८–९९

सोमानी, श्री जी० डी०—

भारतीय नौवहन के विकास के लिये आयोग की नियुक्ति के सम्बन्ध में संकल्प ४६८६—८८

स्केफ, श्री—

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

जलहल्ली स्थित हिन्दुस्तान मशीरी औज़ार निर्माण कारखाने के बारे में—का प्रतिवेदन ५४५५–५९

स्वर्ण सिंह, सरदार—

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की मांगें तथा कटौती प्रस्ताव ४९९६–९७, ५००२–११, ५०१२, ५०१७—१९

स्वामी, श्री शिवमूर्ति—

आर्थिक नीति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५३९१

नदी बोर्ड विधेयक—

संयुक्त समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ५३२४–२८

ह

हाथी, श्री—

अन्तर्राज्यिक जल-विवाद विधेयक—

संयुक्त समिति में सम्मिलित होने सम्बन्धी राज्य सभा की सिफारिश से सहमति प्रस्ताव ५२६९, ५२९८

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५१४०–४८, ५२०५—१०

नदी बोर्ड विधेयक—

संयुक्त समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव ५३२४

हिन्दी—

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५-५६—

गृह मन्त्रालय के अन्तर्गत विविध विभाग और व्यय—

कटौती प्रस्ताव—

—को शासकीय भाषा के रूप में लागू करने सम्बन्धी नीति ४९८१–८२, ५०२०—४६

हिन्दुस्तान मशीनी औज़ार निर्माण कारखाना—

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

जलहल्ली स्थित —के बारे में श्री स्केफ का प्रतिवेदन ५४५५—५९

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड—

— द्वारा जहाजों के दिये जाने में विलम्ब के बारे में विवरण की प्रति—पटल पर रखी गयी ४६३३–३४

होटल उद्योग—

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५-५६—निर्माण, आवास तथा सम्भरण मन्त्रालय का अन्य पूंजी व्यय—

कटौती प्रस्ताव—

— की अवांछनीयता सम्बन्धी नीति पर असहमति ४९९३—५०२०

— में सरकारी निधियों के विनियोजन की वांछनीयता ४९९३–५०२०

होटल चलाने की आवश्यकता ४९९३—५०२०